शुक्रवार, 19 फ़रवरी 1982

30 माघ, 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवाँ सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 2, शुक्रवार, 19 फरवरी, 1982/30 माघ, 1903 (शक)

विषय		
बुल्गारिया के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत	...	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 1 और 2	...	2-19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 4 से 12, 14, 15 और 17 से 20	...	19-27
अतारांकित, प्रश्न संख्या 1 से 48, 50 से 125, 127 से 132, 134 से 168 और 170 से 230	...	27-178
अतारांकित प्रश्न संख्य 525 दिनांक 25-11-1981 के उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य	...	178
विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में	...	178-182
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	182-184
विधेयकों पर अनुमति	...	184-185
लोक लेखा समिति		
71वां और 73वां प्रतिवेदन	...	185
प्राक्कलन समिति		
उन्नीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	...	185-186
रेल अभिसमय समिति		
चौथा प्रतिवेदन	...	186-187

*किसी नाम पर अंकित यह †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

पाकिस्तान के विदेश मन्त्री की हाल की भारत यात्रा के बारे में वक्तव्य

श्री पी. वी. नरसिंह राव ... 187-188

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पुणे और शोलापुर में बड़े पैमाने पर हो रही साम्प्रदायिक हिंसा का समाचार

श्री ई. बालानन्दन ... 188-192

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या ... 190-202

श्री अजित बाग ... 193-194

श्रीमती सुशीला गोपालन ... 195-196

श्री एम.एम. लारेंस ... 19 -197

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी ... 191-209

श्री जैल सिंह ... 204-209

27 जनवरी, 1982 को आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पर दक्षिण एक्सप्रेस की आगरा-इटारसी मालगाड़ी के साथ टक्कर के बारे में वक्तव्य

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी ... 209-211

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित किया गया ... 211

सभा का कार्य ... 211-216

दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक ... 216

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाया जाना ... 216

नियम 66 के परन्तुक के निलम्बित करने के बारे में प्रस्ताव ... 216-218

चीनी उपकर विधेयक और चीनी विकास विधि विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव

राव बीरेन्द्र सिंह ... 218

श्री सुधीर गिरि ... 221-223

विधेयक, पुरःस्थापित :

(1) भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक

(धारा 26 का लोप)

श्री जार्ज फर्नान्डीस ... 223-224

(2) भारतीय तार (संशोधन) विधेयक

(धारा 5 का लोप)

श्री जार्ज फर्नान्डीस ... 224

(3) नाटकीय प्रदर्शन (निरसन) विधेयक
श्री जार्ज फर्नान्डीस ... 224

(4) सिविल अधिकार सरक्षण (संशोधन) विधेयक
(धारा 3 आदि का संशोधन)
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति ... 224

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक
(प्रथम अनुसूची का संशोधन)
श्री वृद्धि चन्द्र जैन ... 224-225

(6) इलाहाबाद उच्च न्यायालय (आगरा में एक स्थायी पीठ की स्थापना) विधेयक
श्री राजेश कुमार सिंह ... 225

(7) कुंवारा व्यक्ति भत्ता विधेयक
श्री रामनाथ दुबे ... 225

(8) द्विविवाह निवारण विधेयक
डा. बसन्त कुमार पण्डित ... 225

(9) आयुध (संशोधन) विधेयक
(धारा 13 का संशोधन)
श्री रामनाथ दुबे ... 225

(10) उड़ीसा उच्च न्यायालय (सम्बलपुर में एक स्थायी पीठ की स्थापना) विधेयक
डा. कृपा सिंधु भोई ... 226

(11) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक
नई धारा 76क आदि का अन्तःस्थापन)
श्री भोगेन्द्र झा ... 226

(12) आवश्यक वस्तु कीमत नियतन विधेयक
श्री के. लक्प्पा ... 258

संसद सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक (धारा 3, 6ख आदि का संशोधन)—**वापस लिया गया।**

विचार करने का प्रस्ताव ... 226-230
श्री एन. के. शेजवलकर ... 229
श्री भीष्म नारायण सिंह ... 229-230
श्री मूलचन्द डागा ... 230-234

भारतीब तार (संशोधन) विधेयक

(धारा 5 का संशोधन

श्री भोगेन्द्र झा ... 234

श्री गिरधारी लाल व्यास ... 241-243

श्री मधु दण्डवते ... 243-249

श्री अटल बिहारी बाजपेयी ... 249-252

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत ... 252-253

श्री चित्त बसु ... 253-255

श्री ईरा मोहन ... 255-257

दक्षिणी ध्रुव (एन्टार्क्टिका) में प्रथम भारतीय वैज्ञानिक अभियान के सफलतापूर्वक उतरने के बारे में वक्तव्य

श्रीमती इन्दिरा गांधी ... 258-559

लोक सभा

शुक्रवार, 19 फरवरी, 1982/30 माघ, 1903 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

बुलगारिया के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : आरम्भ में मुझे एक घोषणा करनी है । मुझे, अपनी और सभा के माननीय सदस्यों की ओर से, बुलगारिया जनवादी गणराज्य की नेशनल असेम्बली के चेयरमैन महामहिम श्री स्टेनको तोदोरोव तथा बलगारिया के संसदीय शिष्टमण्डल के भारत की यात्रा पर आए माननीय सदस्यों का जो हमारे माननीय अतिथि हैं, स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा है । शिष्टमण्डल के अन्य माननीय सदस्य ये हैं :

1. श्री स्तोयन कारादजोव, संसद सदस्य
2. श्री अलेक्सी इवानोव, संसद सदस्य
3. श्री बोरिस मानोव, संसद सदस्य
4. कर्नल जोर्जी इवानोव, संसद सदस्य
5. श्री स्तेनिसलाव सिवरीव, संसद सदस्य
6. श्रीमीती ग्रोजदेना योनकोवा, संसद सदस्य

यह शिष्टमण्डल सोमवार, 15 फरवरी, 1982 को यहां पहुंचा था और 23 फरवरी, 1982 तक भारत में रहेगा । वे आगरा, चण्डीगढ़ और लुधियाना जा चुके हैं ।

एक माननीय सदस्य : जयपुर क्यों नहीं गए ?

अध्यक्ष महोदय : वे जाएंगे । मेरे विचार से तब आप उन्हें वापस नहीं जाने देना चाहेंगे ।

आगामी कुछ दिनों में वे हैदराबाद और मद्रास जाएंगे । इस समय वे विशेष कक्ष में बैठे हुए हैं । हम अपने देश में उनके सुखद और उद्देश्यपूर्ण प्रवास की कामना करते हैं । हम उनके द्वारा बलगारिया जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री तोदोरोव जिवकोव, उनकी नैशनल असेम्बली, सरकार तथा मित्रतापूर्ण लोगों को अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, हमने 388 के अन्तर्गत नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : फैसला हुआ है।

श्री राम विलास पासवान : मध्य प्रदेश में हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : फैसला हुआ है कि डिस्कशन होगा। आप ने ही फैसला किया है कि डिस्कशन होगा।

श्री आर. एन. राकेश : कब करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग मंगलवार को हो रही है। श्री जी. वाई. कृष्णन।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेशम निर्यात संवर्धन परिषद बनाने का प्रस्ताव

*41. **श्री जी. वाई. कृष्णन** :

श्री जगदीश टाईटलर : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम निर्यात संवर्धन परिषद बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या यह सच है कि कच्चे माल के ऊंचे मूल्यों और चीन से भारी प्रतिस्पर्धा के कारण रेशम का निर्यात तेजी से कम हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने मूल्यों को स्थिर करने तथा रेशम के निर्यात के भविष्य के बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) निर्यात के लिए भारतीय रेशम की कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार अग्रिम लाइसेंस योजना (शुल्क मुक्त आयात) तथा प्रतिपूर्ति योजना (आर. ई. पी.) के अंतर्गत कच्चे रेशम का आयात करने की अनुमति दे रही है। इसके साथ-साथ कच्चे रेशम की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए देश में कच्चे रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय भी किए जा रहे हैं।

श्री जी. वाई. कृष्णन : महोदय, यह बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने एक निर्यात संवर्धन परिषद् का गठन करने का निर्णय ले लिया है। इस समय निर्यातक बहुत कठिनाई में हैं क्योंकि कोई भी निर्यातक यह सुनिश्चित किये बिना कि इसे भुगतान हो जायेगा किसी भी निर्यात आदेश को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि सभी विदेशी आर्डर जिनके लिए उत्पाद शुल्क छूट के अन्तर्गत एडवान्स लाइसेंस मांगे जो रहे हैं एल. सी. के अन्तर्गत आने चाहिएं या जहां भुगतान की शर्तें एल/सी से अलग हों वहाँ वे ई. सी. जी. सी. के अन्तर्गत आने चाहिएं ?

दूसरे, जिन मामलों में आयात लाइसेंस 5 लाख रुपये से कम का है वहां बैंक बांड आवश्यक है। 5 लाख रुपये से अधिक वाले लाइसेंसों के लिए निर्यातकर्ताओं को कानूनी वचन देना होता है। बहुत से लाइसेंस धारियों का इरादा निर्यात संबधी बाध्यताओं को पूरा न करने को होता है और वे सरकार के पास केवल कानूनी वचन दे देते हैं जिससे सरकार उनके विरूद्ध कानूनी मुकदमें दायर कर सकती है। मेरा सुझाव है कि बड़े आयात लाइसेंस धारियों से कम से कम पूरे लागत बीमा भाड़ा मूल्य के बराबर का बैंक बांड लिया जाए, न कि केवल मूल्य के 45 प्रतिशत का। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बांड उत्पादन शुल्क की राशि जो लगभग 45 प्रतिशत होती है के लिए होने चाहिएं। आयातित रेशम पर प्रीमियम अधिशुल्क 300 प्रतिशत है।

श्री शिवराज वी. पाटिल : मेरे विचार से माननीय सदस्य के मन में रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के निर्माण के विषय में कोई भ्रांति है। उत्तर में यह कहा गया है कि मामला सरकार के विचाराधीन है। सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार ने यह नहीं कहा है कि इसकी स्थापना की जा रही है या नहीं। आरम्भ में यह स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। दूसरे मुद्दों के विषय में मुझे नहीं पता कि वे इस मंत्रालय से संबद्ध हैं या नहीं परन्तु फिर भी मैं उन पर विचार करूंगा।

श्री जी. वाई. कृष्णन : निर्यात संवर्धन परिषद बनाने के बाद क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निर्यात के लिए रेशम की वस्तुओं के निरीक्षण के समय केन्द्रीय रेशम बोर्ड यह प्रमाणित करेगा कि ताने बाने में रील किया हुआ शहतूत का रेशमी धागा ही प्रयोग में लाया गया है और भार के आधार पर निर्यात बाध्यताओं को पूरा करने के लिए, उसका भार बढ़ाने के लिए, किसी प्रकार के कते हुए धागे का इस्तेमाल नहीं किया गया है ? इसकी अत्यधिक आवश्यकता है।

श्री शिवराज वी. पाटिल : जो कुछ रेशम बोर्ड द्वारा किया जाना है वह सब किया जाएगा।

श्री जगदीश टाइटलर : जैसा कि मंत्री जी ने उत्तर दिया है रेशम निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना भारतीय रेशम के निर्यात के लिए मूल्य स्थिर करने हेतु की जा रही है मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा–मुझे नहीं पता कि मंत्री जी को मालूम हैं या नहीं-कि टसर रेशम भारत के केन्द्रीय और उत्तर-पूर्वी जंगलों के पहाड़ियों तथा आदिवासियों की विशिष्ट कला है उदाहरणार्थ उड़ीसा सरकार ने टसर रेशम को वहां के आदिवासियों के प्रमुख व्यावसायिक बिक्री की वस्तु के रूप में स्वीकार कर लिया है। हुआ यह है कि स्वदेशी, कुटीर उद्योग में और हाथ से तैयार किए गए रेशमी धागे की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और रेशम उत्पादक केन्द्रों में चीनी धागे की सप्लाई और चीन से आयातित किस्म की तुलना में स्थानीय टसर रेशम के उंचे मूल्य के कारण इसे कठिनाई का सामान करना पड़ रहा है। चीनी धागे को 58 रुपये प्रति किलो ग्राम की कम दर पर निर्यात किया जा सकता है जबकि भारतीय उत्पादक, आदिवासी और पहाड़ी लोग 150 रुपये से 160 रुपये तक प्रति किलो ग्राम से नीचे नहीं जा सकते हैं। यद्यपि केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने इसके आयात का विरोध किया है विशेषकर कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर में। समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसर केन्द्रीय रेशम बोर्ड राज्य सरकारों पर रेशमी वस्तुओं की बिकी पर बिक्रीकर समाप्त

करने के लिए और देश में धागे की कमी को पूराक रने के लिए रेशम के आयात पर जोर देना चाहता है, जबकि वे मूल्य स्थिर करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि आदिवासियों का क्या होगा। अब मैं अपने प्रश्न पर आता हूं। चूंकि रेशम निर्यात संवर्धन परिषद् निर्यातोन्मुखी होगी तो क्या यह भारतीय रेशम, स्वदेशी टसर रेशम उद्योग की आवश्यताओं पर भी विचार करेगी ? और क्या सरकार को पता है कि बाजार में चीनी टसर की बहुतायत से टसर और रेशम उद्योग के सामने गम्भीर सकट खड़ा हो गया है ?

श्री शिवराज वी. पाटिल : मैं उसका भी जवाब दूंगा जो पूछा गया है और उसका भी जो नहीं पूछा गया है। सरकार कच्चे रेशम के मूल्य को स्थिर करने के लिए कदम उठा रही है। सरकार तत्काल बाहर से रेशम का आयात करके और बाहर से रेशम के आयात की अनुमति देकर मूल्यों को अस्थायी तौर पर स्थिर करने का प्रयास कर रही है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि रेशम के मूल्य हमारे देश की तुलना में विदेशों में कम हैं। अत:, विदेशों से रेशम लेने और बुनकरों को उस रेशम का उपयोग करने की अनुमति देने से मूल्यों में थोड़ी गिरावट आ जाएगी।

अब, सरकार का दूसरा कदम यह सुनिश्चत करना है कि यहां पर रेशम का पर्याप्त उत्पादन हो। अब अनुसंधान कार्यों को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया जाता है और कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। एक परियोजना विश्व बैंक की सहायता से कनार्टक में चलाई जाएगी, जिस पर लगभग 80 करोड़ रुपये खर्च होगा। सरकार द्वारा हाथ में ली गई दूसरी परियोजना अन्तर्राज्यीय परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश बिहार, उड़ीसा और अन्य स्थानों पर चलाई जाएगी और इस पर भी सरकार लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

रेगम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ये उपाय कर रही है।

दूसरा प्रश्न चीन से रेशम के आयात के विषय में है। नि.सन्देह चीन से आयातित रेशम का मूल्य माननीय संसदय द्वारा बताए गए मूल्य से थोड़ा अधिक है। वह 56 रुपये नहीं है··· (**व्यवधान**) यह 200 रुपये है और उसी प्रकार के रेशम का मूल्य यहां पर 600 रुपये है। अत: इसमें बहुत अन्तर है। इसलिए, उस रेशम का आयात करके और उसे बुनकरों को देकर हम बुनकारों की भी सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं यह अवश्य कहूंगा कि इस कार्य से वृद्धि हुई है। यह कम नहीं हो रही है। इससे वृद्धि हुई है। इस कार्य से इस वर्ष 20% वृद्धि हुई हैं।

श्री डी. पी. यादव : मैं माननीय मंत्री को बुनकरों के कल्याण पर ध्यान देने के लिए उनका धन्यवाद देता हूं। वे समाज में भी उपेक्षित हैं। परन्तु देश के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने मुझे सलाह दी है कि विदेशों से कच्चा रेशम आयात करने की नीति से स्वदेशी उत्पादक का नाश हो जाएगा। इस बात को देखते हुए कि आप प्रोत्साहनों के रूप में 90 करोड़ रुपये लगायेंगे क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि स्वदेशी किसानों को सहायता देने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी, ताकि इस 10 करोड़ रुपये की पूर्ति हो सके या सन्तुलन हो सके और आपका अपना रेशम उत्पादन उद्योग, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में, बढ़ा सके और आप वास्तविक किसान की सहायता कर सकें।

श्री शिवराज वी. पाटिल : रेशम का आयात भेदभाव पूर्ण नहीं है। केवल उतनी मात्रा में रेशम का आयात होता है जितनी कि बुनकरों को आवश्यकता होती है - सरकार द्वारा आयतित रेशम की मात्रा लगभग 250 मीट्रीक टन है।...

श्री डी. पी. यादव : उसकी कीमत क्या है ?

श्री शिवराज वी. पाटिल : यह उससे अधिक नहीं हैं। अब स्वदेशी रेशम का उत्पादन ऊजी फ्लाई बीमारी के कारण कम हो गया है और उसे पूरा करने के लिए हम रेशम का आयात कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि विश्व बैंक की सहायता से हमने यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं कि कर्नाटक के अलावा अन्य राज्यों में भी रेशम का उत्पादन बढ़े। सरकार द्वारा अनेक अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब रेशम उद्योग और रेशम के कीड़े पालने के उद्योग को सरक्षण देने के लिए हम उन लोगों की सहायता कर रहे हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब केन्द्रीय सरकार सहायता प्रदान कर रही है और राज्य सरकार भी सहायता प्रदान कर रही है। अब उन्हें कुछ घोंसले उपलब्ध कराए जाते हैं। 50% खर्च उन लोगों को वहन करना होता है जो रेशम का उत्पादन करते हैं और शेष 50% व्यय केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

अतः यदि आप समस्याओं को उनकी सम्पूर्णता में लें तो आपको यह जानकर सन्तोष होगा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेशम का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो, जो कुछ आवश्यक है, वह सब किया जा रहा है।

श्री के. राममूर्ति : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न इस प्रश्न के प्रथम भाग से सम्बन्धित है अर्थात रेशम निर्यात संवर्धन परिषद् से संबंधित है।

महोदय, मंत्री महोदय को भली भांति ज्ञात है कि इस प्रश्न पर डा. एलेक्जेन्डर समिति ने विचार किया था और उस समिति के प्रतिवेदन में कहा गया था कि मौजूदा 16 परिषदों के अतिरिक्त और किसी प्रकार की पृथक परिषद के गठन से निर्यात संवर्धन गतिविधियों में कोई सहायता नहीं मिलने वाली है। इसे दृष्टि में रखते हुए उन सवर्धन परिषदों के कार्यकलापों की जांच करने के लिए सरकार ने हाल ही में एक 'तद्देश्य दल' का गठन किया है। जब इस तद्देश्य दल की "निर्यात संवर्धन परिषद कर्मचारी महासंघ" की ओर से मद्रास में बैठक हो रही थी, मैंने उस समय साक्ष्य में यह कहा था कि इन निर्यात संवर्धन परिषदों के कर्मचारी संवर्धन परिषदों के गठन के विरुद्ध हैं क्योंकि इससे हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद् कमजोर होती है। इसे दृष्टि में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को तद्देश्य के समक्ष दिए गए इस प्रकार के साक्ष्य का ज्ञान है और क्या सरकार अपने सोचने के इस ढंग में परिवर्तन करेगी।

श्री शिवराज वी. पाटिल : दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ हैं। एक के अनुसार इन निर्यात संवर्धन परिषदों का गठन किया जाना चाहिए। दूसरे के अनुसार इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। हम दोनों पक्षों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की जांच कर रहे हैं। मैंने अभी सभा को बताया है कि हमने कोई निर्णय नहीं लिया है। हम अभी इस पर विचार कर रहे हैं और सभी पहलुओं की जांच करने के पश्चात ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 2। श्री इब्राहीम सुलेमान सेट।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : प्रश्न संख्या 2।

श्री रतनसिंह राजदा : महोदय मुझे एक आपत्ति है। श्री प्रणव मुखर्जी को कोई अधिकार नहीं है।

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : श्री सिसोदिया उत्तर दे रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्रश्न वित्त मंत्री के नाम से है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसका उत्तर भले ही उप मन्त्री दें हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हमारी मूल आपत्ति तो फिर भी बनी रहेगी।

अध्यक्ष महोदय : वह क्या है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कृपया हमारी बात सुनिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री रतनसिंह राजदा : हमें इस पर आपत्ति है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : इनकी पदोन्नति करके इन्हें मंत्रिमंडल स्तर का मंत्री क्यों नहीं बना दिया गया ?

श्री रतन सिंह राजदा : मंत्री महोदय को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक विशेष मामले के तौर पर इस व्यवस्था के प्रश्न को उठाने की अनुमति देता हूं। मैं अब उनकी बात सुनना चाहता हूं।

श्री रतन सिंह राजदा : यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह हाल ही में मंत्रिमंडल में किए गए फेर-बदल के कारण पैदा हुआ है। प्रधान मंत्री ने अपने विवेकानुसार अब श्री प्रणव मुखर्जी को वित्त मंत्री नियुक्त किया है। (**व्यवधान**)

श्री के. राममूर्ति : आप उन्हें अनुमति कैसे दे सकते हैं ?

श्री रतन सिंह राजदा : अध्यक्ष महोदय ने मुझे अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति दी है।

श्री के. राममूर्ति : महोदय, प्रश्न काल में कोई चर्चा या वादविवाद नहीं होना चाहिए। आपको कोई नई मिसाल कायम नहीं करनी चाहिए। प्रश्न काल में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। एक नई मिसाल क्यों कायम की जाए ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री राममूर्ति जी आपने मेरी टिप्पणी को नहीं सुना है। मैंने एक विशेष मामले के तौर पर इसे प्रश्न काल में उठाने की अनुमति दी है।

श्री के. राममूर्ति : नहीं, नहीं। यह प्रश्न काल है। आप कैसे अनुमति दे सकते हैं ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे पूरा अधिकार है और मैंने उसका प्रयोग किया है। मैं इसे वापस नहीं लेने जा रहा हूं। कृपया अपनी जगह बैठ जाइये।

श्री के. राममूर्ति : इसमें क्या विशेषता है ? मुझे बहुत खेद है। आपको अनुमति नहीं देनी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय : आप कई बातें नहीं समझते हैं। इस मुद्दे का इस प्रश्न से सम्बन्ध है। अपना निर्णय देने से पूर्व मुझे उनको सुनना है। इसका सम्बन्ध प्रश्न से है। अन्यथा मैं इसकी अनुमति नहीं देता। (व्यवधान)

श्री रतन सिंह राजदा : अध्यक्ष महोदय, मैं मूल औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं। इससे सभा के सुस्थापित उदाहरणों और प्रथाओं का अत्यधिक उल्लंघन हुआ है।

• महोदय, संसदीय लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि वित्त मंत्री जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों में से होना चाहिए जबकि श्री मुखर्जी राज्य सभा के सदस्य हैं। महोदय, पंडित जवाहरलाल ने यह सुनिश्चित करने में बहुत ही सावधानी बरती कि वित्त विधेयक का संचालन एक ऐसे मंत्री द्वारा किया जाए जो सीधे लोगों द्वारा चुनकर सभा में आया हो। (व्यवधान)

श्री के. लक्कप्पा : महोदय, इसमें क्या विशेषता है? इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री के. राममूर्ति : महोदय, आप 'प्रश्न काल' के समय को बरबाद कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं कर सकता।

श्री रतन सिंह राजदा : महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं और मुझे आशा है कि दूसरी ओर बैठे सभी माननीय सदस्य मुझे सुनेंगे। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमारी भावी कार्यवाही को भी प्रभावित करता है। अर्थात क्या ऐसा व्यक्ति जो इस सभा का सदस्य नहीं है अर्थात जो लोक सभा का सदस्य नहीं है, वित्त मंत्रालय का कार्यभार सम्भाल सकता है। इसी दृष्टिकोण के कारण इंगलैंड में, जो संसदों की जननी है, चांसलर आप एक्सचेकर सदैव हाऊस आफ कामन्स से होता है।

महोदय, इंगलैण्ड में एक आन्दोलन चलाया गया था। "प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं"। और वहां यह प्रथा है कि चांसलर आफ एक्सचेकर निरयवाद रूप से हाऊस आफ कामन्स से होता है। (व्यवधान)

महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि श्री लक्कप्पा निराश हैं, क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल के नए फेर-बदल में स्थान नहीं दिया गया है। मैंने जैसा कि निवेदन किया है, इंग्लैंड के चांसलर आफ एक्सचेकर का जहां तक सम्बन्ध है, वहां स्थिति ऐसी है। हमने अपने देश में 'वेक्ट मिनिस्टर' प्रकार की सरकार अपनाई है। अब हमारे संविधान में स्थिति क्या है? संसद में, राष्ट्रपति, राज्य सभा और लोक सभा आती है। राज्य सभा अन्य सभी मामलों पर विचार कर सकती है परन्तु जब वित्त विधेयक का प्रश्न आता है तो राज्य सभा को उस पर विचार करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारी सभा का सम्बन्ध है, वित्तीय मामलों पर लोकसभा का एकमात्र अधिकार है और राज्य सभा को उन पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय यही अन्तर रखा था। अब मैं आपको फ्रेडेरिक ओग द्वारा लिखित 'इंगलिश गवर्नमेंट एंड पालिटिक्स' नामक पुस्तक से चांसलर आफ एक्सचेकर के सम्बंध में उद्धरण पढ़ कर सुनाता हूं :

"यह अधिकारी ही निश्चित रूप से साम्राज्य का वित्त मंत्री होता है ··। ट्रेजरी बोर्ड

के कार्यरत सदस्य के रूप में, वह विनियोग के सम्बन्ध में व्यय करने वाले विभागों और अधिकारियों से परामर्श करता है। वे उससे वार्षिक बजट तैयार करने के लिए कहते हैं जिसमें कराधन कार्यक्रम की व्यवस्था होती है ताकि उनसे अपेक्षित आय प्राप्त हो सके। वह वित्तीय उपायों का भी संचालन करता है। वह टकसाल के स्वामी के रूप में कार्य करता है और राजस्व के एकत्रीकरण पर भी निगाह रखता है। यह सब कहने की आवश्यकता नहीं है कि चूंकि उसके कार्यों का स्वरूप इस प्रकार का है इसलिए वह हाऊस आफ कामन्स का सदस्य होना चाहिए। क्योंकि हाऊस आफ कामन्स में ही वित्त विधेयक सर्वप्रथम रखे जाते हैं और वस्तुत: आज कल उनके भाग्य का फैसला केवल हाऊस आफ कामन्स में ही होता है।"

महोदय, यह शब्दश: हमारी लोकसभा पर भी लागू होता है। और इसी दृष्टिकोण से मैं पूरी नम्रता से यह निवेदन करूंगा कि चूंकि श्री प्रणव मुखर्जी राज्य सभा के सदस्य हैं। इसलिए उन्हें वित्त मंत्रालय का कार्यभार सम्भालने का कोई अधिकार नहीं है। यह मेरा नम्रतापूर्ण निवेदन है। महोदय. वह सीधे जनता द्वारा चुनकर नहीं आए हैं या उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : हम आपका विनिर्णय चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री के पद पर·····

श्री भीकू राम जैन : महोदय, क्या यह सदस्यों के प्रश्न पूछने के अधिकार का उल्लंघन नहीं है ? (व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, हमें भी अपने विचार रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। जब वे समाप्त कर लें तो बाद में हमें भी बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। आपने एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा कर दी है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह अभूततूर्व स्थिति आपने पैदा की है। आप इस सम्बन्ध में प्रश्न क्यों नहीं पूछते ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चक्रवर्ती जी, आप कृपया बैठ जाइये। मुझे सभा के समक्ष अवश्य ही स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये। मुझे सभा के समक्ष स्थिति स्पष्ट करनी होगी। मुझे यह निर्णय विशेष आधार पर इसलिए लेना पड़ा क्योंकि वित्त मन्त्रालय से सम्बन्धित यह प्रश्न पहले ही दिन आ गया और वित्त मंत्री को इसका जवाब देना था। इससे पहले कि वित्त मंत्री महोदय उत्तर दें, वे वह प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि उन्होंने उत्तर दे दिया होता तो तथ्यों की जांच कर ली गई होती। अन्यथा यह प्रश्न उठाया ही नहीं जाता था। इसी कारण मैं इस सामान्य प्रक्रिया नियमों के विरूद्ध जा रहा हूं कि प्रश्नकाल के समय व्यवस्था का प्रश्न उठाने की इजाजत नहीं होती। अत: आपको कुछ बातें महसूस करनी होंगी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं। बात यह है कि उनकी बात सुनी ही जानी चाहिए। यही उचित है अब, कृपया आप बैठ जाइए। आप कुछ बातों को समझते क्यों नहीं हैं। अब, श्री वाजपेयी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्त रहिये। श्री वाजपेयी रखिये···(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस मामले ने पार्टी का रूप

ले लिया। यह सरकारी पार्टी और बहुमत या अल्पमत का सवाल नहीं है। आज आप बहुमत में हैं, कल आप का बहुमत बदल सकता है। यह प्रश्न व्यक्तिगत प्रश्न भी नहीं है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि श्री प्रणव मुखर्जी के प्रति हमारे मन में आदर है, लेकिन यह प्रश्न लोक-सभा के अधिकारों का है। संविधान के निर्माताओं ने जो ढांचा तैयार किया, उसमें एक बात स्पष्ट है कि जहां तक वित्तीय मामलों का सवाल है, लोक-सभा का शब्द अन्तिम शब्द है, राज्य-सभा में मनी-बिल इनीशियेट नहीं हो सकता, वह अमैंडमैंट नहीं कर सकती, डिमांडज फार ग्रान्टज राज्य-सभा में नहीं जाती हैं।

जहां तक वित्तीय मामलों का सवाल है, राज्य-सभा का कोई अधिकार नहीं है। संविधान में यह जो संतुलन बनाये रखा गया है, इसके पीछे लोकतंत्र की भावनायें हैं कि जनता द्वारा जो चुने जायेंगे, वे जनता पर टैक्स लगाने का अधिकार रखेंगे। क्या आप इसको बदलना चाहते हैं? अगर बदलना है तो खुलेआम बदल दीजिये, इन तरीकों से न बदलिए। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : खुलेआम तरीकों की चर्चा हो रही है।

एक माननीय सदस्य : तुम्हारी पार्टी कर रही है।

एक माननीय सदस्य : वे वंशगत शासन चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री प्रणव मुखर्जी राज्य-सभा के सदस्य हैं। राज्य-सभा को कांउसिल आफ स्टेट्स कहा जाता है। वित्त मन्त्री जनता का प्रतिनिधि नहीं है, राज्यों का प्रतिनिधि है, राज्यों का भी प्रतिनिधि नहीं है, एक राज्य का प्रतिनिधि है। प्रधान मन्त्री किसी को नामजद करके राज्य-सभा में ला सकती हैं, पार्टी अपने घर के भीतर ऐसा फैसला कर सकती है कि कोई व्यक्ति राज्य-सभा में पहुंच सकता है, मगर बिना जनता के वोट के कोई लोक-सभा में नहीं आ सकता।

एक माननीय सदस्य : लेकिन छः महीने के लिए मिनिस्टर रह सकता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या आप छः महीने के प्राविजन का फायदा उठाना चाहते हैं? अगर आप आश्वासन दे दें कि श्री प्रणव मुखर्जी रिजाइन करेंगे और लोक सभा का चुनाव सीक करेंगे, तो हम अपनी आपत्ति वापस ले लेंगे!

हमने इस देश के लिए वेस्टमिन्स्टर का ढांचा तय किया है। इंगलैंड में परम्परा इस तरह से विकसित की गई कि सत्ता राजा के हाथ से निकल कर हाउस आफ लार्ड्ज में आई। और हाउस आफ लार्ड्ज से निकल कर हाउस आफ कामन्ज में आई। यह विकास की प्रक्रिया थी, घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी। हमारे देश में घड़ी की सुई पीछे ले जाई जा रही है।

संविधान में तो यह भी नहीं लिखा हुआ है कि प्रधान मन्त्री लोक सभा का मेम्बर होना चाहिए। लेकिन यह एक संसदीय परम्परा है। क्या भविष्य में यह कह कर इस परम्परा का पालन नहीं किया जाएगा कि सविधान में यह कहां लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर लोक सभा का सदस्य होना चाहिए? लोकतन्त्र परम्पराओं पर चलता है, परिपाटियों पर चलता है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो पहले बदल चुका है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : परिपाटियों पर पानी फेरा जा रहा है, परम्पराएं तोड़ी जा रही हैं, लोक सभा के अधिकारों पर हमला हो रहा है। जब यह चर्चा हो रही है, तो सदन

में प्रधान मंत्री को होना चाहिए था। मुझे कांग्रेस के मेम्बरों की इस तरह की आपत्तियों पर आश्चर्य हो रहा है। हम तो उनमें से किसी के केस को प्लीड कर रहे हैं। क्या लोक सभा के कांग्रेस के मेम्बरों में एक भी ऐसा नहीं था, जो वित्त मन्त्री बनाने के लायक था ? लेकिन मैं पार्टी का मामला नहीं उठा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : जब इन्दिरा जी को लोक सभा से निकाला गया तो वह कौन सी संसदीय परम्परा थी ? (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप उनको कहें कि वे अपने विचार बाद में प्रकट करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग क्या कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री विलास मुत्तेमवार : आप लोगों ने ही सारी संसदीय परम्पराओं को तोड़ा और आज आप लोग परम्परा की दुहाई देते हैं। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लोक सभा से निकालने की परम्परा हमने शुरू नहीं की थी। वह भी आपने शुरू की थी। लेकिन इस समय में उसमें नहीं जाना चाहता।

मेरा निवेदन है कि इस सवाल पर थोड़ा गहराई से विचार होना चाहिए और लोक सभा के जो अधिकार हैं, उनको किसी तरह से कम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। स्वस्थ परम्पराओं की रक्षा होनी चाहिए। अगर आवश्यक हो तो नई परम्परायें डाली जा सकती हैं, लेकिन ऐसी परम्परायें नहीं, जो लोकतन्त्र में लोगों के विश्वास को कम करती हैं और एक्सीक्युटिव के हाथ में ज्यादा शक्ति देती हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं यह प्रश्न काल है। मैं इसकी सीमाओं से भी परिचित हूं।

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय, मैंने औचित्य भंग के बारे में नोटिस दिया है। यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं वरन् औचित्य का प्रश्न है। परम्पराओं पर ध्यान दीजिए। वाजपेयी जी ने जो कुछ कहा मैं उस पर एक और तर्क देना चाहता हूं। इस सदन में विरोधाभास क्या होगा ? वित्त मन्त्री सदन में बजट पेश करेंगे लेकिन वह मतदान नहीं करेंगे। हम सब मतदान करेंगे और यदि कोई पत्रकार वित्त मन्त्री से यह पूछे कि 'क्या आपने अपने बजट के लिए मतदान किया है तो वह कहेंगे कि 'बाकी सभी सदस्यों ने मतदान किया है लेकिन मैंने अपने बजट के लिए मतदान नहीं किया है।' यह सबसे बड़ा विरोधाभास है। मैं 3-4 संदर्भों का उल्लेख करूंगा। यदि आप 'में' की संसदीय कार्य प्रणाली पर नजर डालें और यदि आप शकधर की संसदीय कार्य प्रणाली पर ध्यान दें तो आप प्राधिकरण सम्बन्धी अध्याय में स्पष्ट रूप से देखेंगे कि जहां तक धन विधेयक का सम्बन्ध है वह उच्च सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक है।

प्रो. मधु दन्डवते : मैं अपने शब्दों के प्रति बहुत सतर्क हूं। मैं आपके संकेत से आपकी सहमति अनुभव कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, धन विधेयक को उच्च सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

प्रो. मधु दण्डवते : यदि वह राज्य सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । तो फिर वह राज्य सभा के सदस्य द्वारा कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है । एक और बात जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि ब्रिटेन में, प्रथमतः, कोई लिखित संविधान नहीं है । हमारे देश का संविधान लिखित है । लेकिन, महोदय, भूतकाल में भी किसी संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि प्रधान मन्त्री निम्न सदन से नहीं होंगे । लेकिन यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यदि कोई इस सभा का प्रतिनिधित्व करता है तो उसे अधिक से अधिक जन समर्थन प्राप्त होना चाहिए । मैं उच्च सदन का अनादर नहीं करना चाहता लेकिन यह सच है कि हम में से जिन सदस्यों का चुनाव लोक सभा में होता है वे सीधे व्यापक जनसमर्थन द्वारा चुने जाते हैं और इसीलिए यही प्रथा रही है । राज्य सभा के सदस्य को प्रधान मन्त्री बनाया जा सकता था । किन्तु जब श्रीमती गांधी राज्य सभा की सदस्या थीं तो उन्हें जान-बूझ कर देश का प्रधान मन्त्री नहीं चुना गया था देश का प्रधान मन्त्री चुने जाने के लिए उन्हें लोक सभा का सदस्य बनना पड़ा । यह एक बहुत महत्वपूर्ण और संगत तर्क है और अब संविधान में संशोधन करने की भी मांग हो रही है जिससे संवैधानिक रूप से प्रधान मन्त्री का चयन लोक सभा से किया जा सके । अतः इन व्यवहारों के आधार पर संसद परम्पराओं और सिद्धान्तों से अधिक जुड़ी हुई है। यदि आप दादासाहेब मावलंकर के निदेशों पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि एक बार जब राज्य सभा में इस सदन के एक सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरे सदन को अपने सदस्यों पर टीका टिप्पणी करने की इजाजत नहीं दूंगा ।' 'वह एन. सी. चटर्जी का केस था ।'

अध्यक्ष महोदय : और इसके विपरीत भी ।

प्रो. मधु दण्डवते : मद्रास में विशेष विवाह विधेयक पर यह किसने कहा था कि उस बिल को पास करने वाला एक नटखट लोगों का समूह था । वह उस सीमा तक पहुंच गए थे । और इसीलिए एक विशेषाधिकार प्रस्ताव उस सदन में लाया गया । लेकिन दादा साहिब मावलंकर ने कहा—मैं अपने सदस्यों के प्रति दूसरे सदन को टीका-टिप्पणी करने की इजाजत नहीं दूंगा ।' इसीलिए 17, 18, और 19 दिसम्बर, 1956 को मद्रास में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन हुआ था । उन्होंने वहां यह प्रक्रिया तैयार की । वहां वास्तव में सभी बातों को औपचारिक रूप दिया गया और विधान सभा में एक संकल्प पारित किया गया । अतः प्रायः परम्परा अधिक महत्वपूर्ण होती गयी है । और, 'इसीलिए' ब्रिटेन और भारत में स्वीकृत सिद्धान्तों के आधार पर हम यह मांग करते हैं कि यदि वित्त मन्त्री का चुनाव लोक सभा के सदस्यों में से नहीं हो सकता तो कम से कम वर्तमान वित्त मन्त्री को सादर अपने पद से त्याग-पत्र दे देना चाहिए और इस पद का भार किसी दूसरे व्यक्ति को संभालना चाहिए । प्रायः जब सरकार बर्खास्त कर दी है, मुख्य मन्त्री हटा दिए जाते हैं तो मुख्य मन्त्री को कुछ समय के लिए कार्यवाहक मुख्य मन्त्री के रूप में कार्य करने दिया जाता है । अतः जब तक वित्त मन्त्री का चुनाव नहीं हो जाता श्री वेंकटरमण कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में कार्य करते रहें । यह मेरा तर्क है ।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और विधि मंत्री इसका उत्तर दे सकते हैं। मतदान के समय, यदि श्री प्रणव मुकर्जी को वित्त मन्त्री के रूप में बोलने के लिए

कहा जाये तो क्या वह वहाँ रुकेंगे अथवा जब हमें सैंकड़ों संशोधन करने होंगे तो मत-विभाजन की घण्टी बजने पर उन्हें हर बार सदन से उठ कर चले जाना होगा।

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं। उनको रुकना है किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कर सकता। मैंने आपको एक बार अनुमति दे दी है। दूसरे सदस्य भी हैं। नहीं, श्री शैजवाल्कर कोई निवेदन नहीं।

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा का ध्यान संविधान के विभिन्न प्रावधानों की ओर आकर्षित करता हूं क्योंकि मेरा निवेदन यह है कि जो भी चर्चा उठाई जा रही है वह संविधा के प्रावधानों के विपरीत है।

सबसे पहले अनुच्छेद 74 को देखिये, फिर अनुच्छेद 75 को तथा इसके बाद अनुच्छेद 88 को देखिये।

अनुच्छेद 74 में यह कहा गया है :

"राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रि-परिषद होगी जिसका प्रधान, प्रधान मंत्री होगा।"

इस अनुच्छेद से यह नहीं पता चलता कि जब मंत्रि-परिषद बनाई जाती है तो क्या-क्या आवश्यकतायें होती हैं। राष्ट्रपति एक मत्रि-परिषद की नियुक्ति कर सकता है और फिर अगले अनुच्छेद 75 के खण्ड (5) में कहा गया है :

"कोई मंत्री, जो निरन्तर छः मास की किसी कालावधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य न रहे, इस कालावधि की समाप्ति पर मंत्री न रहेगा।"

यह सदस्य के विचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इसको कोई चुनौती नहीं दे रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों खड़े हो रहे हैं ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम परिपाटियों की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। श्री चक्रवर्ती, क्या आप बैठ नहीं सकते ? नहीं, कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जायें। अनुमति नहीं दी जाती। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरों को सलाह देने का प्रयत्न कर रहे थे। अब आप इसको स्वयं ही कर रहे हैं। नहीं। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब इन्हें भी करने दीजिए। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं नहीं अनुमति नहीं दूंगा ?

श्री जगन्नाथ कौशल : इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। मैं अपने मित्रों द्वारा उठाये गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, परन्तु पहले मुझे आपका ध्यान स्वयं संविधान की तरफ

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

ही आकर्षित करने दीजिए क्योंकि जिन परिपाटियों के ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं वे संविधान के लिखित शब्दों से बढ़कर नहीं हो सकती।

और अनुच्छेद 88 में कहा गया है :

"भारत के प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में तथा संसद की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोले तथा दूसरे प्रकार से कार्यवाहियों में भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर उसको मत देने का हक न होगा।"

अब इन तीनों अनुच्छेदों को एक साथ पढ़ने से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना भी मंत्री बन सकता है अब इस अवधि के दौरान क्या स्थिति है ? एक व्यक्ति मंत्री हो गया है और वह न लोक सभा का सदस्य है और न ही राज्य सभा का। क्या वह वास्तव में ही यह कहने जा रहे हैं कि इस समय के दौरान बजट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उसी सदस्य के द्वारा नहीं।

संचार मंत्री (श्री सी. एम. स्टीफन) : परन्तु आपने कहा है कि यदि यह वचन दे दिया जाये ..

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ कौशल : केवल 'ना' कहने से ही काम नहीं चलेगा। अब परिपाटी की बात आती है। मेरे मतानुसार तो अधिक तर्क की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपने तर्क का आधार उस परिपाटी को बना रहे हैं जिसके लिये आप कहते हैं कि उसका ब्रिटेन में पालन किया जाता है। क्या मैं आपका ध्यान वहाँ की और यहाँ की स्थिति में एक आधारभूत अन्तर की ओर दिला सकता हूं। आधारभूत अन्तर यह है कि वहाँ एक सदन का सदस्य दूसरे सदन में केवल जा सकता है, परन्तु वह वहाँ पर बोल नहीं सकता; वह कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। हमारे संविधान में इस बारे में एक विशेष आदेश है और इसीलिए मैंने आपका ध्यान अनुच्छेद 88 की ओर दिलाया है जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक मंत्री को बोलने तथा सभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है।

इंग्लैंड में यह स्थिति नहीं है : और यदि यह इंग्लैंड में नहीं है तो आप निश्चित रूप से ऐसी कोई परिपाटी बीच में नहीं ला सकते जो इस अनुच्छेद के विशेष प्रावधानों के विरुद्ध हो। अतः आपका केवल दूसरा तर्क रह जाता है जिसे आप देने का प्रयत्न कर रहे हैं; वह यह है कि धन विधेयक इस सदन में उद्भूत होता है और राज्य सभा का धन-विधेयकों के सम्बन्ध में केवल सीमित अधिकार क्षेत्र है। परन्तु इस प्रश्न का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है जिस पर कि हम वाद-विवाद कर रहे हैं अर्थात् यह कि क्या राज्य सभा का एक सदस्य धन-विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वह मंत्री बन सकता है यदि वह मंत्री हो सकता है। तो वह किसी भी विभाग को संभाल सकता है और एक बार जब वह किसी विभाग को संभाल लेता है तो उसके मंत्री के रूप में कार्य करने का उसका अधिकार बन जाता है। यदि वित्त विभाग राज्य सभा के किसी सदस्य को दे दिया जाता है तो फिर वह सदस्यों के लिए सोचने की बात है और मैं सगझता हूं कि इस विषय में कोई दो राय नही हो सकती कि इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और प्रतिबन्ध नहीं है तो न तो इससे संविधान का कोई प्रावधान भंग होता है और

न संविधान में इसके लिए कोई निषेध है। हम ऐसी परिपाटी के ऊपर निर्णय नहीं कर सकते जिसको यहाँ लाने की कोई सम्भावना नहीं है, क्योंकि हमारे पास लिखित संविधान है, और इस लिखित संविधान में एक विशेष भिन्नता है; इसमें ब्रिटेन में प्रचलित प्रथाओं से भिन्नता है। वहाँ पर सदन का कोई सदस्य अगर सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। यदि वह कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता तो निश्चित रूप से यहां पर उस परिपाटी को नहीं लाया जा सकता। मेरा निवेदन यह है कि यहाँ यह प्रश्न नहीं उठता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। मैंने तीन माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई विशिष्ट आपत्तियों के लिए अनुमति दे दी है। अब मैं कानून मंत्री की बात सुन रहा हूं। इससे अधिक कुछ नहीं। यदि आप मुझे अपना नाम दे देते तो मैं उसको भी सम्मिलित कर लेता। (व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते : इस तर्क के आधार पर क्या आप उपरि सदन से प्रधान मंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक बार ऐसा भी हुआ था।

प्रो. मधु दण्डवटे : आप करोगे। वास्त में अब आप हिम्मत नहीं करना। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। में अनुमान लगाने के लिए नहीं हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं परिकल्पना के आधार पर कार्य नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने इस प्रकार से बोलने का अधिकार अपने ऊपर क्यों ले लिया ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह संविधान का खतनाक अर्थ है। आप मुझे इस पर बोलने की अनुमति अवश्य दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अध्यक्ष हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : सौभाग्य से आप अध्यक्ष हैं और मैं एक साधारण सदस्य हूं। मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं भेदभाव नहीं कर सकता···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं तो आप इसके विषय में बाद में पूछ सकते हैं। परन्तु इस प्रश्न में नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे तीन लिखित आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं और मैंने केवल उन तीन माननीय सदस्यों को अनुमति दी है। कोई अन्य चर्चा नहीं, कोई अन्य प्रश्न नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बाद में। आप इसको चुनौती दे सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी वे सज्जन कह रहे हैं वह मेरी अनुमति से नहीं है। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही हास्यास्पद बात है। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत बुरी बात है, अत्यन्त बुरी। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ आप कह रहे हैं उसको सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं मित्र, श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। मुझे खेद है। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको खेद होना चाहिए। (व्यवधान)*

श्री जगन्नाथ कौशल : क्या मैं विपक्ष के सदस्यों से एक निवेदन कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष से पूछ सकते हैं माननीय सदस्यों से नहीं। (व्यवधान)*

श्री जगन्नाथ कौशल : जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे अपनी बात जारी रखने देनी चाहिए। एक दूसरी बात जो सदस्यों ने उठाई थी वह यह है कि क्या राज्य सभा से प्रधान मंत्री हो सकता है ? मैं आपको सूचित कर सकता हूं कि भारत की वर्तमान प्रधान मंत्री अपने पहले दौर में जनवरी 1966 से मार्च 1967 तक राज्य सभा की सदस्य थी। वह राज्य सभा सदस्य थी। यह स्थिति है। (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ कौशल : जो प्रश्न वह उठा रहे हैं उसमें कोई सार नहीं है तथा जिन परिपाटियों को वे ब्रिटेन से लाने का प्रयत्न कर रहे हैं वे यहाँ पर बिलकुल लागू नहीं होती। इस व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सज्जनो अब सब कुछ ठीक है। मैंने आपत्तियों को सुन लिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपत्तियों को सुन लिया है। मैंने विधि मंत्री को सुन लिया है। आपत्तियां उठायी गयी हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, कृपया।

श्री रतन सिंह राजदा : क्या मैं विधि मंत्री को उत्तर दे सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। यदि आपका अन्य कोई संवैधानिक मुद्दा है तो आप उसे बाद में उठा सकते हैं

श्री रतन सिंह राजदा : क्या मैं विधि मंत्री की बात का उत्तर देने के अपने अधिकार का उपयोग कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : अब मैंने दोनों पक्षों की बात सुन ली है और अब मैं अनुमति नहीं दूंगा।

प्रो. सत्य साधन चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदय ··**

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : उन्होंने जो अर्थ निकाला है उसके अनुसार मंत्रि-परिषद को राज्य सभा से मनोनीत किया जा सकता है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने मुझे लिखित रूप से दे दिया होता, तो मैंने अनुमति दे दी होती। मैंने इस चर्चा को सीमित रखा है, अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। आप आवश्यक रूप से सभी समितियों सेपरे जा रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि तीन सदस्यों ने मुझे लिखित रूप में दिया था और मैंने उन्हें इजाजत दे दी है। यदि आपने भी मुझे लिखित रूप में दिया होता तो मैंने इसकी इजाजत दे दी होती। अब मैं नहीं दे सकता। कृपया बैठ जाइए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, इससे हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। वित्त मंत्री की नियुक्ति पर आपत्तियां उठा दी गई हैं।

प्रो. सत्यसाधन चक्रवर्ती : श्री स्टीफन आप बाद में यह समझ पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रत्येक सदस्य सदन में इस तरह का व्यवहार करता रहा तो मैं नहीं जानता, क्या होगा। श्री बालानन्दन आप इन्हें समझाते क्यों नहीं ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको इसकी इजाजत नहीं दे रहा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं विधि मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, नहीं। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैंने आपको बता दिया है। मैंने वित्त मत्री की नियुक्ति पर उठाई गई आपत्तियां और साथ ही उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क-वितर्क सुन लिये हैं। आपत्तियाँ इस बात पर उठाई गई हैं कि वह राज्य सभा के सदस्य हैं तथा चूंकि वित्तीय मामलों में लोक सभा को अधिक अधिकार हैं अतः इनको राज्य सभा से नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए था और आपत्तिकर्त्ताओं ने ब्रिटेन की कुछ परम्पराओं का भी उल्लेख किया है।

प्रो. मधु दण्डवते : और अपनी परिपाटियों का भी।

अध्यक्ष महोदय : हां, अपनी परिपाटियों का भी। हमें इस तरफ भी ध्यान देना है। शुरू में ही मैं यह बता देना चाहता हूं कि भारत की स्थिति को उसके लिखित संविधान के संदर्भ में ही समझा जाना चाहिए। हमने कुछ बातों का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया है, उनका स्पष्टीकरण किया है तथा उसमें उनके लिये विशेष प्रावधान किए हैं। मैं अनुच्छेद 75 (5) का संदर्भ देता हूं जिसका यह निहित कार्य है कि मंत्री का चुनाव किसी भी सदन से किया जा सकता है। अनुच्छेद 77 (3) के अन्तर्गत मंत्रियों को सरकारी कार्य का आवंटन प्रधानमन्त्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है कि किसी मंत्री विशेष को, जिसको कोई विभाग विशेष सौंपा जाये किसी सदन विशेष से ही लिया जाना चाहिए।

दूसरे, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान अनुच्छेद 88 के प्रावधान की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि प्रत्येक मन्त्री को किसी भी सदन में बोलने तथा अन्य प्रकार से उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, भले ही वह मतदान का अधिकारी न हो। राज्य वित्त मंत्री और उप वित्त मंत्री भी पहले भी राज्य सभा से लिये गये हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन में मंत्री को दूसरे सदन में जाने का अधिकार तो है, जिसका वह सदस्य नहीं है, किन्तु वह उस सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता तथा हमारे यहाँ की भांति

वह मतदान भी नहीं कर सकता । इसलिए भारत की स्थिति एकदम भिन्न है । अब यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम जैसे चाहे करें, परन्तु वह संविधान की व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए ।

अत: मैं यह कहूंगा कि इस तथ्य से कि एक लम्बे अर्से से वित्त मन्त्री का चुनाव राज्य सभा से नहीं हुआ है, राज्य सभा के सदस्य को वित्त मंत्री नियुक्त किए जाने पर प्रतिबन्ध नहीं लग जाता ।

प्रश्न संख्या 2—श्री इब्राहीम सुलेमान सेट ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में इजाजत दूंगा । मैंने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया । मैंने केवल यह कहा है कि इस समय नहीं ।

श्री रतन सिंह राजदा : परिपाटियों का क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : परिपाटियाँ आपके द्वारा ही ने बनाई जाती हैं । प्रश्न संख्या-2 ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

*2. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट** :

श्री राम विलास पासवान : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दिये मंहगाई भत्ते की कितनी किश्तों की मंजूरी सरकार द्वारा दी जानी है!

(ख) ये किश्तें किन–किन तारीखों से देय हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में किसी किश्त का भुगतान करने का है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) अभी तक मंहगाई भत्ते की चार किस्ते 1-8-1981, 1-10-1981, 1-11-1981 और 1-1-1982 से विचार करने योग्य हो गई हैं ।

(ग) मंहगाई भत्ते की उपर्युक्त किस्तों की अदायगी विचाराधीन है । मंहगाई भत्ते की किस्तों, जो 1-8-1981, 1-10-1981 और 1-11-1981 से विचार करने योग्य हुई हैं, की बकाया राशि की अदायगी करने के तरीके के सम्बन्ध में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ भी कुछ विचार विमर्श हुआ है ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की चार किश्तें देय हो गई हैं तो किश्तों की अदायगी में विलम्ब किन कारणों से किया जा रहा है ? क्या सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते की अदायगी की तिथियाँ निश्चित करेगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार ने किस तरीके से यह भुगतान करने का विचार किया है । क्या सरकार यह भत्ता नकद देगी अथवा उस भत्ते को सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि में जोड़ने का विचार है ? नकद किस रूप में दिया जायेगा और सरकार यह अदायगी सरकारी कर्मचारियों को किस तारीख को करेगी ।

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुकर्जी) : जैसा कि मेरे मित्र ने उत्तर दिया है कि हम कर्मचारियों

के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त परामर्शदान समिति में कुछ चर्चा कर रहे हैं और अभी तक इस चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करता हूं कि हमें कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ कुछ व्यवस्था करने का थोड़ा और समय दिया जाए ताकि हम कोई समझौता कर सकें। इस वक्त भुगतान करने की निश्चित तिथि तथा भुगतान करने का तरीका बताना मेरे लिए सम्भव नहीं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : उन सरकारी कर्मचारियों का क्या होगा जो 31 दिसम्बर, 1981 को सेवा निवृत्त हुए हैं ? उन्हें कितनी राशि की अदायगी की जाऐगी ?

श्री प्रणब मुकर्जी : समझौता करते वक्त इस बात का भी निर्णय किया जायेगा।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मंहगाई भत्ते को वेतन के साथ ही मिला देने का विचार कर रही है ? क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों तथा गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच वर्तमान अन्तर को समाप्त करने के लिए वेतन ढांचे में कुछ संशोधन करने का विचार कर रही है।

श्री प्रणब मुकर्जी : जहां तक विलय का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने पहले कहा है, कर्मचारियों द्वारा इसके लिए कुछ सुझाव दिए गये हैं और सरकार की ओर से भी उनके विचारार्थ कुछ सुझाव दिये गये हैं। समझौते की बातचीत अभी भी चल रही है। यही कारण है कि मैं अभी कोई वचन देना नहीं चाहता।

श्री राम विलास पासवान : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ट्रेड यूनियन के नेताओं से बातचीत हुई है तो मैं कहना चाहता हूं कि ट्रेड यूनियन के नेताओं से इनकी जितनी भी बातचीत हुई है वह सारी की सारी फेल हुई है, उन्होंने इनके प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया है। मेरे जैसे लोगों का यह कहना है कि जब तक आप प्राइस कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक यह समस्या हल होने वाली नहीं है। इससे तो एक दिन वह आने वाला है कि लोग बोरियों में, थैलों में रुपया लेकर जाया करेंगे। इसलिए सबसे पहले तो आप प्राइस पालिसी तय कीजिए। आपसे प्राइस कंट्रोल तो हो नहीं पा रहा है और आप कहते हैं कि बातचीत चल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि अब तक आपकी उनसे क्या-क्या बात हुई है ?

क्या यह भी सही नहीं है कि मजदूरों को धमकियाँ दी जा रही हैं, उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें एन. एस. ए. में बंद किया जा रहा है ? यह मेरा आप पर आरोप है। आप पहले ये दाम बढ़ने बन्द कीजिये। अगर आप यह नहीं करते हैं तो फिर आपको कर्मचारियों को पैसा देने में क्या आपत्ति है ?

श्री प्रणब मुकर्जी : बहुत सी आपत्तियां उठाई गई हैं परन्तु मैं माननीय सदस्य द्वारा की गयी आपत्तियों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : सबसे पहले, मैं आपको वित्त मंत्री चुने जाने पर बधाई देता हूं।

श्री प्रणब मुकर्जी : तब तो मेरे उत्तर देने पर आपको कोई आपत्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : आप उसके लिए पार्टी भी दे रहे हैं क्या ?

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : निश्चित रूप से।

श्री प्रणब मुकर्जी : जहां तक मंहगाई भत्ते की किश्तों तथा एक विशेष सीमा तक मंहगाई भत्ते का वेतन में विलय करने का सम्बन्ध है, हमारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत चल रही है और चूंकि अभी बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है अतः इस बारे में कोई वचन देना अभी मेरे लिए सम्भव नहीं है। यह कहना उचित नहीं होगा कि कर्मचारियों के प्रतिनिधिवों ने समझौते को एकदम अस्वीकार कर दिया है। हमारे विचारों में इस बारे में मतभेद है।

श्री राम विलास पासवान : एम्प्लाइज को विक्टेमाइज किया जा रहा है।

श्री प्रणब मुकर्जी : मैं कर्मचारियों को शिकार बनाए जाने की बात नहीं कर रहा वह इस प्रश्न के एकदम बाहर है।

कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ हम जो व्यवस्था करने जा रहे हैं उस सम्बन्ध में कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के दो दृष्टिकोण हैं। किन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इंजन तेल आदि के झूठे नामों पर नारियल के तेल का आयात

* 4. **श्री वी. एस. विजय राघवन :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि बम्बई में कुछ फर्मों द्वारा इन्जन तेल, डुप्लीकेटिंग तेल, आदि के झूठे नामों पर नारियल के तेल का भारी मात्रा में आयात किया जा रहा है ;

(ख) क्या इस तेल को बाजार में खाने वाले तेल के रूप में बेचा जा रहा है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) अभी तक कोई निशिष्ट उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आयकर सर्वेक्षण

* 5. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या **वित्त मंत्री** आयकार सर्वेक्षण के बारे में 13 दिसम्बर 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4464 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वेक्षण को पूरा करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सर्वेक्षण में पंजीकृत चिकित्सकों और ट्रान्सपोर्टरों को भी शामिल किया गया हैं; और

(ग) क्या उन संसद सदस्यों को जिनके प्रश्न उठाने अथवा पत्र लिखने पर सरकार

आयकर अपवंचकों को दन्डित कर पाती है ऐसे मामलों में दिया जाने वाला सामान्य इनाम दिया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) दिल्ली में आयकर प्राधिकारी, आजकल कारबार के स्थानों का सर्वेक्षण कर रहे हैं और वे इसे 31 मार्च, 1982 तक पूरा करने की आशा करते हैं। चालू वर्ष के दौरान, दिसम्बर 1981 तक, 21040 परिसरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। शेष क्षेत्रों का सर्वेक्षण उसके बाद किया जाएगा।

(ख) किसी क्षेत्र विशेष में सर्वेक्षण करते समय, सर्वेक्षण दल, पजीकृत चिकित्सकों और ट्रांसपोर्टरों का भी सर्वेक्षण करते हैं।

(ग) जी, हां, पुरस्कार के सामान्य नियमों के अनुसार।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ करार

* 6. **श्री रेणु पद दास** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय भारत के साथ बात-चीत आरम्भ करेगा तथा मल्टी फाइबर एग्रीमेंट के ढांचे में ही भारत के साथ करार करेगा ;

(ख) 'मल्टी फाइबर एग्रीमेंट' की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) 'मल्टी फाइबर एग्रीमेंट' की कौन सी शर्तें भारत को स्वीकार्य हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) 1 जनवरी, 1983 से लागू होने वाले भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच भावी द्विपक्षीय वस्त्र करार के संबंध में वार्ताओं के समन्वेषी दौर के लिए मार्च, 1982 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय से एक प्रतिनिधिमण्डल के दिल्ली आने की सभावना है।

(ख) बहु-रेशा व्यवस्था द्वारा वस्त्रों तथा कपड़ों में विश्व व्यापार को विनियमित किया जाता है और इसमें वस्त्र उत्पादों के आयातों पर नामात्रात्मक प्रतिबंध लगाने के लिए नियम व मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं। इसमें वे शर्तें भी निर्धारित की गई हैं जिनके अधीन ऐसे प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं और एक बार लागू कर दिये जाने के बाद कोटे स्तर, वृद्धि दर, संचालन में लचीलेपन का हिसाब कैसे लगाया जाएगा।

(ग) 1974 में इसके लागू होने से ही भारत बहु-रेशा व्यवस्था का एक हस्ताक्षरी देश रहा है। भारत ने 4 वर्षों तथा 7 महीनों के लिए 1 जनवरी से शुरू होने वाली इसकी तीसरी अवधि वाले बहु-रेशा व्यवस्था को लागू करने वाले संलेख को भी स्वीकार कर लिया है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ भारत का व्यापार घाटा

* 7. **श्री ए. टी. पाटिल**

श्री अमर राय प्रधान : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ भारत का व्यापार घाटा कितना रहा ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा अतीत में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ भारत का व्यापार घाटा निम्नोक्त प्रकार है:—

(मूल्य करोड़ रु. में)

वर्ष	यूरोपीय आर्थिक समुदाय को भारत के निर्यात	यूरोपीय आर्थिक समुदाय से भारत के आयात	व्यापार शेष
1978-79	1560	2084	—524
1979-80	1751	2177	—426
1980-81 (अनन्तिम)	1464	2732	—12 8

(ख) भारत में विकासात्मक प्रयासों में बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण यूरोपीय आर्थिक समुदाय से मशीनों, उपस्कारों तथा औद्योगिक कच्चे माल के आयातों में वृद्धि हुई है। भारत के निर्यातों में घरेलू बाधाओं, घरेलू और साथ ही कुछ उत्पादों के मामले में वैकल्पिक बाजारों के दबाव और कुछ अन्य मामलों में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की प्रतिबंधात्मक नीतियों के कारण वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही निम्नोक्त प्रकार है:—

(1) यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा भारत के बीच घनिष्ठ व्यापार तथा आर्थिक संबंधों का संवर्धन करने के लिए जून, 1981 में एक नये वाणिज्यिक तथा आर्थिक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गये हैं।

(2) भारतीय निर्यातकों को क्वालिटी तथा पैकिंग आवश्यकताओं, वितरण माध्यमों, डिजाइन प्रवृत्तियों, टैरिफ तथा गैर-टैरिफ संबंधी विद्यमान बाधाओं आदि के संबंध में बाजार आसूचना तथा जानकारी प्रदान करने के लिए ब्रुसेल्स में एक भारतीय व्यापार केन्द्र स्थापित किया गया है। यह केन्द्र पश्चिम यूरोप में मेलों में भाग लेने और व्यापार मिशन भेजने के लिए भारतीय संगठनों को प्रोत्साहन स्वरूप सहायता भी प्रदान करता है।

(3) यूरोप में व्यापार मेलों में भारत की ओर से भाग लेने में सहायता करने, यूरोप में भारतीय उत्पादों के लिए कार्यशाला आयोजित करने, भारतीय मदों के लिए व्यापार मिशन प्रायोजित करने, यूरोप में बाजार सर्वेक्षण आयोजित करने यूरोपीय आर्थिक समुदाय देशों में भारतीय कार्मिकों के लिए आशिक्षण की व्यवस्था के अलावा भारत को विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति के लिए हर वर्ष समुदाय की वित्तीय सहायता से एक भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय व्यापार संवर्धन कार्यक्रम तैयार किया गया है।

(घ) सरकार अपने निर्यात संवर्धन प्रयासों में वृद्धि का काम जारी रखेगी और वस्त्रों

जैसे महत्वपूर्ण निर्यात उत्पादों के लिए अधिक उदार व्यापार नीतियाँ अपनाने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय से अनुरोध भी करेगी।

टेलीफोन संबंधी सरकारी खर्च में कमी करना

* 8. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन के खर्च में और कमी करने के लिए उपसचिव के दर्जे से कम दर्जे के अधिकारियों के निवास पर टेलीफोन लगाने की व्यस्था समाप्त करने और एक ही अनुभाग के दो से अधिक अधिकारियों के निवास पर टेलीफोन की अनुमति न देने का विचार है; और

(ख) क्या रिहायशी टेलीफोन पर एक तिमाही में कालों की वर्तमान संख्या को 1000 घटा कर 750 करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) विद्यमान अनुदेशों के अन्तर्गत आवासीय टेलीफोनों की व्यवस्था सामान्यतः उप सचिव और उससे ऊपर के पद के अधिकारियों तक सीमित हैं। उप सचिव के पद से नीचे के श्रेणी I के अधिकारियों में से 25% से अधिक को यह सुविधा प्रदान नहीं की गई है। मंत्रियों, सचिवों के निजी स्टाफ, संसद सहायकों, आदि को उनके कार्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवासीय टेलीफोन की अनुमति प्रदान की गई है। वर्तमान में इन अनुदेशों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) सरकारी खर्च पर आवासीय टेलीफोनों पर स्वीकार्य तिमाही कालों की संख्या को 1 अक्तूबर, 1979 से आरम्भ होने वाली तिमाही से, 1500 से घटा कर 1000 कर दिया गया। वर्तमान में इन तिमाही कालों में और कमी करने की परिकल्पना नहीं की जाती है।

जीवन बीमा निगम के पालिसी-धारकों के हितों की सुरक्षा

*9. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन निगम के पालिसी-धारकों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि पालिसी-धारकों का धन उनके हितों की अवहेलना करके (पालिसी-धारकों) के अहित में ब्याज की कम दरों पर इस्तेमाल किया जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) पालिसिधारकों के हितों की रक्षा के लिए जीवन बीमा निगम लाभकारिता और संचालन सम्बन्धी कार्य कुशलता का सन्तोषजनक स्तर बनाए रखने का प्रयास करता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, पूंजी की सुरक्षा के साथ-साथ निवेशों से अधिकतम लाभ कमाने पर जोर दिया जाता है।

निर्यात-आयात नीति का पुनर्निर्धारण

*10. **प्रो. मधु दण्डवते** :

श्री रशीद मसूद : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण को ध्यान में रखते हुए आयात और निर्यात नीतियों के पुनर्निर्धारण किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हाँ, तो नीति के पुनर्निर्धारण की खास-खास बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण के सम्बन्ध में आयात तथा निर्यात नीतियों का पुनर्निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हेलीकाप्टरों का निर्माण

*11. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीता और चेतक हेलीकाप्टरों के लिए आर्डर बुक की इस समय क्या स्थित है;

(ख) उनका निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या निर्माण के लिए किसी नए हेलीकाप्टर का चुनाव किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और कब तक कोई निर्णय ले लिए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) नए हेलीकाप्टर का निर्माण शुरू किये जाने से पूर्व, अप्रयुक्त क्षमता के कारण कितनी हानि होने की सम्भावना है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) और (ख) आशा है कि मौजूदा आर्डर 1983-84 तक पूरे हो जाएंगे। इस बारे में और ब्यौरे देना लोकहित में नहीं है।

(ग) और (घ) उन्नत किस्म के हल्के हेलीकाप्टर का डिजाइन बनाने, उसका विकास और निर्माण करने के लिए सरकार ने एक परियोजना को स्वीकृति दे दी है और अब इस सम्बन्ध में प्राप्त सहयोग के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) भारतीय वायु सेना और नौसेना तथा साथ ही सिविल एजेन्सियों द्वारा दिये जाने वाले अतिरिक्त आर्डर विचाराधीन हैं। निर्यात की सम्भावनाओं का भी पता लगाया जा रहा है। कितनी क्षमता का उपयोग नहीं हो सकेगा वह इस बात पर निर्भर करगा कि इन आर्डरों को किस हद तक पूरा किया जा रहा है।

भारत को विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा दिए जाने वाले ऋण में कमी

*12. **श्री सनत कुमार मण्डल** :

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने भारत को दिए जाने वाले ऋण में भारी कमी की है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी कमी की गई है, चालू योजना के संसाधनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के छठे पुनर्भरण (रिप्लेनिशमेंट) की **दूसरी किश्त** के लिए सयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य मुख्य दाता देशों द्वारा कम अंशदान किए जाने के परिणामस्वरूप 1982 के राजकोषीय वर्ष के लिए संघ के

वचनबद्धता प्राधिकार में लगभग एक अरब पचास करोड़ अमेरिकी डालर की कमी हो गई हैं। इसलिए भारत को दी जाने वाली राशि में कमी हो सकती है।

(ख) उक्त कमी के परिणामस्वरूप बैंक समूह ने विभिन्न देशों को किए जाने वाले निर्धारणों की राशियाँ औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं की हैं, लेकिन, ऐसे संकेत मिले हैं कि भारत को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से मिलने वाली धनराशि में जितनी कमी होगी उतनी राशि अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की वचनबद्धताओं में यथासम्भव वृद्धि से पुरी हो जागगी। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी सम्भव उपाय कर रही है कि अन्तर्राष्टीय विकास संघ से भारत को मिलने वाली राशि में कम से कम कटौती हो।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

*14. **श्री आर. पी. गायकवाड़** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सीमांत और छोटे किसानों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरे लाभ नहीं मिले हैं और बैंकों द्वारा पर्याप्त ऋण न दिये जाने के परिणामस्वरूप धनाभाव के कारण ग्रामीण शिल्पियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार बैंकों के कार्यकरण में कुछ परिवर्तन लाने का है जिससे प्रधान मंत्री द्वारा घोषित किए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक व्यक्तियों को लाभ मिल सके; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौर क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में छठी योजना के दौरान देश के प्रत्येक ब्लाक में से सबसे गरीब 3000 परिवारों को सहायता देने की व्यवस्था है। सारे देश में लाभ न्वित होने की सम्भावना वाले ऐसे परिवारों की संख्या 1.5 करोड़ है। कार्यक्रम को समर्थन देने के वास्ते योजना में राजसहायता (सब्सिडी) इत्यादि के माध्यम से 1500 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था है। राजसहायता की सीमा छोटे किसानों के लिए 25 प्रतिशत, सीमांत किसानों और कृषि मजदूरों के लिए 33-1/3 प्रतिशत और जनजातियों के लिए 50 प्रतिशत है। सहकारी समितियों और वाणिज्यिक बैंकों से ऋणों के रूप में लाभ प्राप्त करने वालों को लगभग 3000/-करोड़ रपए की वित्तीय सहायता दिए जाने की सम्भावना है। वर्ष 1980-81 के दौरान कार्यक्रम के अधीन ऋण संवितरण 200/-करोड़ रुपए के थे और लाभप्राप्तकर्त्ताओं में छोटे/सीमांतिक किसान और ग्रामीण शिल्पकार शामिल थे। छठी योजना अवधि के दौरान कार्यक्रम के अधीन लक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऋण देने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। योजना आयोग के सदस्य-सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति, कार्यक्रम के अधीन की गई प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा करती है और जहां आवश्यक हो उपाचारात्मक कार्यवाही करती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम नए 20-सूत्री कार्यक्रम का भी एक भाग है। कमजोर वर्गों और 20-सूत्री कार्यक्रम के

लाभप्राप्तकर्त्ताओं को त्वरित ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्यकरण सम्बन्धी पुनरीक्षण समिति

*15. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण के बारे में एक पुनरीक्षण समिति गठित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (रीजनल रूरल बैंकों) के कार्यकलापों की समीक्षा करने के लिए कोई नयी समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर की अध्यक्षता में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय फैडरेशन आदि के प्रतिनिधियों को शामिल करने वाले संचालन समिति पहले से ही रिजर्व बैंक में कार्यरत है। इस समिति के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य-कलापों का पर्यवेक्षण, निगरानी (मानीटरिंग) तथा समीक्षा शामिल है।

भारत से कपड़ा आयात करने तथा भारत को कपड़ा मशीनों और रुई का निर्यात करने की सोवियत रुस की पेशकश

*17. **श्री मगन भाई बरोट** :क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस ने इस देश से 220 करोड़ मीटर कपड़ा खरीदने की इच्छा तथा इस प्रयोजन के लिए कपड़ा मशीनें और रुई जैसे आदान देने की पेशकश की है;

(ख) इस पेशकश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार कपड़ा उद्योग की वर्तमान संकट से निकालने तथा साथ-साथ भविष्य में कपड़े के बढ़े हुए उत्पादन को बनाए रखने के लिए सोवियत रूस द्वारा की गई पेशकश का लाभ उठाएगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज बी. पाटिल) : (क) और (ख) सोवियत संघ ने भारत सरकार को बताया है कि भारत से दीर्घावधि आधार पर प्रति वर्ष 500 मिलियन मीटर सूती वस्त्रों के निर्यात की सम्भाव्यता है। उन्होंने भारत को वस्त्र मशीनरी तथा कपास की सप्लाई की सम्भाव्यता के बारे में भी बताया। भारत सरकार ने सोवियत संघ की भारत से सूती वस्त्रों के निर्यात बढ़ाने के सुझाव पर अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पेशकश के सम्बन्ध में और ब्यौरे सोवियत संघ सरकार से प्रतीक्षित हैं।

(ग) भारत में वस्त्र उद्योग की वृद्धि तथा विकास के लिए नीति सम्बन्धी ढांचे के बारे में भारत सरकार द्वारा 9 मार्च, 1981 को घोषित वस्त्र नीति में बताया गया है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान हवाई अड्डों का निर्माण

*18. **प्रो. नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन स्थानों के (राज्य-वार) नाम क्या हैं जहां चालू वित्त वर्ष के दौरान हवाई अड्डों के निर्माण के लिये मंजूरी दी गई है;

(ख) उनमें ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जहां निर्माण कार्य शुरू हो गया है तथा प्रत्येक मामले में वित्त वर्ष के दौरानु कितनी राशि मंजूर की गई है और उनके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(ग) अन्य हवाई अड्डों के निर्माण का कार्य कब तक शुरू किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) ऐसे अन्य स्थानों के राज्य-वार नाम क्या हैं जहां हवाईअड्डों का निर्माण कराया जाना विचाराधीन है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) केरल राज्य में कालीकट में एक विमान क्षेत्र के निर्माण के प्रस्ताव पर चालू वित्तीय वर्ष (1981-82) में विचार किया जा रहा है।

देश में विदेशी मुद्रा की तस्करी का धन्धा करने वाले व्यक्ति

*19. **श्री अशोक गहलौत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा की तस्करी करने वालों की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को जानकारी है कि इस प्रकार की गतिविधियां देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाती है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का बिचार है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विदेशी मुद्रा के जालसाज कार्यरत हैं जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

(ग) विदेशी मुद्रा सम्बन्धित उल्लंनों से निपटने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 में विभिन्न उपबन्ध निहित हैं। इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने से मुख्यत: सम्बन्धित एजेंसी अर्थात प्रवर्त्तन निदेशालय सर्तक रहता है और इस अधिनियम के उल्लंघ के मामले जब भी उक्त निदेशालय की जानकारी में आते हैं तो अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। उपयुक्त मामलों में विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम 1974 के अन्तर्गत निवारक नजरबन्दी का सहारा भी लिया जाता है। सीमा शुल्क विभाग भी इस मामले में सतर्क रहता है और राजस्व आसूचना निदेशालय, तस्करी तथा विदेशी मुद्रा की जालसाजी दोनों से सम्बन्धित मामलों की जांच पड़ताल के लिये प्रवर्त्तन निदेशालय के साथ निकट सम्पर्क बनाकर कार्य करता है।

सरकार स्थिति पर बराबर निगरानी रखती है और जब कभी आवश्यक होता है तो उपयुक्त उपाय किये जाते हैं।

(घ) उपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए इस का प्रश्न नहीं उठता है।

विभिन्न राज्यों में वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिवों का तैनात किया जाना

*20. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और उद्योग जैसे उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी हेतु विभिन्न राज्यों में वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिवों की तैनाती राज्य सरकारों के सुचारू संचालन में बाधक होगी;

(ख) यदि नहीं, तो इस तैनाती के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्य सचिव राज्य सरकारों से निकट सम्पर्क रखेंगे जिससे निर्यातकों की समस्याओं और ऐसी किन्हीं भी कठिनाइयों को परस्पर परामर्श करके शीघ्र सुलझाया जा सके जो सरकारी स्तर पर उनके सामने आती हों।

अफीम उत्पादकों को भुगतान

1. **श्री चतुर्भुज** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1979-80 और 1980-81 के वर्षों के अफीम मूल्यों के पुनरीक्षण के पश्चात अफीम उत्पादकों को भुगतान 1981-82 के तोल वर्ष के दौरान किया जाएगा;

(ख) यदि हाँ, तो इसके परिणाम स्वरूप उन अफीम उत्पादकों को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा जो तोल के लिए 15 किलोग्राम अफीम प्रति पक्का बीघा दे रहे हैं;

(ग) अफीम के मूल्यों के पुनरीक्षण के कारण किसानों को होने वाले नुकसान के विस्तृत कारण क्या हैं और क्या सरकार का विचार अफीम उत्पादकों को उचित मूल्य देने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां। फसल वर्ष 1981-82 में काश्तकारों को देय अफीम के मूल्यों में संशोधन कर दिया गया है।

(ख) से (घ) चूंकि काश्तकारों को देये मूल्य उचित होते हैं और अन्य नकदी-फसलों के मुकाबले लाभकर भी होते है इसलिए काश्तकारों को कोई हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक प्रोत्साहन देने और साथ ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अफीम को अपेक्षाकृत अधिक प्रतिस्पार्धात्मक बनाकर इसके निर्यात को बढ़ाने के लिए वर्ष 1981-82 के लिए मूल्य ढांचे को युक्तिसंगत बना दिया गया है।

विदेशों में ऊनी कम्बलों की मांग

2. **श्री भीकू राम जैन** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बने ऊनी कम्बलों की पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और सोवियत संघ में भारी माँग है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न देशों द्वारा गत दो वर्षों के दौरान ऊनी कम्बलों की सप्लाई के लिये कितने आर्डर किये गये; और

(ग) क्या सरकार का विचार कम्बलों का निर्यात बढ़ाने के लिये कदम उठाने का है और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी हां। पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा सोवियत संघ के अनेक देशों में भारत के ऊनी कम्बलों की मांग है।

(ख) गत 2 वर्षों में इन क्षेत्रों में कुछ देशों द्वारा ऊनी कम्बलों की सप्लाई के लिये दिये गये आर्डर निम्नलिखित हैं :

(मूल्य लाख रु० में)

देश	1980-81	1981-82 (अनन्ति) (अप्रैल-दिसम्बर, 81)
पश्चिम एशिया		
संयुक्त अरब अमीरात	47.69	9.97
सऊदी अरब	79.64	15 01
ईरान	185.48	152.11
ओमान	13.70	4·85
कुवैत	5.40	3.50
बहरीन	0·89	—
अफ्रीका		
नाइजीरिया	43.50	73 00
इथोपिया	81.48	31.80
उगांडा	80.00	350.00
सोवियत संघ	—	250.00

(ग) चालू वर्ष के लिये आयात नीति के अन्तर्गत आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधनों के आयात की अनुमति ऊनी कम्बलों के निर्यात के आधार पर प्रतिपूर्ति के रूप में है। इस मद के निर्यात पर नकद मुआवजा की सहायता भी उपलब्ध है। गत वर्ष ऊनी कम्बलों के बारे में एक बाजार निर्धारण प्रतिनिधिमण्डल ने मारीशस, कीनिया, सऊदी अरब और कुवैत का दौरा किया, अन्य देशों में निर्यात संवर्धन दौरों की भी योजना है, पहली बार रूस को ऊनी कम्बलों के निर्यात के लिये 1982 के लिये भारत-सोवियत संघ व्यापार योजना में व्यवस्था की गई है।

नियन्त्रित कपड़े का उत्पादन रोका जाना

3. **श्री बी. बी. देसाई :**

श्री एस. ए. दोराई सबस्तियन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा नियन्त्रित कपड़े की अन्य माध्यमों से बिक्री के लिए किए जा रहे जोर-शोर प्रयास यदि सफल नहीं होते तो क्या नियन्त्रित कपड़े का उत्पादन रोक दिया जाएगा;

(ख) क्या राष्ट्रीय वस्त्र नियम के पास नियन्त्रित कपड़े का भारी भंडार जमा हो गया है क्योंकि राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ने आगामी जून से पहले और अधिक कपड़ा उठाने में अपनी असमर्थता इस आधार पर व्यक्त की है कि इसके अधिक मूल्य के कारण संघ इसका पुराना भंडार नहीं बेच पाया है;

(ग) क्या नियंत्रित कपड़े की बिक्री की व्यवस्था सहकारी अथवा नागरिक पूर्ति निगमों के माध्यम से किये जाने के लिए राज्य सरकारों से सम्पर्क किया जा रहा है;

(घ) क्या नागरिक पूर्ति मंत्री से अनुरोध किया गया है कि वे राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की विकट समस्या का निराकरण करने के लिए कुछ अनुकूल कदम उठाए; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम रहा और किस सीमा तक सस्ते कपड़े का उत्पादन जारी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) कन्ट्रोल के कपड़े का उत्पादन निलम्बित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि उपभोक्ता कीमत में वृत्ति हो जाने के कारण कन्ट्रोल का कपड़ा बेचना मुश्किल हो गया है। कन्ट्रोल का कपड़ा बेचने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है और यह निर्णय लेना उनमें से प्रत्येक का काम है कि बिक्री सहकारी समितियों के जरिए की जाएगी या नागरिक पूर्ति निगमों की दुकानों के जरिए। बिक्री की समस्याओं पर राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया जा चुका है और इस विचार-विमर्श में नागरिक पूर्ति मंत्रालय को भी सम्मिलित किया गया था। अप्रैल-नवम्बर, 1981 की अवधि में हथकरघा क्षेत्र द्वारा 214.29 मिलियन वर्ग मीटर कन्ट्रोल का कपड़ा तैयार किया गया है। उसी अवधि में राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने 181.95 मिलियन वर्ग मीटर कन्ट्रोल का कपड़ा तैयार किया है।

ईराक और लीबिया से राशि भेजा जाना

4. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईराक और लीबिया ने भारतीय कर्मचारियों द्वारा भारत को भेजे जाने वाली राशि पर प्रतिबन्ध लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और भारतीय कर्मचारियों को भारत में अपने आश्रितों को राशि भेजे जाने की अनुमति देने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुकर्जी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इराक और लीबिया की सरकारों द्वारा पिछले कुछ समय से भारतीय कर्मचारियों द्वारा भारत भेजी जाने वाली राशियों पर किसी विशेष पाबन्दी लगाए जाने के सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

बैंकिंग विधि संशोधन अधिनियम

5. **श्री आर. के. महालगी** : क्या **वित्त मंत्री** पेन्शन भोगियों को नामांकन की सुविधा के

बारे में 21 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 825 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग विधि संशोधन विधेयक, जिसे सरकार लागू कराना चाहती है तैयार है;

(ख) यदि नहीं, तो वह कब तक बन कर तैयार हो जाएगा; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन पेन्शन भोगियों को जिनके बैंकों में खाते हैं, नामांकन की सुविधा देने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) से (ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन के प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ उन पेन्शनभोगियों समेत, जिनके बैंकों में खाते हैं, बैंक खाता धारकों के सम्बन्ध में नामांकन की सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है। संशोधित विधेयक को यथाशीघ्र संसद में प्रस्तुत करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

चालू योजनावधि के दौरान होटलों का निर्माण

6. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजनावधि के दौरान कुल कितने होटलों का निर्माण किया जाएगा और उससे कुल कितनी शय्याओं की व्यवस्था हो जाएगी; और

(ख) उस पर अनुमानत: कितना व्यय होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बुर्शीद आलम खान) : (क) यह अनुमान किया गया है कि 1985 तक प्रत्याशित 1.7 मिलियन पर्यटकों की माँग को पूरा करने के लिए 40,000 कमरों की जरूरत होगी। इसके मुकाबले 363 अनुमोदित होटलों में 22,300 कमरे उपलब्ध है और मुख्य रूप से प्राइवेट सेक्टर में 159 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है जिनका निर्माण पूरा होते ही 12.879 कमरों की वृद्धि हो जाएगी। होटल कमरों की शेष संख्या के सार्वजनिक सेक्टर में स्थापित किए जा रहे होटलों द्वारा पूरी होने की आशा है।

(ख) 2.5 लाख रुपये प्रति कमरे की लगभग औसत लागत के हिसाब से 1985 तक के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 17,700 अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए 442 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है।

कोल्हापुर में हवाई अड्डे के लिए अधिगृहीत भूमि

6. **श्री आर. एस. माने** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल्हापुर में हवाई अड्डे के लिए अब तक कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है; और

(ख) इस परियोजना में अब तक और क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) कोल्हापुर में विमानक्षेत्र के लिए अब तक 241 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।

(ख) फिलहाल कोल्हापुर विमानक्षेत्र का विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

8. **सन्तोष मोहन देव : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शीघ्र स्थापना का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में बैंकों की कितनी शाखाएं खोली जाएंगी; और उनकी जमा राशियों में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से जहाँ कहीं भी सम्भव है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है। अब तक असम में ऐसे चार बैंक और मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्श में ऐसा एक-एक बैंक स्थापित किया जा चुका है।

(ख) अनुमान है कि नई शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार इस नीति में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों समेत) के 550 अतिरिक्त कार्यालय खोलने की आवश्यकता होगी। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे नये बैंक कार्यालय खोलने के लिए ग्रामीण बैंक विहीन केन्द्रों में स्थानों का निर्धारण करे और उसके बाद केन्द्रों के आवंटन को अन्तिम रूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया जायेगा। इस क्षेत्र की बढ़ती हुई आवश्यकता के अनुरूप ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र के बैंक अपने मूलभूत ढांचे को क्रमिक रूप से बढ़ा रहे हैं।

कच्चे रेशम के आयात के लिए चीन के साथ द्विपक्षीय समझौता

9. **श्री गुलाम मोहम्मद खां : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने 250 टन कच्चे रेशम के आयात के लिये हाल ही में चीन के साथ एक द्विपक्षीय समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि चीन के कच्चे रेशम के आयात से देश के रेशम उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या भविष्य में चीन से कच्चे रेशम का आयात नहीं किया जायेगा; और

(ङ) इस सम्बन्ध में नीति का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी हाँ।

(ख) कर्नाटक के विभिन्न भागों में सूखा पड़ने, दक्षिणी रेशम उद्योग राज्यों में यूजी फलाई संकट, कच्चे रेशम आदि की माँग में वृद्धि होने की बजह से 1981 के दौरान कच्चे रेशम की कीमत में काफी वृद्धि हो गई थी। इस लिये सरकार ने कच्ची रेशम की ऊंची कीमतों की वजह से उत्पन्न स्थिति पर काबू पाने के लिये विभिन्न राज्यों में हथकरघा बुनकरों को सहायता पहुंचाने के लिए चीन से 250 मी. टन कच्चा रेशम आयात करने का निश्चिय किया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) अगर घरेलू बाजार स्थिति के कारण यह आवश्यक होगा तो कच्चे रेशम का आयात करने की अनुमति दी जाएगी।

(ङ) वर्तमान आयात नीति के अनुसार, कच्चे रेशम का आयात गुणावगुण के आधार पर करने की अनुमति है और यह केन्द्रीय रेशम बोर्ड अभिकरण के माध्यम से मार्गीकृत है।

रुग्ण औद्योगिक एककों को वित्त पोषित किया जाना

10. **श्री नवीन रवाणी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को कोई आदेश दिये गये हैं कि वे रुग्ण औद्योगिक एककों के वित्त पोषण के लिए तथा उन्हें सक्षम बनाने के लिए सम्मिलित और समय पर प्रयास करें; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981 के दौरान देश में विशेषकर गुजरात राज्य में कितने सक्षम औद्योगिक एककों को लाभ पहुंचा है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) उद्योग में फैली हुई रुग्णता से, प्रभावशाली ढंग से निपटने की दृष्टि से, सरकार ने विभिन्न नीतिगत उपायों की परिकल्पना की है और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सलाह दी गयी है कि वे उन्हें कार्यान्वित करें। सरकार निरन्तर स्थिति की समीक्षा करती है और जहां कहीं आवश्यक हो वर्तमान स्कीमों और नीतियों में संशोधन किया जाता है। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है और बैंक तथा वित्तीय संस्थायें सरकार के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए कारगर उपाय करती हैं।

सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए यह आवश्यक है कि आरम्भिक स्तर पर ही रुग्णता का पता लगाने और उसे रोकने के लिए तथा अर्थक्षम रुग्ण एककों का यथासंभव पुनर्वास करने के लिए सभी उपाय करें। इस नीति के अनुसरण में बैंक हर मामले के आधार पर अर्थक्षमता की संभावनाओं वाली सभी इकाइयों के बारे में पुनर्वास कार्यक्रम तैयार करते हैं। समग्र सहायता (एसिस्टेन्स पैकेजिस) की योजनायें प्रत्येक मामले की विशेष अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार की जाती हैं। पुनर्वास के उपायों में अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार के उपाय शामिल होते हैं। जिनमें ये विभिन्न पहलू व्याप्त होते हैं : वित्तीय रियायतें जिनमें ब्याज का नीधिकरण शामिल है, दण्डात्मक ब्याज को समाप्त करना, ब्याज और मार्जिन की दर में कमी, अति देय दायित्वों/अनियमितताओं की वसूली के कार्यक्रम फिर से बनाना. आवश्यक आधारित कार्यकारी पूंजी और सावधिक ऋण सुविधायें मंजूर करना तथा अन्य उपाय जैसे कि प्रबंध में परिवर्तन, इकाइयों का किसी स्वस्थ्य इकाई में विलयन आदि। बैंक और वित्तीय संस्थायें अपनी सहायता प्राप्त इकाइयों के बोर्डों में नामित निदेशक भी नियुक्त करते हैं ताकि बस इकाई की प्रगति पर नजर रखी जा सके और धन का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सलाह दी गई है कि वे ऐसे मामले सरकार के ध्यान में लायें जिनमें वे अकेले किसी इकाई के पुनरुज्जीवन के बारे में कारगर उपाय नहीं कर सकते। जहां कहीं बैंक और वित्तीय संस्थायें यह महसूस करें कि उनके पूरे प्रयास के बावजूद किसी औद्योगिक इकाई को रुग्ण बनने से रोकना संभव न होगा या उनके प्रयासों से किसी रुग्ण इकाई

का पुनरुज्जीवन संभव न होगा उन्हें उस मामले की सूचना सरकार को देनी चाहिए और वह राष्ट्रीयकरण समेत अन्य वैकल्पिक उपायों पर विचार करेगी।

एक करोड़ रुपये या इससे अधिक की राशि के ऋणों का उपभोग करने वाली रुग्ण इकाईयों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के बारे में आँकड़ें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तिमाही आधार पर एकत्र किए जाते है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास, उपलब्ध ताजा सूचना के अनुसार दिसम्बर 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार एक करोड़ रुपये और इससे अधिक की ऋण सीमाओं का उपभोग करने वाली रुग्ण निर्धारित एवं अनुसूचित 409 इकाईयों के पास अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बकाया राशि 1324.47 करोड़ रुपए थी। 409 में से 106.51 करोड़ रुपये के बैंक ऋण की अन्तर्ग्रस्तता वाली 39 इकाईयाँ गुजरात राज्य में अवस्थित हैं। मार्च, 1981 में समाप्त तिमाही के दौरान 15.02 करोड़ रुपये के ऋणों की अन्तर्ग्रस्तता वाली 3 इकाईयां रुग्णता से मुक्त हुई जिनमें से 7.45 करोड़ रुपये के बैंक ऋण की अन्तर्ग्रस्ततावाली 3 इकाईयां गुजरात राज्य में थी।

तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार सावधिक वित्तीय सहायता देने वाली अखिल भारतीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम ने 1980 के कैलेन्डर वर्ष के दौरान रुग्ण एककों को 341.66 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जिनमें से 8.58 करोड़ रुपये की राशि गुजरात राज्य में अवस्थित इकाईयों को दी गई।

बेरोजगार व्यक्तियों को बैंक ऋण

11. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों को जो अपना कारोबार शुरू करने में रुचि रखते हैं, को ब्याज की कम दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई ठोस योजना बनाने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को वित्त प्रदान करने की अपनी योजनाओं के अधीन, बैंक आत्म नियोजन, उद्योगों के वास्ते कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं। ऐसी योजनाओं में निम्नलिखित प्रकार के ऋण उनके सामने लिखी ब्याज दरों पर शामिल हैं :

कृषि	ब्याज की दर
	(प्रतिशत प्रति वर्ष)
5,000 रुपये तक और उसके समेत तक के अल्पावधि ऋण	12.50
5,000 रुपये से अधिक और 25,000 रुपये तक	15.00 से अनधिक
25,000 रुपये से अधिक	17.50 से अनधिक

1	2
3 वर्षों से अन्यून के सावधि ऋण	
छोटे किसान	10.25
अन्य किसान	12.50
लघु उद्योग	
25,000 रुपये तक के सीमित ऋण पिछड़े क्षेत्रों में	10.25
अन्य क्षेत्रों में	12.50
2 लाख रुपये तक और उसके समेत तक के अल्पवधि ऋण	15.00 से अनधिक
2 लाख रुपये से अधिक और 25 लाख रुपये तक	17.50 से अनधिक
25 लाख रुपये से अधिक	19.50 से अनधिक
3 वर्षों से अन्यून के सावधि ऋण	
पिछड़े क्षेत्रों में नए एकक	12.50
अन्य एकक	13.50
सड़क परिवहन चालक	
तीन वर्षों से अन्यून के सावधि ऋण एक वाहन	12.50
दो या अधिक वाहन	15.00
खुदरा व्यापार	
5,000 रुपये तक और सत्तके समेत सीमाए	12.50
5,000 रुपये से अधिक और 25,000 रुपये तक	15 00 से अनधिक
25,000 रुपये से अधिक	19.50 से अनधिक

छोटे उत्पादक उद्यमों के वास्ते गरीब से गरीब व्यक्तियों को 4 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर विभेदी ब्याज दर के अधीन भी ऋण स्वीकृत किए जाते हैं बशर्ते कि वे योजना में वर्णित पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हों।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

शिलांग में जे. सी. डी. ए. का दर्जा बढ़ाया जाना

12. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिलाँग में जे. सी. डी. ए., के कार्यालय का दर्जा बढ़ा कर उसे सी. डी. ए., शिलाँग किया जायेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो पटना में सी. डी. ए. कार्यालय को यथा स्थिति बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में एक अतिरिक्त पद (रक्षा लेखा नियंत्रक) स्वीकृत कर दिया गया है जो रक्षा लेखा

नियंत्रक, पटना के अधीन काम करेगा, किन्तु उसके स्थान के बारे में अभी निर्णय किया जाना है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में पर्यटक गृहों का निर्माण

13. **श्री के. मालन्ना :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्नाटक राज्य में अगले दो वर्षों के दौरान पर्यटक स्थलों पर कितने पर्यटक गृहों का निर्माण किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : मैसूर में यूथ होस्टल निर्माणाधीन है और शीघ्र ही उसका निर्माण पूरा हो जाने की आशा है।

अगर धनराशि उपलब्ध हुई तो केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत बदामी, पट्टादकल, हम्पी और बांदीपुर में छठी पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान आवास और अन्य पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है।

भारत और श्री लंका के बीच तस्करी विरोधी द्विपक्षीय वार्ता

14. **श्री डी. एस. ए. शिवप्रकाशम :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्रीलंका के बीच तस्करी विरोधी सातवीं द्विपक्षीय वर्ता दिसम्बर, 1981 में हुई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो किन मुद्दों पर बातचीत की गई और उन पर क्या निर्णय लिए गये ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हाँ।

(ख) भारत और श्री लंका के बीच तस्करी और अन्य संबद्ध मामलों से संबंधित समस्याओं पर बैठक में विचार किया गया और सम्बन्धित सीमाशुल्क और पुलिस अधिकारियों के बीच अपेक्षाकृत अधिक सहयोग और समन्वय स्थापित करने के लिए निर्णय लिये गये जिससे दोनों देशों के बीच तस्करी पर प्रभावी ढंग से काबू पाया जा सके।

खाड़ी के देशों और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एयर इन्डिया की सेवायें शुरू किया जाना

15. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स का विचार खाड़ी के देशों और दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए अपनी सेवायें शुरू करने का है,

(ख) क्या इन्डियन एयरलाइन्स ने और अधिक एयर बसें और बोइंग 737 प्राप्त करने का भी निर्णय लिया है, और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रम के बारे में ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) इन्डियन एयरलाइस ने खाड़ी के देशों तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए परिचालन करने का एक प्रस्ताव भेजा है। मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ख) इन्डियन एयरलाइन्स दो एयर बस विमान मई 1982 में तथा चार बी-737 अगस्त सितम्बर, 1982 में प्राप्त करेगी।

(ग) प्राप्त की गई अतिरिक्त क्षमता का उपयोग इन्डियन एयरलाइन्स के मार्ग-तन्त्र पर बढ़ती हुई यातायात की मांग को पूरा करने, टर्बो प्राप विमानों को धीरे-धीरे सेवा से हटाने तथा इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा माले सरकार की ओर से परिचालन आरम्भ करने के लिए किया जाएगा।

इंडियन एयरलाइन्स ने प्रस्ताव किया है कि उपलब्ध होने वाली अतिरिक्त एयर बस क्षमता का उपयोग इन्डियन एयरलाइन्स की सेवाओं का खाड़ी के देशों तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए परिचालक करने के लिए किया जा सकता है। प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

पंखों का निर्यात

6. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1979-80 और 1980-81 के दौरान अन्य देशों को कुल कितने पंखों (टेबल पंखों और छत के पंखों) का निर्यात किया गया ;

(ख) इन पंखों की भारतीय मुद्रा में कीमत क्या है;

(ग) वर्ष 1981-82 के लिए पंखों के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है अथवा उसके प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है; और

(ङ) 1982-83 में पखों के निर्यात की संभावनाओं के बारे में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) इन्जीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता द्वारा प्रदान किये गये निर्यात आँकड़ों के अनुसार 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान विदेशों को भारत से निर्यातित पंखों की कुल संख्या निम्नलिखित रही :

	1979-80	1980-81 (अप्रैल-दिसम्बर, 1980
टेबल पखे	19033	16208
छत के पंखे	516989	419545
अन्य	5614	32355
योग	541636	468108

1980 और 1981 के दौरान भारत की यात्रा पर आए विदेशी पर्यटक

17. **श्री डी. पी जदेजा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 और 1981 के दौरान कुल कितने विदेशी पर्यटक भारत की यात्रा पर आये;

(ख) वृद्धि की प्रतिशतता कितनी है ?

(ग) और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) 1980 के दौरान भारत आए 800, 150 अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की तुलना में 1981 के दौरान 853,148 विदेशी पर्यटकों ने भारत की यात्रा की और इस प्रकार 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

(ग) भारत की ओर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा जिन उपायों की परिकल्पना की गयी है उनका ब्यौरा इस प्रकार है—होटलों और स्थल परिवहन जैसी पर्यटक आधारिक संरचना के तेज विकास के द्वारा निर्धारित यात्रा परिपथों के साथ पड़ने वाले पर्यटक केन्द्रों का सघन विकास; राष्ट्रीय एयर कैरियर्स के फ्लीट में वृद्धि; फिल्मों, श्रव्य दृश्य प्रस्तुतीकरणों, पर्यटक साहित्य का प्रकाशन, विज्ञापनों आदि जैसे विविध प्रचार मीडिया के द्वारा विदेशों में पर्यटन संवर्धन में तेजी लाना; यात्रा अभिकर्ताओं, यात्रा लेखकों, पत्रकारों आदि को विभाग के अतिथियों के रूप में परिचायक दौरे पर आमन्त्रित करते हुए मीडिया संबन्धों को बढ़ाना ताकि वे बदले में भारत सम्बन्धी पर्यटन का संवर्धन कर सकें।

(घ) पर्यटकों के लिए जुटायी गयी सुविधाओं की खास-खास बातें ये हैं :—

(I) केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करके देश में निर्धारित यात्रा परिपथों पर पड़ने वाले पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटक आधारिक सरचना का विकास करने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास किए जा रहे हैं।

(II) यात्री निवासों/यूथ होस्टलों आदि का निर्माण करके मितव्ययी पर्यटकों को सस्ता, साफ-सुथरा और आरामदेह आवास जुटाया जा रहा है।

(III) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भीड़-भाड़ को दूर करने के लिए जिसकी वजह से पर्यटकों के जल्दी क्लियरेंस में देर होती है, हाल ही में बम्बई में इन्टरनेशनल ट्रैफिक के लिए एक नयी टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार दिल्ली में भी एक नई टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है।

(IV) मनोरंजन सम्बन्धी कार्यकलापों में अभिरूचि रखने वाले पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कीइंग, जल क्रीड़ाएं, ट्रैकिंग आदि की अतिरिक्त सुविधाओं का विकास किया जा रहा।

(V) पर्यटकों की वातानुकूलित कारों आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यटक व्यवसाय को पुरानी आयातित कारें रिजर्वड कीमतों पर उपलब्ध कराने की पर्यटन विभाग की एक स्कीम है।

(VI) इण्डियन एयरलाइन्स पर्यटकों को कुछ रियायतें अर्पित करता है :—

(क) "डिस्कवर इण्डिया" टिकट जिसके अंतर्गत विदेशी राष्ट्रिकों और भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा में 375 यु. एस. डालर के भुगतान पर भारत में इण्डियन एयरलाइन्स के स्वदेशी सेक्टरों में 15 दिन तक के लिए सीमित यात्रा की जा सकती है।

(ख) "यूथ फेयर्स" जिसके अंतर्गत 12-30 वर्ष की आयु के व्यक्ति इंडियन एयरलाइन्स के स्वदेशी सेक्टरों में सामान्य यु. एस. डालर किरायों पर 25 प्रतिशत रियायत के हकदार होते हैं बशर्ते भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाए।

(VI) भारतीय रेलवे विदेशी राष्ट्रिकों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने पर उन्हें इंडरेल पास टिकट अर्पित करती है जो 7 से 90 दिन तक की अवधि के लिए वैध होता है और जिससे भारतीय रेलों द्वारा असीमित यात्रा की जा सकती है।

(VIII) भारतीय रेलवे ने राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम के सहयोग से "पैलेस आन वील्स" नाम से एक नयी परियोजना प्रारम्भ की है ताकि रेल द्वारा पर्यटन का संवर्धन किया जा सके। इस रेलगाड़ी में पुराने राजसी राज्यों के 12 सैलूनों में 96 बर्थ्स हैं और प्रथम श्रेणी की दो परिवर्तित बोगियों में 28 बर्थ्स हैं।

(IV) पर्यटकों के लिए और अधिक सुख-सुविधाओं का निर्माण करने के लिए, भारत के विभिन्न हवाई अड्डों पर हवाई अड्डा सलाहकार समितियों का गठन किया गया है।

(X) विभाग के अनुरोध पर जल्दी से कस्टम क्लियरेंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर दो चैनल प्रणालियां प्रारम्भ करके पर्यटकों के बैगेज के कस्टम क्लियरेंस में भी कुछ छूटें प्रदान की गयी हैं।

सोवियत संघ को चावल की सप्लाई

18. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत द्वारा सोवियत संघ को अच्छे प्रकार के चावल की सप्लाई किये जाने के बारे में भारत और सोवियत संघ के बीच एक समझौता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) तथा (ख) जी हाँ। 30 अप्रैल, 1981 के भारत सोवियत सघ करार के अन्तर्गत भारत को सोवियत सघ से पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पादों की अतिरिक्त सप्लाइयों के बदले में 5 लाख मि. टन चावल (जिसमें 1.5 लाख मि. टन बासमती चावल शामिल है) सप्लाई करना है। 2 लाख मै. टन चावल 1981 के उत्तरार्ध के दौरान सुपुर्द किया जाना था और 3 लाख मि. टन 1982 के पूर्वार्ध के दौरान सुपुर्द किया जाना है।

फिल्में बनाने के लिए ऋण

19. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्में बनाने के लिए ऋण दिए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को कोई मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गऐ हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत दो वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को लाभ मिला ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) फिल्मों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंकों द्वारा बैंकों को कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त

जारी नहीं किये गए है, अलबत्ता बैंकों के पास निधियों की सीमिति उपलब्धता, उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की इन निधियों पर अधिक प्रतिस्पर्धा मांग और राष्ट्रीय फिल्म विकास नियम की मौजूदगी जो कि अन्य बातों के साथ-साथ फिल्म निर्माण का वित्त-पोषण भी करता है, को देखते हुए बैंक फिल्मों के निर्माण के वित्त-पोषण को कम प्राथमिकता देते हैं। मौजूदा आंकड़ा सूचना प्रणाली द्वारा ऋणकर्त्ताओं की संख्या तथा इस प्रयोजन के लिए बैंकों द्वारा प्रदान की गई सहायता की मात्रा के सम्बन्ध में अलग से सूचना नहीं रखी जाती।

नगरों का दर्जा बढ़ाने के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता

20. **श्री निहाल सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितने नगरों का दर्जा 'बी' श्रेणी से बढ़ाकर 'ए' श्रेणी और 'सी' श्रेणी से बढ़ाकर 'बी' श्रेणी किया गया है;

(ख) क्या जिन नगरों का दर्जा बढ़ाया गया है उनमें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को संशोधित दरों पर मकान किराया भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते का भुगतान तब से शुरू कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन नगरों के क्या नाम हैं, जिनका दर्जा बढ़ाये जाने के बावजूद उनमें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की संशोधित दरों पर नगर प्रतिपूर्ति भत्ते और मकान किराया भत्ते का अभी तक भुगतान नहीं किया जा रहा है और इन भत्तों के भुगतान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान किसी भी नगर का दर्जा बी-1 श्रेणी से बढ़ाकर 'ए' श्रेणी में नहीं किया गया है। 1-5-1981 से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की अदायगी के लिए निम्नलिखित नगरों का दर्जा बी-2 श्रेणी से बढ़कर बी-1 श्रेणी में किया गया था :—

1. कोयम्बतूर
2. जबलपुर
3. इन्दौर
4. आगरा
5. वाराणसी
6. मदुरै
7. इलाहाबाद
8. जयपुर

9-10-1980 से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते और प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की अदायगी के लिए मैसूर नगर का दर्जा 'सी' श्रेणी से बढ़कर बी-2 श्रेणी में किया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित नगरों का दर्जा बढ़ाये जाने के परिणामस्वरूप बढ़े हुए मकान किराया भत्ते और/अथवा प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की अदायगी न किये जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

राष्ट्रीय बैंकों के लिए पदोन्नति/भर्ती नीति

21. **वीरभद्र सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में लिपिक वर्गीय और अधिकारी वर्गीय श्रेणियों के बारे में सरकार की पदोन्नति और भर्ती नीति क्या है;

(ख) क्या कुछ बैंकों में बैंक कर्मचारियों के बच्चों के लिए कुछ प्रतिशत रिक्तियाँ आरक्षित हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : लिपिकीय और अधिकारी संवर्ग में पदोन्नतियों को शासित करने के वास्ते प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक की अपनी पदोन्नति नीति है। सरकार केवल कुछ स्थूल मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करती है जिसमें ऊंचे वेतनमानों में अधिकारियों की पदोन्नति के वास्ते न्यूनतम पात्रता निर्धारित की जाती है।

बैंक के लिपिकीय और अधिकारी संवर्ग में भर्ती, सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसरण में बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा ली जाने वाली खुली परीक्षा के आधार पर की जाती है। इन भर्तियों की रिक्तियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए सामान्य आरक्षण रहता है। बैंक कर्मचारियों के बच्चों के लिए रिक्तियों में आरक्षण की इनमें कोई व्यवस्था नहीं होती।

ब्रिटिश पाऊंड स्टर्लिंग की तुलना में रुपये के मूल्य में वृद्धि

22. **श्री एन. ई. होरो** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्रिटिश पाऊंड स्टर्लिंग की तुलना में रुपये के मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है; और

(ख) यदि हाँ, तो देश में इस समय व्याप्त नई क्रय तथा विक्रय दरें संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ दिनों में पौंड स्टर्लिंग की तुलना में रुपये के मूल्य में कई बार वृद्धियों की घोषणा की है। नवीनतम मूल्य-वृद्धियों की घोषणा 8 और 10 फरवरी, 1982 को की गई थी जैसा कि नीचे बताया गया है :—

दिनांक	क्रय दर 100 रुपए = 1 पौंड	विक्रय दर 100 रुपए = पौंड	मध्य दर एक पौंड = रुपए
5-2-1982	5.8275	5.8005	17.20
8-2-1982	5.8617	5.8343	18.10
10-2-1982	5.8962	5.8685	17.00

अन्तर्राष्ट्रीय बाण्ड मार्केट में भारत का शामिल होना

23. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अपने बाह्य संसाधन बढ़ाने के प्रयोजन से अंतर्राष्ट्रीय बांड मार्केट में बड़े पैमाने पर शामिल होने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस दिशा में कोई शुरूआत कर दी गई है;

(ग) इसके लिये कौन-कौन से संसाधन जुटाये गए हैं और किन-किन देशों में सब्सटेंटिव बांड जारी किये जाने की आशा है; और

(घ) क्या सरकार ने कतिपय उन बड़े उद्योगों को विदेशी निधियों के संसाधन जुटाने की अनुमति दी है, जो इस समय सावधी जमा राशियां प्राप्त करने के लिये ब्याज की आकर्षक दरों पर डिबेंचर/शेयर/कालें जारी करके अपनी पूंजी बढ़ाने की होड़ में लगे हैं; यदि हां, तो इन उद्योगों के नाम क्या हैं और इन विदेशी निधियों के उपयोग पर अंकुश रखने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) । (क) से (ग) इस प्रकार का कोई सामान्य निर्णय नहीं किया गया है तथापि सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को जापानी बांड मार्केट में से 10 अरब जापानी येन उगाहने की अनुमति दे दी हैं । राष्ट्रीय केमिकल्ज एण्ड फर्टीलाइजर्स ने भी 3 करोड़ कुवैत दीनार की रकम के बाँड कुवैत में जारी किए हैं ।

(घ) चयनात्मक आधार पर बहुत से मामलों में संयुक्त क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र की कंपनियों को जैसे कि गुजरात नर्मदा फर्टीलाइजर्स, टेलको, टाटा पावर कंपनियां जे. के. सेन्थेटिक्स आदि को अदिवासी भारतीयों अथवा भारतीय मूल के विदेशी राष्ट्रिकों को ऋण-पत्र/शेयर जारी करके अपने परियोजना व्यय के एक अंश को पूरा करने की अनुमति दे दी गई है । उपयुक्त मामलों में कुछ कंपनियों को केवल अपने आवश्यक आयात के लिए भी अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम तथा विदेशी बैंकों से उधार लेने की अनुमति दे दी गई है ।

सोवियत संघ को चावल, प्रसाधन सामग्री तथा तम्बाकू का निर्यात

24. **श्री दौलत राम सारण** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 तथा 1981 के दौरान रूस को निर्यात किये गये चावल, तथा तम्बाकू और प्रसाधन सामाग्री की किस्म तथा कुल मात्रा पृथक पृथक है; और

(ख) चावल, तम्बाकू तथा प्रसाधन सामग्री के निर्यातकर्ताओं के नाम क्या हैं और इस अवधि के दौरान वर्षवार उनमें से प्रत्येक द्वारा इन मदों का कितनी मात्रा में पृथक पृथक निर्यात किया गया तथा इन निर्यातकर्ताओं को इन वस्तुओं का निर्यात करने की अनुमति किस आधार पर दी गयी थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) निर्यात आंकड़े वित्तीय वर्षवार रखे जाते हैं । 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान सोवियत संघ को निर्यात किये गये चावल, तम्बाकू तथा प्रसाधन सामग्री की मात्रा तथा मूल्य दर्शाने वाला विवरण एक संलग्न है ।

(ख) बासमती चावल तम्बाकू तथा प्रसाधन सामग्री के निर्यात की मुक्त रूप से अमुमति है । अतः इन मदों के निर्यातकों के नाम तथा प्रत्येक द्वारा निर्यात की गई गैर मात्राएं नहीं रखी जाती ।

जहां तक गैर-बासमती चावल का सम्बन्ध है, उन पार्टियों के नाम जिन्हें सोवियत संघ

को निर्यात करने की अनुमति दी गई है और उनके द्वारा निर्यात की गई गैर-वासमती चावल की मात्रा तथा मूल्य दर्शाने वाला विवरण-दो भी संलग्न है।

गैर-वासमती चावल की विभिन्न सुपर फाइना/फाइन किस्मों के निर्यात की अनुमति 25-7-1979 तथा 17-6-1980 की अवधि के बीच खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत थी। 18-6-1980 से गैर-वासमती चावल के निर्यात केन्द्रीय/राज्य के मनोनीत अभिकरणों की मार्फत मार्गीकृत हैं। इस नीति के अनुसार विवरण 2 में दिये गये अभिकरणों को सोवियत संघ को गैर-बासमती चावल का निर्यात करने की अनुमति दी गई।

विवरण-एक

(मूल्य लाख रु. में)

क्रमांक मद का विवरण	1979-80		1980-81	
	मात्रा (मे. टन)	मूल्य (लाख रु.)	मात्रा (मे. टन)	मूल्य (लाख रु.)
क. चावल				
1. बासमती चावल	—	—	23,597×	1298.920×
2. गैर वासमती चावल	7,4000	162,334	1,12,593	1-230.934
ख. तम्बाकू तथा तम्बाकू विनिर्मित वस्तुएं				
तम्बाकू पूर्णतः अथवा अंशतः स्ट्रिएड वर्जीनिया किस्म का फ्लयू क्योर्ड	19, 943	2926.650	20,168×	3639.430×
ग. इत्रादि, प्रसाधन तथा अंगराग सामग्री (साबुन को छोड़कर) संगंध तेलों के जलीय आसुत तथा जलीय सत्व (जिसमें औषधीय प्रयोग के लिए उपयुक्त जैसे उत्पादन शामिल हैं।	196	351.250	1,446×	844.970×

× आकडे अक्तूबर 1980 तक उपलब्ध हैं।

टिप्पणी : उपर्युक्त आंकडों में सरकार से सरकार के खाते में भारतीय खाद्य निगम द्वारा सोवियत संघ को निर्यात किए गए गैर-बासमती चावल की मात्रा शामिल नहीं है।

विवरण दो

(मूल्य लाख रु. में)

क्रमांक एजेन्सी का नाम	1979-80		1980-81	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. तमिलनाडु नागारिकपूर्ति निगम लि. मद्रास	7,400 मे टन	1,62,33,380/—	—	—

1	2	3	4	5
2. मैसूर सैल्स इन्टरनेशनल बंगलौर	—	25,000	मे. टन	7,12,50,000/—
3. आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम लि. हैदराबाद ।	—	62,592,939	मै. टन	18,30,93,423/—
4. पंजाब राज्य नागरिक पूर्ति निगम लि. चंडीगढ़	—	25,000	मे. टन	7,37,50,000/—

जीवन बीमा निगम द्वारा किये गये निर्देश

25. **श्री जायनल अबेदिन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने असम, उड़ीसा, बिहार तथा पश्चिम बंगाल की परिवहन सहकारी संस्था तथा ग्रामीण विकास परियोजनाओं में कोई निवेश किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त निवेशों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में उसने अब तक कुल कितना निवेश किया है; और

(ग) उक्त निवेशों संबंधी शर्तें तथा अन्य ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम ने इन चार राज्यों की राज्य सड़क परिवहन निगम और चीनी सहकारी समितियों को जो ऋण दिए हैं उनकी 31 अक्टूबर, 1981 की स्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है:—

(लाख रुपए)

राज्य	राज्य सड़क परिवहन निगम	चीनी सहकारी समितियाँ
असम	350	—
उड़ीसा	335	40
बिहार	—	—
पश्चिम बंगाल	—	—

जीवन बीमा निगम ने ग्रामीण विकास परियोजनाओं में सीधे कोई पूंजी नहीं लगाई ।

(ग) राज्य सड़क परिवहन निगमों को मोटर गाड़ियाँ दृष्टिबंधक रखकर 11 प्रतिशत के ब्याज की दर पर ऋण दिए गए थे और जीवन बीमा निगम को 1981–82 के दौरान दिए गए ऋणों पर उसी दर पर ब्याज लेने के लिए कहा गया है । उड़ीसा में चीनी सहकारी समिति को 8 प्रतिशत के ब्याज की दर पर दिया गया ऋण सभी स्थिर परिसम्पत्तियों के प्रथम विधिक बन्धक की प्रतिभूति पर दिया गया है ।

व्यापार घाटे की तुलना में निर्यात आय

26. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जनवरी, 1982 के "इकोनोमिक टाइम्स" में सक्सपोर्ट स्ट्रेटजी-स्टेट्स टु पार्टिसिपेट शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ?

(ख) यदि हां, तो (एक) क्या यह सच है कि वर्ष 1980-81 के निर्यातों में गत वर्ष की तुलना में केवल लगभग चार प्रतिशत की ही वृद्धि हुई और (दो) क्या चालू वर्ष के पहले सात महीनों में अर्थात् अप्रैल से अक्तूबर तक निर्यात आय गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 14 प्रतिशत बढ़ी ;

(ग) क्या 1980-81 में व्यापार घाटा 5700 करोड़ रु. से भी अधिक हो गया था और सरकार को स्थिति सुधारने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से 5 बिलियन डालर का ऋण मांगना पड़ा; और

(घ) यदि हाँ, तो अपने निर्यात की वृद्धि दर को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा बढ़ाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) (1) अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, जो अभी भी अनन्तिम हैं, 1980-81 में 6710 करोड़ रु. के नियांत हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाते हैं ।

(2) चालू वित्तीय वर्ष के पहले आठ महीनों अर्थात् अप्रैल-नवम्बर, 1981 के लिये भारत के समग्र निर्यात अनन्तिम रूप से 4661.60 करोड़ रु. के हुए हैं, जब कि पिछले वर्ष की उसी अवधि में अन्तिम रूप से 4937.98 करोड़ रु. के निर्यात हुए थे । इससे लगभग 15.4 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देती है ।

(ग) 1980-81 में व्यापार घाटा अनन्तिम रूप से 5775 करोड़ रु. था । सरकार ने तीन वर्ष की धन अवधि के लिये एस. डी. आर. 5 बिलियन के बराबर की धन राशि के ऋण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विस्तरित ऋण व्यवस्था की है ।

(घ) निर्यात बढ़ाने के लिये कई निर्यात संवर्धन उपाय किये गये हैं । इनमें शामिल हैं : निर्यात उत्पादन पर लाइसेंस सम्बन्धी बाधाओं को समाप्त करना, पूरे देश में शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों और निर्यात आयात बक की स्थापना करना, शुल्क वापसी की पद्धति सरल तथा सुव्यवस्थित करना, निर्यातों पर राजकोषीय रियायतें आदि । स्थिति पर पूरी निगारानी रखी जाती है और समय समय पर नये निर्यात संवर्धन उपाय किये जाते हैं ।

परिवार-पेंशन में वृद्धि

27. **श्री अजय विश्वास :**

श्री एम. एम. लारेंस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मूल्यों में वृद्धि तथा अन्य कारणों को देखाते हुए परिवार पेंशन के लाभ में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) परिवार पेंशन योजना, 1964 समीक्षा अधीन रखी गयी है और समय समय पर उदारीकरण किए गए हैं। इसमें जो सुधार किए गए हैं वे निम्नलिखित है :—

(I) 1-1-1966 से उन सरकारी कर्मचारियों के लिए परिवार-पेंशन जिनकी 7 वर्ष की सेवा करने के पश्चात् मृत्यु हो जाती है, 7 वर्ष की अवधि तक सामान्य दरों से दुगनी दरों पर देय है ।

(II) 1 मार्च, 1970 से न्यूनतम परिवार पेंशन 25/-रुपये प्रतिमास से बढ़ा कर 40/-रुपये प्रति मास की गयी । तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1-1-1973 से दरों में और संशोधन किए गए हैं । न्यूनतम और अधिकतम परिवार पेंशन 40/-रुपये प्रतिमास और 150/-रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर क्रमशः 60/-रुपये प्रतिमास और 250/-रुपये प्रतिमास कर दी गयी है ।

(III) उक्त योजना, जो मूल रूप में अंशदायी स्वरूप की थी, 22 सितम्बर, 1977 से गैर-अंशदायी बना दी गयी है और मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपदान में से 2 महीने की परिलब्धियों की कटौती समाप्त कर दी गयी है ।

(IV) परिवार पेंशन में अस्थायी/तदर्थ वृद्धि अथवा राहत के लिए मूल परिवार पेंशन योजना में कोई व्यवस्था नहीं थी । 1-10-1975 से परिवार-पेंशनभोगी भी समय समय पर पेंशनभोगियों के लिए स्वीकृत मंहगाई राहत की किश्त के पात्र बना दिए गए हैं । वर्तमान में, परिवार पेंशनभोगियों को देय राहत की राशि पेंशन के 65 प्रतिशत की दर पर दी जाती है जो कि कम से कम 65/-रुपये प्रतिमास और अधिक से अधिक 325/-रुपये प्रतिमास है । यह कीमतों में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति करती है ।

(v) बच्चों के सम्बन्ध में परिवार पेंशन की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा भी लड़कों के मामले में 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष और पुत्रियों के मामले में 21 वर्ष से बढ़ाकर 24 वर्ष कर दी गयी है । विकलांग बच्चों को आजीवन परिवार पेंशन के लिए पात्र बना दिया गया है ।

पर्यटक सँवर्द्धन गतिविधियों का विकास तथा विस्तार

28. **श्री एन. नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम अथवा पर्यटन विभाग के पास कोवलम में पर्यटन प्रतिविधियों के विरुद्ध तथा विस्तार के कोई प्रस्ताव विचाराधीन पड़े हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें कब तक क्रियान्वित कर दिये जाने की आशा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) पर्यटर सुविधाओं और कार्यकलापों का विकास और विस्तार एक सतत प्रक्रिया है । कोवलम में केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत प्रदान की गई सुविधाओं में 100 कमरों वाला एक होटल समुद्रतट पर 40 कुटीरें, दृश्यावलोकन हेतु परिवहन, योग, आयुर्वेदिक तेल स्नान और मालिस तथा जलक्रीड़ा सम्बन्धी सुविधाएं हैं, जबकि जलक्रीड़ा सम्बन्धी सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं एक नया ससुद्र तट सेवा केन्द्र अभी निर्मित किया जाना है जिसके लिए भारत पर्यटन विकास

निगम को इस कार्य को हाथ में लेने के लिए 11.15 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। चालू योजना अवधि के दौरान समुद्र तट सेवा केन्द्र का निर्माण पूरा हो जाएगा।

राष्ट्रीय पटसन उत्पादक निगम को हुई हानि

29. **श्री बी. डी. सिंह** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार क्षेत्र के राष्ट्रीय पटसन उत्पादक निगम को प्रतिदिन 4-5 लाख रुपये की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस की तुलना में कितनी हानि हुई थी और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार के लिये सरकार ने क्या कदम उठाएं हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी हां।

(ख) जब कि 1980-81 में 71.97 लाख रुपए की औसत मासिक हानि हुई थी, 1981-82 में औसत मासिक हानि लगभग 116.67 लाख रुपए है। कम मूल्य प्राप्ति का मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रीय तथा घरेलू बाजारों में मांग में अभूतपूर्व मंदी जिसके कारण पूरे पटसन उद्योग, जिसमें एन, जे. एम. सी. भी शामिल है, पर प्रभाव पड़ा है।

भारतीय कपास निगम को हानि

30. **श्री धर्मवीर सिंह** :

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कपास निगम को गत पांच वर्षों से लगातार हानि होने के क्या कारण है; और

(ख) भारतीय कपास निगम के कार्यकरण में सुधार के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ताकि उसे भविष्य में हानि न हो ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) यह सही नहीं है कि भारतीय रूई निगम को गत 5 वर्षों में हानि हुई है। निगम को 1977-78, 1878-79 तथा 1979-80 के वर्षों में हानि हुई थी और वर्ष 1976-77 तथा 1980-81 में इसने लाभ कमाया है।

1977-78 से 1979-80 के वर्षों में हुई हानि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

(i) रूई के सुलभ प्राप्त होने की स्थिति वाले वर्षों में पर्याप्त मांग के अभाव में निगम से कहा गया है कि वह रूई उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिये अधिक मात्रा में खरीदारियां करे जिसके परिणामस्वरूप निगम के पास रूई के ज्यादा भंडार बच गये।

(2) निगम के पास बचे हुए अधिक भंडार के लिये उन्हें अधिक ब्याज तथा लाने ले जाने के प्रभार देने पड़े।

(3) निर्यात प्रतिस्थापन के लिये आवश्यकता तथा इसके सामाजिक दायित्व को देखते हुए निगम, मिलों से प्रर्याप्त मांग के अभाव में भी वरलक्ष्मी तथा सुविन जैसी लम्बे रेशे की रूई के उत्पादकों को अपना समर्थन देता रहा अतः उसे वित्तीय हानि हुई।

(ख) सरकार ने निगम को सलाह दी है कि उसे सौंपी गई भूमिका को निभाने में निगम को अपने कार्यसंचालन की आर्थिक सक्षमता को भूलना नहीं चाहिए। स्टाक बनाये रखने की

लागत को कम करने की दृष्टि से निगम ने अब खरीद के साथ अपने स्टाक को बेचने की नीति अपनाई है। इसके अलावा, अपने स्टाक कम करने के लिये सरकार ने निगम की समय समय पर रूई का निर्यात करने की अनुमति दी है जिसके लिये घरेलू बाजार में पर्याप्त मांग नहीं है।

निगम के कार्यों की समीक्षा करने के लिये नियमित रूप से तिमाही बैठकें आयोजित की जाती हैं और जब भी कभी आवश्यक समझा जाता है उपचारात्मक उपाय भी दिये जाते हैं।

तेल निर्यातक देशों के लिये नई विदेशी निवेश नीति का प्रभाव

31. **श्री तारिक अनवर** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय उद्यमियों पर तथा इन तेल निर्यातक देशों से निवेश में रूचि रखने वाले लोगों पर तेल निर्यातक देशों के लिए नई विदेशी निवेश नीति के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) उक्त नीति के कार्यकरण का लेखा जोखा रखने के लिए क्या तंत्र अथवा एजेंसी स्थापित की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तेल निर्यातक विकासशील देशों द्वारा पूंजी निवेश करने के लिए जो नई सुविधा उपलब्ध है, उसके प्रभाव के बारे में ऐसी घोषणा करना तनिक शीघ्रतापूर्ण कार्य होगा। तथापि भारतीय उद्यमकर्ताओं और खाड़ी के देशों के निवेशकों ने इस नीति के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाई है। कुछ एक ज्यादा मूल्य की परियोजनाओं पर विभिन्न दौरों में बातचीत चल रही है।

(ख) आबू धाबी स्थित भारतीय निवेश केन्द्र का कार्यालय इन पूंजी निवेशों के सम्बर्धन के काम में सहायता देगा, किन्तु इस नीति का मूल्यांकन और इसका निष्पादन वित्त मन्त्रालय द्वारा किया जाएगा।

जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को दिये गये ऋण

32. **श्री मकुन्द मण्डल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने राज्य बिजली बोर्डों को 107 करोड़ रुपये के ऋण दे रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो किन किन राज्यों को और प्रत्येक को कितनी राशि के ऋण दिये गये हैं; और

(ग) उक्त ऋण किन शर्तों पर दिए गए हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम द्वारा 1980-81 में राज्यों के बिजली बोर्डों को दिए गए ऋणों का ब्यौरा इस प्रकार है :

	राज्य	रकम (लाख रुपए)
1.	आन्ध्र प्रदेश	878
2.	असम	799
3.	बिहार	547

1	2
4. गुजरात	1138
5. हरियाणा	1036
6. हिमाचल प्रदेश	198
7. जम्मू और कश्मीर	171
8. कर्नाटक (विद्युत निगम)	496
9. केरल	725
10. मध्य प्रदेश	662
11. महाराष्ट्र	1029
12. मेघालय	185
13. उड़ीसा	759
14. पंजाब	768
15. राजस्थान	1007
16. तमिलनाडु	957
17. उत्तर प्रदेश	2532
18. पश्चिम बंगाल	1094
	जोड़ : 14981

(ग) ये ऋण परिसम्पत्तियों की बन्धक रखकर दिए गए थे और इनके ब्याज की दर 11 प्रतिशत वार्षिक है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त ऋण का उपयोग

33. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त 5.6 बिलियन डालर के ऋण का उपयोग करने हेतु कार्यक्रम तैयार कर लिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ जो विस्तारित प्रबन्ध (एक्स्टैंडिड अरेंजमेंट) दिया गया है वह मध्यम अवधि के संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के लिए है, जो छठी पंचवर्षीय आयोजना का अभिन्न अंग है।

थोक मूल्य सूचकांक

34. **श्री नारायण चौबे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त मूल्य सूचकांक तो इस अवधि में निरन्तर बढ़ता गया है जिसका थोक मूल्यों से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) आवश्यक वस्तुओं के लिए अलग थोक मूल्य सूचकांक संकलित नहीं किया जाता। एक विवरण संलग्न है जिसमें सभी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों (1970-71=100) और औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पिछले छः महीनों (जुलाई 1981 से दिसम्बर, 1981) के दौरान हुई घटबढ़ दिखाई गई है। ध्यान दिया जाए कि इस अवधि में थोक मूल्य सूचकांक में कमी दिखाई दी है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (1960=100) भी स्पष्ट रूप में कुछ मन्दी हुई है और दिसम्बर, 1981 में सूचकांक में वस्तुतः 0.4 प्रतिशत की कमी हुई है (जब तक के लिए अद्यतन सूचक अंक उपलब्ध हैं)। इन दो सूचकांकों में समान रूप में परिवर्तन नहीं हो सकते क्योंकि इनके अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं की व्याप्ति, भारांकन आरेख (वेटिंग डायाग्राम) आधार वर्षों में स्वाभाविक रूप में अन्तर होता है और दो प्रकार के मूल्यों के बीच कुछ समयांतर होता है।

विवरण

थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1970-71=100)/उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) के सूचक अंक

	प्रतिशत परिवर्तन					
	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर
I थोक मूल्य सूचकांक						
सभी वस्तुयें	+2.1	+1.1	—1.5	—0.3	—1.4*	—0.9*
(क) प्राथमिक वस्तुएं	+4.1	+1.4	—1.8	—1.2	—1.2*	—0.4*
खाद्य वस्तुएं	+5.6	+1.5	—2.6	+0.2	—0.5*	—0.8*
(ख) ईंधन, पावर, बिजली और लुब्रीकेण्ट	+6.5	+2.5	को.प.न.	को.प.न.	को.प.न.*	को.प.न.*
(ग) विनिर्मित उत्पाद	—0.6	+0.5	—1.6	—0.4	—2.0*	—1.5*
खाद्य उत्पाद	—2.4	—0.3	—5.6	—1.9	—1.5*	—6.0*
II उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	+1.8	+1.6	+0.4	+0.9	+0.4	—0.4

को. प. न.=कोई परिवर्तन नहीं

*अनन्तिम

विक्रय कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाना

35. **श्री माधवराव सिंधिया** :

श्री नवीन रवाणी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ दिन हुए कुछ मदों पर बिक्रय कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या बांचू समिति के प्रतिवेदन को देखते हुए, सरकार ने विक्रय कर को धीरे-धीरे

समाप्त करके उसके स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने का कोई व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है। यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) देश में प्रचलित बिक्री कर ढांचे में मूलभूत सुधार लाने के लिए विभिन्न वाणिज्य-मण्डलों, उद्योग तथा व्यापार सघों और आम जनता की ओर से काफी समय से व्यापक माँग की जाती रही है। श्री के. एन. बांचू की अध्यक्षता में प्रत्यक्ष कर जाँच समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में यह मत व्यक्त किया था कि वर्तमान बिक्री कर प्रणाली द्वारा खड़ी की गई समस्या पर काबू पाने का सर्वोत्तम उपाय विभिन्न वस्तुओं पर से बिक्री कर को, यथासम्भव अतिरिक्त उत्पादन शुल्क द्वारा प्रतिस्थापित करना होगा, लेकिन इसके लिए वस्तुओं का चयन करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि मूल्यों पर सोपानी (कैसकेडिंग) प्रभाव कम से कम पड़े। वित्त आयोगों और विभिन्न समितियों ने भी बिक्री कर प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करके उन पर अपने विचार व्यक्त किये। विशेष रूप से अप्रत्यक्ष कराधान जाँच समिति (झा समिति) ने इस मामले का अध्ययन किया था और कुछ सिफारिशें की थी।

चूंकि संविधान के अन्तर्गत बिक्री कर, मुख्यत: राज्य कराधान का विषय है और बिक्री कर प्रणाली में कोई भी सुधार, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके तथा उनके सहयोग से ही किया जा सकता है। इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए मुख्य मत्रियों और बिक्री कर प्रभारी मंत्रियों का एक सम्मेलन सितम्बर 1980 में आयोजित किया गया था और फिर उसी के अनुसरण में फरवरी 1980 में। फरवरी 1981 में आयोजित सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा एक ऐसी विशेष समिति नियुक्त की जाए जिसका अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने योग्य कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और सदस्य एक अर्थशास्त्री और एक प्रशासक हो। यह समिति वनस्पति, औषध द्रव्यों और दवाइयों, सीमेंट, कागज, गत्ता तथा पैट्रोलियम उत्पादों को "घोषित वस्तुओं" की सूची में शामिल करने और उन पर लगने वाले बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव के वित्तीय प्रभावों का तथा इस बात का अध्ययन करेगी कि राज्यों के वित्तीय हितों की रक्षा किस तरीके से की जा सकती है। लेकिन जम्मू तथा कश्मीर, केरल और प. बंगाल राज्यों ने इससे अपनी असहमति प्रकट की।

उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसरण में इस मामले का अध्ययन करने के लिए श्री मोहन लाल सुखाड़िया, संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की गई थी। समिति की नियुक्ति की घोषणा करते हुए वित्त मन्त्री ने 21-12-1981 को सदन में एक वक्तव्य भी दिया था। समिति को अपनी रिपोर्ट 31 मार्च 1982 तक प्रस्तुत करनी थी और उसने विचार-विमर्श भी आरम्भ कर दिया था। लेकिन श्री मोहन लाल सुखाड़िया के आकस्मिक निधन के कारण इस विषय में अगली कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है।

मुद्रास्फीति की दर

36. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुद्रास्फीति की वर्तमान दर को रोकने का है;

(ख) क्या यह सच है कि मुद्रास्फीति का एक मुख्य कारण थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में व्याप्त बढ़ता हुआ अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो इस अन्तर को कम करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार मुद्रास्फीति पर काबू पाने को उच्च प्राथमिकता देती है और इसके लिए अनेक उपाय किए गये हैं। परिणामस्वरूप मूल्य स्थिति में काफी सुधार दिखायी दिया है। फिर भी, इस विषय में कोई ढील नहीं है और मूल्य स्थिति पर नजर रखी जाती है और उदीयमान प्रवृत्तियों के सदर्भ में और आगे उपाय किये जायेंगे।

थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच विद्यमान अन्तर मुद्रास्फीति का कारण नहीं होता। ध्यान दिया जाए कि इन दो सूचक अंकों में भिन्न-भिन्न गति होना अपरिहार्य है क्योंकि इनके अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं का क्षेत्र, भारांश आरेख (वेटिंग डायग्राम) भिन्न होते हैं और इन दो सूचक अंकों की आधार-अवधियां भिन्न होती है। फिर भी, थोक मूल्यों में हुई मन्दी के अनुरूप, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वृद्धि की मासिक दर में कमी हुई है और वास्तव में सूचक अंक दिसम्बर 1981 में 0.4 प्रतिशत कम हो गया है (जिसके लिये अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हैं)।

हथकरघा तथा हस्तशिल्प निर्यात निगम के कार्यकरण की समीक्षा

37. **कृपासिंधु भोई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऊनी वस्त्रों के लिए एक सरलीकरण एजेंसी के रूप में हथकरघा तथा हस्तशिल्प निर्यात निगम की भूमिका की कड़ी आलोचना को देखते हुए इस निगम के कार्यकरण की समीक्षा करने का है;

(ख) क्या यह सच है कि निगम द्वारा लगाये गये सेवा अधिभार विदेशी बाजारों में उक्त उद्योग की प्रतियोगितां क्षमता को कम करते हैं; यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) नये बाजार बनाने तथा उत्पाद विकास के लिए निर्यातकों को क्या सहायता दी गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) ऊनी निटवियर्स के लिए एक सरणीकरण अभिकरण के रूप में भारतीय हथकरघा तथा हस्तशिल्प निर्यात निगम लिमिटेड के कार्यकरण की समीक्षा 1982-83 की आयात नीति की वार्षिक समीक्षा के भाग के रूप में की जायेगी।

(ख) निगम द्वारा रुपया मुद्रा क्षेत्र (आर. सी. ए.) और सामान्य मुद्रा क्षेत्र (जी. सी. ए.) देशों को ऊनी निटवियर्स के निर्यातों पर क्रमश: एक प्रतिशत तथा 1/4 प्रतिशत का सेवा प्रभार वसूल किया जाता है। निगम द्वारा वसूल किये जाने वाले सेवा प्रभार नाममात्र के हैं और उनसे विदेशी बाजारों में उद्योग की प्रतियोगात्मक क्षमता को कोई क्षति नहीं पहुंचती।

(ग) ऊनी निटवियर्स के लिए हथकरघा तथा हस्तशिल्प निर्यात निगम द्वारा दी जाने वाली सहायता और की गई निर्यात संवर्धन गतिविधियों में शामिल हैं :

1. बाजार ढूंढ़ने के लिए जी. सी. ए. देशों को प्रतिनिधिमण्डल भेजना;

2. विभिन्न बाजारों के लिए विभिन्न उत्पादों का पता लगाने के लिये भारत में विनिर्माता केन्द्रों का दौरा करने हेतु अनेक डिजाइनरों और आयातकों को आमत्रित करना ?

3. विभिन्न क्षेत्रों में बुने हुए परिधानों के लिने ब्लेंडिग यार्न में परीक्षण और उद्योग की मदद के लिये विदेशों से सुयोग्य यार्न तकनीशियन और डिजाइनर आमंत्रित करना।

आयकर इंस्पैक्टरों द्वारा किए गए सर्वेक्षण कार्य

38. **श्री सोमजी भाई डामोर :**

डा. वसन्त कुमार पंडित्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग, दिल्ली के आयकर इस्पैक्टर, जो कि राजधानी में सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं; व्यापारियों के साथ सांठ-गांठ किये हुए हैं और व्यापारी संघों के कार्यालयों में सर्वेक्षण कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप आयकर तन्त्र के बहुत से मामलों का पता दे रहे हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं और सरकार उक्त भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ये भ्रष्ट अधिकारी आयकर विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा संरक्षित किये जा रहे हैं; और

(घ) ऐसे सर्वे इंन्स्पैक्टरों की इन गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है जो व्यापारियें के साथ साँठ-गाँठ किए हुये हैं, राजकोष को राजस्व की भारी हानि पहुंचा रहे हैं तथा काले धन एवं कर अपवंचन को बढ़ावा दे रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) इस प्रकार का कोई विशिष्ट मामला ध्यान में नहीं आया है। कुछेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से अधिकांश गुमनाम तथा अस्पष्ट हैं। इन शिकायतों के माध्यम से लगाये गये आरोप सामान्य प्रकार के हैं जिनमें कोई विशिष्ट जानकारी नहीं दी गई है। तथापि, अभी तक की गई जांच के परिणामत: उनमें से कोई भी शिकायत ऐसी नहीं पायी गई है जिसे सिद्ध किया गया हो।

(ग) जी नहीं।

(घ) सर्वेक्षण निरीक्षकों के कार्य की समय-समय पर पर्यवेक्षी जाँच की जाती है। जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनकी जांच की जाती है और उन पर उचित कार्यवाही की जाती है।

39. **श्री के. ए. राजन :**

श्री रामविलास पासवान :

श्री चित्त बसु :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री चित्त महाटा :

श्री एच. के. एल. भगत :

श्री माधव राव सिंधिया : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक अध्यक्ष श्री ए. डब्लू. क्लोसन जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया था, के साथ वार्ता की थी;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त बातचीत का निष्कर्ष तथा परिणाम क्या निकले;

(ग) क्या उक्त ऋण प्राप्त करने के लिये कोई नया करार हस्ताक्षरित हुआ था; और

(घ) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) भरकार ने विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री क्लासन के साथ, जो 18 से 23 जनवरी, 1982 तक भारत के दौरे पर आए थे। विश्व बैंक समूह के साथ भारत के सम्बन्धों सहित विभिन्न प्रकार की विकास सम्बन्धी समस्याओं और नीतियों के बारे में चर्चा की थी। विचारों के आदान-प्रदान का परिणाम यह निकला है कि विश्व बैंक समूह अब देश की प्रगति और विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पहले से अच्छी तरह समझने लगा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

बम्बई की कपड़ा मिलों में हड़ताल

40. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के कपड़ा मिलों में हड़ताल के कारण वस्त्रों के कुल कितने उत्पादन की हानि हुई है;

(ख) क्या सरकार ने मांगों पर बातचीत आरम्भ करके इस हड़ताल को टालने के लिए कदम उठाये थे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) बम्बई में वस्त्र मिलों में 18 जनवरी, 1982 से आम हड़ताल होने के कारण प्रतिमास मोटे तौर पर 100 मिलियन मीटर कपड़े की उत्पादन हानि होने का अनुमान है।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकार ने, जो कि इस मामले से मुख्य रूप से सम्बन्धित है, कामगारों से कार्य पुनः आरम्भ करने की अपील की है।

सोडा एश पर आयात शुल्क

41. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सोडा एश के अंधाधुंध आयात को रोकने के लिये इस पर आयात शुल्क में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सोडा एश के भारतीय मूल्य आयातित सोडा एश के मूल्यों से बहुत अधिक हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सोडाक्षार के मामले में आयात शुल्क को 13 जनवरी, 1982 के मूल्यानुसार 80 प्रतिशत के सांविधिक स्तर पर

पुनः लागू कर दिया गया है। विगत में सघन किस्म के सोडाक्षार के सम्बन्ध में मूल्यानुसार 25 प्रतिशत की रियायती दर लागू थी तथा विरल किस्म के सोडा-क्षार के सम्बन्ध में मूल्यानुसार 45 प्रतिशत की रियायती दर लागू थी।

(ग) और (घ) पिछले कुछ समय से अधिकांशतया विरल किस्म का सोडा-क्षार आयात किया गया है अब सोडा-क्षार की इस किस्म के प्रति मीट्रिक टन का लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य 100 अमरीकी डालर से 120 अमरीकी डालर के बीच है। शुल्क की बढ़ी हुई दर के परिणामतः अवतरित मूल्म 2029 रुपये से 2425 रु. प्रति मीट्रिक टन के बीच होंगे। स्वदेशी सोडा-क्षार (विरल) के कारखानागत मूल्य 2050 रु. से 2207 रु. प्रति मीट्रिक टन के बीच बताये जाते हैं। स्वदेशी मूल्य के वर्तमान स्तर के लिए जिन कारकों को जिम्मेदार बताया गया है वे कच्ची सामग्री की अत्यधिक लागत उपयोगिता और परिवहन है।

भारतीय राज्यों द्वारा निवेश के लिये पैट्रो-डालर बाजार का लाभ उठाने की योजना

42. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के अनेक राज्य अपनी विकास परियोजनाओं में निवेश के लिए पैट्रो-डालर बाजार का लाभ उठाने की योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार धन के बहाव आदि को सुनियमित करने हेतु "अभिक" देशों की विभिन्न राजधानियों में कार्यालय खोलकर उपभोग इंफ्रांस्ट्रक्चर उपलब्ध कराते हुए इन राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों को अपनी विकास योजनाओं के लिए पैट्रो-डालर प्राप्त हुए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां कुछ राज्य सरकारों ने तेल निर्यातक विकासशील देशों से पूंजी निवेश के लिए स्थापित सुविधा के अंतर्गत परियोजनाओं को स्थापित करने की अपनी इच्छा प्रकट की थी।

(ख) राज्य सरकारों को उपयुक्त मार्गीनिर्देश जारी कर दिये गए हैं जिनमें इस प्रकार के निवेशों को आयोजनागत आबंटनों के अंतर्गत ही आकर्षित करने की आवश्यकता और खाड़ी के देशों में बातचीत करने के लिए शिष्टमण्डलों को भेजने से पहले पर्याप्त प्रारम्भिक कार्य संपन्न करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। खाड़ी के देशों से पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए आबू-धाबी में भारतीय निवेश केन्द्र का एक कार्यालय खोल दिया गया है।

(ग) यद्यपि कुछ परियोजनाओं के संबंध में बातचीत अथवा चर्चा विभिन्न दौरों में चल रही है तथापि केन्द्र से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कोई भी ठोस प्रस्ताव केन्द्र के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है।

स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम

43. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम को नया रूप देने का है ताकि यह उद्योग और उपभोक्ताओं के लिए वेह अधिक लाभदायक बन सके;

(ख) भारत में सोने की वार्षिक आवश्यकता अनुमानतः कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी हैं जिनमें कहा गया है कि वर्तमान अधिनियम भ्रष्टाचार फैलाने और परेशान करने का एक साधन बन गया है जिसका न तो इस व्यापार को और न ही उपभोक्ताओं को कोई लाभ है; और

(घ) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 के मोटे तौर पर उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(i) स्वर्ण के लिये जनता की आय मांग पर नियंत्रण रखना ताकि इसे धीरे-धीरे कम किया जा सके।

(ii) अन्य निवारक उपायों की कमी को पूरा करने में एक आर्थिक उपाय के रूप में काम करना ताकि चोरी छिपे लाये गए स्वर्ण का परिचालन आसानी से नहीं हो सके और आयात की अवस्था के बाद स्वर्ण पर नियंत्रण लागू करके उसका पता आसानी से लगाया जा सके।

जिन उद्देश्यों के लिए स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था वे अभी भी संगत हैं। फिलहाल पुरे स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम को नया रूप देने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सरकार ने बहुमूल्य धातुओं की समस्याओं पर बम्बई में हाल ही में आयोजित एक सेमिनार के सम्बन्ध में अखबारों में छपे समाचारों को देखा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वर्ण नियंत्रण के कार्यचालन के बारे में कुछ हवाले किये गए थे न्यायालय के निर्णयों तथा व्यवसाय और आम जनता की वास्तविक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये नियमों में समय-समय पर संशोधन किये गए हैं। इस मामले की बराबर समीक्षा भी की जाती है। परेशानी तथा भ्रष्टाचार से सम्बन्धित निश्चिति शिकायतों की, प्रत्येक के गुण-दोष के आधार पर उपर्युक्त कार्यवाही करने के लिए विधिवत जांच की जाती है।

(ख) भारत में सोने की कुल वार्षिक मांग के सम्बन्ध में सरकार ने कोई अनुमान नहीं लगाया है।

वाणिज्यिक बैंकों की नई शाखाओं के लिए लाइसेंस की मंजूरी

44. **श्री एस. बी. सिदनाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंक की नई शाखाओं के लाइसेंस मंजूर करने के लिए नई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खोली जाने वाली बैंकों की शाखाओं की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या पहाडी तथा जनजातियों क्षेत्रों में आसान शर्तों पर बैंक सेवाओं के विस्तार का प्रस्ताव है; और यदि हाँ; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी

हाल ही में 1982-83 से 1984-85 तक के तीन वर्षों के लिये शाखा लाइसेंसिंग नीति तैयार की है।

(ख) इस नई नीति के अन्तर्गत ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोलने की परिकल्पना की गई है ताकि ग्रामीण/अर्ध शहरी क्षेत्रों में औसतन 17,000 लोगों के लिये एक शाखा के हिसाब से बैंकिंग व्याप्ति का लक्ष्य पूरा किया जा सके। अनुमान है कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लगभग 8,000 अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोले जायेंगे। शहरी क्षेत्रों में शाखाओं के लाइसेंस केवल सीमित मात्रा में दिए जायेंगे।

(ग) पहाड़ी इलाकों, कम घनी आबादी वाले इलाकों तथा जनजाति क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा और इस प्रकार के क्षेत्रों में शाखा विस्तार का निर्धारण जनसंख्या सिद्धान्त के अनुसार नहीं बल्कि बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में विद्यमान अन्तर निर्धारित आबादी वाले समूहों की बैंकिंग आवश्यकताओं तथा आर्थिक कार्य कलापों आदि के विस्तार को ध्यान में रखते हुए शाखा विस्तार का निर्धारण करने के लिए अनुमति देने के मामले में उदारता बरती जाएगी।

ग्वालियर हवाई अड्डे पर उतरने की व्यवस्था

45. **श्री एन. के. शेजवलकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) ग्वालियर हवाई अड्डे पर रात के समय उतरने की व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी;

(ख) यह व्यवस्था न होने के कारण कई बार दिल्ली से भोपाल जाने वाला हवाई जहाज ग्वालियर नहीं उतर पाता है और ग्वालियर से हवाई जहाज में जाने वाले यात्री उसमें नहीं जा पाते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो पिछले वर्ष (1 अप्रैल, 1981 से) ऐसा कितनी बार हुआ है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) नागर विमानन विभाग की रात्रिकालीन अवतरण सुविधाए प्रदान करने की फिलहाल कोई योजनाएं नहीं हैं क्योंकि इंडियन एयरलाइंस का सूर्यास्त के बाद ग्वालियर से होते हुए अनुसूचित सेवाएं परिचालित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी, नहीं। इंडियन एयर लाइंस दिल्ली से भोपाल तक की उड़ानों का परिचालन केवल प्रातःकाल में ही करती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में भारतीय बीमा निगम से ऋण

46. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार को भारतीय बीमा निगम के ऋणों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे ऋणों की शर्तों का पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) परियोजना ऋणों के संबंध में सम्बद्ध राज्यों को जीवन बीमा निगम के प्रति 31 मार्च, 1981 को बकाया देनदारी का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपए)

राज्य	राज्य सरकारों को आवास के लिए ऋण	राज्य बिजली बोर्डों को ऋण	नगर पालिकाओं और राज्य सरकारों को नगर जल पूर्ति स्कीमों के लिए ऋण	राज्य सड़क परिवहन निगमों को ऋण	जोड़
1. असम	474	1887	82	335	2778
2. उड़ीसा	2286	3843	323	335	6788
3. पश्चिम बंगाल	2666	7067	55	—	9789
4. महाराष्ट्र	1660	5799	4478 2997†	605	15539
5. बिहार	1905	3697	—	—	5604

†ग्रामीण नल जलपूर्ति स्कीम के लिए जिला परिषद को ऋण ।

(ख) इस समय परियोजना ऋणों की शर्तें इस प्रकार हैं :—

	ऋणकर्ता वर्ग	प्रतिशत	ब्याज की दर
1.	राज्य सरकारें (आवास)	गारंटी	(i) ग्रामीण आवास स्कीमों के लिए $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत (ii) अन्य आवास स्कीमों के लिए $10\frac{1}{2}$ प्रतिशत
2.	राज्य बिजली बोर्ड	परिसम्पत्तियों को बन्धक रखकर	11 प्रतिशत
3.	नगरपालिकाओं को नगर जल पूर्ति और जल-निकासी स्कीमों के लिए ऋण	सरकार की गारंटी	$8\frac{1}{2}$ प्रतिशत
4.	जिला परिषदों की नल जल पुर्ति स्कीमों के लिए ऋण	सरकार की गारंटी	$8\frac{3}{4}$ प्रतिशत
5.	राज्य सड़क परिवहन निगम	अचल सम्पत्तियों/ परिसम्पत्तियों की दृष्टि बन्धक/बंधक रखकर	11 प्रतिशत

महाभारत के युद्ध की तारीख के सम्बन्ध में असमानता

47. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** सरकारी कलैण्डर के बारे में 11 दिसम्बर, 1981 के अतरांकित प्रश्न संख्या 3296 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाभारत के युद्ध की तारीख में असमानता होने के कारण इसकी सही तारीख का पता लगाने के लिए एक आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वराह मिहिर द्वारा प्रयुक्त सम्बत् को स्वीकार करने में क्या आपत्ति है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी नहीं। महाभारत एक प्राचीन घटना है और इसकी सही-सही तारीख का सर्वसम्मत निर्धारण एक आयोग नियुक्त करके नहीं किया जा सकता।

(ग) भारतीय मूल के समस्त संवतों की जांच करने के बाद कैलेन्डर सुधार समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि शक संवत् ही सर्वोत्तम संवत् है। दूसरे संवतों की तुलना में यह संवत् अधिक प्रमाणिक है और भारत सरकार का इस मसले पर पुनः विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कच्चे रेशम के मूल्य वृद्धि

48. **श्री टी. आर. शमन्ना** : क्या **वाणिज्य मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में कच्चे रेशम के मूल्यों में असामान्य वृद्धि की जानकारी है;

(ख) चीन से कच्चे रेशम के आयात के लिये क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) आयातित कच्चा रेशम कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है और (एक) कर्नाटक, (दो) उत्तर प्रदेश और (तीन) जम्मू कश्मीर जैसे विभिन्न राज्यों को कच्चे रेशम की सप्लाई किस प्रकार की जाएगी।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय कच्चे रेशम बोर्ड ने चीन से 250 मै. टन कच्चा रेशम आयात करने की व्यवस्था की है।

(ग) आयातित कच्चे रेशम की प्रथम खेप पहुंच चुकी है और अप्रैल के अन्त तक पूरी मात्रा का लदान कर दिया जाएगा। आयातित कच्चे रेशम का वितरण विभिन्न राज्यों में रेशम के करघों की संख्या के आधार पर किया जा रहा है तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड रेशम का वितरण हथकरघों के सम्बन्धित निदेशकों की मार्फत करेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय विश्व कोष से प्राप्त ऋण पर ब्याज

50. **श्री रवीन्द्र वर्मा** :

श्री बापूसाहिब परूलेकर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में आन्तर्राष्ट्रीय विश्व कोष से प्राप्त ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज 68 प्रतिशत से भी अधिक होगा ;

(ख) यदि नहीं, तो प्रति वर्ष पूरी अवधि में दिया जाने वाला वास्तविक ब्याज और इस पर मिलने वाली संभावित छूट कितनी होगी ;

(ग) ब्याज की उच्च दर का अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण पर दिए जाने वाले कुल ब्याज के बारे में पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ऋण से की जाने वाली प्रत्येक निकासी में कोष के साधारण तथा उधार लिए गए साधन दोनों ही शामिल होते हैं। कोष के अपने साधनों पर लिए जाने वाले ब्याज की दर कोष द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानित आय, कोष के व्यय और निवल आय के निर्धारित लक्ष्य के आधार पर तय की जाती है। कोष के अपने साधनों पर लिए जाने वाले ब्याज की वर्तमान दर 6.25 प्रतिशत है। जबकि दूसरी ओर उधार लिए गए साधनों के ब्याज की दर बाजार से जुड़ी उन दरों पर निर्भर होती हैं, जो कोष द्वारा हर छमाही निर्धारित की जाती हैं। अत: प्रत्येक निकासी के ब्याज की प्रभावी दर समय-समय पर अलग-अलग होगी।

ब्याज पर रियायत तब उपलब्ध होती है जब धनराशियां उधार लिए जाने वाले साधनों के स्थान पर विस्तृत सुलभ नीति यानी एनलार्ज्ड एक्सेज पालिसी के अन्तर्गत पूरक वित्तपोषण सुविधा अर्थात सप्लीमेंटरी फाइनेंसिंग फेसिलिटि से उपलब्ध कराई जाएं। पूरक वित्तपोषण सुविधा के अन्तर्गत अधिकतम आर्थिक सहायता की दर 3 प्रतिशत है भारत उन देशों में से एक है जो इस आर्थिक सहायता के पात्र हैं। इस से उधार की लागत कम हो जाएगी।

(ग) और (घ) इस प्रबन्ध के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले साधनों के ब्याज की औसत दर विश्व के पूंजी बाजारों में प्रचलित दर से काफी कम होगी। इस प्रबन्ध के अधीन लिए जाने वाले उधार से आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नहीं बढ़ेंगी।

देश की जरूरतों पर ध्यान दिये बिना निर्यात पर बल

51. **श्री सुबोध सेन : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की जरूरतों को पूरा किये बिना अत्यधिक निर्यात करने से आन्तरिक उपभोक्ता पर असर पड़ेगा और उसके परिणाम-स्वरूप देश की हालत भी बिगड़ेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में अपनी निर्यात नीति की पुनरीक्षा करेगी;

(ग) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ख) सरकार का मुख्य उद्देश्य है निर्यातों को अधिक से अधिक बढ़ाना, लेकिन इस तरीके से, जिससे देश की अर्थव्यवस्था देश के अन्दर जरूरत वाली आवश्यक मदों के अनियंत्रिक निर्यातों से प्रभावित न हो। अत: निर्यात नियन्त्रण उन्हीं कुछ मदों पर लगाया जाता है जिन की सप्लाई स्थिति से यह अपेक्षा हो कि उनके निर्यातों को देश के ज्यादा हित में नियंत्रित किया जाए। इन उद्देश्यों के अनुरूप केवल तभी आयातों की अनुमति दी जाती है, जब आन्तरिक मांग को घरेलू उपलब्धता से पूरा नहीं किया जा सकता। आयात निर्यात नीति की निरन्तर समीक्षा की जाती है और जब भी आवश्यक होता है, उसमें आवश्यक परिवर्तन किये जाते हैं।

केरल में कालीकट के निकट हवाई अडेड् का निर्माण

52. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कालीकट के निकट हवाई अड्डे के निर्माण में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इसके निर्माण में अत्यधिक विलब और जनता में बढ़ती हुई बैचेनी को ध्यान में रख कर इसके तेजी से निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस हवाई अड्डे के कब तक चालू होने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) कालीकट (करीपुर) में एक हवाई अड्डे के निर्माण के प्रस्ताव की पब्लिक इन्वेस्टमैंट बोर्ड ने सिफारिश कर दी और इसे मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिये भेज दिया गया है। निर्माण-कार्य का ठेका दे दिये जाने के पश्चात् हवाई अड्डे के 4-5 वर्षों में तैयार हो जाने की आशा है।

बिक्री-दर का सरलीकरण

53. **श्री सूरज भान** :

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिक्री कर प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में सितम्बर, 1980 और फरवरी, 1981 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशें क्या हैं,

(ग) इस संबंध में प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) क्या इसकी जाँच के लिए कोई समिति बनाई गई है और यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) बिक्रय कर के बारे में नई दिल्ली में सितम्बर, 1980 में आयोजित सभी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए थे :—

(I) हाथी समिति द्वारा सूचीबद्ध जीवन रक्षक औषधियों और वनस्पति पर लगने वाले बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जाय और राज्यों के वर्तमान तथा भावी तर्कसंगत राजस्व हितों की रक्षा के लिए तदर्थ उपयुक्त पद्धति निर्धारित की जाए।

II (i) वस्तुओं की जिस सूची पर, बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की योजना लागू करती है उसमें वृद्धि करने और (ii) 'घोषित वस्तुओं' की सूची में वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए मुख्य मंत्रियों का एक पैनल तैयार किया जाय।

(III) वित्त आयोग से निवेदन किया जाय कि वह राज्यों के विचारार्थ नमूना बिक्री-कर कानून का एक मसौदा उच्च प्राथमिकता के आधार पर तैयार करें।

(IV) केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह संविधान (49वाँ (संशोधन) विधेयक के अनुरुप, संविधान (संशोधन) विधेयक शीघ्र पेश करने के लिए विचार करे।

लेकिन केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा प. बंगाल के मुख्य मंत्रियों ने प्रस्ताव के भाग (I) (II) और (III) से अपनी असहमति प्रकट की थी।

अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में फरवरी, 1981 में मुख्यमन्त्रियों का एक सम्मेलन आयोजित

किया गया था जिसमें उक्त पैनल के सदस्य भी शामिल थे। सम्मेलन ने, वनस्पति, औषध द्रव्यों दवाइयों, सीमेन्ट, कागज और गत्ता तथा पैट्रोलियम उत्पादों को 'घोषित माल' की सूची में शामिल करने तथा उन पर विक्रय कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय वित्त मंत्री के प्रस्ताव पर विचार करने पर तथा उनके इस आश्वासन को नोट करते हुए कि यह प्रस्तावित योजना इस तरह से तैयार और लागू की जाएगी जिससे इन जिन्सों के सम्बन्ध में राज्यों के वर्तमान तथा भावी राजस्व हितों की रक्षा की जा सके, निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए :

(i) कि उक्त प्रस्ताव में उल्लिखित वित्तीय प्रभावों तथा उन तरीकों का अध्ययन करने के लिए जिनसे राज्य के हितों की रक्षा की जा सके एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाय जिसका अध्यक्ष वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने योग्य कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और इसके सदस्यों में से एक अर्थशास्त्री और एक प्रशासक हो।

(ii) कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति, अपने कार्य के प्रयोजनार्थ, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से यथावश्यक सूचना मंगा सकती है तथा समिति अपनी रिपोर्ट 3 महीने के अन्दर ही प्रस्तुत करें।

(iii) कि समिति की रिपोर्ट उपयुक्त विचारार्थ इस प्रयोजनार्थ बुलाये जाने वाले मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के समक्ष प्रस्तुत की जाय।

परन्तु प. बंगाल केरल, तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों ने इस प्रस्ताव से सैद्धान्तक रूप से असहमति प्रकट की थी।

(ख) और (ग) सितम्बर 1980 के सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में विधि आयोग ने नमूना बिक्री कर कानून और मसौदा तैयार करने के प्रयोजनार्थ वर्तमान बिक्री कर कानून और उसके अन्तर्गत निर्णय विधि (केस ला) का प्रारम्भिक अध्ययन आरम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त, संविधान में संशोधन करने के लिए संविधान (46वाँ संशोधन) विधेयक 1981 के रूप में एक विधेयक 3-4-81 को लोक सभा में पेश किया गया था।

फरवरी 1981 के सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में वनस्पति, औषध द्रव्यों और दवाइयों, सीमेन्ट, कागज और गत्ता तथा पैट्रोलियम उत्पादन को घोषित माल की सूची में शामिल करने तथा बिक्रीकर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने से सम्बन्धित उक्त प्रस्ताव में उल्लिखित वित्तीय प्रभावों का और राज्यों के वित्तीय हितों की रक्षा करने के तरीके का अध्ययन करने के लिए संसद सदस्य श्री मोहनलाल सुखाड़िया की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी। समिति की नियुक्ति की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने 21-12-81 को सदन में एक वक्तव्य भी दिया था। समिति को अपनी रिपोर्ट 31 मार्च 1982 तक प्रस्तुत करनी थी। और उस ने विचार विमर्श भी प्रारम्भ कर दिया था। लेकिन श्री मोहन लाल सुखाड़िया के आकस्मिक निधन के कारण इस विषय में असली कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है।

कैम्पा कोला द्वारा प्रस्तुत "ऑसिबीसा अनलीश्ड" कार्यक्रम

54. **डा. ए. यू. आजमी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24.10.81 को अशोक होटल के कनवंशन हाल में कैम्पा कोला द्वारा 500/- रुपये 750/- रुपये और 1000/- रुपये के टिकट पर दिखाए गए "औसिबीसा अनलीश्ड" कार्यक्रम की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे टिकटों पर सरकार ने किस दर से मनोरंजन कर लगाया था;

(ग) कैम्पा कोला को तथा सरकार को मनोरंजन कर आदि के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राज्य परियोजनाओं पर भारतीय बीमा निगम का पूंजी निवेश

55. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र राज्य परियोजनाओं में भारतीय बीमा निगम के पूंजी निवेश का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे पूंजी निवेश की शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जीवन बीमा निगम के प्रति परियोजना ऋणों के बारे में संबद्ध राज्यों की 31 मार्च, 1981 को बकाया देनदारी का ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य	आवास के लिए राज्य सरकारों को ऋण	राज्य बिजली बोर्ड को ऋण	नगर पालिकाओं और राज्य सरकारों को नगर जल पूर्ति स्कीमों के लिए ऋण	राज्य सड़क परिवहन निगमों को ऋण	जोड़
1 असम	474	1887	82	335	2778
2 उड़ीसा	2286	3844	323	335	6788
3 बिहार	1506	3698	—	—	5604
4 पश्चिम बंगाल	2666	7068	55	—	9789
5 महाराष्ट्र	1660	5799	4478 2997*	605	15539

* ग्रामीण नल जलपूर्ति स्कीम के लिए जिला परिषद को ऋण।

(ख) इस समय परियोजना ऋणों की शर्तें इस प्रकार हैं :—

	ऋण कर्ता का वर्ग	प्रतिभूति	ब्याज की दर
1	राज्य सरकारें (आवास के लिए)	गारंटी	(i) ग्रामीण आवास स्कीमों के लिए $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत (ii) अन्य आवास स्कीमों के लिए $10\frac{1}{2}$ प्रतिशत

1	2	3
2 राज्य बिजली बोर्ड	परिसम्पत्तियों को बंधक रखकर	11 प्रतिशत
3 नगरपालिकाओं को नगर जलपूर्ति और जल निकासी स्कीमों के लिए ऋण	सरकार की गारंटी	$8\frac{1}{2}$ प्रतिशत
4 जिला परिषदों को नल जल पूर्ति स्कीमों के लिए ऋण	सरकार की गारंटी	$8\frac{3}{4}$ प्रतिशत
5 राज्य सड़क परिवहन निगम	अचल सम्पत्तियों/ परिसम्पत्तियों को दृष्टिबंधक/बंधक रखकर	11 प्रतिशत

छठी पंचवर्षीय योजना में नगरों और शहरों में सस्ते होटल

56. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नगरों और शहरों में और विशेषकर विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रों की राजधानियों में सस्ते होटल बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए उनके मन्त्रालय में छठी पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि निर्धारित की है;

(ग) क्या ऐसे सस्ते होटलों के निर्माण के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रम सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (घ) केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत भारत पर्यटन विकास निगम इस समय नई दिल्ली में 430 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक अशोक यात्री निवास का निर्माण कर रहा है जिससे बजट पर्यटकों की जरूरतें पूरी की जाएंगी। यह एक पायलेट प्रोजेक्ट है। विभिन्न राज्यों के अन्य कस्बों और शहरों में ऐसे यात्री निवासों के निर्माण पर नई दिल्ली की अशोक यात्री निवास परियोजना के पहले 2-3 वर्षों के परिचालन सम्बन्धी परिणामों का मूल्यांकन कर लेने के बाद ही विचार किया जाएगा। अतः फिलहाल अन्य स्थानों पर ऐसे यात्री निवासों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हालांकि भारत पर्यटन विकास निगम को यथोचित दरों वाले होटलों का निर्माण करने के लिए कोई हिदायतें नहीं दी गई हैं, फिर भी भारत पर्यटन विकास निगम ने राज्य सरकारों/

राज्य पर्यटन विकास निगमों के सहयोग से 2/3 स्टार के दरमियानी कीमतों वाले होटलों का निर्माण करने के लिए स्वयं एक स्कीम तैयार की है और शुरूआत के तौर पर गोहाटी, पुरी, एटानगर, रांची और हैदराबाद में ऐसे होटलों का निर्माण किया जाएगा। तथापि, अभी तक इन परियोजनाओं के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त कुशीनगर, साँची, बोधगया, तिरूचिरापल्ली, तंजावुर, कोणार्क कांचीपुरम, कुल्लू-मनाली, मांडु, बीजापुर और अजन्ता में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा परिचालित किए जा रहे 12 यात्री गृहों में भी यथोचित दर के आवास उपलब्ध हैं।

इंडियन एयरलाइन्स को अधिकतम और न्यूनतम राजस्व देने वाले हवाई मार्ग

57. **श्री जैवियर अराकल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स को कौन से हवाई मार्गों से अधिकतम और न्यूनतम राजस्व प्राप्त होता है ;

(ख) कोचीन और बम्बई के बीच यात्रियों तथा माल ढोने के लिए हवाई यातायात व्यवस्था क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि बम्बई से कोचीन आने जाने के लिए हवाई जहाजों की कमी या बहुत सी उड़ानों को रद्द करने के कारण बहुत से यात्रियों को टिकट नहीं मिलता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स को दिल्ली/बम्बई विमान मार्ग से सबसे अधिक तथा गौहाटी/सिलचर विमान मार्ग से सबसे कम आय हुई।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स बम्बई/कोचीन मार्ग पर प्रतिमास प्रत्येक दिशा में लगभग 5500 यात्रियों तथा 22000 किलोग्राम माल का वहन करती है।

(ग) जी, हाँ। इस सैक्टर पर काफी माँग है तथा इसकी पूर्ति करने के लिए इण्डियन एयरलाइन्स ने, इस मार्ग पर क्षमता को वर्तमान 14 उड़ानें प्रति सप्ताह से बढ़ाकर, ग्रीष्मकाल के दौरान प्रति सप्ताह 18 उडानें तथा शीतकालीन समय-सारणी के दौरान 21 उड़ाने प्रति सप्ताह करने की योजना बनाई है।

दिल्ली में अवैध माल का पकड़ा जाना

58. **श्री डी. एम. पुत्ते गौडा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पिछले छः महीनों में सीमाशुल्क अधिकारियों ने बहुत संख्या में अवैध माल पकडा है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली में सीमाशुल्क अधिकारियों ने जुलाई 1981 से दिसम्बर 1981 तक की अवधि के दौरान कुल लगभग 90.57 लाख रुपये का तस्करी का माल जैसे सोना, कलाई घड़ियां, संश्लिष्ट-वस्त्र और इलैक्ट्रानिकी का सामना पकड़ा।

(ग) इन मामलों में ग्रस्त पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत उपयुक्त कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है ।

भारत की एक प्रमुख रेशम उत्पादक के रूप में घटती हुई स्थिति

59. **श्री चित बसु** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की विश्व में एक प्रमुख रेशम उत्पादक के रूप में स्थिति घट रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार छठी योजना के अन्त तक कच्चे रेशम के उत्पादन को 5,000 मी. टन के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 9.000 मी. टन तक करने के लिए विभिन्न रेशम उत्पादन विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है । 80 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली विश्व बैंक की सहायता प्राप्त एक परियोजना कर्नाटक में आरम्भ की गई है। रेशम उत्पादन सम्बन्धी अन्य राज्यों में भी छठी योजना के दौरान कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ताकि देश में कच्चे रेशम के कुल उत्पादन में वृद्धि हो ।

कोणार्क और पुरी में कुटीरों तथा भव्य होटलों का निर्माण

60 **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम और उड़ीसा के राज्य पर्यटन विकास निगम के संयुक्त सहयोग से कोणार्क और पुरी में कुटीरों तथा भव्य होटलों के निर्माण का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थानों पर बनाये जाने वाले भव्य होटलों और कुटीरों की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को क्रियान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम और उड़ीसा पर्यटन विकास निगम का एक संयुक्त उपक्रम के रूप में पुरी में एक 3-स्टार होटल और कोणार्क में कुछ कुटीरों की स्थापना का प्रस्ताव है ।

(ग) इन स्कीमों के कार्यान्वयन में अभी तक हुई प्रगति नीचे दर्शाई गई है :—

पुरी में होटल :—

दोनों पार्टियों द्वारा प्रवर्तक-करार पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं । राज भवन काम्पलेक्स के साथ लगभग आठ एकड़ का एक स्थल इस परियोजना के लिए निर्धारित कर लिया गया है ।

कोणार्क में बीच काम्पलेक्स :—

परियोजया को स्वरूप दिया जा रहा है ।

राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत जमा धन राशि

61. **श्री चिंगवांग कौनयक :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले दो वर्षों में विभिन्न राज्यों में जमा धनराशि कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के लिए धनराशि जमा करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत और अधिक धनराशि जमा करने के लिए क्या विशेष कदम उठाये गये हैं; और

(घ) क्या राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के उपयोग के लिए कोई विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है, और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत जमा के बारे में कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं ।

(ग) राष्ट्रीय बचत योजनाओं की बराबर समीक्षा की जाती रहती है और इन्हें अधिक आकर्षक और लोकप्रिय बनाने के लिए समय-समय पर आवश्यक कदम उठाये जाते हैं । बचत योजनाओं को अधिक आकर्षक बनाने के लिए हाल ही में जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(I) 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र-छठा और सातवाँ निर्गम, 12 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर (चक्रवृद्धि अथवा छमाही आधार पर दिये जाने वाले) पहली मई, 1981 को जारी किए गए थे ।

(II) जमाकर्ताओं को यह प्रोत्साहन देने के लिए कि वे बचत पत्रों को पूरी परिपक्वता अवधि के लिए अपने पास रखें, पहली मई, 1981 को अथवा इसके पश्चात् जारी किए गये 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र-दूसरा निर्गम के मामले में 100 रुपये के अंकित मूल्य के प्रत्येक बचत पत्र पर 10 रुपये का परिपक्वता बोनस दिए जाने का निश्चय किया गया है । इसी तरह पहली मई 1981 को अथवा इस तारीख के पश्चात खोले गए 10 वर्षीय संचयी सावधिक जमा खातों पर 10 रुपये के मूल्य वर्ग के खाते पर 50 रुपये का परिपक्वता बोनस और अन्य मूल्य वर्गों के खातों पर आनुपातिक दरों पर परिपक्वता बोनस दिया जायेगा, अगर परिपक्वता की तारीख से पहले खाते से कोई रकम नहीं निकाली जाएगी ।

(घ) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत जमा राशियों के उपयोग के लिए विशेष रूप से कोई विकास कार्यक्रम तैयार नहीं करती । परन्तु अल्प बचत के संग्रह की निवल राशियां, आयोजन परिव्यय की वित्त व्यवस्था करने का साधन मानी जाती हैं ।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	1979-80 में निवल जमा राशि	1980-81 में निवल जमा राशि	1981-82 में अक्टूबर 1981 तक निवल जमा राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	3595	3575	2336
2.	आसाम	2833	3448	1821
3.	बिहार	9827	9005	1751
4.	गुजरात	9316	9927	5223
5.	हरियाणा	1984	4349 (—)	2251
6.	हिमाचल प्रदेश	1463	1328	832
7.	जम्मू और कश्मीर	919	1289	447
8.	कर्नाटक	3527	4211	975
9.	केरल	1443	1632	306
10.	मध्य प्रदेश	4734	4191	1058
11.	महाराष्ट्र	23941	19992	10195
12.	मणिपुर	17	20	9
13.	मेघालय	93	132	105
14.	नागालैंड	9	26	11
15.	उड़ीसा	1785	2445	1140
16.	पंजाब	3297	4184	1295
17.	राजस्थान	2601	2566	1202
18.	सिक्कम (—)	92	7	4
19.	तमिलनाडु	5870	6205	1684
20.	त्रिपुरा	149	224	110
21.	उत्तर प्रदेश	12102	13685	4362
22.	पश्चिम बंगाल	15446	17532	11062
	जोड़—कुल राज्य	104959	109973	43687

टिप्पणी : ये राशियाँ सबसे हाल की उपलब्ध सूचना पर आधारित हैं और निकासी/-वापसी अदायगी की राशियों को घटाने के बाद बची निबल जमा राशियों की द्योतक हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विश्व कोष की लाइसेंस देने की नीति में छूट की इच्छा

62. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विश्व कोष चाहता है कि 100 प्रतिशत निर्यात क्षमता के स्थान पर 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत निर्यात की क्षमता वाले एककों को लाइसेंस दिये जायें;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार तदनुसार अपनी निर्यात नीति में छूट देने वाली है;

(ग) यदि हाँ, तो कब तक; और

(घ) इस उदार लाइसेंस नीति में किन-किन वस्तुओं को छूट प्रदान किये जाने की संभावना है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

पटसन मिलों को घाटा

63. **श्री डी. पी. यादव** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बहुत सी पटसन मिलों को घाटा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तो सरकार ने पटसन उद्योग के कार्यकरण तथा उत्पादन में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी हाँ।

(ख) इस समय पटसन उद्योग द्वारा जो हानियां उठाई जा रहीं हैं, उनके लिये अन्तर्राष्ट्रीय तथा साथ ही घरेलू बाजारों में मांग में अभूतपूर्व मंदी जिसके फलस्वरूप कम बिक्री प्राप्त हुई, और साथ ही अधिक अन्तर्निविष्ट लागतें उतरदायी हैं। उद्योग में सुधार लाने के लिये सरकार ने निम्नोक्त उपाय किये हैं :

(1) सितम्बर, 1981 से पटसन माल के निर्यात के लिये नकद मुआवजा सहायता प्रदान करना;

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधिनियम के अधीन पूर्ति तथा निपटान महा-निदेशालय की मार्फत एक बारगी संचालन के रूप में बी-ट्विल के एक लाख बोरों की संकट-कालीन खरीद और साथ ही पटसन बोरों की खरीद बढ़ाने के लिये राज्य सरकारों की ओर से आवर्ती-क्रयादेश;

(3) सीमेंट की पैकिंग में 90 प्रतिशत तक नये बोरों का अनिवार्य प्रयोग;

(4) उर्वरकों, चीनी व खाद्यान्नों की पैकेकिंग के लिये संश्लिष्ट एवजी वस्तुओं के स्थान पर अधिक पटसन बोरों का इस्तेमाल करने के लिए अन्य प्रयोक्ता विभागों से अनुरोध करना;

(5) दिसम्बर, 1981 के लिये 10 प्रतिशत और जनवरी, 1982 के लिए 15 प्रतिशत मार्जिन कम करके कच्चा पटसन खरीदने के लिये अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान करना;

(6) मांग तथा सप्लाई के कारकों, प्रौद्योगिकी सुधारों, बाजार संवर्धन और निर्यात नीति की दीर्घावधि समस्याओं के बारे में पटसन वस्त्र सम्बन्धी कृतिक दल की सिफारिशों पर सचिवों की एक समिति ने विचार किया है। सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(7) पटसन उत्पादक देशों में कीमतों और निर्यात आय को स्थिर करने के लिये संयुक्त

कार्यवाही कार्यक्रम बनाने के लिए समय समय पर एस्केप अकैटाड, एफ. ए. ओ. के तत्वाधान में पटसन उत्पादक और पटसन उपभोक्ता देशों के बीच क्षेत्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श भी आयोजित किये जा रहे हैं।

भारतीय कालीनों के निर्यात की सम्भावनाएं

64. **श्री जैनुल बशर** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारतीय कालीनों के निर्यात के लिये अमरीका और कनाडा की मंडियों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या सम्भावनायें हैं; और

(ग) इन देशों को इस वर्ष कितने मूल्य के कालीनों का निर्यात हुआ तथा आगामी वर्ष में कितने मूल्य के कालीनों के निर्यात की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रायल में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) तथा (ख) जी हां। हालांकि चीन और पाकिस्तान से तीव्र प्रतियोगिता की सम्भावना है फिर भी आसार अच्छे हैं।

(ग) चालू वर्ष के सम्बन्ध में देशवार पुख्ता आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसकलन महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमरीका तथा कनाडा को ऊनी कालीनों का, जिनमें गलीचे तथा दरियाँ और नमदे शामिल हैं, निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहा :—

(मूल्य लाख रुपए में)

वर्ष	सं. रा. अमरीका	कनाडा
1979-80	2856.70	325.57
अप्रैल-अक्तूबर, 1980	1641.15	163.57

सं. रा. अमरीका तथा कनाडा को होने वाले निर्यातों में अगले वर्ष लगभग 10 प्रतिशत वृद्धि होने की सम्भावना है।

उद्योगों को मूल्य नियंत्रण के बारे में छूट

65. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के अनुसार मूल्य नियन्त्रण के बारे में छूट दी जा रही है; और

(ख) उद्योगवार क्या छूट दी जाती है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ किए गए विस्तरित प्रबन्ध (एक्स्टेंडिट अरेंजमेंट) के अधीन कीमतों के नियन्त्रण में छूट देने की कोई शत नहीं है।

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा बताई गई वाणिज्यिक बैंकों की त्रुटियां

66. **श्री सोमनाथ चटर्जी** :

श्री कृष्ण चंद्र हाल्दर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पुनर्वित और विकास निगम ने डेरी विकास और छोटी सिंचाई सम्बंधी

योजनाओं को क्रियान्वित करने तथा लोक प्रिय बनाने के मामले में वाणिज्यिक बैंकों की कई त्रुटियाँ बताई हैं;

(ख) यदि हां, तो कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा बताई गई त्रुटियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वाणिज्यिक बैंकों के उस प्रकार के कार्यकरण पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मन्त्रलय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) लघु सिंचाई और डेयरी विकास की योजनाओं के वास्ते राज्य भूमि विकास बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋणों का पूर्ण उपभोग न होने के कारणों का पता लगाने के वास्ते कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम ने कुछ क्षेत्रों का अध्ययन किया था। इस अध्ययन से पता चला कि लघु सिंचाई के ऋणों के बहुत से मामलों में दूसरी और/अथवा अगली किस्तों का संवितरण बहुत से कारणों से रूक गया। इसके कारण थे : पिछली किस्त का गलत उपभोग, परिवारों का बंटवारा, ऋण-कर्ताओं द्वारा अपनी राशियों से कार्य को पूरा करना आदि। अध्ययन में योजना की लोकप्रियता के लिए अच्छे विस्तार कार्य की आवश्यकता और संवितरण के बाद अनुवर्ती कार्यवाही पर भी जोर दिया गया। अध्ययन में डेयरी विकास योजनाओं के सम्बन्ध में स्कीमों को स्वीकृत करने में परियोजना उन्मुखता अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसमें, बैंक द्वारा किस्तों के उपभोग की उचित जांच पड़ताल और ऋणकर्ताओं को होने वाली आय और नकदी प्रवाह के अनुसरण में उनकी किस्तों की वापसी अदायगी के निर्धारण के सम्बन्ध में भी बैंकों की तरफ से की जाने वाली कार्यवाही पर जोर दिया गया। यह भी उल्लेख किया गया कि ऐसी स्कीमों के अधीन ऋण स्वीकृत करते समय न्यूनतम 2 पशुओं की अर्धक्षम इकाइयों को ध्यान में रखा जाए। इस अध्ययन में उठाए गए मुद्दों पर कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम, वित्त पोषण करने वाले विभिन्न बैंकों के साथ कार्यवाही कर रहा है।

अल्मोड़ा जिले में रानी खेत में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

67. **श्री हरिश चन्द्र सिंह रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में रानीखेत में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराये भत्ते का भुगतान करने के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस मामले पर भारत के महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त से 1981 की जनगणना के अंतिम आंकड़े प्राप्त होने के बाद विचार किया जाएगा।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली में कार्यरत अपर डिवीजन क्लर्कों की सेवा को नियमित करना

68. **प्रो. अजित कुमार मेहता** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली के कार्यालय में इस समय बड़ी संख्या में अपर डिविजन क्लर्क दैनिक मजूरी पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कब से कार्य कर रहे हैं और इसके क्या कारण हैं तथा उनका वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी सेवाओं को शीघ्र नियमित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) तथा (ख) जी नहीं। केवल एक उच्च श्रेणी लिपिक (लेखा) को 27-1-1982 से दैनिक वेतन आधार पर नियुक्त किया गया है।

(ग) एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को, जिसे अल्पकालीक आधार पर नियुक्त किया गया है, नियमित करने का प्रश्न नहीं उठता। नियमित नियुक्तियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये गए नियमों के अनुसार की जाती हैं।

लघु उद्योगों में "स्लैब" के आधार पर उत्पादन शुल्क से छूट के लिये अभ्यावेदन

69. **श्री ई. बालानन्दन** : क्या वित्त मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ उत्तर भारतीय राज्यों के वाणिज्यि तथा उद्योगमंडलों की ओर से उन राज्यों के लघु उद्योगों को उत्पादन शुल्क से पूरी छूट अथवा "स्लैब" के आधार पर छूट देने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उस अभ्यावेदन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार है कि उन उद्योगों को यह रियायत देते समय उन उद्योगों में लगे श्रमिकों के हितों की भी सुरक्षा की जायेगी;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ङ) जी, हां। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाणिज्य और उद्योग मंडल से बजट सम्बन्धी संक्षिप्त ज्ञापन की एक प्रति मिल गयी है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि समस्त लघु उद्योगों को या तो विनिर्दिष्ट मदों के मामले में समस्त उत्पाद शुल्क से छूट दी जाय अथवा खण्ड आधार पर उत्पादन शुल्क लगाया जाय। सरकार उक्त सुझाव की जांच कर रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिकों तथा अधिकारियों की मजूरी तथा वेतन पुनरीक्षण के लिए नए नियम बनाना

70. **श्री एस. आर. दोराई सेबस्तियन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक उद्यम ब्यौरे ने सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में श्रमिकों और अधिकारियों की मजूरी और वेतन पुनरीक्षण के नये नियम बनाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन नियमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सरकार

ने सरकारी उद्यमों में प्रबंधकों द्वारा मजूरी को उत्पादकता के साथ जोड़ दिए जाने पर बल दिया है। उन उद्यमों में निर्दिष्ट सहलग्नता प्रबन्धकों और कामगरों के बीच निर्धारित की जाएगी।

बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों द्वारा विदेशी शेयरों की कमी करना

71. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को यह आदेश दिया है कि वह बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों को विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम समिति की सिफारिशों के अनुसार अपने विदेशी शेयरों को कम करने के लिए नोटिस जारी करे;

(ख) क्या सरकार के द्वारा उस सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार इस बात की इच्छुक है कि इस उद्योग की शीघ्र प्रगति के लिए औषध उद्योग के सम्बन्ध में सभी अनिर्णीत पड़े मामलों का तुरन्त पता लगा लिया जाये; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि क्षमता को नियमित किए जाने तथा विदेशी शेयरों को कम किए जाने के बारे में अनिर्णीत पड़े मामलों पर निर्णय किए जाने के पश्चात् ही तेजी से वृद्धि के लिए योजना बनाना सम्भव होगा ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम संबंधी परामर्शदात्री समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक औषध कम्पनियों को निर्देश जारी करता रहा है जिनमें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत अनिवासी सामान्य शेयर धारिता के अनुमत्य स्तर को प्रकट किया जाता रहा है।

(ग) और (घ) सरकार का प्रयास यही है कि कि क्षमता के विनियमन तथा विदेशी सामान्य शेयर धारिता के तनुकरण जैसे सभी मामलों को पहले से ही घोषित नीतियों और प्रणालियों के अनुरूप निपटाया जाए, और आशा है कि औषध कम्पनियाँ सहयोग करेंगी। चूंकि विदेशी औषध कम्पनियों पर लागू लाइसेंसिंग नीति सुप्रतिष्ठित है इसलिए ये कपनियां भी हर एक हालत में विविधकरण अथवा विस्तार के लिये गए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकती है।

आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग के चेयरमैन के सुझाव

72. **श्री एच. एन. नन्जेगौडा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग ने यह सुझाव दिया है कि देश में वर्तमान मूल्य नियन्त्रण नीति का पुनर्विलोकन किया जाये;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसने यह भी सुझाव दिया है कि उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता से प्रसन्न होते हैं तथा वस्तुएं उपलब्ध न होने पर उनके निर्धारित मूल्य का कोई अर्थ नहीं है; और

(ग) यदि हाँ, तो उपर्युक्त (क) भाग में दिए सुझावों का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग के चेयरमैन श्री एल. के. झा द्वारा सरकार को विभिन्न सुझाव दिए गये हैं। ये सरकार के विचाराधीन हैं।

रिजर्व बैंक द्वारा लगाई गई ऋण रोक का कपड़ा मिलों पर प्रभाव

73. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक द्वारा 9.201 करोड़ रुपयों की राशि को प्रचलन (सर्कूलेशन) से वापस लेने के कारण देश में सूती कपड़ा मिलों तथा कपड़े के थोक बाजार में बेमिसाल धक्का पहुंचा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रिजर्व बैंक द्वारा लगाई गई ऋण रोक के कारण हुई हानि का देश में कपड़ा मिलों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) से (ग) हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-खाद्यान्न ऋण के विस्तार को रोकने के लिए कुछ कदम उठाये हैं। इनमें बैंकों पर लागू नकदी रिजर्व अनुपात तथा सांविधिक निधि अनुपात में वृद्धि का संशोधन शामिल है। इसमें बैंकों को यह सलाह भी दी गई थी कि वित्तीय वर्ष 1981-82 में इनका गैर खाद्यान्न ऋण विस्तार पिछले वर्ष के दौरान हुए विस्तार की तरह नहीं बढ़ना चाहिये। ये उपाय, विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र के विरुद्ध निर्देशित नहीं हैं। वास्तव में अक्तूबर .981 तक के उपलब्ध निधियों के क्षेत्रवार विस्तार के आँकड़े दर्शाते हैं कि मार्च, 1981 के अन्त तक सूती वस्त्र उद्योग को बैंक द्वारा दिए ऋण 1147 करोड़ रुपये से बढ़कर अक्तूबर 1981 के अन्त तक 1217 करोड़ रुपये हो गए थे जो कि 70 करोड रुपये की वृद्धि को दर्शाते हैं। 1980-81 की तुलनात्मक अवधि में केवल 6 करोड़ रुपये का विस्तार हुआ था।

कोयले का निर्यात

74. **सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत से यह चाहता है कि सरकार द्वारा कोयले का निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जुन के प्रमुख स्त्रोत के रूप में किया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार का निर्णय क्या है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

अभ्रक व्यापार निगम, गिरीडीह (बिहार) के गोदाम से चोरी

75. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अभ्रक व्यापार निगम, गिरडीह (बिहार) के गोदाम से 11 जनवरी 1982 को लाखों रुपयों के मूल्य की 2200 कि ग्राम अभ्रक चुरा ली गई थी;

(ख) क्या दोषी व्यक्तियों का तथा चुराई गई अभ्रक का पता लगाने के लिए निगम ने कोई कदम उठाये हैं; और

(ग) क्या अभ्रक के गोदामों में रात्रि में सशस्त्र गार्डों की पर्याप्त व्यवस्था है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस कार्य के लिए स्थानीय होम गार्डों को नियुक्त करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी हाँ। अभ्रक व्यापार निगम, गिरिडीह के गोदाम से 10-11 जनवरी, 1982 की रात को 2,829.226 कि.ग्रा. अभ्रक की चोरी हुई थी।

(ख) स्थानीय पुलिस के पास 11-1-1982 को एफ. आई, आर. दर्ज की गई थी। बीमा कम्पनी को भी तुरन्त सूचित किया गया था क्योंकि स्टाक का चोरी तथा सेंधमारी के लिए पूरा बीमा कराया गया था।

(ग) जी हाँ। सशस्त्र रात्रि गार्डों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

फटे पुराने नोटों की संख्या में वृद्धि

76. **डा. बसन्त कुमार पण्डित** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक से पचास तक रुपयों के फटे पुराने नोटों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे फटे पुराने करेन्सी नोटों को नष्ट कर दिया है अथवा उन्हें परिचालन से रोक लिया है, यदि हां तो अप्रैल 980 से मार्च 1981 तक तथा अप्रैल 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक की अवधि में कितने तथा कितने-कितने मूल्य के नोट नष्ट किए गये अथवा नष्ट करने के लिए रखे गये;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कम तथा अधिक मूल्य के नोटों के लिए बढ़िया किस्म का कागज आयात करने का निर्णय किया है; और

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 रुपये तथा 10 रुपये के सिक्के चलाने की योजना बनाई है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) करेन्सी और बैंक नोट के कागज बनाने की देश की क्षमता और करेन्सी प्रेसों में मुद्रण क्षमता पर बाधाओं को दृष्टिगत रखते हुए, फटे पुराने करेन्सी नोटों को बदलने के लिए पर्याप्त संख्या में नये नोट छापना संभव नहीं हुआ। तथापि करेन्सी और बैंक नोट कागज बनाने तथा नोट छापने की क्षमता बढ़ाने तथा एक रुपए के सिक्कों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

(ख) नष्ट किये गये करेन्सी नोटों का मूल्य-वार ब्यौरा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुआ है, निम्नलिखित हैं :—

(लाख अदद)

नोटों का मूल्य	अप्रैल 1980 से मार्च 1981	अप्रैल 1981 से दिसम्बर 1981
1/-रुपए	17190	7460
2/-रुपए	8130	4590
3/-रुपए	6370	5320

1	2	3
10/-रुपए	8700	7180
20/-रुपए	1030	1270
50/-रुपए	450	930
100/-रुपए	1420	2350
जोड़ :	43290	29100

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नष्ट किए जाने के लिए सत्यापित नोटों की संख्या दिसम्बर 1981 के अन्त में 5490 लाख अदद थी। इन नोटों के मूल्यवार ब्यौरे के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सिक्यूरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद में निर्मित किये जाने वाले करेन्सी और बैंक नोट कागज की क्वालिटी विदेशों में निर्मित कागज जितनी ही अच्छी है। परन्तु देश में उत्पादन में कमी को दृष्टिगत रखते हुए, चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कुछ मात्रा में बैंक नोट कागज का आयात किया गया है।

(घ) जी नहीं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निर्धन तथा कमजोर वर्गों को सुविधायें

77. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन तथा कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को सरकार की इच्छा के अनुरूप सुविधायें नहीं देते, यदि हाँ तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) निर्धन तथा कमजोर वर्गों के लिए अधिक सुविधायें देने के लिए बैंकों को जारी किये गये आदेशों/अनुदेशों का ब्यौरा क्या है तथा ये आदेश/अनुदेश किन तिथियों को जारी किये गये थे; और

(ग) बैंकों द्वारा निर्धन तथा कमजोर वर्गों को गत वर्ष दिए गये ऋण की राशि क्या है, इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा आयोजित सम्मेलनों तथा क्षेत्रीय सेमिनारों में समय-समय पर इस ओर ध्यान दिलाया गया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब तथा कमजोर वर्गों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होने पर उनकी उचित स्तर पर जांच की जाती है। कमजोर वर्गों के वास्ते ऋण के समुचित प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए दिए गये कुछ प्रमुख उपाय नीचे दिये गये हैं :

(1) बैंकों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि 1985 तक उनके अग्रिमों का 40 प्रतिशत भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को मिलने लगना चाहिए।

(2) कृषि क्षेत्र में दिए गये कमजोर वर्गों के अग्रिमों का हिस्सा कृषि को दिए गये

बैंकों के कुल प्रत्यक्ष अग्रिमों का 50 प्रतिशत बैठना चाहिए। इस प्रयोजन के लिये "कमजोर वर्गों" में छोटे तथा सीमांतिक किसान और कृषि तथा इसकी सहायक गतिविधियों में लगे भूमिहीन व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति जिनकी ऋण सीमाएं ऐसी गतिविधियों के लिए 10,000/- रुपये से अधिक न हों, शामिल किए जाते हैं।

(3) लघु उद्योगों के क्षेत्र में कमजोर वर्गों के अग्रिम, लघु उद्योगों को दिये गये बैंक अग्रिमोंका हिस्सा 12.5 प्रतिशत बैठना चाहिए। इस प्रयोजन के लिये 'कमजोर वर्गों" में कारीगर, शिल्पकार, कुटीर तथा ग्रामीण उद्योग और 25,000 रुपये तक की ऋण सीमाओं वाले लघु उद्योग शामिल हैं।

(4) बैंकों में ऋण-प्रक्रियाओं को सरल बना दिया गया है; प्रतिभूति और मार्जिन आवश्यकताओं में भी छूट दी गई है।

(5) छोटे ऋणकर्ताओं से ब्याज की रियायती दर वसूल की जाती है। विभेदी-ब्याज दर योजना के अधीन बैंक पात्र व्यक्तियों को केवल 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण देते हैं।

(6) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में फील्ड स्तर पर बैंकों तथा राज्य एजेंसियों के बीच समुचित समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट कदम उठाये गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपने 20-3-79, 14-8-79, 19-10-79 तथा 10-12-81 के पत्रों द्वारा उपर्युक्त अनुदेश जारी किए हैं।

(ग) मार्च, 1980 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा छोटे तथा सीमांतिक किसानों को दिए गए अग्रिमों की बकाया राशि 40.48 लाख ऋण कर्ता लेखों को व्याप्त करते हुए 679.45 करोड़ रुपए थी। कृषि की सहायक गतिविधियों के लिए दिए गए अग्रिमों को छोड़कर ये अग्रिम कुल प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों का 39.0 प्रतिशत बैठते हैं। दिसम्बर 1980 के अन्त की स्थिति के मुताबिक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रामीण कारीगरों और ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को दी गई वित्तीय सहायता की राशि 68.69 करोड़ रुपये थी और यह लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिमों का 2.3 प्रतिशत बैठती है, जबकि अति लघु क्षेत्रों को दिए गये अग्रिम, लघु उद्योगों को दिए गये कुल अग्रिमों का 6.7 प्रतिशत (1.46 लाख एककों को व्याप्त करते हुए 198.25 करोड़ रुपये) बनता है।

हवाई अड्डों पर औषधियों का पकड़ा जाना

78. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर कितनी दवाइयां (मूल्य सहित) बरामद की गई;

(ख) क्या बरामद की गई औषधियों से यह पता चलता है कि देश में औषधियाँ लाने तथा देश के अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह की गतिविधियों में वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो देश में औषधियों की तस्करी में लगी अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह की एजेन्सियों को बन्द करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं तथा उनका परिणाम क्या निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायगी।

''40 ए. आई. पेसेंजर्स लैफ्ट इन लर्च'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

79. **श्री बापूसाहिब परुलेकर :**

श्री सनत कुमार मण्डल : क्या **पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जनवरी 1982 के ''टाइम्स आफ इण्डिया में ''40 ए. आई. पैसेंजर्स लेफ्ट इन लर्च'' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे यात्रियों के स्थान पर, जिनके टिकट ''कन्फर्म'' किए गये थे, विमान में कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों को ले जाया गया था; और

(ग) जिन 40 यात्रियों के टिकट ''कन्फर्म'' किये गये थे उनको विमान पर जाने की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) एयर इण्डिया ने सूचित किया है कि कुछ अनुसूचित उड़ानों का 21-1-1982 को गणतन्त्र दिवस के सलामी उड़ान (फ्लाई पास्ट) अभ्यास के कारण समय परिवर्तन करना पड़ा। प्रभावित उड़ानों में एक उड़ान 22-1-1982 की सिडनी-बम्बई उड़ान संख्या ए. आई. 4 1 थी जिसमें आगे लन्दन के लिए 64 यात्रियों को ले जाना था। इन यात्रियों के लिए संयोजी उड़ान बम्बई से ए. आई. 111 थी। परन्तु ए. आई. 411 का पुन: समय निर्धारण करने के कारण, इन 64 यात्रियों को 23-1-1982 की उड़ान संख्या ए. आई.-151 में स्थान देने का निर्णय किया गया। पूर्व अनुभव के अनुसार, एयर इण्डिया को आशा थी कि अन्तिम समय पर कुछ व्यक्ति अपनी सीटें रद्द करवा लेंगे परन्तु दुर्भाग्यवश उतनी सीटें रद्द नहीं कराई गयी जितनी कि आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप 27 यात्रियों को 23-1-1982 की उड़ान संख्या ए. आई.-151 पर स्थान नहीं दिया जा सका। इन यात्रियों को होटल आवास इत्यादि की सुविधाएं प्रदान की गयी तथा इसके लिए 24-1-1982 की उड़ान संख्या ए. आई.-115 में व्यवस्था की गयी।

एयर इंडिया की बम्बई से पश्चिम की ओर जाने वाली तथा बम्बई आने वाली उड़ानें

80. **श्री नीरेन घोष :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया की पश्चिम की ओर जाने वाली सभी उड़ानें बम्बई से आरम्भ होती हैं तथा बम्बई ही समाप्त होती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये उड़ानें दिल्ली में यात्रियों को लेने के लिए दिल्ली आती हैं;

(घ) यदि हाँ, तो क्या ये उड़ानें यात्रियों को लेने के लिए मद्रास और कलकत्ता भी जाती हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) बम्बई "बेस" स्टेशन है जहां इन्जीनियरी तथा संधारण सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

(ग) जी, हां। बम्बई से पश्चिम को जाने वाली अधिकांश उड़ानें दिल्ली होते हुए चलाई जाती हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) क्योंकि कलकत्ता तथा मद्रास बम्बई के पूर्व में है इसलिए पश्चिम के लिए बम्बई से आरम्भ होने वाली उड़ानें कलकत्ता तथा मद्रास नहीं आतीं। तथापि, एयर इण्डिया की पूर्व से आने वाली उड़ानें कलकत्ता तथा मद्रास से होकर आती हैं ताकि वहां से पश्चिम को जाने वाले यात्रियों को ले सकें।

बैंकों द्वारा सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र को दिया गया ऋण

81. **श्री चित्त महाटा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों द्वारा वर्ष 1981 के दौरान ऋण प्राधिकार योजना (क्रेडिट आथोराइजशन स्कीम) के अन्तर्गत सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उनके विकास के लिए कितना ऋण दिया गया है; और

(ख) इस वर्ष इसी योजना के अधीन बैंकों द्वारा सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के के लिए कितना ऋण दिये जाने की आशा है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) :—ऋण प्राधिकार योजना का उदेश्य यह है कि बड़े ऋणकर्त्ता, बैंक ऋण को न हथिया लें। इस योजना में यह व्यवस्था की गई है कि बैंकिंग क्षेत्र से निजी क्षेत्र में 2 करोड़ रुपये से ऊपर और सरकारी क्षेत्र में 3 करोड़ रुपये से ऊपर की ऋण सुविधाओं का उपभोग करने वाले ऋणकर्ताओं के ऋण प्रस्तावों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहले जांच-पड़ताल की जाए और प्राधिकृति जारी की जाए। इस प्रकार अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या और प्राधिकृत राशि बैंकों द्वारा प्रायोजित प्रस्तावों और रिजर्व बैंक की स्वीकार्यता पर निर्भर होती है। इसलिए इस योजना के अन्तर्गत किसी वर्ष में दी जाने वाली प्रत्याशित रकम का पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वर्ष 1981 में, रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के सम्बन्ध में कुल 1478 करोड़ रुपये के और निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के सम्बन्ध में 714 करोड़ रुपये के ऋण-प्रस्ताव बैंकों को प्राधिकृत किये थे।

कंट्रौल का कपड़ा सप्लाई करने के लिए प्राप्त देय राशि

82. **श्री के. राममूर्ति** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कन्ट्रौल का कपड़ा सप्लाई करने के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम को संस्थान वार प्राप्य देय राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन देय राशि की वसूली के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अनुसार राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ से 31-12-1981 को 41.25 करोड़ रुपये लेने

थे। इसमें उपदान की वह राशि भी शामिल है जिसे राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ देय राशि के रूप में तभी दिखाएगा जब वह सरकार से प्राप्त हो जायेगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय वस्त्र निगम राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ को तीस दिनों के ऋण की अनुमति देता है और इस अवधि के दौरान उपभोक्ता कीमत के अंश का भुगतान सामान्यतः राष्ट्रीय वस्त्र निगम को कर दिया जाता है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम शीघ्र भुगतान के लिए राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ और सरकार के साथ बराबर सम्पर्क बनाए हुए है।

माल डिब्बों से गोला-बारूद की चोरी

83. **श्री जगपाल सिंह** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न आयुध कारखानों से देश में विभिन्न सैनिक संस्थानों को गोलाबारूद ले जाने वाले माल डिब्बों से काफी मात्रा में गोला बारूद चुरा लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने माल डिब्बों से गोलाबारूद की वार्षिक हानि का कोई अनुमान लगाया है, यदि हाँ, तो वर्ष 1979, 1980 और 1981 के दौरान माल डिब्बों से अनुमानतः कितना गोलाबारूद चुराया गया है; और

(ग) क्या गोला-बारूद की ढुलाई का वर्तमान तरीका सदोष है यदि हां, तो परिवहन प्रणाली को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) आयुध कारखानों द्वारा भेजे गए गोला-बारूद की माल डिब्बों से चोरी के दो मामलों की सूचना मिली है। इनमें से एक मामला 1980 का और दूसरा 1981 का है। चोरी हुए गोला बारूद की कीमत 1751 रुपये थी।

(ग) जी नहीं।

पाकिस्तान में अमरीकी हवाई अड्डा

84. **श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने हथियार खरीदने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता के बदले अमरीकी सरकार को हवाई अड्डे की सुविधा देने का आश्वासन दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले चार महीनों के दौरान अमरीकी विमानों ने हमारे जल क्षेत्रों में कई बार अनधिकृत प्रवेश किया है और तटदूर हमारे पेट्रोलियम निकालने के कार्यों के लिए एक खतरा पैदा किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन्) : (क) सरकार ने इस आशय के समाचार देखें हैं। परन्तु पाकिस्तान सरकार ने इस बात से इन्कार किया है कि वह अमरीका द्वारा समर्पित किसी सामजस्य में भाग लेगा। उसने साथ ही यह भी बताया है कि अमरीका को किसी तरह के अड्डे स्थापित करने की सुविधायें दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) जी नहीं।

(ग) सरकार इस मामले की बारीकी से समीक्षा कर रही है।

"ओवर वर्क टू रूल बाई आई. टी. एम्पलाईज" शीर्षक समाचार

85 **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **वित्त मन्त्री** दिनांक 16 जनवरी, 1981 के टाइम्स आफ इंडिया में "ओवर-वर्क टू रूल बाई आई. टी. इम्पलाइज" शीर्षक से समाचार के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आल इण्डिया फेडरेशन आफ इन्कम टैक्स गजेटिड सर्विसेज एसोसियेशन को क्या आश्वासन दिए गए थे; और

(ख) इन आश्वासनों को क्रियान्वित किये जाने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) संघ, समूह 'क' में पदोन्नत करने, पदोन्नति पर बल देने और समूह 'ख' से समूह 'क' से वरिष्ट वेतनमान में सीधी पदोन्नति से सम्बन्धित मामलों पर अभ्यावेदन करता रहा है। ये मांगे विचाराधीन हैं। तथापि, संघ को ऐसा कोई विशिष्ट आश्वासन नहीं दिया गया था कि ये मांगे स्वीकार्य हैं।

कश्मीर घाटी में पर्यटकों की संख्या में कमी

86. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर घाटी में वर्ष 1980 में पर्यटकों की संख्या 5.49 लाख से घटकर वर्ष 1981 में 5.36 लाख रह गई है;

(ख) क्या इस संख्या में देश में पर्यटक तथा विदेशी पर्यटक-दोनों शामिल हैं ;

(ग) इसके ठीक कारण क्या हैं;

(घ) क्या इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया है कि इस घाटी की उचित छवि प्रस्तुत न किए जाने के लिए राज्य की पर्यटन एजेंसियों और भारतीय पर्यटन विकास निगम के बीच समन्वय की कमी उत्तरदायी है।

(ङ) क्या यह भी सच है कि विदेशी पर्यटकों की संख्या में वर्ष 1979 में ही कमी दिखाई देने लगी थी जब वर्ष 1978 में आये 59000 लोगों की संख्या घटकर 56 000 रह गई थी और वर्ष 1980 में यह संख्या घटकर 40,000 ही रह गई और वर्ष 1981 में यह संख्या घटकर निम्न वर्ग अर्थात् 36,000 रह गई है, और

(च) वर्ष 1982 के दौरान जम्मू तथा कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय मन्त्रालय का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग द्वारा भारत में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन सम्बन्धी आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर सकलित किए जाते हैं, राज्य/स्थान-वार आधार पर नहीं। तथापि, राज्य सरकार के अनुसार, हालांकि कश्मीर घाटी के लिए पर्यटक यातायात (आन्तरिक और विदेशी दोनों) में कुल मिलाकर 1980 में 5.94 लाख से 1981 में 6.42 लाख की वृद्धि हुई है; 1979 से केवल विदेशी पर्यटक यातायात के मामले में कमी पाई गई है।

(ग) कमी हो जाने के मुख्य कारण होटलों पर राज्य कर का लगाया जाना और कुछ पड़ौसी देशों में गड़बड़ी के हालात थे।

(घ) जी, नहीं। कश्मीर घाटी का पर्यटन संवर्धन करने के लिए राज्य की पर्यटन एजेंसियों, भारत पर्यटन विकास निगम या केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों के बीच समन्य की कोई कमी नहीं है।

(ङ) राज्य सरकार के अनुसार पिछले चार वर्षों में कश्मीर घाटी में विदेशी पर्यटक यातायात सम्बन्धी आँकड़े निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	विदेशी पर्यटकों की संख्या	अन्तर	
		संख्या	1
1978	59,323		
1979	55,680	—3643	—6.1
1980	46,026	—9654	—17.3
1981	43,700	—2326	—5.1

(च) 1982 के दौरान जम्मू-व-कश्मीर के लिए पर्यटक यातायात में वृद्धि करने की दृष्टि से विभाग के समग्र प्रचार कार्यक्रम के एक भाग के रूप में जम्मू-व-कश्मीर पर एक 16 पृष्ठ का रंगीन ब्रोशर प्रकाशित करने का प्रस्ताव किया गया है। यह ब्रोशर पर्यटन संवर्धन के उद्देश्य से विदेश स्थिति भारत सरकार के सभी पर्यटक कार्यालयों को भेजा जाएगा। भारतीय होटल निगम जो एअर इण्डिया की एक सब्सिडियरी है, जम्मू-व-कश्मीर में कनवेंशन ट्रैफिक को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्मित किए जा रहे कनवेंशन काम्पलेक्स के एक अंग के रूप में श्रीनगर में 275 कमरों वाले एक होटल का निर्माण कर रहा है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग भी विदेशों से स्कीयर्स को आकर्षित करने के लिए गुलमर्ग में शीतकालीन क्रीडाओं का संवर्धन कर रहा है। उपर्युक्त उपाय जम्मू-व-कश्मीर में पर्यटक यातायात के अधिकाधिक अन्तः प्रवाह का केवल सवर्धन करने के लिए ही नहीं बल्कि वर्ष भर के दौरान उसे यथासंभव समयक रूप से संवितरित करने के लिए भी अपेक्षित हैं।

समाचार पत्रों पर बिक्री कर समाप्त किया जाना

87. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों पर बिक्री कर समाप्त किए जाने के लिए अखिल भारतीय छोटे समाचार पत्रों द्वारा की गई मांग के प्रस्ताव पर गया है, और

(ख) यदि हां, तो छोटे समाचार पत्रों की मांग पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) संविधान की सातवां अनुसूची की क्रय वसूली की प्रथम सूची की प्रविष्टि 92 द्वारा संसद को समाचार पत्रों की बिक्री या खरीद और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन, फिलहाल समाचार पत्रों की बिक्री पर कोई बिक्री-कर नहीं लगाया जाता है।

किसी राज्य के अन्दर समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं की होने वाली बिक्री अथवा खरीद पर कर लगाना राज्य कराधान का विषय है। तथापि छोटे तथा मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों

की आर्थिक क्षमता को सुधारने में सहायता करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने स्वयं पहल करके अगस्त 1980 में राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि वे ऐसे समाचार पत्रों को, अखबारी कागज की बिक्री पर बिक्री कर से छूट मन्जूर करने पर विचार करें। इस निवेदन के फलस्वरूप कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने छोटे और मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों को बेचे जाने वाले अखबारी कागज पर बिक्री कर से राहत दे दी है या देने के लिए सहमत हो गए हैं।

इस सम्बन्ध में दिसम्बर 1980 में सरकार को, अखिल भारतीय लघु एवं मध्यम समाचार पत्र संघ, दिल्ली की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

तुगलकाबाद दिल्ली में शुष्क बन्दरगाह की सुविधाएं

88. **श्री एच. के. एल. भगत : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में तुगलकाबाद में शुष्क बन्दरगाह उपलब्ध कराने का निर्णय किया है, और

(ख) ये सुविधायें कब तक उपलब्ध कराई जाएंगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) तथा (ख) 1974 में सरकार ने सिद्धान्त रूप में यह विनिश्चय किया था कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में एक शुष्क पत्तन स्थापित किया जाये। तथापि, जुलाई, 1977 में उस समय की सरकार ने परियोजना को तत्काल कार्यान्वित न करने का विनिश्चय किया। प्राप्त अभ्यावेदनों को देखते हुए, सिद्धान्त के तौर पर यह विनिश्चय किया गया है कि तुगलकाबाद में एक इनलैंड कस्टेनर डिपो खोला जाये जोकि शुष्क पत्तन सुविधाओं और कन्टेनरीकरण, दोनो ही उद्देश्यों को पूरा करेगा। उत्तरी रेलवे ने एक तकनीकी-आर्थिक-सह-सम्भाव्यता सर्वेक्षण किया और रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिस पर आधारित अन्तिम निर्णय लिया जाएगा। जब तक तुगलकाबाद में इनलैंड कन्टेनर डिपो स्थापित नहीं होता, यह विनिश्चय किया गया है कि पायलट परियोजना आधार पर प्रगति मैदान, नई दिल्ली मे इनलैंड कन्टेनर डिपो स्थापित किया जाए जिसके शीघ्र आरम्भ होने की आशा है।

व्यापार में भारी अन्तर रहना

89. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :**

श्री चिरंजीलाल शर्मा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकारियों को आशा है कि चालू वर्ष के अन्त तक व्यापार में भारी अन्तर रह जायेगा;

(ख) यदि हां, तो निर्यात में वृद्धि करने, जिससे कि इस अन्तर में कमी की जा सके, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) अन्य देशों के साथ हमारे व्यापार में इतना बड़ा अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) अद्यतन उपलब्ध जानकारी के अनुसार जो अभी भी अनन्तिम है, अप्रैल-नवम्बर 1981 की अवधि के लिए भारत का विदेश

व्यापार घाटा 3522.80 करोड़ रुपये का हुआ जबकि 1980-81 में यह 5775.17 करोड़ रु. का हुआ था।

(ख) निर्यातों को बढ़ाने के लिए अनेक निर्यात संवर्धन उपाय किये गये हैं। इनमें शामिल हैं, निर्यात उत्पादन पर लाइसेंसिंग सम्बन्धी रुकावटें समाप्त करना, पूरे देश के शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की तथा निर्यात-आयात बैंक की स्थापना करना, शुल्क वापसी को सरल तथा सुव्यवस्थित करना, निर्यातों पर वित्तीय रियायतें आदि।

(ग) हाल की अवधि में भारत के विदेश व्यापार के घाटे में तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण है पी. ओ. एल. की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में तीव्र वृद्धि के कारण आयातों के मूल्य में असाधारण वृद्धि . निर्यातों की वृद्धि में बाहरी तथा घरेलू दोनों प्रकार की बाधाओं से भी गिरावट आई है। इनमें शामिल है : बिजली तथा आधरभूत अन्तर्निविष्ट साधनों में कमी के फलस्वरूप उत्पादन में गिरावट, विश्व व्यापी मंदी तथा विकसित देशों द्वारा अपनाई गई संरक्षणवादी नीतियां।

उड़ीसा से मछली का निर्यात

90. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान उड़ीसा से विदेशों को निर्यात की गई मछली के आंकड़े क्या हैं; और

(ख) उड़ीसा से समुद्री मछली के निर्यात में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) वर्ष 1979-80 और उसके बाद उड़ीसा से मछली के निर्यात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	मात्रा (मे. टन)	मूल्य (लाख रुपए)
1979-80	2346	1238.82
1980-81	5409	1137.74
1981-82 (अप्रैल-दिसम्बर)	2385	1320.82

(ख) उड़ीसा से समुद्री मछली के निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिए निम्नोक्त कदम उठाए गए हैं :—

(1) मछली उतारने के केन्द्रों में सुधार लाने के लिए समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को 2.77 लाख रु. मंजूर किए गए हैं;

(2) नौकाओं के मालिकों, साधितकर्ताओं तथा उड़ीसा के निर्यातकों को 522 इन्सुलेटिड फिश बाक्स वितरित किए गए हैं;

(3) सुस्थापित उत्पादों तथा नए उत्पादों के लिए नए बाजारों का पता लगाने के लिए, समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन प्राधिकरण नमूनों के लिए हवाई भाड़ा प्रभारों की वापसी के रूप में वित्तीय सहायता देती है;

विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा राष्ट्रीय बचत पत्रों में निवेश

91. **श्री छोटू भाई गामित :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि विदेशों में बस गए अथवा रह रहे भारतीयों को राष्ट्रीय बचत पत्रों में निवेश करने की वही सुविधाएं प्रदान की जाएं, जैसी कि उन्हें इस समय मिल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) गुजरात सरकार से अप्रैल, 1981 में यह सुझाव प्राप्त हुआ था कि अनिवासियों द्वारा अल्प बचत योजनाओं में किए जाने वाले निवेश पर आय-कर मुक्त ब्याज की वही रियायत दी जाए जो बैंकों में किए जाने वाले निवेश पर दी जाती है।

(ख) राज्य सरकार के इस सुझाव पर अभी विचार किया जा रहा है।

दिल्ली छावनी में दुकानों को आगे किराये पर दिया जाना

92. **श्री राम सिंह शाक्य :** क्या **रक्षा मंत्री** दिल्ली छावनी में दूकानों को आगे किराये पर दिये जाने के बारे में 1 अप्रैल और 9 दिसम्बर, 1981 के अतिरिक्त प्रश्न संख्या क्रमश: 5901 और 3004 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबकि इन बरामदों को दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका तथा संपदा निदेशालय द्वारा खाली करा लिया गया है, तो साथ में बरामदों के बनाये जाने तथा साथ बने बरामदों के बाहर छज्जे डाले जाने के लिये छावनी बोर्ड ने किस प्रकार अनुमति दे दी है;

(ख) क्या सरकार एक ही स्थान पर अलग-अलग मापदन्ड अपनाती है, यदि नहीं, तो क्या इन बरामदों को खाली कराया जाएगा और छज्जों को गिराया जाएगा; और

(ग) क्या सरकार ने सिविलियन लोगों की समस्याओं से निपटने के सम्बन्ध में दिल्ली छावनी बोर्ड के अधिकारों को नगर निगम को सौंपने की सम्भावनाओं पर विचार किया है, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रक्षा मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) छावनी बोर्ड को जो कि दुकानों का मालिक है, बरामदे बन्द करने की अनुमति देने का अधिकार है और वह छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 187(3) के अन्तर्गत प्राप्त विवेकाधिकार के अधीन बन्द किए गए बरामदों के आगे छज्जे बनाने की अनुमति प्रदान कर सकता है। चूंकि छावनी बोर्ड को इस मामले पर छावनी अधिनियम, 1924 और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उप नियमों के अनुसार निपटाना है इसलिए न तो वह आवश्यक है और न ही सम्भव है कि छावनी बोर्ड इस बारे में दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका तथा सम्पदा निदेशालय द्वारा उनके क्षेत्रों/सीमाओं में अपनाए गए तरीके का अनुसरण करें।

(ग) जी नहीं।

एन. सी. सी. गणतंत्र दिवस कैम्प, 1982 पर व्यय

93. **श्री त्रिलोक चन्द :** क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन. सी. सी. गणतंत्र दिवस कैम्प, 1982 पर कुल कितना व्यय हुआ है और विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तत्संबन्धी लेखों की लेखा-परीक्षा की गई है; यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी;

(ग) बाहर से कितनी स्टाफ कारें दिल्ली लाई गई थीं और उन स्थानों के नाम क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार ने दिल्ली में किराये पर कार लिये जाने की व्यवहार्यता तथा दिल्ली से बाहर से कारें मंगाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार किया है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस कैम्प 1982 पर 6,39,617.25 रुपये व्यय किए गए। इसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(I) कैम्प के लिए फर्नीचर किराए पर लेने, लाउडस्पीकर आदि खदीदने तथा किराएपर लेने प्रतियोगिता के लिए पुरस्कारों को खरीदने, कैडेटों के लिए गर्म पानी आदि की व्यवस्था करने :	2,25,000.00 रु.
(II) पब्लिक इन्कलोजरों का निर्माण करने सुरक्षित स्थान बनाना, सुरक्षा के लिए बाड़ लगाने पर।	90,000.00 रु.
(III) सफाई व्यवस्था/मजदूरी आदि पर	17,575.00 रु.
(IV) पैट्रोल, आयल तथा स्नेहकों पर	1,74,608.25 रु.
(V) कैडेटों के लिए मैस का खर्च	1,16,305.00 रु.
(VI) आकस्मिक खर्च	16,129.00 रु.
	जोड़ 6,39,617.25 रुपये

इस खर्च में सेवा कार्मिकों/राष्ट्रीय कैडेट कोर के पूर्णकालिक अफसरों का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता सम्मिलित नहीं है क्योंकि उन्होंने वारंट पर यात्री की और अंशकालिक राष्ट्रीय कैडेट कोर अफसरों और कैडेटों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते तथा अंशकालिक अफसरों के वार्षिक मानदेय/रैंक वेतन का खर्च भी सम्मिलित नहीं है जो 50:50 के आधार पर राज्य सरकारों के साथ बांटा जाता है।

2. कैम्प पर किए गए व्यय की लेखा-परीक्षा महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली कर रहा है। परिवहन, पैट्रोल, आयल तथा स्नेहकों की लेखा परीक्षा स्थानीय लेखा परीक्षा अफसर, रक्षा सेवाएं कर रहा है। कैम्प पर किए गए खर्च को रक्षा सेवाओं के विनियोजन लेखा तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सामान्य रूप से दर्शया जाता है।

3. कैम्प ड्यूटियों के लिए निम्नलिखित स्टेशनों से 21 स्टाफ कारें लाई गई :

1. मुरादाबाद
2. गाजियाबाद

3. रुकड़ी
4. आजमगढ़
5. रिवाड़ी
6. सीतापुर
7. आगरा
8. मोदीनगर
9. देहरादून
10. भटिंडा
11. जलन्धर
12. कानपुर
13. अमृतसर
14. खण्डवा
15. रतलाम
16. जबलपुर
17. उज्जैन
18. छतरपुर
19. भोपाल
20. उदयपुर
21. जयपुर

4. सभी सम्बन्धित पहलुओं पर विचार करते हुए कैम्प ड्यूटियों के लिए एन. सी. सी स्टाफ कारों को बाहर से दिल्ली लाने पर पाबन्दी लगाना व्यवहार्य नहीं समझा जाता है।

प्राइवेट तथा व्यावसायिक वाहनों की बीमा सम्बन्धी (इंश्योरेंस कवर) लागत में वृद्धि

94. **श्री मंगल राम प्रेमी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन ने 1 फरवरी, 1982 से सभी श्रेणी के प्राइवेट तथा व्यावसायिक वाहनों की बीमा-सम्बन्धी (इंश्योरेंश कवर) लागत में वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उक्त वृद्धि से मुद्रा स्फीति के इन दिनों में निजी वाहन स्वामियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) अतिरिक्त पुर्जों और मरम्मत की लागत में भारी वृद्धि होने, सर्वेक्षण शुल्क और कानूनी खर्चों में वृद्धि होने और अधिकरणों द्वारा बड़ी रकमों के फैसले देने के कारण प्रीमियम दरों को बढ़ाना जरूरी हो गया था ये दरें अब यथार्थिक नहीं रह गई थीं क्योंकि 1958 से इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था।

(ग) वाहन की कुल परिचालन लागत में वृद्धि को देखते हुए प्रीमियम की दरों में वृद्धि का वाहनों के मालिकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारत को एशियाई विकास बैंक से ऋण की अनिश्चितता

95. **श्री. बी. वी. देसाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वर्ष से एशियाई विकास बैंक से भारत को पर्याप्त राशि के ऋण मिलने की संभावनाएं अनिश्चित हो गई है;

(ख) क्या यह सारा मामला एशियाई विकास बैंक द्वारा रखी गई पूंजी में आयोजित वृद्धि करने में उसकी योग्यता पर निर्भर करता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत को एशियाई विकास बैंक ऋण दिया जाना अधिकांशत: बैंक की क्षमता को 100-200 प्रतिशत बढ़ाए जाने के अमरीकी निर्णय पर निर्भर करता है;

(घ) यदि अमरीकी सरकार बैंक को अपने ऋण की क्षमता में वृद्धि नहीं करती तो एशियाई विकास बैंक वर्ष 1983-87 के लिए भारत के अनुरोध को जिसे भारत अपनी परिस्थितियों तथा समस्याओं को देखते हुए पात्र मानता है, पूरा करने में समर्थ होगा ;

(ङ) यदि हां, तो क्या ऋण उपलब्ध न कराए जाने के संबंध में एशियाई विकास बैंक ने भारत को अपने अन्तिम निर्णय से अवगत करा दिया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : जी, नहीं ।

(ख) से (घ) एशियाई विकास बैंक की पूंजी में वृद्धि करने के संबंध में विचार किया जा रहा है तथा 1983 से पहले इस संबंध में अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है। बैंक द्वारा अपने सदस्य देशों को उधार देने की क्षमता का निर्धारण उसकी पूंजी में कुल वृद्धि के अनुसार होगा। यह कहना सही नहीं है कि उधार लेने का भारत का अधिकार किसी सदस्य देश के अंशदान पर निर्भर करता है।

(ङ) जी, नहीं। इसके विपरीत, सरकार को सूचित किया गया है कि भारत को बैंक से उधार लेने का अधिकार है।

(च) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

निर्यात नीति में राज्यों को शामिल किया जाना

96. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई निर्यात नीति तैयार करने में राज्य सरकारों को सक्रिय रूप में शामिल किया जाएगा ;

(ख) क्या नई नीति, जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि को सभी से राज्यों का दौरा करने तथा निर्माताओं एव निर्यातक समुदाय द्वारा अनुभव की जा रही कठीनाइयों पर बातचीत करने के लिये कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित राज्यों का दौर करने के बाद सभी प्रतिनिधियों ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इन प्रतिनिधियों के दौरों से कौन-कौन से मुद्दे सामने आए हैं और निर्यात नीति में राज्य सरकारों को किस रूप से शामिल किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) तथा (ख) जी हाँ।

(ग) तथा (घ) इस मंत्रालय के अधिकारियों ने राज्यों का दौरा करना आरम्भ कर दिया है और इन राज्यों के अधिकारियों के साथ उनके विचार विमर्श की रिपोर्ट परस्तुत की जा रही है। ऐसा विचार है कि राज्य सरकारों से सतत संपर्क बनाए रखा जाये और इसका उद्देश्य आपसी परामर्श करके निर्यातकों के सामने आने वाली समस्याओं का पता लगाना तथा उनको सुलझाना है और निर्यातों की वृद्धि के लिए सभी संभवप्रोत्साहन देना है।

जौरहाट आसाम में 'इन्सटेंट टी' सम्बन्धी टोकलई प्रायोगिक केन्द्र में प्रायोगिक संयंत्र सम्बन्धी अध्ययन

97. **श्री जी. वाई. कृष्णान** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जौरहाट, आसाम में 'इस्टेंट टी' सम्बन्धी टोकलई प्रायोगिक केन्द्र में प्रायोगिक संयंत्र सम्बन्धी अध्ययन पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) तथा (ख) प्रायोगिक संयंत्र स्तर पर अनुसंधान चल रहा है। चाय बोर्ड निदेशक, टोकलई प्रायोगिक केन्द्र की समग्र देखरेख में कलकत्ता विश्वविद्यालय के अनुसंधान कर्मचारियों के निकट सहयोग से कार्य कर रहा है।

छोटे सिक्कों की कमी

98. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि छोटे सिक्कों विशेषकर 5 और 10 पैसे के सिक्कों की कमी है ?

(ख) क्या यह भी सच है कि दुकानदार एक, दो और तीन पैसे के सिक्कों को लेने से इन्कार करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सिक्कों की कमी को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) कुछ क्षेत्रों में 5 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की कमी होने और कुछ दुकानदारों द्वारा एक दो और तीन पैसे के सिक्के स्वीकार न किए जाने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) छोटे सिक्कों की आम कमी नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक और इसके छोटे सिक्कों के डिपुओं में माँग को पूरा करने के लिए 5 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का स्टाक मौजूद है। जब कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक को इन सिक्कों की कमी की शिकायत की जाती है, उन क्षेत्रों को सिक्कों की पूर्ति करने के लिए प्रबन्ध किया जाता है जहां कमी अनुभव किए जाने का उल्लेख किया जाता है।

जहाँ तक एक दो और तीन पैसे के सिक्कों को स्वीकार न किए जाने का संबंध है, यह प्रतीत होता है कि लोगों की यह आशंका है कि ये सिक्के वैध मुद्रा नहीं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि ये सिक्के बराबर वैध मुद्रा

हैं और सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों, राजकोषों और उप-राज कोषों द्वारा स्वीकार किए जाते रहने चाहिएं।

क्रिकेट मैच श्रृंखला के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सरकारी उपक्रमों द्वारा दी गई राशि

99. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल में इंग्लैण्ड और भारत के बीच खेली गई क्रिकेट मैच श्रृंखला के लिए पुरस्कारों के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कुल कितनी राशि दी गई ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जानार्दन पुजारी) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथाउपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अखिल भारतीय विद्युत चालित करघा बोर्ड की स्थापना किया जाना

100. **श्री आर. के. महालगी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** इच्छालकरंज (महाराष्ट्र) में विद्युत चालित करधों के बुनकरों के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन के बारे में 18 सितम्बर 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4830 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय विद्युत चालित करघा बोर्ड का गठन हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कब और इस बोर्ड के सदस्यों के नामपदनाम क्या हैं तथा उनके मुख्य कार्य क्या हैं;

(ग) क्या बोर्ड ने विभिन्न मामलों जैसे उचित मूल्य पर धागा उपलब्ध कराना, विद्युत चालित करघा क्षेत्र के लिए आरक्षण, विद्युत चालित करघा क्षेत्र के लिए नियंत्रित कपड़े का कोटा तथा विद्युत चालित करघा क्षेत्रों में संसाधन (प्रोसेसिंग) सुविधाओं की स्थापना आदि बातों पर, जिन्हें इच्छाकरंज (महाराष्ट्र) में पिछले वर्ष भारतीय विद्युत चालित करघों के बुनकरों के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन में उठाया गया था, विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त बोर्ड ने क्या निर्णय लिए हैं . सिफारिशें की हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इन विभिन्न मुद्दों पर बोर्ड द्वारा कब तक अपनी राय भेजे जाने की सम्भावना है; और

(च) यदि इस बोर्ड की स्थापना अभी की जानी है, तो इसकी स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी हाँ।

(ख) अखिल भारतीय शक्तिचालित करघा बोर्ड का गठन करने वाले संकल्प की एक प्रति संलग्न है **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 3318/82]**

(ग) से (च) अखिल भारतीय शवितचालित करघा बोर्ड की पहली बैठक फरवरी 1 मार्च, 1982 में किसी समय होने की संभावना है। इस बैठक के लिए कार्य-सूची बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा तैयार की जा रही है।

राष्ट्रीय बचत संगठन द्वारा कमीशन के भुगतान के लिए प्रक्रिया का अध्ययन

101. **श्री आर. के. महालगी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय ने प्रक्रिया को सरल बनाने के सम्बन्ध में विचार

करने के लिए राष्ट्रीय बचत संठगन द्वारा कमीशन के भुगतान के लिये अपनाई गई पद्धति का कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक अनुसन्धान संघ द्वारा अध्ययन करने हेतु कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अध्ययन रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को प्राप्त हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो कब और उक्त प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने आगे क्या कार्यवाही की है/करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रलाय में उप मत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से अनुरोध किया गया था कि वे (क) लोक भविष्य निधि योजना; (ख) महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना; (ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में वेतन पंजी बचत योजना के सम्बन्ध में राष्ट्रीव बचत संगठन द्वारा एजेंसी-कमीशन की अदायगी से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से इस प्रक्रिया का अध्ययन करें।

(ख) लोक भविष्य निधि स्कीम और महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना के अन्तर्गत एजेंसी-कमीशन की अदायगी करने की प्रक्रिया के अध्ययन की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

(ग) इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की, महा-निदेशक, डाक और तार के साथ सलाह करते हुए जांच की जा रही है।

गोवा में सरकारी कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते में वृद्धि

102. **श्री आर. के. महालगी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोवा, दमन और दीव के सरकारी कर्मचारी स्थायी रूप से मकान किराये भत्ते को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किए जाने की काफी लम्बे समय से माँग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कब से और अपनी मांगों के समर्थन में उन्होंने कौन-कौन से मुद्दे उठाये हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और कब तक निर्णय किये जाने की संभाववना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) वे फरवरी, 1969 से मकान किराया भत्ते की दर में वृद्धि के लिए अभ्यावेदन कर रहे हैं। गोवा क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों को मकान किराय भत्ते में वृद्धि के समर्थन में जिन कारणों का सामान्यत: उल्लेख किया जाता है वे ये है:—

(1) संघ राज्य क्षेत्र में आवास की कमी और उसके परिणाम-स्वरूप ऐसे आवास के लिए अधिक किराया होना;

(2) सघ- राज्य-क्षेत्र में जीवन निर्वाह की ऊंची लागत होना; और

(3) पर्यटन यातायात।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा अपनाई गई विद्यमान नीति के अन्तर्गत वेतन के 15 प्रतिशत की दर पर, 400/-रुपये प्रतिमाह के अधिकतम के अधीन रहते हुए, मकान किराया भत्ते की अदायगी के लिए 'ख' श्रेणी के रूप में वर्गीकरण के लिए जनगणना के आधार पर अपेक्षित

न्यूनतम जनसंख्या 4 लाख से उपर है। जनगणना के उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर गोवा, दमन और दीव के संघ-राज्य-क्षेत्र में कोई भी नगर ऐसा नहीं है जो वेतन के 15 प्रतिशत की दर पर, 400/-रुपये प्रतिमाह के अधिकतम के अधीन रहते हुए मकान किराया भत्ते की अदायगी के लिए 'ख' श्रेणी के रूप में वर्गीकरण की पात्रता रखता हो।

कपड़ा समिति पर उपभोक्ता हितों का अभ्यावेदन

103. **श्री आर. के. महालगी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा समिति में उपभोक्ता हितों के अभ्यावेदन के बारे में संसद सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर उन्होंने कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के विशिष्ट कारण क्या हैं और उसके कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) संसद सदस्य द्वारा दिये गये सुझावों पर सरकार द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है और उपभोक्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए कई उपभोक्ता संगठनों से ऐसे समुचित नामों का सुझाव देने के लिये कहा गया है जो वस्त्र समिति अधिनियम 1963 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन अपेक्षित अहरताएं पूरी करते हों।

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न बैंकों की शाखाओं को मजूरी दिया जाना

104. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में विभिन्न बैंकों की उन शाखाओं के जिलावार नाम क्या हैं जिनकी वर्ष 1981 के अन्त तक मंजूरी दी गई है;

(ख) उनमें से ऐसी शाखाओं के नाम क्या हैं जो 31 दिसम्बर, 1981 तक खुल गई थीं;

(ग) ऐसी शाखाओं के नाम क्या हैं जो अभी खोली जानी शेष हैं और उनके कब तक खोले जाने की सम्भावना है; और

(घ) राज्य सरकार ने वर्ष 1982 में किन-किन स्थानों पर नई शाखायें खोलने की सिफारिश की है और उनके खोले जाने के लिए उन्हें राज्यवार कब तक अनुमति दिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मत्रालय में उप मन्त्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति जनवरी 1979 से मार्च 1982 तक के समय को व्याप्त करती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों ने 1-1-1979 से 30-9-1981 तक की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश में 75 शाखाएं खोली थीं। सितम्बर 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार, इनके पास इस राज्य में 44 और शाखाएं खोलने के लिये प्राधिकृतियां मौजूद थीं। इस सम्बन्ध में जिलेवार बैंक-वार तथा केन्द्रवार विवरण क्रमशः ब्यौरे विवरण एक और दो में दिये गए हैं। बैंकों से विचाराधीन लाइसेंसों को शीघ्रता से जारी करने को कहा गया है।

(घ) हाल ही में घोषित की गई अप्रैल 1982 से मार्च 1985 तक की अवधि की व्याप्ति वाली नई शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश सरकार

से राज्य में जहाँ कि बैंक कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता है, उन गैर-बैंकिंग केन्द्रों का निर्धारण करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार से सिफारिशों के प्राप्त होने के बाद ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रों के आवंटन को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

विवरण एक

जिला	केन्द्र का नाम	बैंक का नाम, जिसने कार्यालय खोला है
बिलासपुर	1. नामहोल	भारतीय स्टेट बैंक
	2. बरमाना (सीमेंट प्रोजेक्ट एरिया)	स्टेट बैंक आफ इण्डिया
	3. ए-बिलासपुर	तदेव
	4. हतवाड़	पंजाब नेशनल बैंक
	5. स्वर्वहाट	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
	6. कुथेरा	तदेव
	7. बेरी	तदेव
कांगड़ा	8. बनिकेत	भारतीय स्टेट बैंक
	9. चौरी	तदेव
	10. बहरा	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
	11. ऊह्लादेवी	स्टेट बैंक आफ पटियाला
हमीरपुर	12. लाडरौड़ी	पंजाब नेशनल बैंक
	13. हमीरपुर	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
	14. रगास	तदेव
कांगड़ा	15. दारोह	पंजाब नेशनल बैंक
	16. लम्बागांव	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
	17. मालन	तदेव
	18. कुदियन	तदेव
	19. चाविथन	हिमाचल ग्रामीण बैंक
	20. धीरा	तदेव
	21. चडियारु	तदेव
	22. आलमपुर	तदेव
	23. रानीथाल	तदेव
	24. चोविन	तदेव
	25. बथुआथिपड़ी	तदेव
	26. भदवार	तदेव
	27. वृन्दा	तदेव
	28. बैजनाथ	तदेव
	29. हरचकियान	तदेव

1	2	3
	30. सुगरा	भारतीय स्टेट बैंक
	31. कल्पा	पंजाब नेशनल बैंक
	32. सांगल	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
	33. अरेणतला	तदेव
	34. तापड़ी	तदेव
कुल्लू	35. फोजल	पंजाब नेशनल बैंक
	36. कुल्लू	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
	37. थामसी	हिमाचल ग्रामीण बैंक
	38. गडसा	तदेव
	39. हरीपुर	तदेव
	40. डालस	तदेव
	41. भांग	तदेव
लाहौल तथा	42. जलमान	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
स्पीती मण्डी	43. जयदेवी	स्टेट बैंक आफ पटियाला
	44. सजाओपिपलू	हिमाचल ग्रामीण बैंक
	45. कडा ग्रसैन	तदेव
शिमला	46. शिमला-बोइलनगंज	भारतीय स्टेट बैंक
	47. मन्धोल	तदेव
	48. खदराला	सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया
	49. सैन्ज	पंजाब नेशनल बैंक
	50. कोटखाई	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
	51. बाघी	तदेव
	52. नरवा	तदेव
	53. जारोल	तदेव
	54. शिमला विधान सभा	तदेव
	55. जंगा	तदेव
	56. घेला	तदेव
सिरमौर	57. धौला कुआं (रामपुर)	भारतीय स्टेट बैंक
	58. नौरा	तदेव
	59. पौंटिया साहब	स्टेट बैंक आफ पटियाला
	60. नारंग	तदेव
	61. ओगली	तदेव
सोलन	62. सोलन	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
	63. परवानी	तदेव
	64. जोनाजी	तदेव

1	2	3
	65. डबलोग	सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
	66. जुब्बार	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स
	67. पट्टमिहलोग	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
	68. रामशहर	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
	69. दरलाघाट	तदेव
	70. सीरी	तदेव
ऊना	71. हारोली	सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
	72. मनयार	पंजाब नेशनल बैंक
	73. लठियानी	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
	74. नेहरियन	तदेव
	75. सोहरी-टकोली	तदेव

विवरण दो

जिले का नाम	उन बैंकों के नाम, जिनके पास कार्यालय खोलने के वास्ते प्राधिकृतियाँ थीं	केन्द्र का नाम
1.	2.	3.
1. बिलासपुर	1. स्टेट बैंक आफ पटियाला	1. दलिन्द कालोनी
2. चाम्बा	1. भारतीय स्टेट बैंक	1. कतरारी
3. काँगड़ा	1. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	1. धर्मशाला
		1. लुंज
	2. हिमाचल ग्रामीण बैंक	2. ठाकुरद्वारा
		3. बाडी
		4. सुल्हा
		5. बोहाना
4. कुल्लू	1. भारतीय स्टेट बैंक	1. सैंज
	2. हिमाचल ग्रामीण बैंक	1. दोभी
		2. भुट्टा
		3. महानी
	3. सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1. मणिकरन
5. लाहौल तथा स्पीती	1. भारतीय स्टेट बैंक	1. सुमधली

1	2	3
6. मण्डी	हिमाचल ग्रामीण बैंक	1. मछियाल
		2. सालापुर
		3. चाम्बी
		4. करसोग
		5. सरकाघाट
		6. माहदेव
		7. मण्डी
		8. अहज
		9. कटौला
		10. बारोट
		11. वाली चौक
		12. सेरी
		13. मोहिन
		14. चुराग
		15. इस्माइला
		16. भाम्बला
		17. टिहरा
		18. थुनाग
		19. धर्मपुर
		20. पोंटा
		21. नामचाला
7. शिमला	1. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	1. श्रीमोग
	2. भारतीय स्टेट बैंक	1. शकरी
	3. स्टेट बैंक आफ पटियाला	1. दूराल
8. सिरमौर	1. भारतीय स्टेट बैंक	1. रोनहाट
	2. पंजाब नेशनल बैंक	1. कोलावाला भूत
9. सोलन	1. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1. भूमटी
	2. पंजाब नेशनल बैंक	1. बालोरा
	3. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	1. देओथी
10. ऊना	1. सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	1. बांगना

भारतीय यात्री आवास विकास समिति द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

105. **प्रो. नारायण चन्द्र पराशर** : क्या पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री सरायों के निर्माण में सहायता के लिये गठित गैर-सरकारी संगठन के बारे में दिनांक 1 अगस्त 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6470 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1982 को कार्यकारी समिति की रचना क्या है;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहाँ भारतीय यात्री आवास विकास समिति ने 31 जनवरी 1982 तक सरायों के निर्माण के लिए किसी वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है; और

(ग) वित्तीय सहायता के लिए इस समिति के पास कितने आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं और इन मामलों पर किस तिथि तक निर्णय होने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) समिति के संगम ज्ञापन तथा नियमों और विनियमों के अनुसार प्रबन्ध समिति में कम से कम 11 और अधिक से अधिक 21 सदस्य होंगे। 21 सदस्यों में से 6 सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकित किये जाते हैं 1-1-1982 की स्थिति के अनुसार प्रबन्ध समिति में 12 समिति सदस्य थे और 6 सदस्य सरकार द्वारा नामांकित किये गये थे।

(ख) 31-1-82 तक समिति ने श्री रामाकृष्णा कुटीर अमरकटंक को इस केन्द्र की यात्रा करने वाले पर्यटकों/तीर्थयात्रियों के लिए एक यात्रिका (धर्मशाला) के निर्माण के लिए मैचिंग आधार पर 50,000 रु. की राशि का केवल एक अनुदान प्रदान किया है।

(ग) समिति के पास अनुदान के लिए दो आवेदन लंबित पड़े हैं, जिनका दो महीने के भीतर निपटान किए जाने की सम्भावना है।

स्थगित की गई राज्य होटल परियोजनायें

106. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लुरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों की कितनी होटल परियोजनायें राज्य-वार पिछले तीन वर्षों में केन्द्र से वित्तीय सहायता की अनुपलब्धता के कारण स्थगित की गई; और

(ख) प्रत्येक मामले में स्थगित किये जाने के कारण क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग होटल परियोजनाओं को कोई वित्तीय सहायता नहीं देता है। तथापि, भारत में नियमित और पंजीकृत लिमिटेड कम्पनियाँ या कोओपरेटिव सोसाटियाँ भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई. एफ. सी. आई.) से वित्तीय सहायता की हकदार हैं बशर्ते परियोजना की लागतें 2 करोड़ रुपए से अधिक हों। इस राशि से कम लागतों वाली परियोजना पर राज्य स्तर के संस्थानों द्वारा ध्यान दिया जाता है। आई. एफ. सी. आई. ने पिछले 3 वर्षों के दौरान होटल परियोजनाओं के बारे में ऋण के लिये कोई प्रार्थना पत्र अस्वीकृत नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई, रत्नगिरी, कोल्हापुर तथा बेलगांव को तृतीय विमान सेवा से जोड़ा जाना

107. **श्री आर. एस. माने** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तृतीय विमान सेवा द्वारा बम्बई को रत्नगिरी, कोल्हापुर तथा बेलगाँव के साथ एक रूट अथवा अधिक रूटों से जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का इन स्थानों के लोगों को बम्बई के साथ विमान सम्पर्क सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) बेलगांव बम्बई से इण्डियन एयरलाइन्स की सेवाओं द्वारा जुड़ा हुआ है। रत्नगिरि और कोल्हापुर को विभिन्न वित्तीय तथा परिचालनात्मक कठिनाइयों के कारण वायुदूत की सेवाओं से जोड़ने की फिलहाल कोई तात्कालिक योजनाएं नहीं है।

ग्राम परिषदों द्वारा बैंकों से ऋण लिया जाना।

108. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों को यह सलाह देने का विचार है कि वे ग्रामीण परिषदों को अपने नए कार्यक्रम के लिए बैंकों से ऋण लेने योग्य बनाने हेतु कानून बनायें : और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में से केवल नागालैंड ने ग्रामीण विकास बोर्डों में बैंकों से ऋण लेने और उनके लिए प्रतिभूति देने की शक्तियां निहित की हैं। विद्यमान परिस्थितियों और इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए इस सम्बन्ध में कानून के स्वरूप का निर्णय प्रत्येक राज्य को स्वयं करना है।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा किया गया व्यय

109. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार मेला प्रधिकरण के वर्तमान चेयरमैन द्वारा पद ग्रहण किए जाने से अब तक कुल 12 करोड़ रु. के लगभग व्यय किया है; और

(ख) विभिन्न शीर्षों अर्थात् (1) निर्माण (2) सक्रिय गतिविधियों (3) सांस्कृतिक गतिविधियों तथा फैशन शो (4) रखरखाव, नवीकरण, आदि के अन्तर्गत व्यय का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) वर्ष अप्रैल, 1980 से मार्च, 1981 के लेखाओं के अनुसार प्राधिकरण ने 6.62 करोड़ रु. (पूंजी तथा राजस्व लेखा दोनों पर) का व्यय किया। लेखा वर्ष (अप्रैल से दिसम्बर, 1981) के लिए व्यय 6.9 करोड़ रु. होने का अनुमान है।

(ख) 1980-81 के लिए व्यय के अलग अलग आंकड़े निम्नलिखित हैं।

1. निर्माण	—	16.35 लाख रु.
2. सक्रियकरण कार्यक्रम	—	30.48 लाख रु.
3. सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा फैशन शो	—	27.07 लाख रु.
4. अनुरक्षण, नवीकरण तथा सुधार	—	84.39 लाख रु.

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत चालू वर्ष में किये गए व्यय के आंकड़े लेखे अन्तिम तौर पर बन्द होने पर ही उपलब्ध होंगे।

प्रगति मैदान में किन्हीं इमारतों को कार्यालय भवनों में बदले जाने पर किया गया व्यय

110. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रगति मैदान में कुछ इमारतें एशियाड-82 के सचिवालय हेतु किराये हेतु दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो किराए से कुल कितनी आय होती है और इमारतों को कार्यालय भवनों में बदलने पर कितना व्यय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी हाँ। प्रगति मैदान में हाल नं. 1 का एक हिस्सा एशियाड-82 के सचिवालय को किराये पर दिया गया है।

(ख) इस स्थान को किराये पर देने से किराये की कुल आय 8,47,440 रु. प्रतिवर्ष है। भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने इस स्थान को कार्यालय स्थान के रूप में प्रयोग किये जाने के लिए बदलने पर कोई खर्चा नहीं किया है।

"दिल्ली टाप्स बर्ड हिट प्लेन्स लिस्ट" शीर्षक समाचार

111. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "हिन्दुस्तान टाइम्स" नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी, 1982 में "दिल्ली टाप्स बर्ड-हिट प्लेन्स लिस्ट" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पक्षियों के खतरे को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हवाई अड्डों पर पक्षियों के खतरे को समाप्त करने/कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय पहले से ही किये जा रहे हैं।

1. पर्यावरण सुधार, जिसमें कूड़ा-गाहों, मैला आदि डालने के स्थानों तथा बूचड़खानों आदि को हवाई अड्डे से हटाकर कम से कम 10 किलोमिटर की दूरी पर ले जाना शामिल है।

2. परिचालन क्षेत्र आदि में कीट नाशक दवाओं का छिड़काव करना और धावन पथ के साथ लगी पट्टीयों पर घास काट कर साफ करना।

3. पक्षियों को भगाने की तकनीकों का प्रयोग जैसे आतिशबाजी, आग जलाना, पटाखे चलाना, और गोली दागना आदि।

4. प्रत्येक हवाई अड्डे पर "पक्षी उत्पात निरीक्षक समितियों" का गठन किया गया है जो स्थिति का पुनरीक्षण करने व विचार-विमर्श करने के लिए नियमित रूप से बैठकें करती हैं तथा पक्षियों के टकराने की घटनाओं को कम करने/समाप्त करने के लिए उपचारी उपाय करती हैं।

5. इस स्थिति से निपटने के लिए विमान क्षेत्र पर्यावरण सुधार समितियों का भी गठन किया गया है।

6. "बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी" हवाई अड्डों पर पक्षियों के खतरे के पारिस्थितिक अध्ययन का काम भी कर रही है।

7. विमान क्षेत्रों पर और इनके आस-पास पक्षियों का शिकार करने के लिए शिकारियों को बुलाया जा रहा है।

8. कूड़े-कचरे को प्रभावी रूप से नष्ट करने के लिए विद्युत भस्मकों (इलेक्ट्रिकल इनसिनरेटरों) की व्यवस्था करना।

इन उपायों के फलस्वरूप, स्थिति में सुधार हुआ है और पक्षियों के टकराने की घटनाओं में कमी आई है।

इसके अतिरिक्त विमान क्षेत्रों पर पक्षियों के खतरे का निवारण करने के लिए किए गए उपायों का आवधिक पुनरीक्षण करने तथा और उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का भी गठन किया गया है।

स्वत: निर्धारण योजना के अधीन विवरणियां भरना

112. **श्री सनत कुमार मण्डल : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी ऐसे निर्धारती द्वारा जिसने स्वत: निर्धारण योजना के अधीन निर्धारण वर्ष 1981-82 के लिए विवरणी भरा हो निर्धारण वर्ष 1982-83 के लिए विवरणी भरा जाना जरूरी है यदि उसके स्वत: निर्धारण के अनुसार उसकी आय निर्धारण वर्ष 1982-83 से आगे प्रवृत्त 15,000 रु. बिना कर की सीमा से बैठती हो;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या क्षेत्रीय अधिकारियों को इस बारे में कोई आदेश जारी किए गए हैं ताकि स्वत: निर्धारण योजना के अधीन निर्धारण वर्ष 1982-83 से आगे निर्धारणियां न भरे जाने के लिए निर्धारितियों के विरूद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही न की जाये; यदि कोई आदेश दिए गए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सताई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) : वित्त अधिनियम, 1981 के उपबन्धों के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (1) के अन्तर्गत, किसी ऐसे व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (उस कुटुम्ब से भिन्न जिसमें एक अथवा अधिक सदस्यों की पृथक आय 15,000 रु. से अधिक है), अरजिस्ट्रीकृत फर्म, व्यक्तियों के संगम-व्यष्टियों के निकाय अथवा कृत्रिम विधिक व्यक्ति को, कर-निर्धारण वर्ष 1982-83 के सम्बन्ध में आय की विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, यदि एक कर-निर्धारण वर्ष के संगत पिछले वर्ष के दौरान उसकी कुल आय 15,000 रु. से अधिक नहीं होती है। तथापि, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे आयकर अधिनियम की धारा 139 (2) के अन्तर्गत आयकर अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया हो, नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर आय की विवरणी दाखिल करनी पड़ती है चाहे इसकी आय कुछ भी हो।

बाद के किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में आय की विवरणियां प्रस्तुत करने की जिम्मेवारी, संगत वित्त अधिनियम के उपबन्धों पर निर्भर करेगी।

(ग) वित्त अधिनियम, 1921 में निहित प्रत्यक्ष-करों से सम्बन्धित उपबन्धों को दिनांक

29-6-1981 के एक सार्वजनिक परिपत्र संख्या 308 के जरिये स्पष्ट किया गया है। एक परिपत्र में छूट-सीमा बढ़ाने से सम्बन्धित पैराग्राफ 5.2 नीचे उद्धत किया गया है :—

छूट की सीमा को बढ़ाना :

व्यष्टियों, हिन्दू अनिभक्त कुटुम्बों (उन कुटुम्बों से भिन्न जिनमें एक या अधिक सदस्यों की अलग से आय 15,000 रु. से अधिक है), अरजिस्ट्रीकृत फर्मों, व्यक्तियों के संगमों, व्यष्टियों के निकायों और कृत्रिम विधिक व्यक्तियों के मामले में छूट की सीमा 12,000 रु. से बढ़ाकर 15,000 रु. कर दी गई है। यह उल्लेखनीय है कि निर्धारितिकों की इन श्रेणियों में शून्य दर खण्ड भी बढ़ा कर 15,000 रु. कर दी गई है। किन्तु, हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के मामलों में, जिनमें एक या अधिक सदस्यों की अलग से आय छूट की सीमा से अधिक है, छूट-सीमा 12,000 रु. के विधमान स्तर पर रखी गई है।

रक्षा लेखा विभाग में अनभाग अधिकारियों की नियुक्ति

113. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा लेखा विभाग में अनुभाग अधिकारियों (लेखे) पदोन्नति पर अन्य कमानों तथा राज्यों में नियुक्त किये जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे व्यक्तियों से उनकी राज्यवार तथा कमान-वार नियुक्ति की जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सीसोदिया) : (क) पदोन्नति के बाद कुछ अनुभाग अधिकारी (लेखा) को अन्य कमान्डों और राज्यों में तैनात किया जाता है। इस प्रकार तैनात किये गये कर्मचारियों की संख्या, उस समय उपलब्ध खाली स्थानों तथा सम्बन्धित अन्य प्रशासनिक बातों पर निर्भर करती है।

(ख) और (ग) जब कभी अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो उन पर गुणावगुण के आधार पर कार्यवाई की जाती है।

जीवन बीमा निगम कर्मचारियों की बोनस संबंधी तथा अन्य मांगे

114. **प्रो. मधु दण्डवते** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के बोनस मामले में उच्चतम न्यायालय के 28 दिसम्बर, 1981 के निर्णय के बावजूद जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों का विचार स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्धों के स्थिति में बोनस एवं महगाई भत्ते सहित मांग पत्रों पर जीवन बीमा निगम में मजदूर संघों के साथ बातचीत के द्वार खुले रखने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी बातचीत कब आरंभ की जायेगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) :—कर्मचारी संघों ने जीवन बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1981 की विधिमान्यता के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय में 28 दिसम्बर, 1981 के न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, पुनर्विलोकन याचिकाएं दायर की हैं और मामला न्यायाधीन है।

जीवन बीमा निगम को पांच एककों में अलग-अलग किया जाना

115. **प्रो. मधु दण्डवते :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम को पांच अलग-अलग स्वतंत्र निगमों में बांटने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसको इस प्रकार बांटे जाने से ऊपरी व्यय में वृद्धि नहीं होगी जो पालिसी-धारियों एवं जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के हितों के विपरीत होगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

पालिसी-धारियों के लिए बोनस घोषित किया जाना

116. **प्रो. मधु दण्डवते :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने अपने इंगलैंड के पालिसी-धारियों के लिए बोनस चार महीने पहले घोषित कर दिया था परन्तु मार्च, 1981 को समाप्त हुई अवधि के वित्तीय मूल्यांकन के अनुसार भारत में पालिसीधारियों के लिए बोनस की घोषणा करने में अत्यधिक विलम्ब किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इंगलैंड के पालिसी-धारियों और भारत में पालिसी-धारियों को बोनस की अदायगी में भारी अन्तर होने की संभावना है जैसी कि भारत में बहुत से पालिसी-धारियों की आशंका है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) और (ख) ब्रिटेन के बीमा संबंधी कानून के अनुसार, वहां जीवन बीमा निगम के कारोबार के संबंध में 31 मार्च, 1981 की स्थिति के अनुसार एक अलग से मूल्यांकन किया गया था। चूंकि इस मूल्यांकन में केवल लगभग 20,000 पालिसियां ही आती थीं इसलिए उक्त मूल्यांकन के लिये आंकड़े इकट्ठे करने में कोई समस्या पैदा नहीं हुई और इसे सितम्बर, 1981 के अन्त तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

भारत में जीवन बीमा निगम के कारबार के मूल्यांकन में 2 करोड़ से अधिक बीमा पालसियाँ आती हैं जो 40 से अधिक डिवीजनल कार्यालयों द्वारा सेवित होती हैं। इसके अलावा ऐसे भी अवसर आए हैं जब विभिन्न राज्यों में कार्ड पंच करने वाली मशीनों में खराबी आ गई और बिजली में कटौती कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप बीमांकिक मूल्यांकन के लिए आँकड़ों को सरणीबद्ध करने में अधिक समय लग गया और मूल्याँकन का काम गत जनवरी में ही पूरा किया जा सका।

(ग) जी हां। बीमाँकक द्वारा जीवन बीमा निगम के ब्रिटेन और भारत के कारबार का बीमांकिक मूल्यांकन दोनों देशों के कारबार के अनुभव को दृष्ठिगत रखते हुए किया गया है जिसका पता ब्रिटेन के रजिस्टर और भारत के रजिस्टर में दर्ज पालिसियों के अन्तर्गत दिए गए बोनस की राशियों के अन्तर से चलता है।

पटसन मिलों को सरकारी नियंत्रण में लेना

117. **प्रो. मधु दण्डवते** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में कुछ पटसन मिलों को अपने अधिकार में लिया है;

(ख) क्या सरकारी नियन्त्रण में ली गई पांच मिलों के लिए कोई मुआवजा अदा किया गया है;

(ग) क्या इन पांच मिलों के कर्मचारियों की बकाया (मजूरी) की अदायगी भविष्य निधि देयताओं आदि के लिए कोई राशि रखी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ) सरकार ने हाल ही में किसी मिल का अधिग्रहण नहीं किया है। तथापि, सरकार ने 1980 में 6 पटसन मिलों का राष्ट्रीयकरण किया है। राष्ट्रीयकरण के दो अधिनियमों अर्थात राष्ट्रीय कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अन्तरण) अधिनियम, 1980 और जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 में मुआवजे के लिए व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं में से इन उपक्रमों की देनदारियों को, जिनमें मजदूरी, भविष्य निधि आदि की बकाया राशि भी शामिल है, उपर्युक्त अधिनियमों में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार पूरा किया जाएगा। इन देनदारियों से उत्पन्न होने वाली बकाया राशि के संबंध में दावों की जांच पड़ताल और उनके बारे में निर्णय भुगतान आयुक्त द्वारा अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा। दावों का अधिनिर्णयमन भुगतान आयुक्त करते रहे हैं।

जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट की निवेश योग्य राशियां

118. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीबन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट की कुल निवेश योग्य राशियां कितनी हैं; और

(ख) निवेश योग्य राशियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) (i) जीवन बीमा निगम द्वारा 31 मार्च, 1981 की स्थिति के अनुसार, निवेश की गई राशियों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(लाख रुपए)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.3.81 की कुल निवेश और ऋण की बकाया रकम
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	22650
2.	असम	7357

1	2	3
3.	बिहार	20441
4.	गुजरात	37394
5.	हरियाणा	13608
6.	हिमाचल प्रदेश	1368
7.	जम्मू और कश्मीर	2804
8.	कर्नाटक	19394
9.	केरल	17572
10.	मध्य प्रदेश	15912
11.	महाराष्ट्र	52751
12.	मणिपुर	494
13.	मेघालय	1618
14.	नागालैंड	806
15.	उड़ीसा	14227
16.	पंजाब	14115
17.	राजस्थान	21434
18.	सिक्किम	21
19.	तमिलनाडु	31504
20.	त्रिपुरा	417
21.	उत्तर प्रदेश	41700
22.	पश्चिम बंगाल	29800
23.	चंडीगढ़	200
24.	दिल्ली	1602
25.	गोआ	362
26.	पाण्डिचेरी	47
	जोड़	36,95,98

(ii) 31 दिसम्बर, 1981 को भारतीय साधारण ,बीमा निगम और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा किए गए पूंजी निवेश की राशि 1083.14 करोड़ रुपए थी। इन निवेशों का राज्यावार ब्यौरा नहीं रखा जाता लेकिन यहां यह बता दिया जाए कि सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार साधारण बीमा कंपनियों की निधियों में होने वाली वार्षिक वृद्धियों का निम्न प्रकार से निवेश किया जाता है :—

(क) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में 25%

(ख) राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित बांडों और विभिन्न सरकारी क्षेत्र की उपक्रमों द्वारा जारी किए गए ऋण-पत्रों में 10%

(ग)	सामाजिक आवास कार्यक्रमों और अग्नि-शमन उपस्करों के लिए राज्य सरकारों को ऋण	20%
(घ)	आवास और नगर विकास निगम को ऋण	15%
(ङ)	बाजार निवेश	30%
	जोड़ :	100%

पिछले दो वर्षों में राज्य सरकारों के लिए आवास और अग्नि-शमन उपस्करों के लिए जो धनराशियाँ निर्धारित की गई उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपए)

	राज्य	आवास		अग्नि-शमन उपस्कर	
		1980	1981	1980	1981
1.	आन्ध्र प्रदेश	140	163	—	70
2.	असम	20	13	—	63
3.	बिहार	131	83	66	—
4.	गुजरात	105	128	106	173
5.	हरियाणा	33	42	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	29	30	—	35
7.	जम्मू और कश्मीर	28	33	—	120
8.	कर्नाटक	77	—	—	78
9.	केरल	86	130	42	67
10.	मध्य प्रदेश	79	87	5	—
11.	महाराष्ट्र	72	85	57	—
12.	मणिपुर	12	10	—	35
13.	मेघालय	14	10	2	5
13.	नागालैंड	15	12	—	—
15.	उड़ीसा	—	88	—	34
16.	पंजाब	70	77	72	—
17.	राजस्थान	123	66	—	40
18.	सिक्किम	—	5	9	—
19.	तमिलनाडु	210	197	141	—
20.	त्रिपुरा	—	24	—	30
21.	उत्तर प्रदेश	406	305	—	111
22.	पश्चिम बंगाल	—	175	—	129
	जोड़ :	1650	1763	500	990

(iii) भारतीय यूनिट ट्रस्ट, अपने उद्देश्यों के अनुरूप अपनी पूंजी मुख्य रूप से कंपनियों के शेयरों और ऋण-पत्रों में तथा अनुसूचित बैंकों और अन्य संस्थाओं की जमा रकमों में लगाता है। 30 जून, 1981 को भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा किए गए निवेश की राशि 523.22 करोड़ रुपए थी जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	(करोड़ रुपए)
इक्विटी शेयर	129.73
तरजीही शेयर	15.70
ऋण-पत्र	138.12
निवेश वचनबद्धाताओं के बदले अग्रिम जमा	57.71
सावधिक जमा	66.52
पूरक वित्त	4.14
आवेदन मुद्रा	0.59
अग्रिम माँग जमा	0.08
माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	110.59
सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.04
	523.22

राज्य-वार आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

एशियाई विकास बैंक ऋण के लिये आवेदन पत्र

119. **श्री डी. एस. ए. शिव प्रकाशम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक को ऋण के लिये कोई आवेदन पत्र दिया है;

(ख) कितने ऋण की आवश्यकता है और इस ऋण की आवश्यकता किस उद्देश्य के लिए है; और

(ग) क्या भारत सरकार द्वारा ऋण मांगे जाने पर किसी देश ने कोई आपत्ति उठाई है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सरकार ने एशियाई विकास बैंक को अपने इस इरादे की सूचना दे दी है कि 1983 से भारत बैंक से ऋण लेना प्रारम्भ करना चाहता है।

(ख) ऋण की रकम और बैंक के सम्मुख प्रस्तुत की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा तभी तैयार किया जाएगा जब बैंक अपनी तीसरी सामान्य पूंजी वृद्धि की राशि जिसके बारे में इस समय बातचीत चल रही है, तय कर लेगा।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

सोवियत रूस को कपड़े का निर्यात

120. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जो पिछले तीन वर्षों से मुख्य रूप से राष्ट्रीय कपड़ा निगम से कपड़ा आयात कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सोवियत रूस ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम को कपड़े के लिये ऋत्रादेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो सोवियत रूस को कुल कितना और कितने रुपयों के मूल्य के कपड़े का निर्यात किया जाना है; और

(घ) सोवियत रूस को कब तक कपड़े का निर्यात किया जाना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) पिछले तीन वर्षों के (1978-79 से 1980-81 तक) दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम से कपड़े के जो मुख्य आयातक रहे हैं, वे हैं संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, इटली, पौलैंड, सोवियत संघ, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, आस्ट्रेलिया, जाम्बिया तथा सऊदी अरब ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) ऋयादेश 159 लाख मीटर कपड़ के लिए है जिसका मूल्य लगभग 8.10 करोड़ रुपए है ।

(घ) फरवरी से सितम्बर, 1982 के दौरान निर्यात होने की सम्भावना है ।

इटली में स्कूटरों का निर्यात

121. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटली ने भारत से स्कूटरों का आयात करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने भारतीय स्कूटर इटली को निर्यात किए जाने हैं;

(ग) उन स्कूटरों का भारतीय रुपयों में क्या मूल्य है;

(घ) क्या भारत और इटली के बीच इस प्रयोजन के लिए कोई समझौता किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो समझौते को कब तक कार्यान्वित किया जाना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ङ) मैसर्स लम्ब्रेटा इटैलिया ने उन स्कूटरों में प्रयोग के लिए मैसर्स स्कूटर इण्डिया लिमिटेड से इंजनों के आयात में रुचि दिखाई है, जिनके आरम्भ में उनके द्वारा यूरोप में असैम्बिल किए जाने का विचार है। नवम्बर, 1981 में दोनों फर्मों के बीच करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए । अभी उनके बीच अन्तिम करार होना है ।

स्कूटरों के आयात के लिए इटली की कुछ अन्य फर्में भारत में स्कूटर बनाने वाली एक फर्म के परिणामस्वरूप अभी तक स्कूटरों के वास्तविक निर्यात नहीं हुए हैं ।

राज्य सरकारों द्वारा बीमार कपड़ा एककों के भार को बांटा जाना

122. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कपड़ा उद्योग एक संकट से गुजर रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे बीमार कपड़ा एककों के भार में हिस्सा बांटे; और

(ग) यदि हाँ, तो राज्य सरकारों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) सूती वस्त्र उद्योग अंतर्निविष्ट साधनों की लागत में वृद्धि तथा मांग में मंदी के कारण कठिन समय से गुजर रहा है।

(ख) ऐसा कोई सामान्य अनुरोध राज्य सरकार से नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन संस्थान की स्थापना करना

123. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटन संस्थान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्थान के मुख्य कार्य क्या हैं; और

(ग) इसकी स्थापना कब तथा कहाँ पर की जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रस्तावित पर्यटन और यात्रा प्रबन्ध संस्थान के केन्द्रक (न्यूक्लियस) को 1982-83 ने दौरान स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रारम्भ में यह देश में विविध केन्द्रों पर पर्यटन उद्योग के विविध घटकों में पहले से ही नियुक्त कार्मिकों के लिए एग्जिक्यूटिव विकास कार्यक्रम अर्पित करेगा। यह अनुसंधान और प्रलेखन कार्यभार भी करेगा और परामर्शी सेवाएं अर्पित करेगा। बाद में यह पर्यटन संबंधी 2 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम अर्पित करेगा। इस संस्थान को किसी खास स्थान पर अवस्थित करने का सवाल यथासमय तभी उठेगा जब चालू योजनावधि की समाप्ति के आस पास संस्थान को नियमित रूप से 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के लिए संगठित किया जाएगा।

विदेशों में ठेके आधार पर निष्पादित की जा रही परियोजनाएं।

124. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की गैर सरकारी तथा सरकारी कम्पनियों द्वारा ठेके के आधार पर विदेशों में कितनी परियोजनाएं निष्पादित की जा रही हैं; और

(ख) वे परियोजनाएं कौन सी हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (पी. ए. संगमा) : (क) तथा (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर, 1979 को निष्पादन अधीन सिविल निर्माण संविदाओं की संख्या 94 थी। 1980 के दौरान प्राप्त सिविल निर्माण संविदाओं की संख्या 80 थी। 1981 के दौरान प्राप्त की गई सिविल निर्माण संविदाओं की संख्या 41 थी। 31 सितम्बर, 1981 को सिविल निर्माण संविदाओं से इतर परियोजनाओं की संख्या 13 थी। इन परियोजनाओं की सूची संग्लन विवरण के अनुसार है। सूची में कुछ ऐसी परियोजनाएं हो सकती हैं जिन्हें संभवत: पूरा किय जा चुका है। [**ग्रन्थालय में रखी गई देखिपे संख्या एल. टी.** 3319/82]

इन्डोनेशिया में भारत में बने साइकिलों तथा साइकिल पुर्जों के बेचे जाने की गुंजाइश।

125. **श्री एन. ई. होरो** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डोनेशिया भारत में बने साइकिलों तथा साइकिल पुर्जों के बेचे जाने की गुजांइश है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इंडोनेशिया सरकार खेलकूद पर भी वहुत बल देती है; और

(ग) यदि हाँ, तो जहां तक साइकिलों तथा साइकिल पुर्जों का संबंध है बाजार में अब तक के व्यापार में भारत के हिस्से के ब्यौरे क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) वर्ष 1980 के दौरान इन्डोनेशिया में बाइसिकलों और बाइसिकलों के हिस्सों के कुल आयातों में भारत का भाग निम्नोक्त प्रकार रहा :

मद	कुल आयात (अमरीकी डालरों में लागत-बीमा भाड़ा मूल्य)	भारत का भाग
रेसिंग बाइसिकलें	5,27,334	कुछ नहीं
बाइसिकल सी के डी.	7,684,305	22,974
तैयार बाइसिकलें	59,474	कुछ नहीं
बाइसिकलों के हिस्से	23,517,178	4,689,809

सरकारी वित्तीय संस्थाओं में संसाधन संकट

127. **श्री वी. एस. विजय राघवन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी वित्तीय संस्थाओं में कोई संसाधन संकट है;

(ख) यदि हां, तो यह संकट किस प्रकार का है; और

(ग) इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) 1981-82 की वार्षिक आयोजना तैयार करते समय, सावधिक ऋणदात्री संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने वर्ष 1981-82 के लिए कुल 2134.23 करोड़ रुपये की कुल आवश्यकता का अनुमान लगाया था। यह अनुमान, संवितरणों में वृद्धि के संबंध में संस्थाओं के अनुभव और आयोजना लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में अपेक्षित बढ़ी हुई मात्रा में सहायता में उनकी भागीदारी पर आधारित थे। केन्द्रीय बजट-उधार आवंटनों, भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीय ब्याज ऋण (एल. टी. ओ.) निधि से उधारों और अपने आंतरिक संसाधनो से इन संस्थाओं के पास 1882.21 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध थी। वर्ष में इन संस्थाओं की (अनुमानित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इनके द्वारा और अधिक राशियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता को भी समझा गया है। विशेषत: उन क्षेत्रों में जहां सरकार उच्च प्राथमिकता दे रही है, औद्योगिक विकास की गति को बनाए रखने के लिए समुचित राशियों की व्यवस्था का इन संस्थाओं को आश्वासन दिया गया है।

निर्यात आय में सुधार

128. **श्री बी. एस. विजय राघवन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष कुल निर्यात आय में सराहनीय सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी हाँ।

(ख) अद्यतन उपलब्ध जानकारी के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के पहले महीनों के लिए भारत के कुल निर्यात के अनन्तिम आँकड़े गत वर्ष की इसी अवधि के 4037.98 करोड़ रु. के अनन्तिम आंकड़ों की तुलना में 4661.60 करोड़ रु. हैं जोकि 15.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं।

रथ आयोग के अनुसार मंहगाई भत्ते का भुगतान

129. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रथ आयोग, जिसे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के हिसाब में हुई त्रुटि ठीक करने के लिए नियुक्त किया गया था, के अनुसार मंहगाई भत्ते की एक किस्त 1 सितम्बर, 1979 से अभी देय है;

(ख) यदि हाँ, तो इसे कब तक दे दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में रथ समिति की सिफारिशें स्वीकार नहीं की हैं।

(ख) और (ग) अतः ये प्रश्न नहीं उठते।

वित्तीय विनियमों तथा पेंशन नियमों का प्रकाशन

130. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **वित्त मंत्री** वित्तीय विनियम-भाग-एक के पुनर्मुद्रण के बारे में 18 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4873 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय विनियम भाग-एक 1963 संस्करण के मूल पाठ वाले अंश के प्रकाशन में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) पेंशन नियम, 1672 के कब मुद्रित किये जाने और विक्रय हेतु काउण्टरों पर लाये जाने की आशा है;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) संशोधित मसौदा तैयार कर लिया गया है और विभिन्न सम्बन्धित अधिकारी उसकी जाँच कर रहे हैं।

(ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के दूसरे संस्करण का अंग्रेजी पाठ मूल्य के साथ प्रकाशित कर दिया गया है, जिसमें 31 जुलाई, 1981 तक के संशोधन समाविष्ट कर दिये गये हैं और प्रतियाँ बिक्री के लिए जारी कर दी गई हैं। इसका द्विभाषिक संस्करण छापा जा रहा है।

"नौ ट्वैक्स आन योगा प्रोजेक्ट्स" के बारे में समाचार

131. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जनवरी, 1982 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में 'ना टैक्स आन योगा प्रोजेक्ट्स' (योग परियोजनाओं पर कोई कर नहीं) शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है जिस में अर्पण आश्रम को मिले करोड़ों रुपये के दान की राशि पर दी गई आय कर की छूट के बारे में बताया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) इसका सन्दर्भ आयकर अधिनियम की धारा 35 (2क) के अन्तर्गत जारी की गयी वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 24 नवम्बर, 1981 की अधिसूचना संख्या 4344 से है जिसकी एक प्रति संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 3320/82**] आयकर अधिनियम की धारा 35 (2क) में, किसी कर-निर्धारिती को किसी कारबार, व्यवसाय अथवा वृत्ति से होने वाली कुछ आय में से उस रकम की कटौती की व्यवस्था की गई है जो धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) में निर्दिष्ट किसी वैज्ञानिक अनुसंधान संगम या विश्वविद्यालय या महा-विद्यालय या अन्य संस्था को अथवा सरकारी क्षेत्र की किसी कम्पनी को ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जो भारत की सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निहित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त अनुमोदित कार्यक्रम के अधीन हाथ में लिया गया हो, प्रयुक्त किये जाने के लिए संदत्त की गई हो। इस धारा के अधीन ऐसी कटौती संदत्त राशि के एक सही एक बटा तीन के बराबर है तथा धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं है। अयुर्विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के सम्बन्ध में विहित प्राधिकारी भारतीय अयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् है, देखिये आयकर नियम का नियम 6(i) (ii)।

सामान्य भविष्य निधि में 25,000 रुपये की सीमा को बढ़ा कर 50,000 रुपये करना

132. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **वित्त मन्त्री** सामान्य भविष्य निधि की जमाराशियों पर ब्याज के बारे में 11 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3805 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25,000 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जायेगा ताकि उस निधि में अधिक राशि जमा कराई जा सके;

(ख) क्या ब्याज की दर को बढ़ा कर 12 प्रतिशत किया जायेगा ताकि वह उचित हो सके;

(ग) क्या इस समय जो तीन वर्ष की शर्त है उसके स्थान पर दो वित्तीय वर्षों के दौरान यदि कोई राशि न निकाली जाये या अग्रिम राशि न ली जाये तो प्रोत्साहन बोनस देने का विचार है, और

(घ) क्या राशि निकालने/अग्रिम राशि लेने की प्रक्रिया को उदार बनाया जायेगा ताकि कर्मचारी बैंक में जाने की अपेक्षा निधि में अधिक राशि जमा करा कर दैनिक आवश्यकता की आधुनिक वस्तुएं खरीद सकें और इसके कर्मचारियों, जो बैंकों की अपेक्षा इस निधि में बचत को श्रेयस्कर समझते हैं, को मदद मिल सकें ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि में जमा उनकी रकमों पर दिए जाने वाले ब्याज की दरों और अन्य लाभों की समीक्षा हर वर्ष मई-जून में की जाती है और वर्ष 1982-83 की समीक्षा उपयुक्त समय पर की जाएगी।

(घ) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का, अभिदाताओं को बिजली के आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए सामान्य भविष्य निधि से रकमें निकालने/अग्रिम लेने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर स्थित दुकानों से करों की वसूली

134. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **वित्त मन्त्री** "मौफिया रूल एट आई. एस. बी. टी" तथा "रेन आफ टेरर एट आई. एस, बी. टी." शीर्षक समाचारों के बारे में 11 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3462 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उनसे करों की वसूली करने के लिए आरम्भ की गई कार्यवाही के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : आयकर आयुक्त ने सूचित किया है कि आयकर अधिनियम की धारा 139 (2) के अन्तर्गत निर्धारिती को नोटिस जारी कर दिया गया है और उसकी तामील भी हो गई है उस नोटिस के जवाब में अभी तक कोई विवरणी प्राप्त नहीं हुई है। कानून के मुताबिक आगे आवश्वक कार्यवाही की जा रही है।

अन्नानगर एक्सटेंशन, मद्रास में बैंक की शाखा खोलना

135. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्नानगर एक्सटेंशन, मद्रास में किसी बैंक की शाखा खोलने के लिये कोई आवेदन पत्र भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अन्नानगर तथा अन्नानगर पश्चिम में, इन स्थानों तथा इनके निकटवर्ती इलाकों की बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, इस समय 13 वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालय कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्ति हाल ही में इलाहाबाद बैंक तथा विजया बैंक लिमिटेड को क्रमशः अन्नानगर पश्चिम तथा अन्नानगर में अपने कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी गई है। इस समय इस इलाके में शाखा खोलने के वास्ते किसी भी बैंक का कोई आवेदनपत्र भारतीय रिजर्व बैंक के पास विचाराधीन नहीं है।

तट-रक्षक के क्षेत्रीय कार्यालयों में रिक्त होने वाले पदों को परिचालित न किया जाना

136. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तट-रक्षक के क्षेत्रीय कार्यालयों में रिक्त होने वाले पदों की ए. एम. एच. क्यू./अन्तर्सेवा संगठनों/रक्षा मन्त्रालय में सदैव परिचालित नहीं किया जाता है यद्यपि वहाँ पर कम दर पर प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते पर सेवा में आने के लिये स्वयंसेवी मिल जाते हैं; और

(ख) क्या क्षेत्रीय कार्यालयों में हुए रिक्त पदों को नौसैनिक कमाँड की बजाय थल और वायु कमाँडों में परिचालित किया गया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) और (ख) तट रक्षक संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में होने वाली रिक्तियों को शस्त्र सेना मुख्यालय/अन्तर सेवा संगठन/रक्षा मन्त्रालय में आमतौर पर परिचालित नहीं किया जाता है। ऐसा तट रक्षक संगठन और नौसेना में काम की समानताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। जिन रिक्तियों के लिए तट रक्षक संगठन को सीधी भर्ती वाले उम्मीदवार नहीं मिलते, उन रिक्तियों को नौसेना से कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति पर लेकर भर लिया जाता है। जब नौसेना से उपयुक्त वालांटियर उपलब्ध नहीं होते, तब इन रिक्तियों को सशस्त्र सेना मुख्यालय और अन्तर-सेवा संगठनों में परिचालित कर दिया जाता है।

भारतीय नौसेना के कमोडारों के साथ ग्रेड-डी के स्टेनोग्राफरों की नियुक्ति

137 **राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौ सेना के डी. आई. जीज. कमोडारों के पद के अधिकारियों के साथ ग्रेड-बी/सी. के बजाय ग्रेड-डी के स्टेनोग्राफरों की व्यवस्था की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तट रक्षकों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) और (ख) नौसेना मुख्यालय में भारतीय नौसेना के कमोडोर आशुलिपिक ग्रेड "ख" के हकदार होते हैं। तटरक्षक मुख्यालय में एक उप महानिरीक्षक को आशुलिपिक ग्रेड "ख" और 2 उप महानिरीक्षकों को उनकी पात्रता के अनुसार आशुलिपिक ग्रेड "ग" दिए गए हैं। तट रक्षक संगठन के क्षेत्रीय मुख्यालय के केवल एक उपमहानिरीक्षक को नौसेना निम्न विरचनाओं की स्थिति के अनुसार आशुलिपिक ग्रेड "घ" दिया गया है।

जीवन बीमा निगम का पांच एककों में विभाजन

138. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम को पांच एककों में विभाजित करने का प्रस्ताव किस स्थिति में है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कारोबार में वृद्धि होगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम को पाँच स्वतंत्र एककों में पुनर्गठित करने के प्रस्ताव के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) आशा है कि प्रस्तावित पुनर्गठन से, अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कारबार को खूब बढ़ाने में मदद मिलेगी।

विदेशी मुद्रा के कोरे परमिटों का जारी किया जाना

139. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े औद्योगिक गृहों और निर्यात गृहों को विदेशी मुद्रा के कोरे परमिट जारी करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन बड़े औद्योगिक गृहों/निर्यात गृहों तथा अन्यों को दस लाख रुपये और उससे अधिक के विदेशी मुद्रा के कोरे परमिट जारी किये जा रहे हैं और जिन्हें व्यापार संवर्धन के नाम पर विदेशों में उनके दौरों के लिए अतिरिक्त विदेशी मुद्रा दी जाती है ;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे औद्योगिक गृहों के कार्यकारी अधिकारियों को विदेशों की ऐसी यात्राओं पर कोई नियंत्रण नहीं रखा गया जा रहा है जबकि वे विदेशी मुद्रा न लेते हुए विदेशी अतिथ्य प्राप्त करते हुए विदेशों कीं यात्रा बार-बार करते हैं; और

(ङ) व्यापार या निर्यात संवर्धन के नाम पर ऐसी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं, जो बैंक द्वारा प्रकाशित "एक्सचेंज कंट्रोल मेनुअल" में दिए गये हैं जो बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। मोटे तौर पर, कोरे परमिट जारी करने के लिये आवेदन पत्रों पर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रादेशिक कार्यालयों द्वारा इन बातों के आधार पर विचार किया जाता हैं : समूचे निर्यात-क्षेत्र में आवेदक की स्थिति, गत वर्षों में किए गए निर्यात का मूल्य, गत वर्षों में जारी किये गये तदर्थ/कोरे परमिटों के बदले खर्च की गई विदेशी मुद्रा, निर्यातकी जाने वाली वस्तुओं/सेवाओं की किस्म, उन निर्यात मंडियों का स्वरूप जिनका विकास किया जाना है, आदि।

(ग) सूचना, यथासम्भव, इकट्ठी की जा रहा है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) औद्योगिक गृहों के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा एक ही उद्देश्य से बार-बार विदेश यात्रा किये जाने को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। लेकिन किसी अनुवर्ती यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा जारी किए जाने के आवेदन पत्रों पर गुणदोषों के आधार पर तभी विचार किया जाता है जब भारतीय रिजर्व बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि पूर्ववर्ती यात्रा के दौरान पहले से शुरू की गई कार्यवाई के सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रथम दृष्टि में मामला बनता है। ऐसे मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दूसरी ओर बाद की यात्राओं के परिणामों की रिपोर्टें माँगी जाती है।

ऐसे मामलों में, जिनमें विशेष रूप से यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा मांगी जाती है, विदेश-यात्रा की बुकिंग करवाने पर कोई पांबन्दी नहीं है।

(ङ) विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग के मामलों पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कार्यवाही की

जाती है। इस निदेशालय की स्थापना विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के अधीन की गई है।

झा आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

140. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्यक्षकार कानूनों में परिवर्तन के बारे में झा आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ख) उनकी क्रियान्विति करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग (झा-आयोग) ने कुछ अन्तरिम रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है। इन रिपोर्टों की विषय वस्तु को फिलहास गुप्त रखने का प्रस्ताव है।

अपरिष्कृत रेशम के आयात के लिए चीन के के साथ द्विपक्षीय करार

141. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** 250 टन अपरिष्कृत रेशम का आयात करने के लिए चीन के साथ हाल ही में किए गए द्विपक्षीय करार की प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : 250 मे. टन कच्चे रेशम के आयात के बारे में कोई भारत-चीन द्विपक्षीय करार नहीं है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड और चीन के राष्ट्रीय वस्त्र निगम के बीच केवल एक खरीद संविदा है। इस संविदा में अन्य बातों के साथ-साथ इन बातों को निर्धारित किया गया है। आयात किये जाने वाले कच्चे रेशम की विशिष्टियाँ मई, 1982 के अन्त तक खेपों में दी जाने वाली मात्राएं, लदान तथा गंतव्य पत्तन, भुगतान की शर्तें, आदि।

एच. एफ. 24 (मारूत विमान) से सुसज्जित भारतीय वायु सेना में स्क्वैड्रनों की संख्या

142. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायु सेना में ऐसे कितने एक्वैड्रन हैं जो एच. एफ. 24 (मारूत विमान) से सुसज्जित हैं,

(ख) उन्हें धीरे-धीरे करके कब तक समाप्त कर दिया जाएगा, और

(ग) गत दस वर्षों में इस विमान को उड़ाते समय कितनी दुर्घटनाएं हुई और कितने पाइलट दिवंगत हुए ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के. पी. सिंह देव) (क) और (ख) लोकहित में यह सूचना देना उचित नहीं होगा।

(ग) पिछले 10 वर्षों में मारूत विमानों की कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं और इन दुर्घटनाओं में 5 पायलटों की जाने गई। दुर्घटनाओं की संख्या लोकहित में बताना उचित नहीं होगा।

भारत में घरेलू सरकारी ऋण

143. **श्री आर. पी. गायकवाड़ :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जनता से लिये गये ऋण में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है तथा चालू वित्त वर्ष के अन्त तक सरकार पर ऐसी कुछ कितनी राशि का ऋण था;

(ख) बाजार ऋण, राज कोष बिल, प्रतिभूतियाँ, सरकार के पास जमा राशियों, व्यक्तिग वचतों और सरकार के विभिन्न विभागों की अन्य आरक्षित निधियों आदि शीर्षक के अन्तर्गत कितना कितना सार्वजनिक ऋण सरकार पर है,

(ग) विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में सार्वजनिक ऋण कितनी न्यूनाधिक है, और

(घ) बाजार ऋणों की राशि कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) लोक-ऋण, राजकोष हुंडियों, अल्प वचतों और अन्य वचत-पत्रों के अन्तर्गत जमा राशियों और प्रारक्षित निधियों में 1950-51 से होने वाली वृद्धि की जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ की 1978 की सांख्यिक, वर्ष पुस्तिका के अनुसार 1977 के अन्त में भारत का आन्तरिक ऋण (जिसमें केन्द्र सरकार से भिन्न राज्य सरकारों और अर्ध-सरकारी संस्थाओं द्वारा लिया गया उधार भीं शामिल है) हमारी राष्ट्रीय आय के 49.2 प्रतिशत के बरावर था जबकि इसकी तुलना में श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के मामले में यह अनुपात क्रमश: 47.9 प्रतिशत, 42.6 प्रतिशत और 50.4 प्रतिशत था।

(घ) बाजार-ऋण लोक वित्त का एक मान्य साधन हैं और हमारे जैसे किसी विकासशील देश में इनमें वृद्धि होने पर चिन्ता नहीं की जानी चाहिए। छठी आयोजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा 15,000 करोड़ रुपए और राज्य सरकारों द्वारा 4,500 करोड़ रुपये के बाजार-ऋण लिये जाने की परिकल्पना की गई है।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

	1950-51	1960-61	1965-66	1977-78	संशोधित 1980-81	बजट 1981-82
क. आन्तरिक ऋण			3415.27	9212.22		
1. बाजार ऋण	1438.46	2555.72			15472.55	18272.80
2. चुकाए जा रहे बाजार ऋण	6.49	22.73	33.72	50.48	50.66	50.66
3. विशेष वाहक बांड	...	...	...	...	200.00	1000.00
4. राजकोष हुण्डियां	358.02	1106.29	1611.82	8618.83	11668.19	13207.25
5. क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	...	19.08	15.13	125.29	210.24	265.66
6. विशेष अस्थाई और अन्य ऋण	212.60	274.18	340.70	1018.56	1406.85	1392.19
7. राजकोष जमा प्राप्तियां और अन्य निधि से ऋण	6.77	...	...	...	...	...
जोड़-आन्तरिक ऋण	2022.30	3978.00	5416.64	19025.29	29008.49	34188.96
ख. विदेशी ऋण	32.03	760.96	2590.62	8984.74	10782.39	11782.62
ग. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष न्यास निधि से ऋण	...	...	...	...	533.96	533.96
जोड़ लोक ऋण	2054.33	4738.96	8007.26	28010.03	40324.84	46505.54

1	2	2	3	4	5	6
घ. अल्प बचत योजनाएं	336.87	969.99	1538.21	4902.82	7955.12	9205.12
ङ. अन्य भविष्य निधियां आदि						
1. राज्य भविष्य निधियां	95.05	289.14	527.02	1852.56	2534.29	2781.29
2. लोक भविष्य निधि	...	...	...	61.07	197.52	270.52
3. अन्य खाते	16.10	262.23	694.57	2322.09	4132.92	5077.02
जोड़ अन्य भविष्य निधियां आदि	111.15	551.37	1221.59	4236.72	6864.73	8128.83
च. आरक्षित निधियां और जमा राशियां						
(क) ब्याज	260.85	142.19	275.03	1236.40	1765.05	1835.35
(ख) गैर-ब्याजू	102.20	141.73	285.02	1817.98	1813.48	1842.89
जोड़ आरक्षित निधियां और जमा राशियां	363.05	283.92	560.05	3054.38	3578 53	3638.24
कुल देनदारियाँ	2865.40	6544.24	11327.11	40203.95	58723.22	67417.73

मध्य प्रदेश के लिए मन्जूर स्वीकृत किए गए नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

144. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान कितने नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मंजूर किये गये हैं/स्वीकृत किये गये हैं,

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए कोई प्रस्ताव मिला है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में अब तक कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/प्रादेशिक ग्रामीण बैंक मंजूर नहीं किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक इस प्रस्ताव की संभाव्यता की जांच के लिए विशेष अध्ययन कर रहा है।

निर्यात-प्रधान उद्योगों को लाइसेंस

145. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने निर्यात-प्रधान उद्योगों को चालू वित्त वर्ष के दौरान लाइसेंस दिए गए हैं;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार निर्यात बढ़ाने के हेतु निर्यात-प्रधान एककों के लिए अधिक सुविधाओं पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) 1 अप्रैल 1981 से 16 फरवरी 1982 तक की अवधि के दौरान शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक योजना के अन्तर्गत एककों को 46 आशय पत्र, 3 औद्योगिक लाइसेंस और 30 अनुमति पत्र जारी किए गए हैं।

(ख) जिन मामलों में लाइसेंस दिये गये हैं उनका ब्यौरा अनुबंध संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने मुक्त व्यापार जोनों और साथ ही शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख योजना दोनों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए एपलाइड आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् (एन. सी. ई. ए. आर.) के अध्यक्ष श्री पी. एल. टंडन की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स स्थापित किया ताकि दी गई वर्तमान सुविधाओं की पर्याप्तता के बारे में विचार किया जा सके और निर्यात उत्पादन आदि के बारे में भावी नीति की सिफारिश की जा सके।

विवरण

क्रमांक	उपक्रम का नाम तथा आशय पत्र की किस्म	स्थान	केवल उत्पादन की मद
1.	नथानी स्टील प्रा. लि. बम्बई, (एन. ए.	बम्बई महाराष्ट्र	केस्टीलेटिड बीम तथा ब्रांड फलैग्ड बीम के मेरीन फ्रेट केंटेनर्स
2.	हयाथुम एक्सपोर्टस लि. केरल (एन. यू.)	कल्लार एरिया त्रिवेन्द्रम केरल	(क) मिनरल वाटर (ख) पी. ई. टी. बोतलें
3.	मै. स्विस ज्वैल्स (इंडिया) लि., बम्बई. (एन. यू.)	रंग्रेथन, वदनाम जम्मू तथा कश्मीर	घड़ियों, मीटरों, उपस्करों आदि के लिए ज्वैल्स.

नई दिल्ली में तीन तथा चार तारा होटलों का निर्माण

146. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा एशियाई खेल-82 के लिए नई दिल्ली में कितने तीन तारा और चार तारा होटल बनाये जा रहे हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक होटल पर कितनी लागत आयेगी तथा प्रत्येक की क्षमता कितनी-कितनी होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) एशियाई खेल 1982 के लिए भारत पर्यटन विकास निगम 785 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर नई दिल्ली में होटल कनिष्क (324 कमरे) नामक एक 3-स्टार होटल का निर्माण कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, भारत पर्यटन विकास निगम, नई दिल्ली में होटल कौटिल्य (304 कमरे) का भी 1800 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर निर्माण कर रहा है परन्तु इस होटल के 4/5 स्टार के रूप में वर्गीकृत किए जाने की संभावना है। इसके अलावा, 430 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर स्टार-रहित यात्री निवास (527 कमरे) (1200 बैड्स) निर्माणाधीन है।

ये सभी तीनों होटल और भारत पर्यटन विकास निगम की अन्य संस्थापनाएं एशियाई खेल 1982 की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

एशियाई खेल-82 में आने वाले पर्यटकों और भाग लेने वालों के लिये विशेष सुविधाएं

147. **श्री प्रताप भानु शर्मा :**

श्री डी. एम. पुत्ते गौडा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार एशियाई खेल-82 में आने वाले पर्यटकों और भाग लेने वालों के लिये विशेष सुविधायें देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अवसर पर कितने विदेशी पर्यटकों के आने की आशा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) जी, हां। एशियाई खेल-82 में आने वाले पर्यटकों और भाग लेने वालों के लिए निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है:—

(1) **पर्यटकों के लिए :**

पर्यटकों के लिए आवास की व्यवस्था करने के वास्ते नए होटलों का निर्माण किया जा रहा है और उनके लिए फेन्इग गेस्ट आवास का भी अभिनिर्धारण किया जा रहा है। दिल्ली हवाई अड्डे का पुनरूद्धार किया जा रहा है और अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एक नई टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है।

रेल सेवा की फ्रीक्वन्सि को बढ़ाने के लिए रिंग रेलवे का विद्युतीकरण किया जा रहा है। दिल्ली परिवाहन निगम की बसों के फ्लीट में और टैक्सियों की तादाद में बढ़ौतरी की जा रही है।

(2) **भाग लेने वालों के लिए :**

खिलाड़ियों के लिए आवास की व्यवस्था करने के वास्ते अलग से एक ग्राम की स्थापना की जा रही है जहां उन्हें केटरिंग, चिकित्सा स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाएं जुटायी जाएंगी। तकनीकी अधिकारियों के लिए शेख सराय में अलग से एक हाउजिंग कम्पलैक्स का विकास किया जा रहा है।

खिलाड़ियों और तकनीकी अधिकारियों के आवगमन के लिए परिवहन संबंधी पर्याप्त बन्दोवस्त किए जा रहे हैं।

(ग) फिलहाल इस बारे में कोई अन्दाजा लगाना मुश्किल है कि इस अवसर पर कितने बिदेशी पर्यटक आएंगे।

नई निर्यात नीति में राज्य सरकारों की भूमिका

148. **श्री सुधीर कुमार गिरि :**

श्री हरिनाथ मिश्र : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की नई निर्यात नीति में राज्य सरकारों द्वारा संभवतया की जाने वाली भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार नई निर्यात नीति की क्रियान्विति के लिए बिजली उत्पादन, परिवहन और कच्चे माल का प्रबंध करने के मामले में राज्य सरकारों का ज्यादा अधिकार देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) राज्य सरकारें, मुख्यत:

निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक अन्तर्निवेश प्रदान करके तथा निर्यातों को कर संबंधी लेवियों से छूट देकर निर्यात प्रयास में मदद कर सकती हैं।

(ख) से (घ) बिजली उत्पादन तथा कच्चे माल की हैंडलिंग जैसे मामलों के संबंध में राज्य सरकारों के पास पहले ही पर्याप्त अधिकार हैं। तथापि, निर्यात प्रयास में राज्य सरकारों का अपेक्षाकृत अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

20- सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बैंकों की भूमिका

149. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू और काश्मीर तथा हरियाणा राज्यों में 1975 में शुरू किये गये 20- सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बैंकों की भूमिका का कोई निर्धारण अथवा मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारण/मूल्यांकन किया अवधि के लिये किया गया था और हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक प्रमुख (लीड) बैंक के मामले में परिणाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसा अनुमान/मूल्यांकन शीघ्र ही किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के प्रत्येक सूत्र के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों के बारे में विगत समय में अलग से कोई आंकड़े एकत्र नहीं किये जाते थे। अलबत्ता, इन अग्रिमों का एक बड़ा भाग, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गए ऋणों से सम्बद्ध आंकड़ों में परिलक्षित होता था। 31 सितम्बर, 1980 की स्थिति के अनुसार, हरियाणा, हिमालच प्रदेश, पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में प्राथमिकत प्राप्त क्षेत्रों को दिये गए अग्रिमों की बकाया राशि क्रमश: 317 करोड़ रुपये. 38.97 करोड़ रुपये, 573.02 करोड़ रुपये तथा 70.96 करोड़ रुपये थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब एक नई सूचना प्रणाली विकसित की है जिसके अधीन भविष्य में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा वित्त पोषण पर निगरानी करने के लिए आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे।

पर्यटन से अर्जित विदेशी मुद्रा

150. **श्री अशोक गहलोत** :

प्रो. बी. डी. सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान पर्यटन से सरकार ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की;

(ख) क्या सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये एक राष्ट्रीय पर्यटन नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) वर्ष 1981 के लिए पर्यटन से अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा आय का वर्तमान कीमतों पर अन्नतिम रूप से 564 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां । राष्ट्रीय पर्यटन नीति संबंधी स्टेटमेन्ट तैयार किया जा रहा है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

योजना प्राथमिकताओं में पर्यटन को उच्च स्थान

151. **श्री हरिनाथ मिश्र : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि 1968 में भारत में विदेशों से दो लाख से कम पर्यटक आये थे लेकिन 1980 में इनकी संख्या आठ लाख से अधिक हो गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे लगभग 125 देश हैं जो प्रति वर्ष अन्तर्राष्ट्रय सीमा क्षेत्रों को पार कर आने वाले लगभग 30 करोड़ पर्यटकों और बहुत से पर्यटकों को यात्रा के लिये प्रेरित किया जाता है को आकर्षित करने के लिये स्पर्धा कर रहे हैं?

(ग) क्या भारत में पर्यटन से विदेशी मुद्रा की आय 1980 में लगभग 500 करोड़ रुपये थी जो तीसरे स्थान पर सर्वाधिक तथापि पर्यटन की योजना की प्राथमिकताओं में निम्नतम स्थान दिया गया है;

(घ) क्या सातवें दशक के प्रारम्भ में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने "आगन्तुक का स्वागत करो, मिश्र के रूप में उसे बापस भेजों" नारे को लोक प्रिय बनाया था; और

(ङ) यदि हाँ, तो योजना की प्राथमिकताओं में पर्यटन को उच्च स्थान देने और हमारे देश में आने वाले प्रत्येक यात्री को एक मित्र के रूप में वापस भेजने को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) चालू कीमतों के आधार पर पर्यटन से विदेशी मुद्रा की आय 1980 में 482 करोड़ रुपए आंकी गई थी । अन्य निर्यात-मदों से आय की तुलना करते समय, वित्तीय वर्ष के आधार पर जो आंकड़ संकलित किए जाते हैं उनके अनुसार, 1979-80 के दौरान पर्यटन का पांचवा स्थान रहा ।

हालांकि विभिन्न सेक्टरों के लिए किए गए वित्तीय परिव्यय के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यटन को कम प्राथमिकता प्रदान की गई है, तथापि यह उल्लेख किया जा सकता है कि पूंजी का एक बड़ा हिस्सा कुछ अन्य सेक्टरों, उदाहरणार्थ नागर विमानन, परिवहन, रेलवे, सडकों, स्मारकों, वन, वन्य जीव, आदि के संरक्षण में लगाया गया और ये भी पर्यटन के विकास एवं संवर्धन की दिशा में योगदान करते हैं । पर्यटन के विकास के लिए सार्वजनिक सेक्टर के परिव्यय के अलावा, देश में पर्यटक आधारित संरचना का विकास करने के वास्ते प्राइवेट सेक्टर भी बड़ी तादाद में पूंजी निवेश कर रहा है ।

(घ) जी, हाँ ।

(ङ) क्षेत्रीय आवश्यकताओं के सापेक्ष परिमाण, आर्थिक किवास के संदर्भ में सापेक्ष प्राथमिकताओं, आदि सहित विविध तथ्यों पर निर्भर रहते हुए कुल राष्ट्रीय परिव्यय के अन्दर

अन्दर अर्थव्यस्था में विभिन्न क्षेत्रों के हिस्से की प्रतिशतता की सापेक्ष स्थिति को ध्यान में रखते हुए अत: क्षेत्रीय प्राथमिताओं में पर्यटन को स्थान प्रदान किया जाता है। पर्यटन विभाग ने केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में निर्धारित यात्रा परिपथों के साथ-साथ पर्यटक सुविधाओं के विकास की संकल्पना तैयार की है। यह सुविश्चित करने के लिए कि हमारे देश में आने वाला प्रत्येक यात्री एक दोस्त बन कर वापस लौटे, केन्द्रीय, राज्यों के मंत्रालयों/विभागों और प्राइवेट सेक्टर की एजेंसियों पर यह प्रभाव डालने के हर प्रयास किए जाते हैं कि वे इस बात का ध्यान रखें कि पर्यटकों को होने वाली असुविधाए/उन्हें नाराज करने वाले कारण कम से कम हों/बिल्कु नहीं हों।

भारतीय उत्पादों का निर्यात

152. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 जनवरी, 1982 के "इकोनामिक टाइम्स" में प्रकाशित "कीन इन्टेरेस्ट टू बाई इण्डियन प्रोजेक्टस (भारतीय उत्पादों को खरीदने के लिए अत्यधिक रुचि)" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और इनके रुपये के कुल मूल्य सहित प्रत्येक देश द्वारा दर्शाई गई रुचि के भारतीय उत्पादों के ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या 1980–90 के दौरान हमारे निर्यात व्यापार की संभावनाओं के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा और इस माँग को पूरा करने के लिए हमारी क्षमता कितनी है; और

(घ) क्या बढ़ती हुई इस माँग के अनुरूप हमारी उत्पादन क्षमता में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी हां।

(ख) इस मंत्रालय को समाचार पत्रों में उल्लिखित फर्मों से कोई विशिष्ट पूछताछ प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, जब हमारे विदेश स्थित व्यापार मिशनों के माध्यम से विभिन्न उत्पादों के सम्बन्ध में समय-समय पर व्यापारिक पूछताछ प्राप्त होती हो तो उन्हें संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों के बीच परिचालित किया जाता है ताकि वे उसे अपने सदस्यों को भेज सकें। इसके अलावा, विभिन्न देशों के विशेषत: एशिया तथा अफ्रीका के व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान यह देखा गया है कि ये देश सामान्यत: भारतीय उत्पाद खरीदने में रुचि रखते हैं बशर्ते कि माल उनके स्तर के अनुसार हो और कीमतें प्रतियोगी हों।

(ग) विशिष्ट वस्तुओं तथा देशों के सम्बन्ध में विदेशी बाजारों के सर्वेक्षण व्यापार विकास प्राधिकरण तथा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जैसे संगठनों द्वारा समय-समय पर संचालित किए जाते हैं। इन सर्वेक्षणों से विशेष देशों को विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात के लिए भावी गुंजाइश का संकेत मिलता है।

(घ) निर्यातों के लिए संभाव्य माँग को पूरा करने के उद्देश्य से उत्पादन पर लाइसेंसिंग तथा अन्य अवरोधों को दूर करने के लिये अनेक उपाय किये गये हैं। 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों के लिए एक नई योजना भी शुरू की जा रही है। अन्य बातों के साथ-साथ

निर्यात संवर्धन तथा आयात प्रतिस्थापन के लिये उत्पादन आधार को सुदृढ़ करना और उपलब्ध क्षमताओं का पूर्व उपयोग कर सकने के लिये अनिवार्य अन्तर्निवेश प्रदान किये जा रहे हैं। स्थिति की समीक्षा की जाती है और जो भी स्थिति उभरेगी, उसके अनुसार आगे उपाय किए जाएंगे।

"न्यू इंसेटिव्ज फार नान रेजिडेंट्स" शीर्षक समाचार

153. **श्री हरिनाथ मिश्र।**

श्री चित्त महाटा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जनवरी, 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित "न्यू इन्सेटिवज फार नान रेजिडेंट्स" शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि 1974 में एक महीने में औसतन 47 करोड़ रुपये से बढ़कर राशियां गत दो वर्षों में एक महीने में 370 करोड़ रुपये से अधिक हो गई हैं;

(ग) क्या पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए दी जा चुकी कुछ रियायतों का उल्लेख करते हुए भूत र्व वित्त मंत्री ने हाल ही में टिप्पणी की थी, सरकार राष्ट्रीय हित के अनुरूप और छूट देने पर विचार करने के लिए तैयार है जो आदिवासियों द्वारा भारत में पूंजी निवेश के प्रयोजनार्थ मांगी गई हो; और

(घ) यदि हाँ, तो (एक) आदिवासियों द्वारा पूंजी निवेश के प्रयोजनार्थ और "छूट" क्या माँगी गई हैं और (दो) चालू वर्ष के दौरान प्रतिमाह कितनी राशि प्राप्त होने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुकर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) निर्यात भिन्न सकल राशियाँ 1974 के प्रतिभाग 47.44 करोड़ रुहए के औसत से बढ़कर गत दो वर्षो अर्थात् 1980 और 1981 में 378.71 करोड़ रुपए प्रतिमास से अधिक हो गयी।

(ग) जी, हां।

(घ) (एक) इस सम्बन्ध में भारतीय कम्पनियों में अधिक निवेश करने की अनुमति दिये जाने, निवेश के माध्यमों में विविधता लाने और करों में कुछ रियायतें दिए जाने के सुझाव प्राप्त हुये हैं।

(दो) निर्यात-भिन्न सकल राशियों के 1981 के बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन स्थूल संकेतों से पता चलता है कि हाल के महीनों में इन प्राप्तियों में जो वृद्धि दिखाई दी थी, उसके भविष्य में बने रहने की सम्भावना नहीं है।

निर्यात कर्त्ताओं के जोखिम का बीमा करने की योजना

154. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की निर्यातकर्त्ताओं के जोखिम का बीमा करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयातकर्त्ताओं के जोखिम को शामिल करने के लिए किन्ही सरकारी अथवा गैर सरकारी उपक्रमों की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) आयातकों के जोखिम कवर करने की सरकार की कोई योजना नहीं है और वह गैर सरकारी क्षेत्र में ऐसी किसी योजना से अवगत नहीं है।

विवरण

निर्यात ऋण तथा गारन्टी नियम जो कि एक सरकारी उपक्रम है, ऋण शर्तों पर किए जाने वाले निर्यातों में निहित वाणिज्यिक व राजनीतिक जोखिमों को कवर करने के लिये निर्यातकों को पालिसियाँ जारी करता है। वाणिज्यिक जोखिम है। विदेशी खरीदार का दिवालियापन तथा उसके द्वारा व्यतिक्रम राजनीतिक जोखिम हैं, ऐसे कारणों से होने वाली हानियाँ जो निर्यातक तथा/अथवा खरीदार के नियंत्रण के बाहर हों जैसे समुद्री यात्रा में पथ से भटकना, अन्तरण में विलम्ब, खरीदार के देश में आयात/मुद्रा विनियमों में अचानक परिवर्तन, युद्ध, गृहयुद्ध आदि। आमतौर पर जोखिमों को लदान की तारीख से भुगतान की तारीख तक कवर किया जाता है। ऐसे माल के मामले में, जो किसी एक खास बाजार या खरीदार के लिये बनाया गया हो, जिनकी पुन: बिक्री की सम्भावनायें बहुत ही कम हों, निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम संविदा करने की तारीख से भी जोखिम कवर करने को सहमत होता है।

2. इसके अलावा निगम बैंकों को, लदान पूर्व अवस्था के दौरान पैकिंग ऋण के रूप में उनके द्वारा दी गई अग्रिम राशियों के लिये और साथ ही निर्यात बिलों की खरीद या डिसकाउंटिंग के रूप में दिए गये लदान बाद की अग्रिम राशियों के लिये विभिन्न प्रकार की गारंटियां भी जारी करता है। इसके अतिरिक्त, निगम बैंकों को निर्यात संचालनों के सम्बन्ध में उनके द्वारा जारी की गई निष्पादन गारंटियों के मामले में उन्हें सहायता देने के लिए विभिन्न प्रकार की गारंटियां जारी करता है। निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम द्वारा इस संबन्ध में जारी की गई निष्पादन गारंटियों में शामिल हैं, बोली-बांड, निर्यात-निष्पादन, पेशगी भुगतान, विदेशी मुद्रा ऋण व प्रतिधारण धन।

3. निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम विदेशी सरकारों या विदेशी बैंकों को बैंकों द्वारा दिये गए विभिन्न ऋण और खरीदार ऋण को कवर करने के लिए बैंकों को अलग गारंटियां जारी करता है ताकि वे भारतीय माल खरीद सकें। निगम निर्यातकों के लिये उन हानियों के सम्बन्ध में भी सुरक्षा प्रदान करता है जो विदेशों में उनके द्वारा किए गए स्वीकृति निवेशों के संबंध में राजनैतिक जोखिमों के कारण होती हैं।

4. इसके अलावा, निर्यात ऋण तथा गारन्टी निगम, मुद्रा उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली हानियों से पूंजीगत माल के निर्यातकों के हितों की रक्षा करने की एक मुद्रा उत्तार-चढ़ाव योजना भी चलाता है।

समुद्री वनस्पति के निर्यात पर प्रतिबन्ध

155. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्री वनस्पति के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध है; और

(ख) यदि हां तो इस प्रतिबन्ध के कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. सगमा) : (क) जी हाँ।

(ख) समुद्री वनस्पति की कई महत्वपूर्ण किस्में जैसे थैलीडीला, सरगैसम, ग्रेसीलेरिया आदि का प्रयोग देश में अगर-अगर, एल्जीनेट. एल्जीनिक एसिड आदि के उत्पादन में किया जाता है। इन उत्पादों के विनिर्माताओं को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध कराने और देश के उद्योग की रक्षा करने के लिए इन सभी किस्मों की समुद्री वनस्पति के निर्यात पर रोक लगाने का विनिश्चय किया गया है।

विधान मंडल भवन काम्लेक्स के निर्माण के लिए फोर्ट सेंट जार्ज मद्रास के भीतर भूमि

156. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने रक्षा मन्त्रालय को कहा है कि वह विधान मण्डल भवन काम्प्लेक्स के निर्माण के लिए फोर्ट सेंट जार्ज, मद्रास के भीतर भूमि दें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रक्षा मंत्रालय द्वारा मुआवजे की भूमि मांगी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी हाँ।

(ख) तमिलनाडु सरकार ने फोर्ट के अन्दर पहले 4.47 एकड़ भूमि मांगी थी। परन्तु बाद में उन्हें फोर्ट के अन्दर 2.2 एकड़ वैकल्पिक क्षेत्र देने का प्रस्ताव किया गया जिसके लिए वे सहमत हो गए।

(ग) और (घ) जी हां। तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया गया है कि रक्षा कार्यों के लिए उस क्षेत्र के बराबर भूमि और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रस्तावित वैकल्पिक भूमि पर वैसी ही रक्षा परिसंपत्ति का निर्माण करने के लिए खर्च भी दे। राज्य सरकार ने इस बात को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है। राज्य सरकार ने जो भूमि देने का प्रस्ताव किया है उसे स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि वह भूमि फोर्ट सेंट जार्ज से 13 से 15 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है।

भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋण

157. **श्री बी. डी. सिंह** :

प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रा और वित्त 1980-81 पर अपने प्रतिवेदन में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण के बारे में महत्वपूर्ण आलोचनात्मक टिप्पणियाँ की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

नई दिल्ली में आयोजित भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय के संयुक्त आयोग की बैठक

158. **श्रीमती माधुरी सिंह :**

श्री एच. एन. नन्जे गौडा :

श्री बापूसाहिब परुलेकर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के संयुक्त आयोग की एक बैठक हुई थी;

(ख) उसमें लिए गए प्रमुख निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों में भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच हुए व्यापार के वर्षवार घाटे और मुनाफे का ब्यौरा क्या है; और

(घ) व्यापार में घाटा समाप्त करने के लिये दोनों पक्षों द्वारा इस बैठक में क्या ठोस निर्णय किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी हाँ । भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय संयुक्त आयोग की बैठक 22 तथा 25 जनवरी 1982 को नई दिल्ली में हुई थी ।

(ख) तथा (ग) भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय संयुक्त आयोग इस बात के लिए सहमत हुआ कि एक कार्यकारी ग्रुप स्थापित किया जाये जो वस्त्र, तम्बाकू, चमड़ा, हाथ से गाँठ लगे कालीनों आदि जैसे महत्वपूर्ण भारतीय उत्पादों के लिए ई. ई. सी. बाजार में प्रवेश में सुधार लाने के लिये सम्बन्धित बकाया मामलों पर विचार करेगा तथा उनके समाधान का सुझाव देगा । बहुरेशा करार-III के ढांचे के अंतर्गत द्विपक्षीय करार सम्पन्न करने के लिये वस्त्र मामलों के सम्बन्ध में नई दिल्ली में इस वर्ष मार्च में प्राथमिक वार्ताए की जायेंगी ।

सयुक्त आयोग इस बात के लिये भी सहमत हुआ कि 1982 के दौरान भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय व्यापार संवर्धन कार्यक्रम के लिये अतिरिक्त निधियां प्रदान की जाएं ।

औद्योगिक सहयोग के क्षेत्र में यह निर्णय लिया गया कि भारत में आर्थिक कार्य कलाप के चुनिन्दा क्षेत्रों के बारे में क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किये जाएं जिनमें दोनों पक्षों के उद्यमियों द्वारा भाग लिया जा सकेगा । यह भी निर्णय लिया गया कि यूरोपीय तथा भारतीय वाणिज्यिक चैम्बरों और उद्योग परिसंघों के बीच संस्थागत संबन्धों की संभावना का पता लगाया जाए ताकि औद्योगिक सहयोग बढ़ सके और भारत में निवेश अवसरों के बारे में यूरोपीय आर्थिक समुदाय में बेहतर तरीके से जानकारी दी जा सके ।

संयुक्त आयोग ने विज्ञान और औद्योगिकी के अनेक क्षेत्रों में जिनमें ऊर्जा, बाइलोजिकल विज्ञान, पर्यावरण सम्बन्धी संरक्षण और सुधार कोयला गैसीकरण, सौर ऊर्जा, इलैक्ट्रानिक्स तथा जानकारी तकनीक शामिल हैं अर्थक्षम सहयोग की सम्भावना का पता लगाने का भी निश्चय किया ।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने इस सम्बन्ध में भी अपनी उत्सुकता बताई कि वह भारत में ग्रामीण विकास के उद्देश्य वाली डेरी विकास परियोजना जैसे विकास सम्बन्धी सहयोग के लिये वह अपनी बहु-वार्षिक सहायता जारी रखेगी और यदि आवश्यक हुआ तो उसमें सुधार करेगा ।

(ग) गत पांच वर्षों के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय को भारत से निर्यातों तथा भारत को यूरोपीय आर्थिक समुदाय से आयातों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(मूल्य करोड़ रु. में)

वर्ष	यूरोपीय आर्थिक समुदाय को भारत से निर्यात	यूरोपीय आर्थिक समुदाय से भारत को आयात	व्यापार क्षेत्र
1976-77	1395	1008	+387
1977-78	1394	1511	—117
1978-79	1560	2084	—524
1979-80	1751	2177	—426
1980-81 (अनन्तिम)	1464	2732	—1268

पर्यटन की विकास दर

159. **श्री बी. डी. सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक शताब्दी के दौरान पर्यटन के विकास दर क्या है; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के लिए पर्यटन के विकास हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या ठोस प्रयास किये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) पिछले दशक (1071-1981) के दौरान पर्यटन की अभिवृद्धि दर 11% प्रति वर्ष रही।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना (1985) के अन्त तक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन का लक्ष्य 1.7 मिलियन निर्धारित किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ पर्यटक यातायात को बढ़ाने के लिए जो उपाय किए गए हैं वे इस प्रकार हैं—होटलों और स्थल परिवहन जैसे पर्यटक आधारिक संरचना के तेज विकास द्वारा निर्धारित यात्रा परिपथों के साथ पड़ने वाले पर्यटक केन्द्रों का सघन विकास; राष्ट्रीय एयर कैरियर्स के फ्लीट में वृद्धि; फिल्मों, श्रव्य दृश्य प्रस्तुतीकरणों, पर्यटक साहित्य का प्रकाशन, विज्ञापनों जैसे विविध प्रचार मीडिया के द्वारा विदेशों में पर्यटन संवर्धन में तेजी लाना; यात्रा अभिकर्ताओं, यात्रा लेखकों, पत्रकारों आदि को विभाग के अतिथियों के रूप में परिचायक दौरों पर आमंत्रित करते हुए मीडिया संबंधों को बढ़ावा, ताकि वे वापस जाकर भारत सम्बन्धी पर्यटन का संवर्धन कर सकें। इस संदर्भ में किये गए कुछ अन्य उपाय हैं—प्रवेश औपचारिकताओं को सरल बनाना, बढ़ते हुए यातायात की मांग को पूरा करने के लिए देश में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विस्तार, आन्तरिक हवाई अड्डों का विस्तार और उनमें सुधार।

आर्थिक स्थिति

160. **श्री बी. वी. देसाई :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्म और फैक्टरी के क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो रही है लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था अभी तक संकट से मुक्त नहीं हुई है जिसका कारण मुद्रास्फीति

की प्रवृत्ति का बिना व्यवधान के बढ़ाते जाना, मुद्रा का विस्तार, व्यापार अन्तर और परिणाम-स्वरूप विदेशी मुद्रा की कमी की समस्याएं हैं;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन में यह विचार व्यक्त किया गया था;

(ग) क्या यह भी उल्लेख किया गया है कि (एक) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के ऋण की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एक अच्छी स्थिति के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है; (दो) यह तत्काल भविष्य में भुगतान संतुलन की सहायता में उपलब्ध नहीं होगा तथा (तीन) अधिक पूंजी निवेश और उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के माध्यम से समग्र उत्पादन और उत्पादकता की बढ़ी हुई वृद्धि के जरिए ही प्रभावी मूल्य स्थिरता प्राप्त की जा सकती है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जुलाई, 1980 से जून, 1981 के वर्ष के दौरान आर्थिक स्थिति की विस्तृत समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक के 1980-81 के मुद्रा और वित्त सम्बन्धी प्रतिवेदन में की गई है। विवरण के सम्बन्ध में प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित निर्वचन से सहमत होना सम्भव नहीं है।

(ग) रिपोर्ट में बताया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा उसकी विस्तारित कोष सुविधा के अन्तर्गत भारत के लिए मंजूर किए गए ऋण को अपने आप में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अच्छी स्थिति के रूप में नहीं लिया जा सकता और उसमें कहा गया है कि आर्थिक प्रबन्ध की आवश्यकता के लिए अधिक पूंजी निवेश और उपलब्ध साधनों का अधिक कारगर ढंग से उपयोग करना आवश्यक है। यह भी कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण से निकट भविष्य में भुगतान संतुलन में सहायता मिलेगी।

(घ) सरकार द्वारा अब तक किए गए उपायों से आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। आर्थिक स्थिति और नीतियों की विस्तृत समीक्षा 1981-82 के आर्थिक सर्वेक्षण और 1982-83 के बजट में की जाएगी।

राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई वित्तीय नीतियां

161. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कठोर और पलायनवादी वित्त सम्बन्धी नीतियों, जो अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए सही नहीं है और इससे राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, को अपनाने के लिए राज्य सरकारों की भारी आलोचना की है;

(ख) क्या उन्होंने इस बात पर भी गहरी चिन्ता व्यक्त की है कि 1980-81 में फर्म और फैक्टरी के उत्पादन में सुधार होने और वर्ष 1981-82 में प्रत्याशित वृद्धि के बावजूद राज्य सरकारों के राजस्व में कमी हो रही है;

(ग) क्या यह भी उल्लेख किया गया है कि केन्द्र से संसाधनों के पर्याप्त अन्तरण के बावजूद क्रमशः तीसरे वर्ष में वर्ष 1981-82 के लिए राज्यों के संयुक्त प्राक्कलन भारी घाटा दर्शाते हैं;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी पाया है कि राज्य सरकारों के उपक्रम

विशेषकर राज्य विद्युत बोर्ड और सड़क परिवहन निगम प्रतिलाभ सुनिश्चित नहीं कर सकेंगे और वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप देने हेतु संसाधनों में योगदान नहीं दे सकेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकारों के इस रवैये को देखते हुए उनके मंत्रालय का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने 1981-82 की अवधि के दौरान राज्यों की वित्तीय स्थिति के अपने वार्षिक अध्ययन में, जो उसके अ.स., 1981 के बुलिटन में प्रकाशित हुआ, राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई वित्तीय नीतियों के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियां की थीं। जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि राज्यों की बजट विषयक स्थिति में दृढ़ता प्रकट होने के संकेत हैं जो आर्थिक विकास के लिए सहायक न हों। उपर्युक्त प्रकाशन में राज्य सरकारों का कोई अभ्यारोपण नहीं है। भारतीय रिजर्व बेंक ने अलग से स्पष्ट किया है कि पूर्ववर्ती बर्षों के विकास की बढ़ी हुई दरों की तुलना में कुल प्राप्तियों और विकासात्मक व्यय के सम्बन्ध में 1981-82 के बजट अनुमानों में कल्पित लघु विकास दर में दृढ़ता प्रतिलक्षित होती है।

(ख) ऐसा अभिमत व्यक्त किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पस्ट किया है कि यह अभिमत छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में दिये गए इस विवरण पर आधारित है कि राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य सड़क परिवहन निगमों के शुल्क दर और किराएं के विद्यमान स्तरों पर भारी हानि होने की सम्भावना है।

(ङ) योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों (पश्चिम बंगाल को छोड़कर) के साथ, जब उन्होंने चालू वर्ष के लिए राज्यों के संसाधनों के सम्बन्ध में चर्चा की थी तब 1982-83 की वार्षिक आयोजना को अन्तिम रूप देने के लिए क्रमिक चर्चा की थी इन चर्चाओं में कुल प्राप्तियों और व्यय का अधिक वास्तविक अनुमान लगाया गया। राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य सड़क परिवहन निगमों ने अपनी संसाधन स्थिति को सुधारने में कई कदम उठाए हैं और राज्य सरकारों ने उनके द्वारा अधिक अच्छे निष्पादन को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। यह भी निर्णय किया गया है कि चालू वर्ष के अन्त में घाटे को इस प्रकार समायोजित किया जायेगा कि वे 1982-83 में आयोजना का ऐसा आकार रख सकें जो विकास की गति में बाधक न हो। राज्यों के मुख्य मंत्रियों से यह भी कहा गया है कि यदि चालू वर्ष में घाटा स्वीकार्य सीमा से बढ़ जाता है, तो वर्ष 1982-83 के लिए उनके आयोजनागत परिव्यय को इस अतिरिक्त राशि के बराबर घटा कर कम कर दिया जायेगा।

भारतीय स्टेट बैंक की अम्बाला शाखा का लूटा जाना

162. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 जनवरी, 1982 को चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की अम्बाला शाखा लूट ली गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी हानि हुई और इस घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में की गई जांच-पड़ताल का परिणाम क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि हरियाणा मोटर मार्किट (अम्बाला) स्थित उसकी शाखा में एक जनवरी, 1982 को डकैती पड़ी थी। यह सूचित किया गया है कि चार सशस्त्र व्यक्ति शाखा में घुसे और 4 कर्मचारियों को लाकर-रूम में बन्द करके 4,97,100 रुपए लेकर चम्पत हो गए। बैंक ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है और अभी तक मामले की जांच-पड़ताल पूरी नहीं हुई है।

भारत की अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा-स्फीति

163. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के दौरान भारत की अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा-स्फीति में कितना नियंत्रण हुआ है और तिमाही थोक मूल्य सूचकांक कितना है और आवश्यक उपयोग विभिन्न वस्तुओं के बारे में थोक मूल्य सूचकांक क्या है;

(ख) वर्ष के दौरान किन आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्यों में वृद्धि हुई है और कितनी और इस वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित वस्तुओं के मूल्यों को कम करने के लिए विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) वर्ष 1981 से मुद्रा-स्फीति की दर में कमी हुई है। यह निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है जिसमें थोक मूल्य सूचकांक (1970-71 = 100) में हुई तिमाही घट-बढ़ प्रदर्शित की गई है :—

	1981
पहली तिमाही	+5.0
दूसरी तिमाही	+3.6
तीसरी तिमाही	+1.7
चौथी तिमाही	—2.6

एक विवरण संलग्न है जिसमें कतिपय आवश्यक वस्तुओं/समूहों के थोक मूल्य सूचकांक में 1981 के दौरान विन्दु प्रति बिन्दु के आधार पर हुई घटबढ़ दिखाई गई है। इस वर्ष के दौरान कतिपय वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि ऐसे कारणों से हुई है जैसे कि मांग और पूर्ति में असन्तुलन मौसमी दबाव, ऊंचे वसूली/ समर्थन मूल्य और आयात की अधिक लागत आदि।

(ग) सरकार द्वारा अपनाई गई मुद्रास्फीति विरोधी नीति में पूर्ति और मांग प्रबन्ध दोनों पर बल दिया। इसमें और बातों के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, अधिक उत्पादन या आयात द्वारा पूर्ति में वृद्धि करना, कृत्रिम बाधाओं को दूर करना और मुद्रा उपलब्धि के विस्तार पर रोक लगाना शामिल है। इन उपायों की प्रभावकारिता मुद्रास्फीति दर की गति काफी धीमी होने से स्पष्ट हो जाती है। सरकार मूल्य स्थिति पर नजर रखती है ताकि जब भी आवश्यकता हो उपर्युक्त उपाय किए जा सकें।

विवरण

कतिपय समूहों/उप-समूहों/वस्तुओं के थोक मूल्यों में 1981 के दौरान घटबढ़

	प्रतिशत घटबढ़
सभी वस्तुएं	+7.9

1	2
खाद्य वस्तुएं	+11.0
खाद्यान्न	+5.4
दालों से भिन्न अनाज	+10.2
चावल	+15.4
गेहूं	+2.1
ज्वार	+12.5
बाजरा	+12.7
दालें	—8.2
चना	—13.1
अरहर	+6.6
फल तथा सब्जियाँ	+10.0
दूध तथा दूध उत्पाद	+15.9
अण्डे, मछली तथा मांस	+24.2
मसाले तथा गरम मसाले	+58.8
अन्य खाद्य वस्तुएं	+8.8
चाय	+10.5
ईंधन, पावर, बिजली तथा लुब्रीकेण्ट्स	+22.4
मिट्टी का तेल	+18.9
निर्मित उत्पाद	+3.4
खाद्य उत्पाद	—6.6
चीनी, खाण्डसारी तथा गुड़	—14.5
चीनी	—7.6
खाण्डसारी	—12.5
गुड़	—17.4
खाद्य तेल	+8.2
वस्त्र	+4.1
सूती वस्त्र	+5.1

वर्ष 1981-82 के दौरान निर्यात में वृद्धि

164. **श्री माधव राव सिंधिया : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) 1981-82 की प्रथम तीन तिमाहियों के दौरान निर्यात की मात्रा कितनी है और निर्यात में वृद्धि की दर क्या है और 1981-82 के पूरे वर्ष के दौरान निर्यात संभावित मात्रा और कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के आँकड़ों की तुलना में इसकी स्थिति क्या है, और

(ग) परम्परागत और गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या विशेष कदम उठाये गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) तथा (ख) प्रश्नाधीन अवधि के भारत के निर्यातों के मात्रा सूचकांक के बारे में सरकारी आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीनों के मूल्य के रूप में भारत के समग्र अनन्तिम निर्यात 4661.60 करोड़ रुपये के हुए जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में इनके अनन्तिम आंकड़े 4037.98 करोड़ रुपये थे। इससे लगभग 15.4% की वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। वर्ष 1980-81 में मूल्य के रूप में निर्यातों की वृद्धि दर 4% बैठती है जबकि वर्ष 1979-80 में यह लगभग 12.8% थी।

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात संवर्धन उपाय पहले से ही किए जा चुके हैं। इनमें शामिल हैं निर्यात उत्पादन पर लाइसेंसिंग प्रतिबन्धों को हटाना, पूरे देश में शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों तथा एक्जिम बैंक की स्थापना, शुल्क वापसी का सरलीकरण और युक्तियुक्त-करण, निर्यात पर वित्तीय छूटें आदि।

तीसरे स्तर की विमान सेवा द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के शहरों का जोड़ा जाना

165. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 जनवरी, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "लाईट एयरक्राफ्ट लाइकली सून" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार सरकार का विचार तीसरे स्तर की विमान सेवा द्वारा दूर-दराज के क्षेत्रों के 50 शहरों को जोड़े जाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सेवा द्वारा कौन-कौन से शहरों को जोडा जायेगा, और

(ग) इस योजना को कब तक लागू किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वायुदूत सेवाओं का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से इतर क्षेत्रों के लिए चरणों में विस्तार किया जा रहा है। प्रथम चरण में केवल 23 स्टेशनों को (विवरण संलग्न) जोड़ने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त स्टेशनों को वायुदूत सेवाओं से जोड़ने के लिए वित्तीय तथा परिचालनात्मक कठिनाइयों की वजह से कोई निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम तैयार नहीं किया जा सकता।

विवरण

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से बाहर वायुदूत द्वारा जोड़े जाने वाले अनुमोदित स्टेशनों की सूची।

आन्ध्र प्रदेश	—	कुद्दापा
		राजामुन्दरी
		वारंगल
बिहार	—	जमशेदपुर
		गया
		मुजफ्फरपुर
		पूर्णिया

1		2
कर्णाटक	—	रायचुर
		हुंबली
केरल	—	कालीकट
मध्य प्रदेश	—	बिलासपुर
		जगदलपुर
महाराष्ट्र	—	नादेड़
उड़ीसा	—	रुरकेला
पंजाब	—	लुधियाना
राजस्थान	—	कोटा
		बीकानेर
		जैसलमेर
तमिलनाडु	—	[तंजावुर
उत्तर प्रदेश	—	देहरादून
		गाजीपुर
		पंतनगर
		राय बरेली

सरकारी क्षेत्र के उद्यम

66. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे किसी प्रस्ताव की जांच की है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को उनके संचालन प्रबन्ध में उपयुक्त सीमा तक स्वायत्तता दी जानी चाहिए बशर्ते कि इन उद्यमों के विशेष उद्देश्य पूरे हो गए हों और लक्ष्य निर्धारित किए गए हों;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) सरकार ने सदा ही यह सिद्धांत स्वीकार किया है कि सरकारी उद्यमों को जितनी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उसी के अनुरूप उन्हें स्वायत्ता दी जानी चाहिए।

तदनुसार सरकार ने सरकारी उद्यमों को वित्तीय और प्रशासनिक पर्याप्त रीक्तियां सौंपी हैं, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) कम्पनी की सकल परिसम्पत्ति के रूप में उसके आकार के अनुसार अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत परियोजनाओं को मंजूरी के लिए वित्तीय रीक्तियों का प्रत्यायोजन।

(2) परियोजना लागत के अनुसार कुछ सीमा तक स्वीकृत पूंजीगत लागत परिशोधित करना।

(3) निदेशक मण्डल से नीचे के सभी पदों पर वेतन एवं पदनाम का विचार न रखते हुए, नियुक्तियां करना।

सरकारी उद्यमों को चाहिए कि वे अपने कार्य-निष्पादन-लक्ष्य निर्धारित कर लें ताकि उसके आधार पर उनका मूल्यांकन किया जा सके।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की गई कार्यवाही

167. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पर्यटक उद्योग के लिए भारी क्षमता थी;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटकों की संख्या तथा विदेशी मुद्रा की आय और होटल में आवास उपलब्ध कराने सहित इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हाँ। भारत में पर्यटन के विकास की भारी क्षमता है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त सफलता का ब्यौरा नीचे दिया क्या है :—

पर्यटक आगमन (पर्यटकों की संख्या)		अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ों में)	1979-81 के दौरान निर्मित अतिरिक्त होटल कमरे
1979	764.781	384 रु.	240
1980	800.150	482 रु.	2633
1981	853,148	564 रु.	916

(ग) पर्यटन संवर्धन के लिए जिन उपायों की परिकल्पना की गयी है उनमें ये शामिल हैं निर्धारित यात्रा परिपथों पर पड़ने वाले केन्द्रों पर आवास और परिवहन जैसी मूल पर्यटक आधारिक संरचना का सघन विकास, राष्ट्रीय एयर कैरियर्स के फ्लीट में वृद्धि, फिल्मों, श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरणों, पर्यटक साहित्य का प्रकाशन, विविध भाषाओं में पर्यटक साहित्य का प्रकाशन, विज्ञापन जैसे विविध प्रचार मीडीया के द्वारा विदेशों में पर्यटन संवर्धन में तेजी लाना, यात्रा अभिकर्ताओं, यात्रा लेखकों, पत्रकारों आदि को विभाग के अतिथि के रूप में परिचायक दौरों पर आमंत्रित करते हुए मीडिया सम्बन्ध ताकि वापिस जा कर वे भारत सम्बन्धी पर्यटन का संवर्धन कर सकें, स्थानीय दृश्यावलोकन दौरे और संचालित कोच दौरे, मेले. त्यौहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आयोजना।

ओबेराय होटल में कान के बुन्दों की चोरी

168. **श्री चिंतामणि जेना** :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने फ्रेंच काउन्टेस द्वारा लाये गये जवाहिरातों पर कोई शुल्क लगाया है. जिसके लगभग आठ लाख रुपये मूल्य के कान के बून्दे

जनवरी, 1982 के प्रथम सप्ताह में होटल ओबेराय इन्टरकांटीनेंटल, नई दिल्ली से रहस्यमय ढंग से गायब हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उसने देश छोड़ने से पूर्व 26 लाख रुपये का शुल्क अथवा इस राशि के मूल्य के आभूषण जमा कराये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) यह प्रतीत होता है कि इस प्रश्न का संकेत मदाम स्टेफैनिया वां कोरीस जू गोइजन् से है, जो एक पर्यटक है और 2 जनवरी, 1982 को दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची थी। दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उन्होंने जिन व्यक्तिगत जवाहिरातों की घोषणा की थी उनका मूल्य 1,73,22,500/-रुपये आंका गया था। यह जवाहिरात, जैसाकि आमतौर पर किया जाता है, पर्यटक सामान पुनर्निर्यात फार्म प्रस्तुत करने पर इस शर्त पर छोड़ दिये गये थे कि वे भारत छोड़ते वक्त ये जवाहिरात वापस ले जाएंगी।

उक्त पर्यटक ने दिनांक 5 फरवरी, 1982 को दिल्ली सीमाशुल्क अधिकारियों को एक पत्र लिखा जिसमें यह बताया गया था कि हीरे जडित बुन्दों का एक जोड़ा जिसका मूल्य 8 लाख रुपये है, गायब हो गया है और उस पत्र में बुन्दों के इस जोड़े का पुनर्निर्मात करने संबन्धी बाध्यता को आस्थगित करने का अनुरोध भी किया गया था। उक्त पर्यटक को इस पत्र का उत्तर 8-2-1982 को दिया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि जवाहिरात की उक्त मदों के पुनर्निर्यात करने में असमर्थ होने पर उन पर उद्ग्रहणीय शुल्क अदा करने सम्बन्धी दायित्व का निर्वाह करना होगा। उस मामले में शुल्क की रकम लगभग 26 लाख रुपये बनेगी।

(ग) जवाहिरात के पुनर्निर्यात करने सम्बन्धी शर्त के भंग होने की दशा में शुल्क की वसूली का प्रश्न उठेगा।

रुग्ण उद्योगों में फंसा संस्थागत ऋण

170. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुग्ण उद्योगों में फंसी संस्थागत ऋण की राशि, जो जून 1979 के अन्त में 1,101 करोड़ रुपये थी, वर्ष 1980 में बढ़कर 2,064 करोड़ रुपये हो गई थी;

(ख) क्या वर्ष 1981 के दौरान रुग्ण उद्योगों में फंसी संस्थागत ऋण की राशि में और अधिक वृद्धि हुई है;

(ग) क्या ऐसा इसलिये हुआ है कि देश में रुग्ण इकाइयों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है; और

(घ) उद्योगों में रुग्णता को रोकने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) एक करोड़ रुपये और इससे अधिक और ऋण की सीमाओं का उपभोग करने वाली रुग्ण औद्योगिक इकाईयों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में सूचना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तिमाही आधार पर एकत्र की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, जून, 1979 के अंत की स्थिति के मुताबिक रुग्ण इकाई के रूप में निर्धारित

और सूचित, एक करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक की ऋण सीमाओं का उपभोग करने वाली बड़े आकार की 345 रुग्ण इकाईयों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बकाया राशि 1101.72 करोड़ रुपये थी। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध ताजा सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1980 के अंत की स्थिति के मुताबिक 409 बड़े आकार की इकाईयों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण की बकाया राशि 1324.47 करोड़ रुपये थी। छोटी इकाईयों समेत रुग्ण इकाइयों के सम्बन्ध में व्याप्त सूचना केवल दिसम्बर, 1979 के बाद से ही उपलब्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार बैंकों के सहायता-क्षेत्र (पोर्टफोलियो) के अंतर्गत 22,366 रुग्ण इकाईयां थी जिनके पास 1622.55 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। दिसम्बर, 1980 के अंत की स्थिति के अनुसार समनुरूप आँकड़े हैं 24550 इकाईयां और 1808.66 करोड़ रुपये।

सावधिक ऋण देने वाली अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई. डी. बी. आई.), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई. एफ. सी. आई.) और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई, सी. आई. सी. आई.) के बारे में तुरन्त उपलब्ध सूचना नीचे दी जा रही है :—

क्र. सं.	भारतीय संस्था का नाम	रुग्ण इकाईयों की सं.	बकाया राशि
			(करोड़ रुपये)
1.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (31-12-80 की स्थिति)	124	140.05
2.	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (31-12-80 की स्थिति)	159	121.70
3.	भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (31-3-1981 की स्थिति)	75	58.36
	जोड़	—	320.12

(ग) रुग्ण इकाईयों के सम्बन्ध में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की बकाया राशि में वृद्धि का कारण है बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा रुग्ण इकाईयों के रूप में निर्धारित इकाईयों की संख्या में वृद्धि और साथ ही, पोषण कार्यक्रमों के अधीन इन इकाईयों के पुनरुज्जीवन के लिए अतिरिक्त राशियों का लगाया जाना।

(घ) सरकार की यह नीति है कि बैंक और वित्तीय संस्थाएं रुग्णता को रोकने और रुग्ण इकाईयों का पुनर्वास करने के बारे में यथासंभव सभी उपाय करें। तदनुसार बैंक और वित्तीय संस्थाएं आरम्भिक अवस्था में ही औद्योगिक इकाईयों की रुग्णता का पता लगाने और रुग्णता के कारणों तथा इकाईयों की अर्थक्षमता की संभावनाओं का अध्ययन करने के प्रयास करते हैं। इस नीति के अनुसरण में बैंक अर्थक्षमता की संभावनाओं वाली इकाईयों के बारे में हर मामले के आधार पर अलग-अलग पुनर्वास कार्यक्रम तैयार करते हैं। समग्र सहायता

(एसिस्टैंस पैकेजेस) की योजनाएं प्रत्येक मामले की विशेष अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार की जाती हैं और उनमें अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार के उपाय शामिल होते हैं जिनमें ये विभिन्न पहलू व्याप्त होते हैं, वित्तीय रियायतें जिनमें ये शामिल हैं, दण्डात्मक ब्याज को समाप्त करना, ब्याज और मार्जिन की दर में कमी, अतिदेय दायित्वों/अनियमताओं की वसूली के कार्यक्रम फिर से बनाना, आवश्यकता-आधारित कार्यकारी पूंजी और सावधिक ऋण सुविधाएं मंजूर करना तथा अन्य उपाय जैसे कि प्रबन्ध में परिवर्तन, इकाईयों का किसी स्वस्थ्य इकाई में विलयन आदि।

रुग्ण औद्योगिक इकाईयों के पुनर्वास के मामले में अंतर्ग्रस्त कुछ संगठन विषयक व्यवस्थाएं नीचे दी जा रही हैं :—

1. भारतीय रिजर्व बैंक में एक रुग्ण औद्योगिक उपक्रम कक्ष स्थापित किया गया है ताकि वह रुग्ण इकाई के बारे में सूचना के समाशोधन गृह के रूप में कार्य कर सके और सरकार, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा सम्बद्ध विभिन्न मुद्दों को निपटाने वाले अन्य अभिकरणों के बीच समन्वय का अभिकरण के रूप में भी काम कर सके। यह कक्ष रुग्ण एककों के निर्धारण में बैंकों के कार्य-निष्पादन पर बारीकी से नजर रखता रहा है और उपचार के उपाय करता रहा है। औद्योगिक इकाई में रुग्णता को रोकने की दृष्टि से, इसने, इस मामले में बैंकों को उपयुक्त निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं।

2. भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में बैंकों, राज्य सरकारों, केन्द्रीय और राज्य स्तर की वित्तीय सस्थाओं और अन्य अभिकरणों के बीच अधिक बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य स्तरीय अंत: स्थ गत समितियाँ स्थापित की गयी हैं। इन समितियों को और अधिक सुदृढ़ तथा कारगर बनाने के उपाय किये गये हैं।

3. भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों और सावधिक ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं के बीच निरंतर आधार पर समन्वय से सम्बद्ध मुद्दों पर विचार करने के लिए एक स्थाई समन्वय समिति गठित की है।

4. बैंकों के रुग्णता और समस्यामूलक मामलों पर ध्यान देने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पुनर्वास वित्त प्रभाग में एक विशेष कक्ष स्थापित किया गया है।

5. जहां तक छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र का संबंध है भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को उपयोगी मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र में अर्थक्षमता की संभावना वाली रुग्ण इकाईयों पर पूरा ध्यान दिया जाए और उन्हें समय से बैंकों को मदद मिल सके।

सभी राष्ट्रीयकृत बैंक उपर्युक्त नीति और व्यवस्थाओं के अधीन व्याप्त हैं और इनके अनुसार कार्यवाई कर रहे हैं।

इलायची उतपादकों को प्रोत्साहन

171. **श्री एस बी. सिदनाल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरे देशों की तुलना में भारत का इलायची का प्रति-हेक्टेयर उत्पादन काफी कम है; और

(ख) इलायची-उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) भारत में प्रति हैक्टार इलायची का उत्पादन ग्वाटेमाला से कम है। तंजानिया और श्रीलंका जैसे अन्य प्रमुख इलायची उत्पादक देशों की उत्पादन क्षमता के बारे में कोई ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) इलायची बोर्ड देश में इलायची उपजकर्ताओं के लाभ के लिए विकास संबंधी कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है ताकि देश में इलायची उत्पादन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। इन में निम्नलिखित शामिल हैं :–

1. विस्तार सलाहकार योजना, जिसके अन्तर्गत उपजकर्ताओं को फसल की क्वालिटी और मात्रा में सुधार के लिए उक्त तकनीकी सलाह दी जाती है। बोर्ड की विभागीय पौध शालाओं में उगाये गए क्वालिटी बीजांकुरों को रियायती दरों पर उपजकर्ताओं को दिया जाता है। निजी जोतों में प्रमाणीकृत पौधशालाओं में क्वालिटी बीजांकुरों के उत्पादन को वित्तीय प्रोत्साहन क्वालिटी की आवश्यकता वाला माल देकर प्रोत्साहित किया जाता है।

2. छिड़काव करने वाले सिंचाई के उपस्करों और अन्य विशेषीकृत कृषि उपस्करों की किराया खरीद शर्तों पर सप्लाई करने की योजना।

3. उपजकर्ताओं को उत्पादन क्षमता बढ़ाने की गुंजाइश का प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शन प्लांट खोलने की योजना।

4. आधुनिक क्योरिंग तकनीक उपजाने के लिये क्योरिंग सदनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की योजना ताकि इलायची का असली तोतई हरा रंग बना रहे।

5. इलायची उपजाने वाले क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन उद्योग को प्रोत्साहन देने की योजना ताकि पराग सेवन का काम बेहतर ढंग से हो सके और उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके।

6. रियायती दरों पर पौध संरक्षण उपस्करों के वितरण की योजना।

उपर्युक्त योजना के अलावा बोर्ड संस्थागत ऋण जुटा कर तथा उत्पादन की व्यवस्था करके छोटे उपजकर्ताओं को वित्तीय सहायता देने की एक योजना बना रहा है जिससे इलायची का पुनर्रोपण हो सके और उसकी गहन खेती हो सके।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को उनके मूल-वेतन के साथ जोड़ा जाना

172. **श्री निहाल सिंह :**

श्री दया राम शाक्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को उनके मूल-वेतन के साथ जोड़ने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : मकान किराया भत्ते, प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभों के प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों

को औसत सूचकांक स्तर 320 तक स्वीकृत किए गए मंहगाई भत्ते को वेतन के साथ शामिल करने का एक प्रस्ताव विचराधीन है। राष्ट्रीय परिषद् (संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) के कर्मचारी पक्ष के साथ इस मामले पर विचार विमर्श जारी है।

"स्वागत पत्रिका" नामक मैगजीन के लिए इंडियन एयरलाइन्स द्वारा आमन्त्रित टेण्डर

173. **श्री निहाल सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने "स्वागत पत्रिका" प्रकाशित करने से पहले उसके प्रकाशन के लिये टेंडर आमंत्रित किए थे;

(ख) यदि हां, तो किन-किन कंपनियों ने टेंडर भेजे थे और प्रकाशन का कार्य किस फर्म को सौंपा गया;

(ग) "इन-फ्लाईट" जर्नल के प्रकाशन पर कितनी धनराशि खर्च हुई और उसमें प्रकाशित विज्ञापनों से कितनी आय हुई; और

(घ) क्या सरकार ने इस तथ्य के बारे में कोई जांच की है कि इंडियन एयरलाइन्स के अधिकारियों ने विज्ञापनों से धन कमाने के उद्देश्य से एक विदेशी फर्म को यह प्रकाशन कार्य सौंपा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं। तथापि निगम ने कई प्रमुख प्रकाशन संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये थे।

(ख) जिन प्रकाशन संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये गए थे, उनके नाम तथा पते नीचे दिए गए हैं :—

—हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप
—फ्री प्रेस जर्नल
—टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिशर्स
—थामसन प्रेस
—आनन्द बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन्स

परन्तु, इनसे प्राप्त हुए उत्तर उत्साहवर्धक नहीं थे तथा इनमें से कुछ तो "बिना लाभ हानि" के आधार पर पत्रिका का प्रकाशन करने के इच्छुक नहीं थे। इसी बीच, मैसर्ज मीडिया ट्रांसेशिया (थाईलैंड) लिमिटेड, बैंकाक से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे उपर्युक्त पाया गया तथा प्रकाशन का कार्य विदेश की इस फर्म को सौंप दिया गया।

(ग) समझौते के अनुसार, इण्डियन एयरलाइन्स को हर तीन माह के पश्चात उड़ानगत पत्रिका "स्वागत" की 50,000 प्रतियां सप्लाई की जाएंगी। प्रकाशन की लागत प्रकाशक द्वारा वहन की जाएगी तथा इसकी पूर्ति उसके द्वारा विज्ञापनों से एकत्र की गई आय से की जाएगी। इस विषय में इण्डियन एयरलाइंस की जिम्मेवारी होगी प्रत्येक अंक में केवल एक विज्ञापन की लागत का भार उठाना जो कि 2000 अमरीकी डालर के बराबर होगा, और इसके साथ इंडियन

एयरलाइन्स पत्रिका के लिये सामग्री एकत्र करने में जो कोई भी संभवत: सहायता दे सकेगी देगी । विज्ञापनों के लिए धन की अदायगी भारतीय रुपयों में की जाएगी ।

(घ) जी, नहीं ।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसानों को ऋण दिया जाना

174. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की वित्तीय संस्थाएं छोटे और बड़े उद्योगपतियों को उनका सामान गिरवी रखकर भारी मात्रा में ऋण प्रदान करती है;

(ख) क्या सरकार का विचार विज्ञान द्वारा खाद्यानों आलू, प्याज, सरसों आदि को सरकारी बैंकों के गोदामों में जमा कराने पर, उसके लिए ऋण देने की व्यवस्था करने का है, ताकि मूल्य बढ़ने के समय उन्हें उचित भाव मिल सकें तथा यह प्रबंध किस किस एजेंसी ने किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो किसानों को सहायता न प्रदान करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी : (क) और (ख) : वाणिज्यक बैंक बंधक/माल/उत्पादन, मशीनरी आदि को दृष्टिबंधक रखकर कृषकों के साथ-साथ उद्योगों को भी ऋण मंजूर करते हैं । ये बैंक केन्द्रीय/राज्य मालगोदामों, ग्रामीण भण्डार गृहों आदि द्वारा जारी की गई गोदाम-रसीदों पर भी किसानों को ऋण स्वीकृत करते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित भण्डारण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण भण्डार गृहों की स्थापना की सरकारी योजना के परिणामस्वरूप इस सुविधा की और अधिक व्याप्ति होगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रूई की गाठों का आयात

176. **श्री निहाल सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूई की 7.86 लाख गाठें आयात करने का कोई निर्णय दिसम्बर, 1980 में लिया था; और

(ख) यदि हां, तो इन गांठों का आयात किन-किन देशों से किया जाएगा और इस पर कितनों विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सुदूर पूर्व के देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध

175. **श्री एन. के. शेजवलकर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुदूर पूर्व के कितने देशों के साथ हमारे देश के व्यापारिक संबंध हैं;

(ख) क्या उन देशों में तैवान भी एक देश है; और

(ग) गत एक वर्ष में इन देशों के साथ हुए आयात-निर्यात व्यापार सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) भारत के सुदूर पूर्व स्थित देशों, अर्थात चीन के जनवादी गणराज्य, जापान, कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य तथा हांगकांग के साथ व्यापार सम्बन्ध है।

(ख) जी नहीं।

(ग) 1979-80 के दौरान, इन देशों को हुए कुल निर्यात तथा वहाँ से किए गए आयात क्रमश: 845.14 करोड़ रुपये तथा 782.70 करोड़ रु. थे।

देश में कार्यरत विदेशी बैंक

177. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री जी. एम. बनातवाला : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कौन-कौन से और कुल कितने विदेशी-बैंक काम कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के प्रश्न पर पुन: विचार करने का है, जैसा कि इन बैंकों के विभिन्न कर्मचारियों ने मांग की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस समय देश में 16 विदेशी बैंक कार्य-कर रहे हैं। इनके नाम विवरण में दिये जा रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) विदेशी बैंक, आम तौर पर विशिष्ट किस्म के व्यवसाय की व्यवस्था करते हैं जैसे कि विदेशी व्यापार तथा पर्यटन को बढ़ावा देना। सम्बद्ध देश के नियमों के अधीन एक देश से दूसरे देश में बैंकों का परिचालन मुख्य रूप से इसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए होता है और यह अन्तर्राष्ट्रीय सुविधा का हिस्सा है। हमारे भारतीय बैंक भी बहुत से देशों में अपनी शाखाएं रखते हैं। पारस्परिकता के हित में विदेशों में भारतीय बैंकों के भविष्य के लिए यथास्थिति बनाए रखना आवश्यक है।

भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के नाम

क्रम संख्या	बैंक का नाम
1.	अलजमीन बैंक नीदरलैंड
2.	अमरीकन एक्सप्रैस इन्टरनेशनल बैंकिंग कापोरेशन
3.	बैंक आफ अमरीका एन. टी. एण्ड एस. ए.
4.	बैंक नेशनल डी पेरिस
5.	बैंक आफ टोक्यो लिमिटेड
6.	ब्रिटिश बैंक आफ दी मिडिल ईस्ट
7.	चार्टर्ड बैंक
8.	सिटी बैंक
9.	मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड

1	2

10. मितसुई बैंक लिमिटेड
11. ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड
12. सोनाली बैंक
13. यूरोपियन एशियन बैंक, हैमबर्ग
14. अमिरातूस कामर्शियल बैंक, आबूधाबी
15. बैंक आफ ओमन लिमिटेड, दुबई
16. बैंक डी ले इन्डोचाइना एट डी पुएल (इन्डोसुएज)

अमरीका कांग्रेस के दल की भारत यात्रा

178. **श्री रशीद मसूद :**

प्रो. अजित कुमार मेहता :

श्री रघुनन्दद लाल भाटिया : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी कांग्रेस की "बैंकिंग एण्ड फाइनेंस कमेटी" का एक दल इस बात का पता लगाने के लिये भारत की यात्रा पर आ रहा है कि भारत उनसे प्राप्त ऋण की धन-राशि को कैसे खर्च कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी : (क) और (ख) : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात वित्त-पोषण और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ सहित सामान्य आर्थिक मामलों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की प्रतिनिधि सभा की "अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्थाओं" एवं वित्त से सम्बद्ध उप-समिति के सदस्यों के एक शिष्टमण्डल का 8-15 जनवरी, 1982 तक भारत की यात्रा करने का कार्यक्रम था। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों के संयुक्त राज्य अमेरिका में तात्कालिक दायित्वों के कारण उनकी असमर्थता को देखते हुए यह यात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।

"लाक-हीड टाई स्टार" विमान की खरीद

179. **श्री रशीद मसूद :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "जोआइन्ट फ्लीट प्लेनिंग" बाँडों की इस बात की पूर्ण उपेक्षा करते हुए कि "लाक-हीड ट्राई स्टारएल-1011-500" नामक विमानों की कोई उपयोगिता नहीं है, अधिक दूरी की उड़ानों के लिये ऐसे तीन विमानों को खरीदने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा निर्णय लेने के क्या कारण हैं और इसकी खरीद में कितनी धनरशि खर्च होने की आशा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पटसन कम्पनियों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग

180. **श्री रशीद मसूद** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कतिपय पटसन कम्पनियों ने बैंकों से प्राप्त धनराशि को अन्य प्रयोजनों के लिये प्रयोग करके उसका दुरुपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसी कौन कौन सी कम्पनियां हैं तथा उनसे सम्बन्धित धनराशि कितनी कितनी है; और

(ग) क्या सरकार ने इन कम्पनियों द्वारा धनराशि के किये गये दुरुपयोग के बारे में कोई जांच की है; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है/किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) : पटसन कंपनियों द्वारा बैंकों से प्राप्त की गई निधि का दुरुपयोग किये जाने के बारे में सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक को कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कलकत्ता स्थित तीन बैंकों यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक तथा इलाहाबाद बैंक के पास भी इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ठ शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बैंक ऋण निर्धारित मार्जिनों सहित पूर्ण प्रदत्त स्टाकों को गिरवी/बंधक रखने पर उपलब्ध किए जाते हैं और बैंकों को यह सुनिश्चित करने का दायित्व होता है कि उन्होंने जो धन उधार दिया है उसका सही अन्तिम प्रयोग हो। तथापि, यदि कोई विशिष्ट शिकायत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में लाई जाए तो उसकी जांच की जा सकती है।

कारों का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम के दल की फ्रांस और पश्चिम जर्मनी की यात्रा

181. **श्री रशीद मसूद** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई खेलों के लिए सरकार का एक सौ से भी अधिक कारों का आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम की एक समिति ने जिसमें गैर तकनीकी लोग शामिल थे, कारों को तकनीकी दृष्टि से मूल्यांकन करने के जिए फ्रांस, पश्चिम जर्मनी तथा अन्य देशों की यात्रा की थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कारों के आतात के लिये किया गया एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) भारत पर्यटन विकास निगम के दो अधिकारियों का एक दल, जिसमें प्रभागीय प्रबन्धक (पर्यटक सेवाएं) और संयुक्त प्रभागीय प्रबन्धक (वाणिज्यिक) शामिल थे, अक्तूबर/नवम्बर 1981 में पश्चिम जर्मनी और जापान की यात्रा पर कारों के विविध नेकस के

गुण दोषों का तुलनात्मक जायजा लेने के लिए और साथ ही भारतीय परिस्थितियों में परिचालन हेतु अत्यन्त उपयुक्त और एकॉनामिकल कारों का चयन करने की दृष्टि से कारों के विविध निर्माताओं के साथ वाणिज्यिक और तकनीकी बातचीत करने के लिए भेजा गया था।

मूल्यों में वृद्धि

182. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी से नवम्बर, 1981 तक की गत ग्यारह महीनों की अवधि में मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवधि में मुद्रास्फीति की दर क्या रही है; और

(घ) इस महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क), (ख), (ग) और (घ) : एक विवरण संलग्न है जिसमें जनवरी 1981 से नवम्बर 1981 तक की अवधि में थोक मूल्य सूचकांक में हुई घटबढ़ और मुद्रास्फीति की वार्षिक दर को प्रदर्शित किया गया है। मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जनवरी 1981 में 15.6 से कम होकर नवम्बर 1981 में 8.2 प्रतिशत हो गई है। सरकार मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण रखने को उच्च प्राथमिकता देती है और मूल्य स्थिति पर बराबर निगरानी रखती है ताकि उदीयमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किये जा सकें।

महीना/वर्ष	थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1970-71 = 100)	
जनवरी, 1981	263.2	(+ 15.6)
फरवरी, 1981	268.8	(+ 16.2)
मार्च, 1981	270.0	(+ 15.8)
अप्रैल, 1981	275.7	(+ 17.3)
मई, 1981	277.9	(+ 15.8)
जून, 1981	279.8	(+ 13.2)
जुलाई, 1981	285.7	(+ 10.8)
अगस्त, 1981	288.8	(+ 10.9)
सितम्बर, 1981	284.6	(+ 7.9)
अक्तूबर, 1981	283.8	(+ 7.3)
नवम्बर, 1981	279.8 (अ)	(+ 8.2)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़ों का संबंध बिंदु प्रति बिंदु आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर से है।

अ = अनन्तिम

ग्रामीण क्षेत्र में बैंक सुविधाएं

183. **श्री नवीन रवाणी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सुविधाएं प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र को इस योजना के अन्तर्गत कब तक लाने का लक्ष्य है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) रिजर्व बैंक ने वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक के 3 वर्षों की अवधि के लिये अपनी शाखा लाइसेंसिंग नीति तैयार की है। इस नई नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार करने और देश में पहले की अपेक्षा और अधिक समान रूप से कार्यालयों का स्थानिक आवंटन करने का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में लगातार ओर दिया जाता रहेगा। इस नई नीति का उद्देश्य मार्च, 1985 के अन्त तक ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 1981 की जन-गणना के आधार पर औसतन 17,000 की आबादी के लिये एक बैंक कार्यालय के हिसाब से बैंकिंग व्याप्ति का लक्ष्य पूरा करना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये 3 वर्ष की अवधि में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लगभग 8000 अतिरिक्त कार्यालयों के खोले जाने की सम्भावना है। प्रत्येक जिले में प्रखण्डवार बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों का निर्धारण करने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों से परामर्श करेगा।

मूंगफली का निर्यात

184. **श्री नवीन रवाणी :**

श्री डी. पी. जदेजा : क्या **वाणिज्य मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि : (क) वर्ष 1979, 1980 और 1981 के दौरान वर्ष वार मूंगफली की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक मूंगाफली उत्पादक राज्य से निर्यात के लिये मूंगाफली की कितनी मात्रा की खरीद की गई और किन किन एजेन्सियों के माध्यम से यह खरीद की गई;

(ग) क्या यह सच है कि जितनी मात्रा का निर्यात किया गया उससे कहीं अधिक मात्रा में खरीद की गई थी;

(घ) यदि हां, तो मूंगफली की फालतू मात्रा का क्या हो रहा है तथा क्या देश में इस मात्रा का मूंगफली के बाजार भाव पर कोई असर पड़ा है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार मूंगफली के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है, ताकि मूंगफली के तेल के भाव स्थिर रह सकें ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) फसल वर्ष 1978-79 से लेकर एच. पी. एस. मूंगफली के निर्यात कोटे और नेफेड द्वारा, जोकि इस मद के लिए मार्गीकरण एजेन्सी है किए गए लदान निम्नोक्त प्रकार रहे:—

फसल वर्ष	रिलीज किया गया कोटा (मे. टन)	लदान (मे. टन)
1978-79	25000	18552
1979-80	50000	17718
1980-81	50000	49499

(ख) नेफेड ने बताया है कि सभी तीनों वर्षों में बल्क खरीदारियां गुजरात से की गई। थोडी मात्राएं मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश से भी खरीदी गई। सभी राज्यों से खरीदारियाँ सहकारी व्यवस्था के माध्यम से की गई। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) तथा (घ) चूंकि निर्यात के लिए एच. पी. एस. मूंगफली, मूंगफली से तैयार की जानी होती है, इसलिए खरीदारियाँ निर्यात से अधिक होती हैं। मूंगफली की जो मात्रा निर्यात करने के लिए उपयुक्त नहीं होती उसे अलग कर दिया जाता है और स्थानीय बिक्री हेतु तेल उत्पादन के लिए भेजा जाता है।

(ङ) एच. पी. एम. मूंगफली के निर्यात की अनुमति सभी सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखते हुए एक सीमित मात्रा में दी जाती है।

विवरण

नेफेड द्वारा निर्यातों के लिए विभिन्न राज्यों से मूंगफली की खरीद।

राज्य	वर्ष	मात्रा – मे. टन में	एजेन्सी का नाम
गुजरात	1978-79	51,000 फलियां	गुजरात राज्य सहकारी विपणन संघ
	1979-80	43,380 फलियाँ	—वही—
		13,580 गिरियां	—वही—
	1980-81	51,309 गिरियां	—वही—
मध्य प्रदेश	1978-79	कुछ नहीं	
	1979-80	24 फलियां	आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी विपणन सघ
	1980-81	कुछ नहीं	
राजस्थान	1978-79)	कुछ नहीं	
	1979-80)		
	1980-81	366 फलियां	राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ
तमिलनाडु	1978-79	कुछ नहीं	
	1979-80	611 गिरियां	तमिलनाडु सहकारी विपणन संघ लि.
	1980-81	325 फलियाँ	—वही—
आन्ध्र प्रदेश	1978-79	कुछ नहीं	
	1979-89	322 गिरियाँ	आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ
	1980-81	कुछ नहीं	

पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम बनाने के लिए विस्फोटक पदार्थों का जमा किया जाना

185. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी. आई. ए. रिपोर्ट पर आधारित न्यूयार्क टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार पाकिस्तान अमरीका से मार करने की क्षमता के रूप में एफ-16 विमान प्राप्त करने के साथ-साथ परमाणु बम बनाने के लिए विस्फोटक पदार्थ जमा कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पाकिस्तान द्वारा आक्रामक हथियार लिये जाने को रोकने के लिये तथा भारत की रक्षा सुनिश्चित करने के लिये क्या राजनीतिक कूटनीति और अन्य जवाबी उपाय किये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) सरकार ने इस आशय की कतिपय रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने यह मामला पाकिस्तान सरकार के साथ सर्वोच्च स्तर पर उठाया है। सरकार आशा करती है कि पाकिस्तान सरकार अपने आणविक कार्यक्रम के शांतिपूर्ण आयाम के प्रयोग के बारे में दिए गए आश्वासनों का पालन करेगी। सरकार उन सभी गतिविधियों पर लगातार नजर रखती है जो उसकी सुरक्षा का अतिक्रमण करती हैं और पूरी रक्षा तैयारियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय करती है।

होटलों के निर्माण के लिए राज्यों को आबंटित धनराशि

186. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान होटलों के निर्माण के लिए विभिन्न राज्यों को राज्यवार कितनी कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, जो पूरी धनराशि का उपयोग कर सकते हैं और किन किन राज्यों के पास धन की कमी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान होटलों के निर्माण के लिए विविध राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई धनराशियां आबंटित नहीं की गई हैं, क्योंकि ऐसे उद्देश्यों के लिए धनराशियाँ देने की कोई प्रणाली नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन के लिए राज्यों को आबंटित धनराशि

187. **श्री वीरभद्र सिंह** :

श्री के. मालन्ना : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980 और 1981 के दौरान पर्यटन के विकास के लिए किन किन राज्यों को कितनी कितनी धनराशि आबंटित की गई थी;

(ख) क्या अप्रयुक्त रह जाने के कारण कोई धनराशि व्यपगत हो गई थी; और

(ग) यदि हाँ तो कितनी धनराशि व्यपगत हुई थी और कौन कौन से राज्य धनराशि को खर्च नहीं कर सके ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकारों को पर्यटन आधारिक संरचना के विकास के लिए धनराशियाँ आवंटित नहीं की जाती । पर्यटन स्कीमें या तो केन्द्रीय सेक्टर में अथवा राज्य सेक्टर में पर्यटन केन्द्रों की पर्यटकों को आकर्षित करने की सम्भाव्यता के आधार पर शुरू की जाती है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

आयकर संबंधी छापे

188. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के दौरान आय कर विभाग ने विभन्न राज्यों में कितने कितने छापे मारे हैं; और

(ख) इन छापों के प्रयोजन क्या थे और इनके क्या निष्कर्ष रहे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) आयकर विभाग द्वारा वर्ष 1981 के दौरान ली गई तलाशियों की राज्यवार संख्या विवरण में दी गई है । ये तलाशियां, छिपाई गई आय/धन का पता लगाने के लिए ली गई थीं । इन तलाशियों, के दौरान प्रथम दृष्टया, लगभग 29.95 करोड़ रुपए मूल्य-वाह्य परिसंमत्तियाँ पकड़ी गई थी ।

विवरण

(क) और (ख) आयकर विभाग द्वारा वर्ष 1981 के दौरान ली गई तलाशियों की राज्यवार संख्या निम्नानुसार है:—

	राज्य का नाम	ली गई तलाशियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	102
2.	असम	12
3.	बिहार	79
4.	गुजरात	451
5.	गोआ, दमण और दीव	—
6.	हिमालय प्रदेश	3
7.	हरियाणा	51
8.	जम्मू और कश्मीर	57
9.	केरल	83
10.	कर्णाटक	33
11.	महाराष्ट्र	1322
12.	मध्य प्रदेश	85
13.	मेघालय	—

1		2
14.	मणिपुर	—
15.	नागालैंड	—
16.	उड़ीसा	26
17.	पंजाब	175
18.	राज्यस्थान	89
16.	तमिलनाडु	211
20.	त्रिपुरा	—
21.	उत्तर प्रदेश	463
22.	प. बंगाल	288
23.	दिल्ली	284
	जोड़	3814

धारक बांड योजना

189. **श्री टी. आर. शमन्ना** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या धारक बांडों को तीसरी बार तथा उसके बाद भी जारी करने की घोषणा करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणाब मुखर्जी) : जी, नहीं

राज्य सरकारों के सामने वित्तीय संकट

190. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी राज्य सरकारों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) बहुत से राज्य इस समय आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे है।

(ख) ये राज्य जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं वे हैं बजट सम्बन्धी घाटा जिसके चालू वर्ष के अन्त में प्रकट होने की सम्भावना है और 1982-83 में राज्यों के योजना आकारों पर उसका प्रभाव। कई राज्य सरकारों ने वचन दिया है कि वर्तमान घाटे की स्थिति वर्ष के अन्त तक समाप्त हो जाएगी। उन अन्य राज्यों के मामले में, जिनके बारे में यह संभावना है उनके बजट में घाटे की स्थिति आएगी, यह निर्णय किया गया है कि ऐसे घाटे को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि वे 1982-83 में योजना का ऐसा आकार रख सकें जो विकास की गति में बाधा न डालें।

पटना अर्बन को-आपरेटिव बैंक में अनियमिततायें

191. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1972-73 और 1973-74 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्टों में भारतीय रिजर्व बैंक ने पटना के "पटना अर्बन को-आपरेटिव बैंक" में भारी अनियमितताओं का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पटना अर्बन कोआपरेटिव बैंक, पटना को समाप्त करने की सिफारिश भी की है/आदेश भी दिये हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों की लेखा परीक्षा नहीं करता । अपर रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, पटना के आदेशों के अनुसार सहकारी समिति विभाग ने वर्ष 1972-73 और 1973-74 के लिए बिहार राज्य में सहकारी बैंकों की लेखा परीक्षा की थी ।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू है) की धारा 35 के अन्तर्गत सहकारी बैंकों का सावधिक निरीक्षण करता है । 2 मई 1975 की स्थिति के अनुसार इस बैंक को वित्तीय स्थिति के संबन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए त्वरित अध्ययन के दौरान इसके कार्यचालन में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं पाई गई थी । भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर इस बैंक को 18 अक्तूबर 1975 से अधिस्थगत (मारेटोरियम) के अन्तर्गत रखा गया था । 18 अक्तूबर 1975 की स्थिति के अनुसार इस बैंक की वित्तीय स्थिति के संबन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए एक और अध्ययन के निष्कर्षों से यह पता चला कि बैंक के कार्य उसके जमाकर्ताओं के हित के विरुद्ध हैं क्योंकि बैंक की परिसम्पत्तियों के मूल्य का अत्यधिक ह्रास हो गया था और उनकी स्थिति के पुन: ठीक होने की सम्भावना नहीं थी । यह बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू है) के महत्वपूर्ण उपबन्धों का भी अनुपालन नहीं कर रहा था । उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के 6 अप्रैल 1976 को बैंक के नाम एक हिदायत जारी की जिसके अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, बिहार द्वारा उसे परिसमापन प्रक्रिया के अन्तर्गत लेने तक 17 अप्रैल 1976 से किसी प्रकार की अदायगी करने अथवा किन्हीं देनदारियों अथवा दायित्वों को पूरा करने पर रोक लगा दी गई । भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 अप्रैल 1976 को उपर्युक्त अधिनियम के सम्बन्धित उपबन्धों के अन्तर्गत, बैंकिंग कारबार करने के लिए इस बैंक को लाइसेंस जारी करने से इन्कार कर दिया ।

(घ) सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने 19 अप्रैल 1876 को इस बैंक को आदेश जारी किए कि वह अपना कारबार बन्द कर दे और उसने बिहार की सहकारी समितियों के संयुक्त रजिस्ट्रार को सरकारी परिसमापक के रूप में नियुक्त कर दिया । इस आदेश के खिलाफ की गई अपील को बिहार के सहकारिता मंत्री ने अपने 22 अप्रैल 1977 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया । ऐसा समझा जाता है कि मामले के पुनरीक्षण के लिए बिहार के सहकारिता मंत्री के सम्मुख फिर एक आवेदन पत्र दिया गया है ।

सरकार द्वारा पांच तारा होटलों का निर्माण

192. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में पाँच तारा होटलों के निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान किन-किन स्थानों पर यह निर्माण किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए कितनी धन-राशि आवंटित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) सरकार होटलों का निर्माण नहीं करती। केन्द्रीय सेक्टर में यह कार्य भारत पर्यटन विकास निगम (आई. टी. डी. सी.) और भारतीय होटल निगम (एच. सी. आई.) जो एयर इण्डिया की एक सहायक संस्था है, द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम और भारतीय होटल निगम 5 स्टार की सुविधाओं वाले निम्नलिखित होटलों का निर्माण कर रहे हैं :—

(क) **भारत पर्यटन विकास निगम (आई. टी डी. सी.)** : 18 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर होटल कौटिल्य

(ख) **भारतीय होटल निगम (एच. सी. आई.)**

(I) 20.26 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर नई दिल्ली में सैंटोर होटल।

(II) 14 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत (अनुमानित लागत की पुनरीक्षा की जा रही है) पर बम्बई में सैन्टोर जुहु होटल।

(III) 10.99 करोड रुपए की (अनुमानित लागत की पुनरीक्षा दी जा रही है) पर श्रीनगर में सैन्टोर लेक व्यु होटल।

मोटर गाड़ियों के टायरों के निर्यात लक्ष्य में कमी

193. **श्री जी. एम बनातवाला** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपने देश के बाजार में मोटर गाड़ियों के टायरों के मूल्यों में भारी वृद्धि से निर्यात लक्ष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो मोटर गाड़ियों के टायरों के निर्यात लक्ष्यों में किस सीमा तक गिरावट आयी है; और

(ग) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यदि कोई कदम उठाए जा रहे हैं, तो वे क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) मोटर गाड़ियों के टायरों के निर्यात लक्ष्य में गिरावट के लिए जिम्मेदार अनेक कारणों में एक कारण है घरेलू कीमतों में वृद्धि।

(ख) अप्रैल-दिसम्बर 1981 के दौरान 15 करोड़ रु. के यथानुपात निर्यात लक्ष्य की तुलना में मोटर गाड़ियों के टायरों के अनुमानित निर्यात 8.3 करोड़ रु. के हुए।

(ग) सरकार रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम के निर्यातकों

के सम्पर्क में है और समय-समय पर निर्यातकों की सहायता करने के लिए सम्भव उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

अपरिष्कृत चाम और खालों, अर्द्ध-संसाधित चमड़े ससाधित चमड़े और चर्म-उत्पादों का निर्यात अनुपात

श्री सत्य यन चक्रवर्ती : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 और 1981 में अपरिष्कृत चाम और खालों, अर्द्ध-संधाधित चमड़े, संसाधित चमड़े और चर्म-उत्पादों के निर्यात के अनुपात का मद-वार ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : कच्ची खालों तथा चमड़ियों के निर्यात पर रोक लगी हुई है। निर्यात आकड़े कलेन्डर वर्ष-वार नहीं रखे जाते। वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 (दिसम्बर 1981 तक) के लिए अर्ध संसाधित चमड़े, तैयार चमड़े तथा चमड़े के उत्पादों से सम्बन्धित निर्यात आंकडे निम्नोकित प्रकार हैं :—

(मूल्य मिलियन रु. में)

	1980-81	1981-82 (दिसम्बर, 1981 तक)
अर्द्धसंसाधित चमड़ा	565.85	444.96
तैयार चमड़ा	1867.94	1515.42
चमड़ा उत्पाद	870.42	791.52
	3304.21	2751.90

होटल ओबराय इन्टर को कोन्टीनेन्टल से फ्रांसीसी बेगम के जेवर गायब होना

195. **डा. ए. यू. आजमी** :

श्री के. मालन्ना : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि विदेशी पर्यटक पाँच तारा होटलों में रुकते हैं और उनके अपने बने लाकरों में अपनी मूल्यवान वस्तुएं जमा करा देते हैं, परन्तु उन्हें इसके लिए कोई रसीद नहीं दी जाती है जिसके परिणामस्वरूप धोखाधड़ी और वस्तुओं के खो जाने की घटनाएं हुई हैं इस तरह का, एक मामला हाल ही में ओबराय इण्टरकन्टिनेंटल निजामुद्दीन में एक फ्रांसीसी बेगम के साथ हुआ जहां उसके 16 लाख रुपए मूल्य के कान के बुन्दे 7-1-1982 को होटल के लाकर से गायब पाए गए और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उसे भारत से बाहर जाने से रोक दिया गया क्योंकि वह अपने साथ लाए जेवरात वापस नहीं ले जा पा रही थी और उस पर लगी भारी मात्रा में सीमाशुल्क का नुगतान नहीं कर रही थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो क्योंकि इससे देश की बदनामी होती है और जिन

परिस्थितियों में ये कान के बुन्दे खोये गये उनका ब्यौरा क्या है और उनको बरामद करने के लिए क्या कार्यवाही की गई और उस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) 5-स्टार होटल अपने आगंतुकों द्वारा इस्तेमाल करने के लिए लाकर जुटाते हैं। चूंकि आगंतुकों द्वारा लाकरों में जमा कराई गई वस्तुओं की कोई सूचियां होटलों द्वारा तैयार नहीं की जातीं, होटलों द्वारा कोई रसीद नहीं दी जाती। होटलों में लाकर सिस्टम वाले सेफ डिपोजिट बाक्स के प्रयोग के लिए निम्नलिखित पद्धति अपनाई जाती है।

(I) जब कोई आगंतुक अपने बाक्स के पास जाने के लिए अनुरोध करता है तो उसे अपनी चाबी पेश करनी चाहिये। कैशियर आगंतुक के नाम और कमरा नम्बर के बारे में पूछताछ करेगा।

(II) जब यह सूचना दे दी जाती है, तो कैशियर आगंतुक की फाइल में से अपेक्षित कार्ड निकालेगा और नाम की पुष्टि करेगा और और आगंतुक से इस कार्ड के पीछे खाली अगली लाइन पर हस्ताक्षर करने को कहेगा।

(III) इसके बाद कैशियर हस्ताक्षर का मिलान करेगा और कार्ड के उपयुक्त कालमों में प्रवेश की तारीख और समय दर्ज करेगा।

(IV) फिर वह आगंतुक के हस्ताक्षर के पास अपने नाम के हस्ताक्षर करके ट्रांजेक्शन का साक्षी बनेगा।

(V) इस काम के पूरा हो जाने के बाद कैशियर आगंतुक को उसका सेफ डिपाजिट बाक्स दे देगा।

(VI) प्रत्येक आगंतुक जब कभी भी अपने सेफ डिपाजिट बाक्स के पास जाने की इच्छा जाहिर करता है हर बार इसी पद्धति को अपनाया जाता है। होटल और इसके आगंतुकों के बचाव के लिए स्थाई आकुपैंसी उपर्युक्त अपेक्षाओं की अवहेलना करने की स्वतन्त्रता न तो आगंतुक को ही देता है और न कर्मचारियों को।

(VII) हर बार जब भी आगंतुक सेफ डिपाजित बाक्स आपरेट करना चाहता है, अग्र कार्यालय कैशियर लाबी मैनेजर को बुलाएगा।

(VIII) लाबी मैनेजर के पास सेफ डिपाजिट लाकर के प्रमुख द्वार की चाबी होगी।

(IX) प्रमुख द्वार खोलने के बाद, अग्र कार्यालय कैशियर सेफ डिपाजिट बाक्स आगंतुक की चाबी और होटल की चाबी से खोलेगा।

(X) सेफ डिपाजिट बाक्स लाकर में रख दिए जाने के बाद लाकर को ताला लगा दिया जाएगा।

2. होटलों के सेफ डिपाजिट लाकरों में रखे गए आगंतुकों के सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त के अलावा यदि किन्ही और उपायों की जरूरत पड़ती है तो निस्संदेह सम्बन्धित होटलों द्वारा उन्हें तब अपनाया जाएगा जब पुलिस द्वारा मामले में दी जा रही छान-बीन के परिणामों का पता लग जाए।

छठी योजना के दौरान विमान पत्तनों को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन का दर्जा दिया जाना

196. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना अवधि के दौरान देश के कुछ पत्तनों को अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है;

(ख) यदि हां, तो उन विमान पत्तनों के क्या नाम हैं जिनको इस प्रयोजन के लिए चुना गया है;

(ग) क्या उड़ीसा का भुवनेश्वर विमान पत्तन भी उपर्युक्त कार्यक्रम में शामिल किया गया है; और

(घ) इस तरह के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पर्यटक केन्द्रों में सुविधायें

197. **श्री के. मालन्ना** : **क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश को विभिन्न सर्किटों में बाँटा है और पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए कुछ स्थलों का चयन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विदेशी पर्यटकों को दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) निर्धारित यात्रा परिपथ संकल्पना के आधार पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के परामर्श से पर्यटन के विकास की एक विस्तृत स्कीम तैयार की गई है जिसमें अवस्थानुसार ढंग से और केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सैक्टरों में उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करते हुए 61 यात्रा परिपथों के, जिनके अन्तर्गत 4-1 केन्द्र शामिल हैं, योजनाबद्ध और एकीकृत विकास की परिकल्पना की गई है।

(ख) निर्धारित परिपथों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3321/82]**

(ग) केन्द्रीय और राज्य सैक्टर के अंतर्गत जुटायी गई/जुटायी जाने वाली सुविधाओं में ये सुविधाएं शामिल हैं : आवास, परिवहन, मनोरंजन सम्बन्धी एवं खेल कूद सुविधायें; मार्गस्थ सुख-सुविधायें दृश्यावलोकन एवं सूचना सेवायें; संचालित कोच टूअर्स; सांस्कृतिक मनोरंजन कार्यक्रम।

दोहरे कराधान से बचने के लिए विदेशों के साथ समझौते

198. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक भारत ने कितने देशों के साथ, दोहरे आयकर से बचने के लिये समझौते किये हैं;

(ख) क्या दोहरे कराधान से बचने हेतु समझौता करने के लिए अन्य कई देशों के साथ कोई अभिसमय (कन्वेन्शन) करने का विचार है; यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या यह सच है कि दोहरे कराधान से बचने हेतु की गई संधियों के परिणामस्वरूप अधिक पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिला है और यदि हां, तो क्या इससे हुए आर्थिक विकास का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) भारत ने, आय पर दोहरे कराधान के परिहार के लिये अब तक 29 देशों के साथ करार किये हैं। इनमें से 16 व्यापक करार हैं, जिनमें आय के सभी वर्गों को शामिल किया गया है तथा शेष 13 करार वायुयान और/अथवा जहाजरानी से प्राप्त लाभों तक सीमित हैं।

(ख) जी, हां। जिन देशों के साथ आय पर दोहरे कराधान के परिहार के लिए करार करने का प्रस्ताव है, उनके नाम निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

व्यापक करार	वायुयान और/अथवा जहाजरानी से होने वाले लाभों तक सीमित करार
1. बांग्ला देश	1. आस्ट्रेलिया
2. कनाड	2. बहरीन
3. चेकोस्लोवाकिया	3. फिजी
4. हंगरी	4. हांगकांग
5. ईराक	5. इण्डोनेशिया
6 इटली	6. कुवैत
7. केन्या	7. ओमान
8. लीबिया	8. कतार
9. मारीशस	9. साउदी अरब
10. नाइजीरिया	10. युगाण्डा
11. रोमानिया	11. संयुक्त अरब अमीरात
12. दक्षिणी कोरिया	12. दक्षिण यमन (पी. डी. आर. वाई)
13. सीरिया	
14. थाइलैंड	
15. संयुक्त राज्य अमेरिका	
16. युगोस्लाविया	
17. जाम्बिया	

(ग) तथा (घ) आय पर दोहरे कराधान के परिहार के लिये करार करने का हमारा मुख्य उद्देश्य एक देश से दूसरे देश में पूंजी, प्रौद्योगिकी, और कार्मिकों के आवागमन को प्रोत्साहित करना तथा कर सम्बन्धी ऐसे अवरोधों को दूर करना है, जो इस प्रकार के आवागमन

में बाधक हों। विदेशों से पूंजी का अन्तर्वाह चूंकि कई बातों पर निर्भर करता है, अतः इस प्रकार के करारों से पूंजी के अन्तर्वाह में कितनी वृद्धि हुई, अथवा हमारे आर्थिक विकास पर उनका कितना प्रभाव पड़ा, यह सब ठीक-ठीक बता पाना कठिन है। तथापि, यह बात सर्वमान्य है कि इस प्रकार के करारों से पूंजी का आयात करने वाले देशों में पूंजी के अन्तर्वाह को प्रोत्साहन मिलता है।

कपड़ा उद्योग में संकट

199. **श्री मोहन लाल पटेल :**
श्री जगदीश टाईटलर :

श्री चिन्तामणि जेना : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की कपड़ा मिलें एक संकटपूर्ण दौरे से गुजर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कपड़ा उद्योग को बचाने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं अथवा किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) तथा (ख) अन्तर्निवेशों की लागत में वृद्धि और मांग में कमी होने के कारण सभी वस्त्र उद्योग एक कठिन समय से गुजर रहे हैं।

(ग) रुई की कीमत में स्थिरता आने तथा मांग में वृद्धि की संभावना होने से सूती वस्त्र उद्योग सामान्य रूप में बेहतर स्थिति हो जानी चाहिए।

पर्यटन ग्रामों के लिए स्थलों का चयन करने हेतु मानदण्ड

200 **श्री डी. पी. जदेजा :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में पर्यटन ग्राम बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश भेजे गये हैं;

(घ) यदि हाँ, तो इन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) पर्यटन ग्रामों के लिए स्थलों का चुनाव करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ङ) जी, हाँ। पर्यटन विभाग के पास पर्यटक गांवों की स्थापना करने के लिये एक प्रस्ताव विचाराधीन है। पर्यटक गांव के लिये यह संकल्पना पर्यटकों को ग्रामीण जीवन का आनन्द और अनुभव प्रदान करने के लिये विकसित की गई हैं। ये गैर-शहरी क्षेत्रों में और प्राथमिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थापित किये जाएगें ताकि वहां आसानी से पहुंचा जा सके। दिसम्बर, 1981 में राज्य सरकारों को एक सर्कुलर भेजा गया था जिसमें इस प्रस्ताव पर उनके उत्तर आमन्त्रित किये गये थे और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे पर्यटक गांवों की स्थापना के लिये 3 या 4 स्थानों का सुझाव दें। कुछ राज्यो से बहुत उत्साहवर्धक उत्तर प्राप्त हुए हैं। प्रस्ताव के अनुसार भूखण्ड और आधारिक संरचना सम्बन्धी सुविधाएं जैसे कि पहुंच मार्ग,

बिजली और पानी की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी और केन्द्रीय पर्यटन विभाग विविध श्रेणियों के आवास के निर्माण तथा अन्य सुख सुविधाओं के लिये धन-राशियों की व्यवस्था करेगा। पर्यटक गांव प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ अभिनिर्धारित किए गए यात्रा परिपथों में से किसी एक यात्रा परिपथ पर स्थापित किए जायेंगे। स्कीम का वास्तविक कार्य-निष्पादन धनराशियों के उपलब्ध होने और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

1982 के एशियाई खेलों के लिये आने वाले पर्यटकों की दर्शनीय स्थलों की यात्रा

201. **श्री डी. एन. पुत्ते गौडा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1982 के एशियाई खेलों के लिये आने वाले विदेशी पर्यटकों को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर घुमाने के लिए कोई योजना/कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) सरकार विदेशी पर्यटकों के लिये टूअर्स का आयोजन नहीं करती। टूअर्स का आयोजन यात्रा अभिकर्ताओं द्वारा किया जाता है। एशियाई खेलों को देखने के लिये आने वाले पर्यटकों के वास्ते टूअर्स का आयोजन करने हेतु "एशियाई" ट्रैवल एजेन्ट्स कान्सोर्टियम' का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत चार यात्रा अभिकर्ता शामिल हैं। यह कन्सोर्टियम एशियाई खेल, 1982 के लिए भारत की यात्रा करने वाले पर्यटकों को अनेक दौरे और भ्रमण अर्पित करेगा।

जूट बोर्ड का गठन

202. **श्री चित्त बसु** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जूट उद्योग के सम्बन्ध में नियुक्त कृत्तिक दल ने जूट बोर्ड का गठन किये जाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच सरकार ने उस पर कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) कृतिक दल की सिफारिशों पर सरकार को सलाह देने के लिये स्थापित की गई सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने सलाह दी है कि पटसन बोर्ड की स्थापना करने की बजाय केन्द्रीय सरकार में पटसन उद्योग के लिये एक स्थायी जांच समिति होनी चाहिये ताकि क्षेत्रीय स्तर पर कार्यों का अन्तर-विभागीय समन्वय प्राप्त किया जा सके। इस अधिकार प्राप्त समिति की सलाह पर सरकार द्वारा अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

कच्चे पटसन के डब्ल्यू-5 ग्रेड के मूल्यों का निर्धारण

203. **श्री चित्त बसु** :

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में यह सुझाव दिया है कि कच्चे पटसन

के डब्ल्यू-5 वर्ग के मूल्य आगामी सत्र के लिये 257.00 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित किये जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) तथा (ख) जनवरी, 1982 में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के अधिकारियों ने इस मामले पर विचार कर रहें कृषि मूल्य आयोग के साथ अपने विचार विमर्श के दौरान 1982-83 सीजन के लिये डब्ल्यू-5 ग्रेड के पटसन के लिये 275 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य का सुझाव दिया है। कृषि मूल्य आयोग से सिफारिशें प्राप्त होने के बाद सरकार अगले सीजन के लिये पटसन की न्यूनतम समर्थन कीमतें नियत करने के लिये आवश्यक कदम उठायेगी।

पटसन उद्योग में रुग्णता

204. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी :**

श्री के. मालन्ना : क्या **वाणिज्य मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन उद्योग में रुग्णता महामारी का रूप धारण कर गई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने एककों को रुग्ण एककों के रूप में पाया गया है; और

(ग) इन एककों में पुनर्जीवन संचार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) इस समय पटसन उद्योग अभूतपूर्व मंदी का सामना कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश मिलों को नकद हानि हो रही है। निविष्टों की ऊंची लागत तथा कम बिक्री वसूली से समस्त उद्योग पर प्रभाव पड़ा है। सरकार ने माँग को स्थिर करने के लिए अनेक उपाय किये हैं जिसमें पटसन माल के निर्यातों पर नकद प्रतिपूर्ति समर्थन दिया जाना, अनाज, उर्वरकों, सीमेंट तथा चीनी पैक करने के लिए पटसन की बोरियों की खरीद में वृद्धि करना, छटे हुये मार्जिन पर कच्चे पटसन की खरीद के लिये ऋण दिया जाना आदि, पटसन उत्पादक देशों की कीमतों तथा निर्यात आय को स्थिर करने के लिए एस्कैप, अंकटाड तथा एफ. ए. ओ. के तत्वावधाधान में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सरकारी विचार-विमर्शों में भाग लेना शामिल है।

लाभ/हानि में चल रहे भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल

205. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्तटन विकास निगम के अन्तर्गत के उन होटलों की संख्या कितनी है जो लाभ अथवा हानि में चल रहे हैं; और

(ख) इस तरह के सभी होटलों में कार्य कर रहे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम ने 21 होटलों का परिचालन किया। इनमें

से 7 होटलों ने 278 52 लाख रुपयों का निवल लाभ कमाया और शेष 14 होटलों को 161.26 लाख रुपयों की निवल हानियाँ हुईं। तथापि 14 होटलों में से 8 ने परिचालन लाभ अर्जित किए। इस प्रकार 21 होटलों का निवल संचयी लाभ 117.26 लाख रुपये था।

(ख) 31 अक्तूबर 1981 की स्थिति के अनुसार इन 21 होटलों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या 5730 रुपए थी।

श्री लंका के एक मन्त्री की भारत यात्रा

206. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1981 के महीने में श्रीलंका के एक मंत्री ने भारत की यात्रा की थी और चाय के निर्यात के मसले पर बातचीत की थी;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में दोनों देश संयुक्त नीति अपनाने के बारे में सहमत हो गए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) श्रीलंका के व्यापार तथा नौवहन मंत्री श्री ललित अथुलत्युदली 27 नवम्बर से 2 दिसम्बर, 1981 तक नई दिल्ली में दौरे पर आये। वह 28 नवम्बर, 1981 को वाणिज्य मंत्री से मिले और व्यापार के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया। चाय से सम्बन्धित कतिपय मामलों पर भी विचार विमर्श हुआ।

(ख) भारत और श्रीलंका अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार तैयार करने और इसके कार्यान्वियन के लिए निकट सहयोग से कार्य करने के लिए सहमत हो गए हैं।

(ग) सामान्य तौर पर यह आशा की जाती है कि करार के अन्तर्गत उत्पादक देश सभी के सामान्य लाभ के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी सप्लाइयां विनियमित करेंगे। तथापि भारत से चाय निर्यातों में वास्तविक वृद्धि प्रस्तावित करार के ढांचे के अन्तर्गत भारत को दिये जाने वाले कोटे पर निर्भर करेगी।

ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का विस्तार

207. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों के विस्तार पर जोर देती रही है;

(ख) यदि हाँ, तो विभिन्न राज्यों के ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की नई शाखाएं स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ग) ग्रामीण बैंकिंग विस्तार योजना के कार्यान्वयन को शीघ्रता से पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे हैं;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की चालू शाखा लाइसेंसिंग नीति को वित्तीय वर्ष 1982-83 के अन्त तक बढ़ाए जाने का विचार है; और

(ङ) उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की नई शाखाएं खोलने के सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) जनवरी, 1979 से मार्च, 1982 तक को व्याप्त करने वाली वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के दौरान बैंकों से कहा गया है कि वे ग्रामीण/अर्ध शहरी क्षेत्रों में औसतन 20 हजार व्यक्तियों के लिए एक शाखा से कम व्यक्ति वाले जिलों में शाखाएं खोलें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कम बैंक वाले जिलों के रूप में निर्धारित जिलों में शाखा विस्तार के लिए बनाये गये कार्यक्रमों के अनुसरण में, जो कि राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किये गये हैं, बैंकों को प्राधिकृतियां/लाइसेंस जारी किये गये हैं और उनसे कहा गया है कि वे उन्हें शीघ्रता से कार्यान्वित करें।

(घ) आवंटी बैंकों को उन स्थानों पर शाखाएं खोलने का अवसर देने के लिए जहाँ के वास्ते उनके लाइसेंस/आवंटन सभी शेष पड़े हैं और आगामी नीति अवधि को छठी पंचवर्षीय योजना के साथ समाप्त होने वाली बनाने की दृष्टि से शाखा लाइसेंस नीति की अवधि को 31 मार्च, 1982 तक बढ़ा दिया गया है। मार्च, 1985 के अन्त तक ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में (1981) की जनगणना के आधार पर) 17 हजार की आबादी के लिए औसतन एक बैंक कार्यालय की व्याप्ति प्राप्त करने के अन्तिम उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में, बैंकिंग व्याप्ति में और सुधार लाने की दृष्टि से 1 अप्रैल, 1982 से 31 मार्च, 1983 तक की 3 वर्ष की अवधि के लिए एक नई शाखा लाइसेंसिंग नीति हाल ही में तैयार की गई है।

(ङ) चालू नीति-अवधि के दौरान उड़ीसा में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या दिसम्बर, 1978 के 698 से बढ़कर सितम्बर, 1981 में 997 हो गई। इन अतिरिक्त 29९ शाखाओं में से -85 शाखाएं ग्रामीण और अर्ध शहरी स्थानों पर खोली गयी।

सितम्बर, 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार बैंक के पास उडीसा में शाखाएं खोलने के 295 लाइसेंस/आवंटन बकाया थे।

उत्तर प्रदेश को विश्व बैंक की सहायता

208. **श्री जैनुल बशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-प्रदेश सरकार ने अपनी विभिन्न विकास योजनाओं के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं के नाम क्या हैं और उनके लिए कितनी राशि मांगी गई है; और

(ग) अब तक इस सम्बन्ध में विश्व बैंक की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य की निम्नलिखित परियोजनाएं इस समय विश्व बैंक समूह के सहायतार्थ विचाराधीन हैं :

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सहायता की राशि
1.	उत्तर प्रदेश—नलकूप दूसरा चरण	10 करोड़ डालर
2	अपर गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण	12.50 करोड़ डालर

इनके अलावा उत्तर प्रदेश निम्नलिखित विचाराधीन बहुराज्यीय परियोजनाओं में भी भागीदार हो सकता है :

1.	हथकरघा परियोजना	10.00 करोड़ डालर विश्व बैंक सहायता का राज्यवार विभाजन अभी उपलब्ध नहीं
2.	उत्तर प्रदेश/ कर्नाटक बागबानी	6.00 करोड़ डालर —
3.	एकीकृत जलधारा क्षेत्र पुनर्वास और लगभग विकास परियोजना	3.00 करोड़ डालर —

(ग) उपर्युक्त परियोजनाओं की तैयारी का काम विभिन्न चरणों में चल रहा है और विश्व बैंक से प्राप्त होने वाली सहायता के क्षेत्र और उसकी राशि के बारे में अन्तिम निर्णय का निश्चय तभी हो सकेगा जब बैंक द्वारा इनका मूल्यांकन कर लिया जाएगा और इस सम्बन्ध में बातचीत पूरी हो जाएगी। विश्व बैंक समूह से सहायता की राशि की उपलब्धता से यह भी निश्चय हो जाएगा कि कितनी परियोजनाओं को वास्तव में सहायता से सम्बद्ध किया जा सकता है।

विदेशी पर्यटकों को विशेष सुविधाएं

209. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटक काम्पलैक्सेज के विकास के लिए आधारभूत लागत इतनी अधिक है और विदेशी पर्यटकों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए इतनी अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है कि उससे अंततोगत्वा आय बहुत थोड़ी होती है;

(ख) क्या इससे स्थानीय लोगों के धंधे भी समाप्त हो जाते हैं और लोग पर्यटन से सम्बन्धित क्रियाकलापों पर निर्भर हो जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या ट्रेवल एजेंटों द्वारा आयोजित किए जाने वाली सामूहिक यात्राओं के स्थान पर वैकल्पिक यात्राओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने का सरकार का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त आयोजन का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) पर्यटन कम्पलैक्सों पर लगने वाली लागत में काफी भिन्नता होती है जो इस बात पर निर्भर करती है कि इसके द्वारा किस प्रकार के पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने का प्रस्ताव है और वास्तव में कौन-कौन सी सुविधाएं जुटाई गई हैं। केवल उच्च स्टार श्रेणी के होटलों और स्कीइंग और पर्वतारोहण की पेशकश करने वाले और समुद्र-तट विहार स्थलों जैसे कुछ विशिष्ट रिसार्टों के मामले में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। उच्च स्टार श्रेणी के होटलों के मामले में आमतौर पर विदेशी मुद्रा का अंश कुल पूंजीगत लागत के 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच होता है।

(ख) सेवा-अभिमुखी क्रियाकलाप होने के नाते पर्यटन स्थानीय लोगों का रोजगार छीनने

की बजाए पर्यटक सुविधाओं के लिए आदमी काम पर लगाकर या तो प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्रदान करता है और या सावेनीयरों और हस्तशिल्प के निर्माण और उनकी बिक्री, खाद्य सामग्री एवं पर्यटक आवास संस्थापनाओं आदि की जरूरतों की अन्य चीजों की सप्लाई द्वारा परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्रदान करता है।

(ग) और (घ) जबकि सरकार पर्यटन के संवर्धन को प्रोत्साहन दे रही है, वास्तविक रूप में टूअर्स का आयोजन यात्रा अभिकर्ताओं द्वारा ही किया जाता है। यात्रा अभिकर्ता छोटे ग्रुपों के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग से और पैकेज टूअर्स का संवर्धन करते हैं, भारत में सामूहिक पर्यटन का आयोजन नहीं किया जाता।

प्रबन्ध कर्मचारी और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनों के बीच अन्तर को कम करने की योजना

210. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :**

श्री ई. बालानन्दन : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबंध कर्मचारियों के वेतनों और परिलब्धियों में कमी करके अथवा प्रबंध कर्मचारियों के अधीन अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनों को बढ़ाकर उनके बराबर करके, प्रबन्ध कर्मचारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनों के बीच अन्तर को कम करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो यदि कोई योजना है तो ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं; और

(घ) इस दिशा में कोई प्रयास किए गए हैं, तो वे क्या हैं और अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

वित्त मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) सरकार की नीति यह सुनिश्चित करना है कि प्रबन्धकों और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच सापेक्षता कायम रखने के लिए सरकारी उद्यमों में परिलब्धियों के ढांचे को युक्तिसंगत बनाया जाए। ऐसा करने में यदि कोई भिन्नताएं एवं असमानताएं पाई जाएं तो उन्हें वेतनमानों भत्तों और अनुलाभों का परिशोधन करते समय दुरुस्त किया जाए।

अमृतसर बर्मिंघम उड़ान में हवाई यात्रियों का आना/जाना

211. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर से बर्मिंघम तक एक नई हवाई उड़ान शुरू की गई है और यदि हां, तो अब तक इस उड़ान से कितने हवाई यात्री गए तथा कितने यात्री आए;

(ख) क्या यहाँ यात्रियों की संख्या, उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिये पर्याप्त है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में जल्दी ही कोई निर्णय करने का है; और

(ग) उन विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी है जो भारत आने के लिए इस उड़ान को

पकड़ते हैं और क्या सरकार का विचार अमृतसर में पर्यटक सुविधाओं में वृद्धि करने का है ताकि उससे देश को बेहतर विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता मिले ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :(क) एयर-इन्डिया ने 3 जनवरी, 1982 से अमृतसर से होते हुए बरमिंघम के लिए सप्ताह में दो उड़ानें प्रारम्भ की हैं। जनवरी 1982 में परिचालित की गई नौ उड़ानों पर वाहित यात्रियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

बरमिंघम—अमृतसर—243

अमृतसर—बरमिंघम— 362

(ख) सम्भावित यातायात की आवश्यकता की पूर्ति के लिए फिलहाल सप्ताह में दो उड़ानें पर्याप्त हैं। यदि सम्भावित यातायात में वृद्धि के कारण अतिरिक्त उड़ानों की आवश्यता हुई तो, स्थिति का पुनरीक्षण किया जायेगा।

(ग) बरमिंघम तथा अमृतसर के बीच वर्तमान यातायात अधिकांशतः भारतीय मूलक है। फिलहाल अमृतसर में पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची में 123 कमरों वाले 4 होटल हैं। दो ऐसी होटल परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं जिनके पूरा हो जाने पर वर्तमान क्षमता 84 कमरों की और वृद्धि हो जाएगी।

थोक मूल्य सूचकांक

212. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सह सच है कि गत छः महीनों के दौरान देश में थोक मूल्य सूचकांक में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन वस्तुओं के मूल्य स्तर उपर्युक्त अवधि के दौरान स्थिर रहे है अथवा नीचे गिरे है;

(ग) क्या थोक मूल्यों में गिरावट से, वस्तुओं के खुदरा मूल्य स्तर में तदनुसार गिरावट आई और यदि नहीं तो क्या सरकार ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि विचौलियों द्वारा किस तरह इसका लाभ उठाया जा रहा है और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार के क्या निष्कर्ष हैं और

(घ) क्या सरकार खाद्यान्नों के थोक व्यापार को अपने नियन्त्रण में लेने पर विचार करना चाहती है ताकि मूल्यों में गिरावट का लाभ आम आदमी को मिल सके और यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) थोक मूल्य सूचकांक में (1970-71 = 100) पिछले छः महीनों में अर्थात जुलाई 1981 और जनवरी 1982 के बीच 2.4 प्रतिशत की कमी हुई। एक विवरण संलग्न है जिसमें विभिन्न समूहों/उप-समूहों और वस्तुओं में हुए प्रतिशत परिवर्तन दिये गए हैं।

(ग) थोक मूल्य सूचकांक और अखिल भारतीत श्रमिक उपभोक्ता सूचकांक (जिसे खुदरा उपभोक्ता मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नापने के लिए किया जाता है) की संरचना

भिन्न होती है और ये इनका भाराँकन करने के लिए अलग-अलग आधार होते हैं। इस प्रकार इन दो शृंखलाओं में नितांत रूप में समान रूप से परिवर्तन नहीं हो सकते। इन दो शृंखलाओं की विभिन्न गतियों से स्वयमेंव यह सिद्ध नहीं होता है कि बिचौलियों के द्वारा वस्तुओं का लाभ उठाया गया है।

(घ) सरकार का खाद्यान्नों के थोक व्यापार को अपने नियंत्रण में लेने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। इस सम्बन्ध में तह बता दिया जाए कि सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा उनकी खाद्यान्नों की आधारभूत न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नियत मूल्यों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से करती है। सरकार को चोर बाजारी, जमाखोरी और मुनाफा-खोरी करने वाले समाज विरोधी तत्वों से निपटने के लिए पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं।

थोक कीमतों के सूचक अंक

(आधार : 1970-71 = 100)

	जनवरी 1972	जुलाई 1981	प्रतिशत घटबढ़ जुलाई, 1981 की तुलना में जनवरी, 1982
समस्त वस्तुएं	278.7	285.7	— 2.5
I प्राथमिक वस्तुएं	265.3	369.8	— 1.7
(i) खाद्य वस्तुएं	236.7	240.7	— 1.7
खाद्यान्न	237.3	238.8	— 0.6
दालों से भिन्न अनाज	219.4	216.7	+ 1.2
दालें	325.8	347.7	— 6.3
फल तथा सब्जियां	237.9	229.2	+ 3.8
दूध तथा दूध उत्पाद	213.6	207.1	+ 3.1
अण्डे, मछली तथा मांस	336.8	295.4	+14.0
मसाले तथा गरम मसाले	191.4	158.8	+20,5
(ii) खाद्य-भिन्न वस्तुएं	239 6	345.2	— 2.3
रेशे	216 9	219.0	— 1.0
तेलहन	248.9	270.7	— 8.1
(iii) खनिज	1165.7	11.754	— 0.8
II ईंधन पावर, बिजली और लुब्रीकेन्टस	427.5	427.0	+ 2.5
III विनिर्मित उत्पाद	262.9	275.0	— 4.4
(i) खाद्य उत्पाद जिसमें से :	268.0	327.2	—18.1
चीनी, खांडसारी और गुड़	281.1	38.20	—26.4
खाद्य तेल	257.2	271.8	— 5.4
खली	245.9	260.6	— 5.6

1	2	3	3
(ii) पेय पदार्थ, तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पाद	219.1	218.4	+ 0.3
(iii) वस्त्र	223.4	223.8	— 0.2
(iv) कागज तथा कागज उत्पाद	289.7	270.8	+ 7.0
(v) चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद	360.9	374.8	— 3.7
(vi) रबड़ तथा रबड़ उत्पाद	290.8	277.7	+ 4.7
(vii) रसायन तथा रासायनिक उत्पाद	263.9	255.0	+ 3.5
(viii) धातु-भिन्न खनिज उत्पाद	315.3	296.1	+ 6.5
(ix) बुनियादी धातु, धातु और धातु उत्पाद	314.4	305.6	+ 2.9
(x) मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर	266.2	261.8	+ 1.7

आंकड़े अन्तिम हैं।

दिल्ली के होटलों से विदेशी पर्यटकों की सम्पत्ति तथा सामान की चोरी

213. **श्री भीकू राम जैन : पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खास तौर पर दिल्ली के कई प्रमुख होटलों से विदेशी पर्यटकों की सम्पत्ति और सामान की चोरी होने की कुछ सनसनी खेज घटनायें प्रकाश में आई हैं और यदि हां, तो चोरी की इस तरह की बड़ी घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के होटलों सहित राजधानी के होटलों में सुरक्षा व्यवस्थाओं में सुधार लाने और उनमें चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) दिल्ली में होटलों से विदेशी पर्यटकों की सम्पत्ति और सामान की चोरी का कोई मामला पर्यटन विभाग के नोटिस में नहीं आया है, सिवाय एक मामले के, जो राजधानी में एक 5–स्टार होटल में ठहरे एक विदेशी अतिथि के जेवरों के खो जाने से संबधित था। इस मामले की पहले से ही पुलिस द्वारा छान-बीन की जा रही है।

(ख) होटलों में सुरक्षा के प्रबन्ध संबंधित मैनेजमेंटों द्वारा किए जाते हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक सेक्टर के होटलों में भी पर्याप्त प्रबन्ध विद्यमान हैं। इनमें सुधार लाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं जो कि होटलों की साख बनाए रखने के लिए एक सतत प्रक्रिया है।

निर्यात को ऋण सम्बन्धी पाबन्दी से मुक्त करने के लिये अनुरोध

214. **श्री भीकूराम जैन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय निर्यात संगठनों के परिसंघ ने निर्यात को ऋण संबंधी पाबन्दी से मुक्त करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार निर्यात को ऋण सम्बन्धी पाबन्दी से मुक्त करने का है; और

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार का क्या अन्य कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) मई, 1981 में बैंकों को ऋण नीति के बारे में बताते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस बात पर जोर दिया कि बैंक निर्यात क्षेत्र की ऋण आवश्यताओं पर विशेष ध्यान दें।

(ग) निर्यात को सुधारने के लिए सरकार ने बहुत से निर्णय किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुबंध में दर्शाए गए हैं।

विवरण

1. निर्यात के लिये उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से 23 जुलाई 1980 के औद्योगिक नीति विषयक वक्तव्य द्वारा उन 15 उद्योगों के अतिरिक्त जो कि 1975 में स्वतः विकास (आटोमेटिक ग्रोथ) की सुविधा के पात्र बना दिए गए थे, फरवरी 1973 के औद्योगिक नीति विषयक वक्तव्य परिशिष्ट में शामिल किए गए 19 प्रमुख औद्योगिक समूहों को भी उक्त सुविधा प्रदान कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के विकास के लिये मौलिक, महत्वपूर्ण और सामरिक महत्व के सभी उद्योग अब 5 प्रतिशत प्रति वर्ष अथवा पंचवर्षीय योजना के लिए 25 प्रतिशत की हैसियत में स्वतः विकास के लिए पात्र हो गए हैं।

2. 23 जुलाई, 1980 के औद्योगिक नीति विषयक वक्तव्य द्वारा लघु उद्योगों में निवेश की सीमा को भी बढ़ा दिया गया।

3. निर्यात में उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उनके औद्योगिक विकास के वास्ते महानगरीय शहरों तथा बड़े शहरों में उद्योगों के विकास पर प्रतिबन्ध के मामले में चयनात्मक छूट प्रदान करने की घोषणा की गई।

4. निर्यातों के वास्ते उत्पादन औद्योगिक उपक्रमों की लाइसेंस शुदा क्षमता के बाहर होगा।

5 एम. आर. टी. पी. एक्ट के अन्तर्गत "प्रधानता" प्राप्त करने वाले औद्योगिक एककों से स्वतः विस्तार की अनुमति देने के लिए उनके पिछले निर्यात कार्यकलाप पर अनुकूल दृष्टि से विचार किया जायेगा।

6. निर्यात-उत्पादन के लिये आधुनिक तकनीक की दृष्टि से जिससे कि हमारे निर्यातकों द्वारा किस्म डिजाइन तथा निष्पादन के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की पूर्ति हो सके, यह निश्चय किया गया है कि तकनीक के आयात के ऐसे आवेदनों पर जिनमें रायल्टी की एक पुश्त अदायगी अन्तर्ग्रस्त हो अधिक उदारता-पूर्वक विचार किया जाएगा।

7. शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उद्योगों की एक योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के अनुसार, शत-प्रतिशत निर्यात उन्मुख एककों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा अन्य केन्द्रीय शुल्कों की सूची में दिये गये पूंजीगत माल, कच्चे माल और सघटकों के शुल्क-मुक्त आयात की

सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी तथा मुक्त-व्यापार क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाओं के समनुरूप विदेशी सहयोग के लिये अपेक्षाकृत अधिक सुलभ शर्तें रखी जायेंगी।

8. उपर्युक्त उपायों के अलावा, सेवा शुल्क को समाप्त करने, तथा सान्ताक्रुज इलैक्ट्रोनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में पट्टा क्षतिपूर्ति में रियायत प्रदान करने के रूप में कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने का भी निर्णय किया गया है।

9. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के वित्त पोषण के लिए मुख्य वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने के वास्ते "एक्सिम बैंक" की भी स्थापना की गई है।

10 शुल्क वापसी की प्रतिक्रियाओं को सरल कर दिया गया है।

11. व्यापारिक गृहों (ट्रेडिंग हाउसेस) की अवधारणा को भी स्वीकार कर लिया गया है।

इंडियन एयर लाइन्स द्वारा शहर में स्थित कार्यालयों और हवाई अड्डों के बीच वायरलैस सम्पर्क स्थापित किया जाना

215. **श्री भीकुराम जैन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स ने अधिक द्रुत संचार के लिए शहर में स्थित अपने कार्यालयों और हवाई अड्डों के बीच वायरलैस सम्पर्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव भेजा है, यदि हां, तो इस व्यवस्था से होने वाली नई सुविधा और लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह सुविधा किन-किन हवाई-अड्डों पर दी जायेगी; और

(ग) सम्पूर्ण परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और इसे कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां। प्रारम्भ में, बम्बई, कलकत्ता. दिल्ली, मद्रास स्थित नगर कार्यालयों तथा सम्बन्धित विमान क्षेत्र केन्द्रों के बीच तथा इंडियन एयरलाइन्स मुख्यालय के ओपरेशन्स कंट्रोल और दिल्ली एयरपोर्ट के फ्लाइट डिस्पेच सैंटर के बीच, वी. एच. एफ. (वैरी हाई फ्रीक्वैंसी) बैंड वाली बेतार संचार व्यवस्था स्थापित व परिचालित करने संबंधी इंडियन एयरलाइंस के प्रस्ताव का सरकार ने जनवरी, 1982 में अनुमोदन कर दिया है।

नयी व्यवस्था के लाभ निम्न प्रकार हैं। स्थापित किये जाने वाली बेतार संचार व्यवस्था से विमान क्षेत्रों तथा सम्बन्धित नगर कार्यालयों के बीच एक स्वतंत्र, अधिक विश्वशनीय तथा तात्कालिक दो-तरफा संचार व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी, जिससे कारपोरेशन यात्री जनता को उड़ानों के आगमन, प्रस्थान सीटों की पुष्टि इत्यादि के बारे में अपेक्षित सूचना प्रदान कर सकेगी।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में वर्णित विमान क्षेत्रों के अतिरिक्त, यह सुविधा बंगलौर, हैदराबाद, गौहाटी, त्रिवेन्द्रम्, श्रीनगर तथा गोवा में भी स्थापित करने की योजना है।

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत 8.40 लाख रुपये है। उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित चार विमान क्षेत्रों के लिये अनुमानित रायल्टी लागत तथा लाइसेंस फीस केवल

5,040/-रुपये होगी। भाग (क) में उल्लिखित विमान क्षेत्रों पर यह व्यवस्था अगले दो महीनों के दौरान चालू हो जाने की आशा है। अन्य विमान क्षेत्रों पर इस व्यवस्था के 1982 के दौरान उत्तरोत्तर क्रम से चालू किये जाने की आशा है।

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की ओर बकाया भुगतान

216. **श्री एस. ए. दोराई सेविस्तन :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने मिल में बने नियंत्रित कपड़े की सप्लाई के लिए राष्ट्रीय सरकारी उपभोक्ता संघ से 45 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त करना है; और

(ख) यदि हां, तो यह भुगतान कितने समय से रुका पड़ा है और इस बकाया राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अनुसार उन्हें 31 दिसम्बर, 1981 तक कंट्रोल के कपड़े की सप्लाई के लिए 41.25 करोड़ रु. की राशि प्राप्त होनी है। समस्त राशि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ से प्राप्त होनी हैं। किन्तु राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ का कहना है कि उपदान की राशि तभी देय होती है जब वह सरकार से प्राप्त हो जाये। उपभोक्ता कीमत से प्राप्त होने वाली राशि को राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ आम तौर पर राष्ट्रीय वस्त्र निगम को 30 दिन के भीतर दे देता है जो कि ऋण अवधि है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा उपदान की राशि का भुगतान राष्ट्रीय वस्त्र निगम को सरकार से उपदान की राशि प्राप्त हो जाने के बाद किया जाता है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम, शीघ्र भुगतान के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ तथा सरकार से बराबर सम्पर्क बनाये हुए हैं।

उत्तरी क्षेत्र में सूती कपड़ा मिलें

217. **एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ओर उत्पादन लागत में बढ़ौतरी तथा दूसरी ओर मांग में कमी के कारण उत्तरी क्षेत्र की सूती कपड़ा मिलें विकट स्थिति का सामना कर रही हैं;

(ख) क्या कपड़ा उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार स्थिति और अधिक खराब होगी और यदि सरकार द्वारा शीघ्र आवश्यक निवारक कदम नहीं उठाए गए तो उसका श्रम सहित विभिन्न सम्बन्धित वर्ग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो कपड़ा मिलों में इस संकट की स्थिति के मुख्य क्या कारण है; और

(घ) इन कपड़ा मिलों को 1982 के दौरान संकट की इस स्थिति से उबारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने का निर्णय लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए संगमा) : (क) से (घ) अन्तर्निविष्ट माल की लागत में वृद्धि तथा मांग में कमी आने की वजह से उत्तरी क्षेत्र में सूती वस्त्र मिलें कठिनाई का सामना करती रही है। ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है कि स्थिति और खराब हो जाएगी। रूई की कीमतों में स्थिरता आने से ऐसी आशा है कि इन वस्त्र मिलों के कार्य निष्पादन में आगे चलकर सुधार आयेगा।

कूटनीतिज्ञों द्वारा तस्करी

218. **श्री ए.म वी. चन्द्र शेखर मूर्ति :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981 के अंतिम तीन महीनों के दौरान कूटनीतिज्ञों द्वारा तस्करी में जो वृद्धि हो रही थी वह अब 1982 के दौरान फिर बढ़ने लगी है।

(ख) यदि हाँ, तो वित्त मंत्री ने कहा था कि तस्करी करने वाले कूटनीतिज्ञों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1981 के अन्त तक कुल कितने कूटनीतिज्ञ तस्करी करते रहे थे और वर्ष 1982 के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है तथा तस्करी करने के दोषी पाये गये कूटनीतिज्ञों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों से यह पता नहीं चलता कि वर्ष 1982 के दौरान राजनयिकों द्वारा तस्करी किए जाने के कार्य में किसी प्रकार की वृद्धि हुई है ?

(ख) जी हाँ। तस्करी कार्य कलापों में ग्रस्त पाये गये राजनयिकों के विरुद्ध राजनयिक माध्यमों से तथा कानून के अनुसार उचित कार्यवाई की जा रही है।

(ग) वर्ष 198। के दौरान सीमाशुल्क अधिकारियों ने तस्करी कार्य-कलापों में ग्रस्त 8 राजनयिकों का पता लगाया। जनवरी, 1982 में ऐसे किसी मामले का पता नहीं लगा।

सरकार ने सम्बन्धित देशों की सरकारों के सहयोग से उचित वार्यवाई की है और ऐसे दुरुरूपयोगों की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से इन सरकारों के साथ गुप्त रूप से सम्पर्क स्थापित किए हुए हैं। सम्बन्धित देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबन्धों और सतत सहयोग को ध्यान में रखते हुए, ग्रस्त राजनयिकों के विरुद्ध की गई कार्यवाई के ब्यौरों को बताना उचित नहीं होगा।

बैंको द्वारा जमाराशियों में वृद्धि

219. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों ने रिजर्व बैंक के विदेशों और इण्डियन बैंक एसोशियेशन ग्राउन्ड रुल्स का उल्लंघन करते हुए अपनी जमाराशियों में वृद्धि करने की होड़ सी लगी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या नियमों का उल्लंघन या बचत राशियों पर सीधे ही ब्याज अदा करके अथवा ड्राफ्टों और पे-आर्डरों की आदायगियां करके किया गया था;

(ग) यदि हाँ, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के इन उल्लंघनों के कारण उनके विरुद्ध अभी तक कार्यवाही नहीं की है; और

(घ) यदि हां, तो किन बैंकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रलाय में उप मत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं। अलबत्ता, जमाओं के रूप में, संसाधनों को जुटाने के कार्य को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने विशेषतः बैंकिंग तंत्र में अधिक नकदी को नियन्त्रित करने के वास्ते, रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों के संदर्भ में, प्रयास कर रहे हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न संभवतः जमाओं सर ब्याज की अदायगी को शासित करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के उल्लंघन से सम्बन्धित हैं। रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि

अनुदेशों के उल्लंघन के जो मामले समय-समय पर जानकारी में आते हैं उनमें हाउसिंग बोर्डों, बिजली बोर्डों आदि जैसी कुछ संस्थाओं के बचत बैंक खातों पर ब्याज की अदायगी, भारतीय जीवन बीमा निगम/भारतीय यूनिट ट्रस्ट जैसी कुछ संस्थाओं से प्राप्त राशियों पर ऊंची दरों पर ब्याज की अदायगी और परिपक्वता की विशिष्ट तारीख निर्दिष्ट किए बिना जमा की रसीदे जारी करने के मामले अंतर्ग्रस्त होते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि उसके अनुदेशों के सभी मामले संबंधित बैंकों के साथ, और यदि आवश्यक हो तो अध्यक्ष के स्तर पर उठाए जाते हैं तथा उपचारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। जहां यह पाया जाता है कि उल्लंघन जानबूझ कर किया गया है, उल्लंघन के उत्तरदायी कार्मियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए बैंकों को निर्देश दिए जाते हैं। रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि अब तक, इन अनुदेशों के उल्लंघन के लिए उसे किसी भी बैंक अथवा उसके किसी कर्मचारी के विरुद्ध बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 47 के अधीन दण्डात्मक उपबन्धों का प्रयोग करने की आवश्यकता नही पड़ी है।

विदेशी पर्यटकों की संख्या के सम्बन्ध में अनुमान और यात्रा सर्किट की योजना

220. **श्री एच एन. नन्जे गौडा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी पर्यटकों की संख्या और उनसे अर्जित मुद्रा दोनों के संबन्ध में विभाग द्वारा 1981 के दौरान प्राप्त वसूलियों और आन्तरिक और विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1981 के दौरान बनाए गए यात्रा सर्किट की योजना से हुए लाभ का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मूल्यांकन के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बनाया गया सर्किट बहुत ही लोकप्रिय सिद्ध हुआ है और 1982 के लिए दक्षिणी भारत के लिए कौन से नए सर्किट बनाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान : (क) और (ख) जी, हां, 1981 के दौरान 853.148 अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों ने भारत की यात्रा की जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। उनसे अर्जित की गई विदेशी मुद्रा की राशि का अनंतिम रूप से वर्तमान कीमतों पर 564 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत वृद्धि दर्ज होगी।

विकासात्मक और अभिवृद्धिपरक उद्देश्यों के लिए यात्रा परिपथों के अभिनिर्धारण की संकल्पना पर राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के साथ बात-चीत की गई थी जिसके परिणाम स्वरूप 61 यात्रा परिपथ जिनमें 441 पर्यटक केन्द्र शामिल है अभिनिर्धारित किए गए हैं। इस अवस्था में यह जायजा करना जल्दबाजी होगी कि इस स्कीम का स्वदेशी और विदेशी दोनों तरह के पर्यटन की अभिवृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

(ग) यात्रा परिपथों के बारे में कार्यक्रम का पहला भाग सुविधाएं प्रदान करना और इन यात्रा परिपथों का प्रचार तथा संवर्धन करना है। केवल उसके बाद ही यात्रा परिपथों की संकल्पना की प्रतिक्रिया का जायजा लिया जा सकेगा। पहले से ही निर्धारित 61 यात्रा परिपथों

के अतिरिक्त जिनमें पर्यटक अभिरुचि और आकर्षण के अधिकांश स्थान और क्षेत्रों को कवर कर लिया गया है, फिलहाल देश में कही भी किन्हीं नए यात्रा परिपथों के अभिनिर्धारण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत को जापान से ऋण

221. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान ने भारत को विकास कार्यों के लिए ऋण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस राशि का किन मुख्य परियोजनाओं पर उपयोग किया जायेगा तथा ऋण की राशि क्या है तथा उसकी शर्तें क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) जापान ने 1958 से भारत को 541.95 अरब येन (जो लगभग 2268 करोड़ रुपये के बराबर है) की ऋण सहायता दी है। जिन मुख्य क्षेत्रों में इस सहायता का उपयोग किया गया है वे विद्युत, उर्वरक, दूरसंचार, गहरे समुद्र में तेल की खोज आदि के क्षेत्र हैं। जापान से मिले चालू ऋणों पर 2.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगता है और ऋणों की वापसी अदायगी 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 30 वर्ष में की जानी है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते की किश्तों का रोका जाना

222. **श्री हरिहर सोरन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बंताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते की किश्तों को रोक लेने का है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा लिये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सीसोदिया) : (क) और (ख) कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में केवल मंहगाई भत्ते की बकाया राशि को ही जमा करने का प्रस्ताव है।

बिहार के कुछ पर्यटक स्थलों पर राष्ट्रीय पर्यटक काम्पलेक्स

223. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पर्यटन नीति में कुछ विकास परियोजनाओं को शामिल किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो (एक) सूर्यकुण्ड वाढ़-कट्टा में गर्म पानी का झरना (दो) राष्ट्रीय पार्क (हजारी बाग) प्राकृतिक सौंदर्य का एक स्थान राजरप्पा (गोला) (तीन) कोल्लुआ पहाड (हिटरगंज) (चार) पाश्वनाथ पर्वत राज्जुपार्ग (पांच) तिलैयाडैम आदि जो बिहार के अपेक्षित किन्तु पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है; पर राष्ट्रीय पर्यटन काम्पलेक्स बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अभ्रक व्यापार निगम के पास पंजीकृत कमजोर वर्ग के अभ्रक व्यापारी

224. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अभ्रक व्यापार निगम के पास पंजीकृत कमजोर वर्ग के अभ्रक व्यापारियों की क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या कमजोर वर्ग के इन व्यापारियों की सुरक्षा हेतु वार्षिक खरीद के लिए कोई न्यूनतम गारंटी सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो एकाधिकारवादी निर्यातकों द्वारा इनका शोषण होने से बचाने के लिए निगम ने क्या उपाए किए हैं; और

(घ) क्या लघु अभ्रक के छोटे व्यापारियों और उसके श्रमिकों को अधिकतम राहत देने के लिये भविष्य में कोई योजना बनाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) मिटकों के अन्तर्गत कमजोर वर्ग से सम्बन्धित पंजीकृत डीलरों की संख्या का क्षेत्र-वार वितरण निम्नोक्त प्रकार है :—

गिरिदीह	502
झुमरी तलैया	339
डोमछवंच	86
भीलवाड़ा	25
गुडूर	70
योग	1022

(ख) से (घ) मिटको निगम द्वारा खरीदी गई अभ्रक की कुल मात्रा का लगभग 90 प्रतिशत अभ्रक डीलरों के कमजोर वर्ग से खरीदता है हालांकि वार्षिक खरीद की कोई न्यूनतम गारन्टी सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

संगठन तथा प्रबन्ध सेवा (आयकर) के निदेशालय में लगाया गया प्रोग्रेमेबल केल्कुलेटर

225. **डा. बसन्त कुमार पंडित** : क्या **वित्त मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संगठन तथा प्रबन्ध सेवा (आयकर) के निदेशालय में लगाया गया प्रोग्रेमबल केल्कूलेटर पिछले कुछ वर्षो से बेकार पड़ा है;

(ख) प्रोग्रेमेबल केल्कूलेटर के लिये कितने कर्मचारी मंजूर/उस पर काम कर रहे हैं और प्रत्येक कर्मचारी द्वारा क्या वेतन लिया जा रहा है; और

(ग) केल्कूलेटर के काम पर नियुक्त कर्मचारियों को वापस लेने तथा अन्य कामों पर लगाने के लिए सरकार का क्या कार्ययाही करने का विचार है जिससे कि सार्वजनिक निधियों की बरबादी तथा दुरुपयोग रोका जा सके ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रोग्रेमेबल केल्कुलेटर यूनिट में स्वीकृत तथा कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और प्रत्येक कर्मचारी का मूल वेतन निम्नानुसार है :—

	कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	मूल वेतन
(I) सहायक निदेश (प्रोग्रैमिंग) वेतनमान 1100-1600/-रु.	1	1	1350/-रु.
(II) प्रोग्रैमर्स *19 अगस्त, 1981 से रिक्त।	2	*	742.50/-**रु.
(III) प्रोग्राम सहायक वेतनमान 425-800/-रु.	2	2	582/-रु. तथा 440/-रु.
(IV) आशुलिपिक (सा. ग्रे.) वेतनमान 330-560/-रु.	1	1	392/-रु.
(V) टाइपिस्ट वेतनमान 260-400/-रु.	1	1	308/-रु.
(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।			

**इसमें प्रतिनियुक्ति वेतन शामिल है।

सिल्वर के निकट मसीमपुर छावनी के शास्त्रास्त्र भण्डार से सेना के गोलाबारूद का गुम हो जाना

226. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिल्वर के निकट मसीमपुर छावनी के शास्त्रास्त्र भंडार से भारी मात्रा में गोला बारूद हाल ही में रहस्यमय ढंग से गुम हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है तो उसके क्या परिणाम निकले और इस मामले में क्या कार्यवाई की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी हाँ। सिल्वर के पास मसीमपुर में स्थिति प्रभागीय आयुध यूनिट से कुछ गोलाबारूद की चोरी हुई थी।

चोरी का पता 28-12-1981 को चला। राज्य सरकार की सी. आई. डी. चोरी होने की परिस्थितियों की जांच कर रही है। सेना प्राधिकारियों ने भी एक विभागीय जांच अदालत के आदेश दिए हैं। इस बीच में मौजूदा सुरक्षा उपाय और सुदृढ़ कर दिये गए हैं।

विदेशी एयरलाइनों द्वारा कलकत्ता हवाई अड्डे से जाने की अनिच्छा :

227. **श्री राकेश कुमार सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के प्रयासों के बावजूद भी विदेशी एयरलाइनों ने कलकत्ता हवाई अड्डे से जाने की अनिच्छा प्रकट की है और कलकत्ता हवाई अड्डे पर उपलब्ध कराई गई सुविधायें बेकार हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) विदेशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा करारों पर विचार-विमर्श करते समय कलकत्ता को एक अवतरण स्थल के रूप में पेश किया जाता है। परन्तु उस विमान क्षेत्र का चयन, जिससे होते हुए विदेशी एयरलाइनें परिचालन करना चाहती हैं, उक्त एयरलाइन्स के वाणिज्यिक विवेक पर छोड़ दिया जाता है जैसे कि, पारस्परिक आधार पर विदेशों में उन विमान क्षेत्रों का चुनाव जहां एयर-इण्डिया की विमान सेवाएं परिचालित की जानी होती है, एयर इण्डिया पर छोड़ दिया जाता है। कलकत्ता पर विमानक्षेत्र सुविधाओं का उपयोग वहां से होते हुये परिचालन करने वाली कुछ विदेशी एयरलाइनों द्वारा किया जाता है।

इसका कारण यह है कि कलकत्ता में यातायात की संभावनाएं वाणिज्यिक दृष्टि से पर्याप्त आकर्षक नहीं हैं।

उड़ीसा में खोली गई ग्रामीण बैंकों की शाखायें

228. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान उड़ीसा राज्य में ग्रामीण बैंक की कुल कितनी शाखायें खोली गई हैं;

(ख) वर्ष के दौरान बैंक अधिकारियों द्वारा कुल कितने कर्मचारी भर्ती किये गये हैं; और

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान कुल कितनी पूंजी निवेश किया गया और लोगों को कितनी राशि के ऋण दिये गये ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उड़ीसा में, इस ग्यारह जिलों को व्याप्त करते हुए नौ क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहें हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, सितम्बर 1981 की स्थिति के अनुसार इन बैंकों ने 297 शाखाएं खोली थीं। इनमें से 64 शाखाएं अप्रैल और सितम्बर 1981 के बीच खोली गई थीं।

(ख) सितम्बर 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कुल कर्मचारियों की संख्या 1179 थी। मार्च 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार समनरूप संख्या 931 थी।

(ग) सितम्बर 1981 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने उड़ीसा में लगभग 35 करोड़ रुपये के अग्रिम दिये।

"भारत बंध" के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के अनुपस्थित रहे कर्मचारी

229. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के "भारत बंध" के दौरान विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुपस्थित कर्मचारियों की संख्या काफी अधिक थी;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके विशिष्ट कारण क्या हैं और उस तरह की बैंकों के अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या विशेष कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) से (ग) जी, हाँ । लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारियों के बारे में यह विशेष रूप से सही है। अतएव, अलग-अलग बैंकों और एक ही बैंक में विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति में भिन्नता है । इससे पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा जहां यातायात व्यवस्था में रुकावट होने से काम पर जाने के इच्छुक कर्मचारी भी कार्यालय नहीं आ सके ।

भारतीय बैंक संघ के अनुदेशों के अधीन अनधिकृत अनुपस्थिति के सभी मामलों में बैंक वेतन में कटौती करते हैं और उपयुक्त मामलों में प्रशासनिक कार्यवाही भी करते हैं ।

छठी योजना के दौरान निर्यात का लक्ष्य

230. **श्री चित्त महाटा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना अवधि के दौरान निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने विभिन्न योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसी कौन-कौन सी परियोजनायें हैं जिससे विदेशी मुद्रा की भारी आय होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) निर्यात तथा आयात नीति की लगातार समीक्षा की जाती है। उत्पाद वर्ग तथा बाजारों के अधिकतम विविधीकरण के सम्बन्ध में निर्यात संवर्धन के लिये समय-समय पर सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं । यह नीति छठी योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से बनाई गई है ।

(ख) निर्यातों को बढ़ाने के लिए किए गये विभिन्न निर्यात संवर्धन उपाय/योजनाएं अनुबन्ध में दी जाती है ।

विवरण

सरकार बढ़ते हुए व्यापार घाटे की समस्या के प्रति पूरी तरह से जागरूक है । निर्यात संवर्धन को सर्वोत्तम राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है । निर्यात बढ़ाने तथा घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आयात प्रतिस्थापन करने के लिए सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं । पहले ही किये गये कुछ महत्वपूर्ण निर्यात संवर्धन उपायों में निम्नोक्त शामिल हैं :

(1) "लाइसेंस क्षमता" तथा "प्रवानता" के प्रयोजन के लिए निर्यात हेतु उत्पादन को अलग रखना ।

(2) उस मामले में निर्यात की गई वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति देना जहाँ उस वस्तु में परिवर्तन किया जाता है और किसी औद्योगिक इकाई को उसके विनिर्माण के लिए लाइसेंस दिया गया है ।

(3) ऐसे निर्यात उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी आयातों के बारे में अनुकूल व्यवहार करना जिसमें रायल्टी का एकमुश्त भुगतान अन्तर्ग्रस्त हो ।

(4) सभी शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख इकाइयों को मुक्त व्यापार जोन जैसा ही व्यवहार प्रदान करना।

(5) निर्यात के लिए उत्पादन बढ़ाने के प्रयोजन के लिए उद्योगों की विस्तारित सूची में स्वत: विस्तार करने की अनुमति देना।

(6) महानगरीय शहरों में नए औद्योगिक उपक्रमों पर लगाये गए प्रतिबन्धों में ऐसे एककों को जो निर्यात के लिये उत्पादन कर रहे हैं चयनात्मक आधार पर छूट देना।

(7) 11.85 प्रतिशत ब्याज की रियायती दर पर लदानपूर्ण ऋण 180 दिन की अवधि के लिए कई इन्जीनियरी और अन्य अभिमुख उद्योगों को दिया गया है।

(8) निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) द्वारा जो जनवरी 1982 से बम्बई में स्थापित किया गया है, निर्यात वित्त के संवर्धन में विस्तार किये जाने की संभावना है ताकि देश के निर्यातों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी बनाया जा सके।

इसके अलावा वाणिज्य मत्रालय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निर्यात बढ़ाने की सभावना का भी पता लगा रहा है।

शुल्क वापसी सवितरण में विलम्ब के मामलों को कम करने तथा क्रिया विधियों का सरलीकरण करने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है। काफी तथा अर्धसाधित चमड़े पर से निर्यात शुल्क कम कर दिया गया है। और हैसियत पटसन से बनी वस्तुओं पर पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है आगे अन्य उपाय यथा समय किए जायेंगे।

निर्यात संवर्धन को राजकोषीय समर्थन देने के लिए 1981-82 के बजट में निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गई है :

(1) निर्यात अभिमुख उद्योगों के 44 खंडों को एक उद्योगों के क्षेत्राधिकार में लाया गया है जिनको विशेष भत्ता अथवा करावकाश उपलब्ध है।

(2) मुक्त व्यापार क्षेत्रों में निर्यात अभिमुख उद्योगों को अन्य राजकोषीय रियायतों के बदले में शुरू के 5 वर्षों के लिए पूर्ण करावकाश देने की अनुमति दी गई है।

(3) आयकर अधिनियम की धारा 35ख के अन्तर्गत जो कर योग्य लाभों की गणना में भारितय छूट देता है, कार्यकलापों के क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है।

(4) इलैक्ट्रानिक्स के सम्बन्ध में जो कि श्रम प्रधान उद्योग भी है और निर्यात अभिमुख उद्योग भी है, इलैक्ट्रानिक संघटकों के उत्पादन में पूरी तरह से लगी हुई भारतीय कम्पनी से घरेलू कम्पनी द्वारा प्राप्त किया गया लाभांश पूरी तरह से आयकर से मुक्त है।

हाल ही में सरकार द्वारा घोषित की गई 1981-82 की निर्यात-आयात नीति का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करना है।

(1) उत्पादन आकार को सुदृढ़ करने तथा उपलब्ध क्षमताओं का पूर्णतर उपयोग कर सकने के लिए आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधनों की व्यवस्था करना (2) आयातों पर निर्भरता को और कम करना (3) निर्यातों को अधिक प्रोत्साहन देना और (4) प्रक्रियाओं को और सरल करना तथा सुकर बनाना।

1981-82 के दौरान निर्यातों के लिए सहायता देने, जिसमें लघु क्षेत्र के निर्यात भी शामिल हैं "व्यापार सदन" की एक नई धारणा तैयार की गई है। उपर्युक्त उपायों योजनाओं के प्रत्यक्ष प्रभावों से संतोषजनक परिणाम मिलने शुरू हो गये हैं जसा कि भारत के निर्यातों में वर्तमान प्रवृत्तियों से पता चलता है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 525 दिनांक 25-11-1981 के उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य

रक्षा मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : दिल्ली छावनी में बिजली के कनेक्शनों के हस्तांतरण के बारे में 25 नवम्बर 1981 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं. 525 के भाग 'ग' के उत्तर में अनजाने में एक गलती हो गई थी। जिसका सही उत्तर इस प्रकार है :

"दिल्ली छावनी में आटा पीसने/रुई पेरने की मशीनें चलाने के लिए जिन स्थानों पर और जिन व्यक्तियों के नाम में पावर कनेक्शन दिए गये हैं, वे निम्नलिखित हैं :

स्थान	लाइसेंसधारी का नाम	बिजली उपभोक्ता
2/26 सदर बाजार	श्री प्रीतम सिंह गिल	श्री प्रीतम सिंह गिल
1/166 सदर बाजार	श्री मुंशी राम	श्री सोहन साटा
2/24 सदर बाजार	श्री राज कुमार जैन	श्री नरेन्द्र कुमार जैन

2. भूल जैसे ही ध्यान में आई उसे ठीक करने के लिए कार्यवाई की गई।

विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में

श्री सुशील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं तो आप कृपया बैठ जाइये। मेरे पास बहुत से स्थगन प्रस्ताव हैं, कुल मिलाकर 15 हैं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री इन्द्रजीत के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग का नोटिस दिया था। श्री इन्द्रजीत ने दो लेख लिखे थे जिनमें उन्होंने यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था कि क्या वास्तव में, अध्यक्ष पीठ ने विनिर्णय देने से पूर्व, आस्ट्रेलिया की विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये मूल प्रतिवेदन का अध्ययन कर लिया था। डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी इसके पश्चात, मुझसे मेरे कक्ष में भी आकर मिले थे और गत दिसम्बर में उन्होंने इस मामले को सदन में भी उठाया था और मैंने उन्हें बताया था कि हम आस्ट्रेलिया की विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं।

अब मुझे उस प्रतिवेदन की एक प्रति प्राप्त हो गई है और मैंने इस बात को ध्यान में रखकर इसका सावधानी पूर्वक अध्ययन किया है कि क्या मेरे द्वारा दिए गये पूर्व विनिर्णय में कोई महत्वपूर्ण संशोधन करने की आवश्यकता है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि विनिर्णय में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 के अनुरूप सेंसर के सर्वकालिक बहुप्रयोजनीय उपबंधों की ओर विशेषरूप से ध्यान आकर्षित करने का उद्देश्य तो यह पहले ही पूरा कर चुका है। मैंने देखा है कि भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को संशोधित करने के लिए सदस्यों ने गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत करने की पहल पहले ही कर दी है और यह स्वाभाविक है कि इसमें सभा को इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने का अवसर प्राप्त होगा।

श्री सुनील मैत्रा : क्या वे इसे स्वीकार कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता···।

श्री सुनील मैत्रा : आप कृपया उन्हें सलाह दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता।

श्री सुनील मैत्रा : आप तो एक पुरातन, अप्रचलित विधि का उल्लेख कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसका भी उत्तर दूंगा।

क्या आस्ट्रेलिया की विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के बारे में जागकारी प्राप्त करने हेतु किसी अन्य स्रोत पर निर्भर करने के बजाय मुझे मूल प्रतिवेदन को देखने की आवश्यकता पर बल देने के लिए, मैं अपने प्रतिष्ठित मित्रों को धन्ववाद दे सकता हूं।

मैं श्री सुनील मैत्रा द्वारा उठाए गए मुद्दे का भी उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होने मुझे से पूछा है कि मैंने अप्रचलित, पुरातन विधि का उल्लेख क्यों कर किया था। माननीय सदस्यों को उन परिस्थितियों को अनुभव करना चाहिये, जिनमें मुझे न्यायाधीश के रूप में कार्य करना पड़ता है। मैं यहां पर अध्यक्ष हूं। एक न्यायाधीश को तो विधि की व्याख्या करनी होती है और मुझे पहले से बनाए हुए और मुझे सौंपे गये नियमों की व्याख्या करनी पतड़ी है। उनमें परिवर्तन करना मेरा कार्य नहीं है। मैं कानूनों को बदल नहीं सकता हूं, उनको बदलना आप लोगों का काम है।

श्री सुनील मैत्रा : आप उन्हें सलाह तो दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें सलाह नहीं दे सकता। यह सब करना आपका काम है। इसी लिए तो मैंने इस समय इस बात का उल्लेख किया था क्योंकि मैं विद्यायी शाक्तियां अपने हाथों में नहीं ले सकता। वे तो आपके हाथों में निहित हैं। मुझे तो अपने को सौंपे गये नियमों का विवेचन करना है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे याद है। मैं इसे नहीं बदल सकता हूं यदि मैं ऐसा करता हूं तो आप लोग कल मुझे फाँसी पर लटका देंगे (**व्यवधान**) यह सब करना मेरे बसकी बात नहीं है। इसको बदलना मेरे कार्य क्षेत्राधिकार से बाहर है।

श्री सुनील मैत्रा : आप अपनी शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं करते ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कोई शक्ति नहीं है।

श्री सुनील मैत्रा : आप अपनी शक्तियों को कार्यरूप क्यों नहीं देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कोई शक्तियों नहीं हैं ।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : प्रथमतः, मैं आपको आस्ट्रेलिया के दृष्टांत को पढ़ने का कष्ट उठाने के लिए धन्यवाद देता हूं । मेरे प्रस्ताव के एक भाग के बारे में आपने जो कुछ कहा है मैं उससे पूर्णतया सहमत और सन्तुष्ट हूं । परन्तु मैंने इससे सम्बद्ध दो और भी तो प्रश्न उठाए हैं और उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । एक है भेदभाव का सिद्धान्त ।

अध्यक्ष महोदय : वह तो अधिनियम के अधीन आता है । इस पर कोई चर्चा नहीं होगी ।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : संसदीय कागजात को सैन्सर का विषय नहीं बनाया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अधिनियम को पढ़कर देखें तो यह आपको वहाँ मिलेगा । मैंने इसे पढ़ा है । 1898 के अधिनियम में यह दिया हुआ है । यह आपको मेरे मूल विनिर्णय में भी मिलेगा । यह वहां दिया हुआ है ।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : भेदभाव के सिद्धान्त के बारे में आपको क्या कहना है ? भेदभाव नहीं हो सकता (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस पर अब कोई चर्चा नहीं होगी ।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्री राजीव गांधी के लिए जो कागजात होते हैं उनका सैंसर नहीं किया जाता है, मेरे कागजात का होता है । यह भेदभाव क्यों बरता जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : आप अधिनियम को संशोधित कर दीजिए । (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । गृह मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं । पिछड़ा-वर्ग आयोग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में दो बार इन्होने सदन को ··

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सारे इकट्ठे क्यों बोल रहे हैं ?

श्री राम विलास पासवान : होम मिनिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, । विधि मंत्री जी बैठे हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए । *

श्री कमलनाथ (सिंदवाड़ा) : महोदय मैंने विशेषधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है ।

श्री कमलनाथ : कृपया मेरी बात सुनिए । इसका सम्बन्ध समस्त सदन से है . (**व्यवधान**) यदि यह सब इसी प्रकार चलता रहा तो यह तो लोक सभा न होकर जोक सभा (हंसी-मजाक सभा) बन जायेगी ।

श्री सुनील मैत्रा : मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : अब किसी स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जा सकती है । आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण, बजट आदि के समय अवसर मिलेगा (**व्यवधान**)

प्रो. मधुदण्डवते (राजापुर) : महोदय, आपको महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष का पत्र विधान सभा में मेरे विरूद्ध लाए गये विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में, मिल चुका है ··

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे बात करूंगा।

प्रो. मधु दण्डवते : मैं अपना स्पष्टीकरण भी दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे आकर मिलिए। पत्र मेरे पास है, परन्तु यह न्यायिक मामला है, आप किसी भी समय मुझसे आकर मिल सकते हैं।

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय, आपको इसे गम्भीरता से लेना चाहिए .....

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में मैं कहीं अधिक गम्भीर रहा हूं।

प्रो. मधु दण्डवते : आप अपनी गम्भीरता को सभा में तो व्यक्त कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कुछ बातें मेरी शक्ति से बाहर हैं। मुझे इस पर गौर करना होगा, क्योंकि यह मेरी शक्ति से बाहर की बात है।

प्रो. मधु दण्डवते : एक मास पूर्व आपने मेरा स्पष्टीकरण मांगा था।

अध्यक्ष महोदय : यह मुझे अध्यक्ष महोदय से दो दिन पूर्व ही प्राप्त हुआ है।

प्रो. मधु दण्डवते : एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। कुछ गलती अवश्य हुई हैं। यह आपको गत सत्र में प्राप्त हुआ था। महोदय संचार व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी हुई है। महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष का पत्र आपको गत सत्र में प्राप्त हुआ था। उसके तुरन्त पश्चात ही, मैंने अपना स्पष्टीकरण भेज दिया है। सारी अन्तर्सत्रावधि बीत चुकी है। इस मामले पर कब विचार किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : हम इस बारे में बात-चीत कर लेंगे। आप मुझसे आकर मिलिए, हम बात करेंगे।

श्री ई. नालान्दन (मुकुन्द पुरम) : सभा के इस सत्र के लिए आह्वान-पत्र भेजे जाने के बाद ही, संचार मंत्रालय ने एक कर लगाया है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : यह गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : पेपर जब रखें, तब आब्जकशन कर लेना।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसके बारे में आपका रूलिंग हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर नहीं है। आपने देखा नहीं होगा। कोई रूलिंग नहीं है। आप देख लीजिए। पी. एन्ड. टी. के बारे में मेरा कोई रूलिंग नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्रोप्राइटी का सवाल है।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मेरा एक प्रिवलेज मोशन है डिप्टी मिनिस्टर के खिलाफ।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास आएगा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हर एक बात को इतना तूल नहीं देना चाहिये। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय, आपने पढ़ा नहीं है। आपने कहा था किसी भी सैशन में रखवा दीजिये। अगले सैशन में उन्होंने कहा था। यह पिछले सैशन की बात है। अगर आप पढ़ लेते तो आपको भी कष्ट नहीं होता और मुझे भी नहीं होता। सुनते भी आप नहीं हैं। आपने कहा था कि इन से वादा दिलवा दीजिये। मैंने कहा था कि अपने वादे पर ये कायम हैं। इन्होंने यह कहा था।

अन्य मंत्रालयों तथा योजना-आयोग के परामर्श से इस प्रतिवेदन पर "गृह मंत्रालय में

विचार किया जाता रहा है। सरकार आगामी बजट सत्र के दौरान की गई कार्यवाही ज्ञापन सहित प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना चाहती है।,,

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात तो सुनिये। मेरी बात सुनने का धैर्य आप में क्यों नहीं है। कल ही सेशन शुरू हुआ है। आपने कम से कम उनसे बात करने का समय तो दिया होता मैं आपको करके दूंगा मैं आपको अगले हफ्ले बात दूंगा। (व्यवधान)बहुत अनुचित बात है।

श्री राम विलास पासवान : हिन्दुस्तान की बैकवर्ड कम्युनिटी का मामला है। होम मिनिस्टर यहां मौजूद हैं, पार्लियामेंटरी मिनिस्टर बैठे हुए हैं। मैं गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि कब आप ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बतवा दूंगा। मैंने कह दिया कि मैं करवा दूंगा।

श्री राम विलास पासवान : हमें विश्वास नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : तो कैसे काम चलेगा। मैंने आपको कुछ बात समझाई है।(व्यवधान) आप तो अनावश्यक रूप से राई का पर्वत बना रहे हैं। इसे सभा पर रखा जायेगा।

श्री राम विलास पासवान : लोग बोट क्लब पर आये हुए हैं और गिरफ्तार हुए हैं।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : राशन व्यवस्था केन्द्र द्वारा अनाज प्रर्याप्त मात्रा में सप्लाई न किये जाने के कारण टूट रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप किसी और तरीके से दे दीजिये। कोई और मोशन दे दीजिये, फिर बात करेंगे। श्री हरिकेश बहादुर

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : इस सरकार द्वारा ससद की प्रतिष्ठा कम की जा रही है डाक दरें संसद के बजट सत्र शुरू होने से कुछ दिन पहले बढ़ाई गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया बाबा, डिस्कशन हो रहा है। यह कोई बात नहीं है···
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप रूल पढ़ लेते तो ऐसा नहीं कहते। यदि आपने नियमों को पढ़ा होता तो आप इस प्रकार बात न करते।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के अन्तर्गत अधिसूचना

संचार मन्त्री (श्री सी. एम. स्टीफन) मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के अन्तर्गत जारी किए गए भारतीय डाकघर (पहला संशोधन) नियम. 1982 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 11 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 59 (अ) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये एल. टी. संख्या** 3309/82]

राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी बोर्ड और राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यम कर्म विकास बोर्ड के सम्बन्ध में संकल्प

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. ए. सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) दिनांक 18 जनवरी, 1982 के सरकारी संकल्प संख्या एफ. 20019/2/82 एडीम.I (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जिसके द्वारा राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी बोर्ड का गठन किया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एस. टी. 3310/82]**

(2) दिनांक 18 जनवरी, 1982 के सरकारी संकल्प संख्या एफ. 20019/1/82 एडमि -I (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जिसके द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यम-कर्म विकास बोर्ड का गठन किया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3311/82]**

श्री राजनाथ सोनकरशास्त्री (सैदपुर) : आप हमारी सुन लें। हमने आपसे रिक्वेस्ट किया, हमने एक ऐडजर्नमेंट मोशन दिया है। पिछड़े वर्ग कमीशन की रिपोर्ट कब रख रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अब कह दिया। कितनी दफा कहूं। मुझे दो दिन तो दीजिये। तब दिया होता तो मैंने करवा दिया होता।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : ये तो बराबर झूंठ बोलते हैं कि अब रख रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बजट सेशन की बात हुई है, कमिटमेंट है। अगर नहीं हुआ तो दैट विल बी दि ब्रीच आफ कमिटमेंट .

अब यह तो हमारे देखने की बात है। अगर कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ तो उसका इलाज है। मेरे पास कमिटमेंट है। मैं इस बारे में वचनबद्ध हूं। मेरे पास लिखा हुआ है। (व्यवधान)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम के अन्तर्गत पहले जारी की गई अधिसूचना का और संशोधन करने वाली अधिसूचना तथा जीवन बीमा निगम का प्रतिवेदन तथा समीक्षा

वित्त मन्त्रलय के राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हू :

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या स. का. नि. 56 (अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति' जो दिनाक 11 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 1975 की अधिसूचना, संख्या 186/75-के. उ. शु. में आगे संशोधन किया गया है जिससे कि उत्पाद शुल्क लगाने योग्य और अधिक मदों पर जो निर्यात के लिये आशयित सामान के विनिर्माण के सम्बन्ध में अथवा ऐसे सामान के विनिर्माण के लिये प्रयोग करने के लिये साँताक्रुज इलेक्ट्रोनिक्स निर्यात परिष्करण क्षेत्र में लाई जाती है, छूट दी जा सके। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 3312/82]**

(2) (एक) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम के 31 मार्च 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 3313/82]

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण का वर्ष 1980-81 तथा निर्यात ऋण तथा गारन्टी निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन आदि

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण.

(दो) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 3314/82]

(ख) (एक) निर्यात ऋण तथा गारन्टी निगम लिमिटेड, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) निर्यात ऋण तथा गारन्टी निगम लिमिटेड, बम्बई का 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद 6 (ख) में उल्लिखित पत्रों को सीमा पटल पर रखने में हुंए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 3315/82]

विधेयकों पर अनुमति

सचिव : मैं पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 8 विधेयक सभा पटल रखता हूं।

(1) केरल विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 1981
(2) विनियोग (रेल) संख्यांक 6 विधेयक, 1981
(3) विनियोग (रेल) संख्यांक 7 विधेयक, 1981
(4) विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 1981
(5) विनियोग (संख्यांक 7) विधेयक, 1981

(6) बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 1981

(7) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (शेयरों का अर्जन) संशोधन विधेयक, 1981

(8) असम विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1981

(दो) मैं पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयकों की प्रतियां भी राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवित प्रमाणिकृत रूप में सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) संशोधन विधेयक, 1981

(2) रंग-भेद विरोधी (संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन) विधेवक, 1981

(3) सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थियेटर कर्मकार (रोजगार का विनियम) विधेयक, 1981

(4) खुदाबख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी (संशोधन) विधेयक, 1981

(3) रामपुर रजा लाइब्रेरी (संशोधन) विधेयक, 1981

(6) राष्ट्रीय, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक विधेयक, 1981

(7) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981

लोक लेखा समिति

इकहत्तरवां और तिहत्तरवां प्रतिवेदन

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क—आकस्मिक लाभों और रवड़ उत्पादों से सम्बन्धित लोक लेखा समिति के 46वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 71वां प्रतिवेदन।

(2) मुगलसराय मार्शलिंग यार्ड के पुनर्निर्माण के बारे में 73वां प्रतिवेदन।

प्राक्कलन समिति

उन्नीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री एस. बी. पी. पटाभि राम राव (राजामुंद्री) : वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग—प्रत्यक्षकर (धन कर, दान और सम्पदा शुल्क) भाग–1 छूट सीमाओं के बारे में प्राक्कलन समिति का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : बैकवर्ड क्लसिज वाले मामले पर हम सब लोग वाक आउट करते हैं।

(इस समय श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री तथा कुछ अन्य सदस्य सभा से उठकर चले गये)

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : श्रीमान्, मैंने 'संडे' पत्रिका के 27 जनवरी के अंक में प्रकाशित श्री कुलदीप नय्यर के लेख के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है। उनके द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों, के बारे में मैंने विशेषाधिकार का नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है। (**व्यवधान**)

रेल अभिसमय समिति

चौथा प्रतिवेदन

श्री डूमर लाल बैठा (अररिया) : मैं "वर्ष 1982-83 के लिये लाभांश की दर तथा अन्य अनुषंगी मामलों" के बारे में रेल अभिसमय समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष गहोदय : श्री पी. वी. नरसिम्हा अपना वक्तव्य दें।

श्री आर. एन. राकेश (चहल) : अध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टीट्एन्सी में थानापुरा मुफ्ती में एक हरिजन और मुसलमान व्यापारी का एस. ओ. ने 8 हजार रुपया छीन लिया··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : करेंगे, डिस्क्सन करेंगे। इसे रिकार्ड नहीं किया जाएगा (**व्यवधान**)*

अध्यक्षमहोदय : छोड़िये, छोड़िये।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : मैंने महाराष्ट्र न्यास के बारे में रक्षा मंत्री श्री आर. वेंकटरामन द्वारा दिये गये वक्तव्य के विरुद्ध विशेषाधिकार के उल्लंघन के बारे में नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे विचाराधीन है। उसे हमने भेज दिया है। यह मामला आपके सम्मुख आयेगा।

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, उज्जैन में दो टैक्सटाइल मिलों के बन्द होने से 10 हजार मजदूर बेकार हो गये हैं- मैंने इस बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कोई और मौशन दीजिये कालिंग अटेंशन वगैरह, स्थगन प्रस्ताव नहीं।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : शोलापुर तथा पुणे के मामले में मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : यह स्थगन प्रस्ताव में लिया जा रहा है।

श्री जी. एम. बनातवाला : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री जी. एम. बनातवाला : जब स्थगन प्रस्ताव विचाराधीन है तब उसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से पहले लिया जाना चाहिए···

---

*कार्यवाही सारांश में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है।

श्री जी. एम. बनातवाला : स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से पहले लिया जाता है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) क्या मंत्री महोदय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रहे हैं अथवा कोई अन्य वक्तव्य दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह विदेश मंत्री द्वारा वक्तव्य है।

पाकिस्मान के विदेश मंत्री की हाल की भारत यात्रा के बारे में वक्तव्य

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नर्सिंह राव) : पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मन्त्री, श्री आगा शाही ने 26 जनवरी से 1 फरवरी, 1982 तक नई दिल्ली की यात्रा की जिसके लिए मैंने पिछले वर्ष जून में अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान उन्हें निमन्त्रण दिया था। नई दिल्ली में वे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री से मिले और उन्होंने कई बार मेरे साथ औपचारिक तथा अनौपचारिक बातचीत की।

श्री आगा शाही की यात्रा के दौरान अपनी बातचीत में हमने अपनी पिछली मुलाकात के बाद की महत्वपूर्ण अन्तराष्ट्रीय घटनाओं पर विचार किया तथा द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों पर विस्तृत बातचीत की। यह स्वीकार किया गया कि द्विपक्षीय सम्पर्कों को विभिन्न स्तरों पर जल्दी-जल्दी और नियमित आधार पर कायम रखने की जरूरत है। इस सिलसिले में प्रधान मंत्री ने भारत पाकिस्तान सहयोग की समीक्षा करने और उसे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त आयोग की स्थापना का प्रस्ताव किया। पाकिस्तानी पक्ष ने इस सुझाव का स्वागत किया मुझे पूरा विश्वास है कि यह सदन इस बात को स्वीकार करेगा कि भारत-पाकिस्तान के सम्बन्धो में यह एक रचनात्मक बात है। प्रधान मंत्री ने पाकिस्तानी पत्रकारों के समक्ष एक विशेष प्रैस इन्ट्रव्यू में यह बात कह कर पाकिस्तान के प्रति भारत के शान्तिपूर्ण इरादों पर भी बल दिया कि सन्धि हो या न हो भारत पाकिस्तान पर कभी आक्रमण नहीं करेगा।

भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के इस निर्णय की सराहना की है कि वह पंजाब में कटास राज और सिन्ध में हयातपिताफी के तीर्थ-स्थानों को भी भारत से जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए खोल देगा। अपनी ओर से भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच यात्रा को सुविधा-जनक बनाने तथा सांस्कृतिक, आर्थिक वैज्ञानिक, तकनीकी तथा संचार के क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रस्ताव रखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के प्राधिकारी इन प्रस्तावों पर विचार करेंगे और निकट भविष्य में इन क्षेत्रों में आगे बढ़ पाना सम्भव हो सकेगा। मैंने उन भारतीय रक्षा कार्मिकों के सवाल को भी उठाया जो पिछले 10 वर्ष से भी अधिक समय से पाकिस्तान की जेलों में नजर बन्द बताए जाते हैं। इसके बारे में स्वंय प्रधान मंत्री ने श्री आगा शाही से जिकर किया था। हमें बताया गया कि पाकिस्तान की जेलों में कोई भारतीय रक्षा कार्मिक नहीं है। फिर भी पाकिस्तानी पक्ष ने यह स्वीकार किया कि इन कार्मिकों का पता लगाने के लिये वे नये सिर से कोशिश करेंगे।

श्री शाही की इस यात्रा से भारत और पाकिस्तान के बीच आक्रमण न करने और बल प्रयोग न करने के सम्बन्ध में समझौता करने से सम्बद्ध प्रस्ताव पर प्रत्यक्ष और गम्भीर विचार विनिमय करने का पहली बार अवसर मिला। जैसाकि सदन को याद होगा, इस विषय पर मैंने 25 नवम्बर, 1981 को एक ब्यान दिया था जिसमें मैंने इस प्रस्ताव के इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डाला था और उस पर भारत सरकार का दृष्टि कोण भी बताया था।

इस विषय पर बातचीत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 24 दिसम्बर 1981 को पाकिस्तान सरकार को अपनी ओर से एक स्मरण-पत्र पेश किया जिसमें कुछ ऐसी बातें बतायी गयी थीं जो ऐसे समझौते में शामिल की जा सकें। इसके बाद 12 जनवरी 1982 को पाकिस्तान के राजदूत ने मुझे एक स्मरण-पत्र दिया जिसमें इस विषय पर पाकिस्तान के विचार बताए गए थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि दोनों पक्षों के बीच की बातचीत के बाद अब हम उन तत्वों पर विशिष्ट रूप से विचार-विमर्श करने की स्थिति में है, जो कि युद्ध न करने की सन्धि अथवा आक्रमण न करने और बल प्रयोग न करने के समझौते का आधार-विषय बन सके। इस बात पर सहमति हुई कि जल्दी ही आगे विचार-विमर्श के लिए दोनों सरकारों के अधिकारियों की बैठक होनी चाहिए। उम्मीद है कि इस बातचीत के लिये मार्च के प्रथम सप्ताह में विदेश सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल पाकिस्तान जायेगा।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मुझे उम्मीद है कि एक प्रारूप रखा जायेगा उन्होंने भारत-पाक सम्बन्धों में सुधार के लिए जनता सरकार को धन्यवाद नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : श्री बालानन्दन।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : क्या आपने कार्यसूची में ध्यानाकर्षण का स्थान बदल दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने वक्तव्य की विशेष रूप से अनुमति दी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने उनकी बात मान ली।

अध्यक्ष महोदय : आपकी अनुमति के साथ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पुणे और शोलापुर में बड़े पैमाने पर हो रही साम्प्रदायिक हिंसा का समाचार

श्री ई. बालानन्दन (मुकन्दपुरम) : मैं गृह मंत्री का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें :

"महाराष्ट्र में पुणे और शोलापुर में 14 फरवरी को हुई कथित व्यापक साम्प्रदायिक हिंसा।"

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार विश्व हिन्दू परिषद ने 1 से 15 फरवरी 1982 तक एक पाक्षिक "जन जागरण" का आयोजिन किया था । इस सम्बंध में राज्य के विभिन्न भागों में सभाएं और जलूसों का आयोजन किया गया था। 13 फरवरी 1982 को बारामती में शिवाजी की एक प्रतिमा को दूषित कर दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया और भीड़ ने पूजा के एक स्थान पर पत्थर फेंके । पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी प्रहार किया और हवा में एक राउण्ड गोली चलाई । एक व्यक्ति जिस पर प्रतिमा को दूषित करने का संदेह था, आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया । प्रतिरोध में एक जुलूस भी निकाला गया जिसने हिंसा का रूप धारण कर लिया और कुछ दुकानों और पूजा के स्थान को क्षति पहुंचाई । आगजनी के कुछ मामलों की भी सूचना मिली । समस्त पुणे जिले (ग्रामीण) में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई और अपराधों के सम्बन्ध में 35 व्यक्ति गिफ्तार किये गये ।

14-2-82 की पाक्षिक जन जागरण के एक भाग के रूप में पुणे शहर में विश्व हिन्दू परिषद का एक विशाल जुलूस निकाला गया । जुलूस के कुछ लोग हिंसा के कार्य करने लगे, दुकानों, जलपान गृहों और पूजा के स्थान पर पथराव किया । फिर जुलूस ने एक स्थानीय कालेज के परिसर में एक सार्वजनिज सभा की और उसके बाद तितर बितर हो गया । नगर के अन्य भाग में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दो जलपान गृह और एक पैट्रोल पम्प को आंशिक रूप से जला दिया गया । पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिये प्रहार किया और अश्रुगैस के गोले छोड़े । पुणे शहर के क्षेत्र में भी निषेधाज्ञा लागू कर दी गई । दूसरे दिन भी पुणे शहर से पथराव तथा आगजनी के कुछ इक्के दुक्के वाके होने की सूचना मिली अतः शाम से सुबह तक कर्फ्यू लगा दिया गया । 192 व्यक्ति गिरफ्तार किए गये और दो व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन नजरबन्द किये गये । एहतियाती उपाय के रूप में 14-2-82 को कुछ असामाजिक तत्वों को भी गिरफ्तार किया गया । 15-2-1982 को शोलापुर शहर में भी विश्व हिन्दू परिषद द्वारा जुलूस निकालने के बाद हिंसा भड़क उठी । दोनों समुदायों की कुछ दुकाने जला दी गई । पुलिस ने स्थिति को नियत्रित करने के लिए लाठी प्रहार का सहारा लिया और अश्रुगैस के गोले छोड़े और गोली चलाई । पुलिस की गोली से 3 व्यक्ति घायल हुए । शाम से सुबह तक कर्फ्यू लगाया गया । 16-2-1982 को शोलापुर में दिन के 11-30 बजे के बाद पथराव की कुछ इक्का दुक्का घटनाओं की सूचना मिली और अपरान्ह 3 बजे से 17-2-1982 के प्रातः तक कुछ क्षेत्रों में पुनः कर्फ्यू लगा दिया गया । इस सम्बन्ध में शोलापुर में अब तक 436 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है ।

समाचारों के अनुसार बारामती में स्थिति शांतिपूर्ण है ।

17-2-1982 को शोलापुर में एक कांस्टेबल ने आत्मरक्षा में 3 राउण्ड गोलियाँ चलाई जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को मामूली चोटें आई और पथराव की कुछ इक्का दुक्का घटनायें हुई ।

पुणे में 17-2-1982 को छुरेबाजी का एक मामला और पथराव की कुछ इक्का दुक्का घटनाएं सूचित की गई ।

महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए पुणे में एक

सर्वदलीय शांति समिति की सभा की अध्यक्षता की। 18-2-1982 को शोलापुर में भी स्थानीय शांति समिति की एक सभा की गई। राज्य सरकार द्वारा राहत प्रयोजनों के लिये 2 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

पुणे और शोलापुर में स्थिति यद्यपि तनावपूर्ण है फिर भी नियन्त्रणाधीन बताई जाती है। राज्य सरकार सभी एहतियाती उपाय कर रही है और स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है।

श्रीमान, इस बारे में मुझे माननीय सदस्यों से निवेदन करना है कि वे ऐसी कोई बात न करें जिससे वर्तमान स्थिति जो शीघ्र सामान्य बन रही है, किसी प्रकार बिगड़ जाये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री ई. बालानन्दन : मैंने मंत्री महोदय के वक्तव्य को ध्यानपूर्वक पढ़ा तथा सुना है। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है पुणे तथा अन्य स्थानों में वर्तमान स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण है तथा उस मामले पर चर्चा करते समय हमें अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। इस बात से मैं भी सहमत हूं। परन्तु वक्तव्य में पूरी सच्चाई प्रकट नहीं की गई है।

कुछ स्थानों पर बीच-बीच में साम्प्रदायिक दंगे होते हैं जिससे कुछ अशांति पैदा हो जाती है। परन्तु वहाँ क्या हुआ ? मुझे इसकी पृष्ठभूमि की ओर ध्यान देना होगा। जमशेदपुर प्रतिवेदन तथा तमिलनाड़ धर्म परिवर्तन प्रतिवेदन आने के बाद भारत में बहुत शोर मचाया गया कि हिन्दुत्व खतरे में है। अतः देश के बहुत से भागों में हिन्दु परिषद सम्मेलन आयोजित किये गये। दिल्ली में भी विराट हिन्दु सम्मेलन का आयोजन किया गया। हिन्दुओं को बताया गया कि वे खतरे में हैं। हिन्दुत्व खतरे में है। अतः हिन्दुओं को एक हो जाना चाहिये तथा मुसलमानों के विरुद्ध नारे लगाये गये कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिये। और "पाकिस्तान मुर्दाबाद"।

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : यह सही नहीं है। वह जो कुछ उन्हें याद है उसके अनुसार ही बता रहे हैं।

श्री ई. बालानन्दन : वे इन्कार कर सकते हैं। शासक दल के बहुत से सदस्य भी इस दिल्ली सम्मेलन से सम्बद्ध थे। पंजाब में एक और सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष ने भी भाग लिया ..

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : कहां ?

श्री ई. बालानन्दन : पंजाब में पिछले 14 दिन में पुणे में महाराष्ट्र विश्व हिन्दु परिषद सम्मेलन आयोजित किया गया। उन्होंने जलूस आदि निकाले। उन्होंने नारे भी लगाये। पुणे में वास्तव में तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी गई थी। 14 तारीख की शाम को पुणे के पूर्वी क्षेत्र में से एक जलूस निकाला गया जो भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है और जहां बहुत से मुसलमान रहते हैं। जलूस में भाग लेने वाले व्यक्तियों ने मुसलमानों की तीन दुकानों और एक मुस्लिम विधायक की दुकान पर हमले किये। पुणे में आयोजित इस वृहत विश्व हिन्दु परिषद सम्मेलन में न केवल हिन्दु कट्टर पंथियों अपितु शिव सेना ने भी भाग लिया।

मुझे कहना पड़ता है कि सभी तथ्य सभी व्यक्तियों द्वारा कभी-कभी पसन्द नहीं किए

जाते—कि वहां पर हुए विश्व हिन्दु परिषद सम्मेलन से शासक दल के लोग भी सम्बद्ध थे। शिव सेना के लोग भी उसमें थे। शिव सेना डाक संकीर्ण संगठन है। हम इसका इतिहास जानते हैं; हमें उनके कृत्यों की जानकारी है। किसी समय कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों का शिव सेना से संबद्ध रहा। मैं राजनीति में नहीं जा रहा।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : सभी निर्वाचनों में।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बाधा न डालें।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : एक दक्षिण भारतीय होने के नाते आपकी इसमें रुचि होगी।

श्री ई. बालानन्दन : स्थिति इतनी तनावपूर्ण थी तो भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। जलूस को पुणे के पूर्वी क्षेत्र में से जाने दिया गया जो कि मुख्य रूप से मुस्लिम क्षेत्र है। प्रदर्शनकारियों ने मुसलमानों की दुकानों तथा तीन मस्जिदों पर पत्थर फैंके। रास्ते में उन्होंने जो कुछ किया उसकी ओर हर किसी को विशेष ध्यान देना होगा। सड़क पर मौलाना आजाद चौक है। वहां पर एक नामपट था। जिसे इन प्रदर्शनकारियों ने हटा दिया और दूर फैंक दिया इस प्रकार एक तरह से यह जलूस वहां पर रहने वाले मुसलमानों पर हमले किये जाने का द्योतक था, तथा वहां के मुसलमान भयभीत हो गये। जलूस में भाग लेने वाले कुछ व्यक्तियों ने पुलिस पर पत्थर फैंके और तभी पुलिस ने जवाबी कार्यवाही की। यही पूरी कहानी है जो मैं जानता हूं।

मैं मानता हूं कि अकेले शासनतंत्र इसे रोक नहीं सकता। परन्तु मैं कह सकता हूं कि प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह अस्त-व्यस्त था अथवा जलूस निकालने वालों के साथ था। लोगों के मन में धर्म-निर्पेक्षता की भावना पैदा की जानी चाहिए। बहुत से लोग धर्म-निर्पेक्षता की बात करते हैं। परन्तु व्यवहारिक रूप में उसे अपनाया नहीं जाता। लोगों को इस बात का अहसास कराया जाना चाहिए कि जब भी किसी क्षेत्र के अल्पमत समुदाय पर हमला हो वे उसकी रक्षा करें। उन्हें मात्र मौन दर्शक नहीं बने रहना चाहिएं। इसके अलावा जब किसी क्षेत्र में साम्प्रदायिक दंगा हो तब सत्तारूढ राजनीतिक दल को, जो कि स्वभावत: अन्य दलों से बड़ा दल होगा। खुले रूप में अल्पमतों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए।

चुनाव के समय राजनीतिक दल अल्पमतों के प्रति बहुत सी सहानुभूति व्यक्त करते हैं परन्तु जब अल्पमत पर हमला होता है उनकी दुकानों पर हमला होता है, उनकी मस्जिदों पर हमला होता है तो कोई भी उनकी सहायता को नहीं आता तथा यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि शासक दल का कोई व्यक्ति इस प्रवृत्ति को समर्थन भी दे रहा है।

यह मेरी आशंका है कि पुणे में ऐसा हुआ है। इसी लिए मैं मंत्री महोदय से पूछ रहा हूं ..

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठे जाएये।

श्री ई. बाला नन्दन : इस लिए मैं पूछना चाहूंगा क्या पुलिस ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर समूचित तथा उपयुक्त कार्यवाही की कि सरकार को यह पहले जानकारी थी कि वहां पर मुस्लिम विरोधी प्रचार चल रहा है ताकि इस जलूस को पुणे के पूर्वी क्षेत्र में से जाने से रोका जा सके ?

क्या सरकार ने इस बात के लिए कोई सतर्कता बरती कि मुसलमानों पर हमला न हो तथा उनकी मस्जिदों की रक्षा की जा सके ? मैं मत्री महोदय से इसका उत्तर चाहता हूं।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि केवल प्रशासनिक कार्यवाही ही पर्याप्त नहीं हैं। इस बारे में सार्वजनिक लोक मत तैयार किया जाना चाहिए कि ऐसी दुःखद घटनाएं न हों और मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार साम्प्रदायिक तनाव को रोकने के लिए कठोर तथा प्रभावी करने के लिए दृढ़ संकल्प है और ऐसे उपाय करती रही है।

यह कहने की आवश्यता नहीं कि हम धर्म-निर्पेक्षता से बंधे हुए हैं। यह स्वत: स्पष्ट है।

हमारे प्रधान मंत्री प्राय: घोषणा करते रहे हैं अल्पमतों की सदा रक्षा की जाती रहेगी, तथा उनकी हर समय रक्षा की जायेगी और मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि उनको इस बारे में कोई आशंका नहीं होना चाहिए कि यह सरकार अल्पमतों की रक्षा के लिए कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

पुणे नगर में हुई इस विशेष घटना के बारे में मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जलूस शुरू होने से पूर्व राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कुछ एतिहाती उपाय किये गये थे और जब यह जलूस चल रहा था तब कुछ समाज विरोधी तत्वों तथा गुंडों को गिरफ्तार किया गया था।

मैं महाराष्ट्र सरकार से पूछ रहा हूं कि क्या उस विशेष क्षेत्र में मुसलमानों का जमाव है तथा अन्य सभी बातों के बारे में भी पूछ रहा हूं और यह भी पूछ रहा हूं कि क्या उस विशेष मार्ग से जलूस ले जाने की अनुमति ली गई थी और यदि हां, तो इस मामले में इस विशेष मार्ग को क्यों चुना गया। महाराष्ट्र सरकार से यह सभी जानकारी प्राप्त करके मैं उसकी जांच करूंगा।

मैंने एक अपील भी की है .....

श्री बापुसाहिब परूलेकर (रत्नागिरी) : हमें क्या पता ?

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि शासक दल का कोई भी सदस्य ऐसे आन्दोलनों से संबद्ध नहीं है। मैं निश्चय पूर्वक कहना चाहता हू कि कांग्रेस जैन धर्म-निर्पेक्षता से जुड़े हुए हैं। हम साम्प्रदायिक अत्याचार नहीं होने देंगे। और न ही इन्हें कभी बढ़ावा देंगे। किसी साम्प्रदायिक सगठन के बनाये जाने की हम अनुमति नहीं देगे।

मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि अब महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन तीन नगरों अर्थात, पुणे, बारामती तथा शोलापुर में हितकारी कदम उठाये गये हैं।

बारामती में स्थिति पूरी तरह शान्त है। बारामती में अशांति होने का समाचार नहीं मिला है।

सरकार अन्य दो नगरों में स्थिति पर निरन्तर नजर रख हुए है। मैं सभा से नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि न तो राज्य सरकार और न ही केन्द्र य सरकार ऐसी बातों को सहन करेंगे।

पूजा स्थलों की सुरक्षा संबन्धी अपने विशेष दायित्व से सरकार परिचित है जो कि शान्ति

तथा पवित्रता बनाये रखने के लिए हैं तथा सरकार बदमशों अथवा समाज विरोधी अथवा साम्प्रदायिक तत्वों को इन पूजा स्थानों पर हमला नहीं करने देगी।

मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए सरकार दृढ कार्यवाही करेगी।

श्री अजित बाग (सोरमपुर) : श्रीमन, मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि उनके दल तथा उनकी सरकार ने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए सभी उपाय किये हैं।

राज्य की पुलिस तथा गुप्तचर विभाग पूर्णतः विफल हो गये हैं, मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि केन्द्रीय गुप्तचर विभाग भी चुपचाप बैठा रहा और उसने कुछ नहीं किया वह भी पूर्णतः असफल रहा। विश्व हिन्दू परिषद् का सम्मेलन 15 दिनों से चल रहा था और वे यह चर्चा कर रहे थे कि हिन्दुत्व खतरे में है और इस खतरे का सामना करने के लिये वे क्या कदम उठाने जा रहे हैं। लेकिन सत्तारूढ़ दल ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया साम्प्रदायिक दंगे देश के केवल अन्य ही भागों में होते हैं, पश्चिम बंगाल में जहां प्रजातंत्रीय आन्दोलन बहुत मजबूत है तथा धर्मनिपेक्षता का आन्दोलन बहुत मजबूत है साम्प्रदायिक दंगे नहीं होते क जैसे कि भारत के अन्य भागों तथा उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में होते हैं। श्रीमती इन्दिरा गाँधी की सरकार, जो धर्म निर्पेक्षता के बारे में बहुत कुछ बोलती है अलपसंख्यक पर हमले रोकने में असफल रहे हैं। जब आचार्य विनोबा भावे ने गोहत्या के विरूद्ध आन्दोलन छेड़ा था और जब उन्होंने अनशन कर रखा था तो श्रीमती इन्दिरा गांधी आश्रम में पहुंची जिसके फलस्वरूप पश्चिमी बंगाल में गोहत्या विरोधी आन्दोलन चला कलकत्ता में·····

उपाध्यक्ष महोदय : यह महाराष्ट्र के पुणे और शोलापुर के बारे में है।

श्री अजित बाग : मैं धर्म निर्पेक्षता के बारे में बोल रहा हूं यह उल्लेख सम्बन्धित है, हमारे दल के लोग तथा वामपंथी मोर्चे के स्वयसेवक उस समय मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिये सड़कों पर निकल आये थे अब तथाकथिक हिन्दू कट्टरपंथियों ने गोहत्या पर पाबंदी लगाने के लिये आन्दोल चलाया था और हमारे स्वयंसेवकों ने यह प्रचार किया कि मुस्लिमों को उनकी खुराक से वंचित क्यों रखा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : इन में से कुछ स्वंयसेकों को पश्चिमी वगाल से इन स्थानों को भी भेज दीजिये। (**व्यवधान**)

श्री अजित बाग : पुणे और शोलापुर में हमारे स्वयसेवक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिये सड़कों पर निकल आये, यद्यपि हमारी शक्ति वहां बहुत ही कम थी। सत्तारूढ़ दल के लोग इस आन्दोलन से सम्बद्ध थे। जैसे कि 'फ्री प्रेस' पत्रिका में कहा गया है वहां शांति स्थापना के लिए एक बैठक हुई, जिसका आयोजन राज्य के मुख्य मंत्री ने किया था और जनता विधेयक श्री भाई विद्धा ने अन्नासाहेब पाटिल के नेतृत्व में सचालित मराठा महासंघ से सम्मर्क रखने के लिये मुख्य मंत्री का मजाक उड़ाया था। उस बैठक में अन्नासाहवे जिंदाबाद के नारे लगाये गये थे। इससे सिद्ध होता है कि सत्तारूढ़ दल इस आन्दोलन से सम्बद्ध है। समूचे प्रशासन को स्थिति का ज्ञान नहीं है ! वारामती में पुलिस के एक सिपाही को निलम्बित किया गया। वह आन्दोलन से सांठ-गांठ रखे हुए था और उसने यह अफवाह फैलायी थी कि एक और मोर्चा भी है और इसके परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यकों ने दुकाने बंद कर दी।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये ।

श्री अजित बाग : इसके साथ ही मैं अपना प्रश्न पूछता हूं । सरकार का आसूचना विभाग क्या कर रहा है ? केन्द्रीय तथा राज्य के गुप्तचर विभाग क्यों असफल हुए ? सत्तारूढ़ दल ने अपने कार्यपालकों से अल्पसख्यकों की सहायता करने के लिये क्यों नहीं कहा ? मैं मंत्री से यह भी जाना चाहता हूं कि पुलिस के उस सिपाही के विरूद्ध वास्तव में क्या कार्यवाही की गई जिसने ऐसी अफवाह फैलायी थी उससे अल्प संख्यक समुदाय के बीच भय की भावना फैल गई ।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : यदि माननीय सदस्य इस बात का श्रेय लेना चाहते हैं कि उनके अपने राज्य में कोई भी साम्प्रदादिक दंगे नहीं होते तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है··· (व्यवधान) । लेकिन जहाँ तक इन तीन शहरों का सम्बन्ध है, मैं पूरी स्थिति बता चुका हूं और कह चुका हूं कि इस सम्बन्ध में क्या-क्या उपाय किये गये ।

विश्व हिन्दू परिषद 1 फरवरी से 15 फरवरी तक जन-जागृति पाक्षिक मना रहा था । जैसे ही हमें महाराष्ट्र सरकार से सूचना प्राप्त हुई, हर प्रकार की सावधानियाँ बरती गयीं । पुणे शहर में भी जलूस शुरू होने से पहले ही सरकार ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और उन्होंने सावधानी के सभी उपाय किये थे । महाराष्ट्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने हेतु उचित कार्यवाही करने में कोई भी संकोच नहीं किया है और न ही इस सम्बन्ध में किसी किस्म की ढील डाल रही है ।

इन्होंने पुणे में आयोजित शांति समिति की बैठक तथा किसी जनता विधेयक की चर्चा भी की है । मैं कुछ समझ नहीं सका । जनता विधेयक कांग्रेस (ई.) का विधायक नहीं है । जनता विधायक के बारे में हमें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता··· (व्यवधान) । मैं यह भी कहूंगा कि सत्तारूढ़ दल के हमारे कार्यकर्ता जब भी कहीं ऐसा तनाव या गड़बड़ी होती है तो वहां जाते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं । जैसे कि मैंने कहा, हमारे मुख्य मत्री ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है और उन्होंने उन सब लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया है । हम सामान्य स्थिति लाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इस प्रकार के साम्प्रदायिक दंगे न हों ।

मैं फिर एक बात पर जोर दूंगा । यह भारत सरकार का कर्त्तव्य है कि वह अल्पसंख्यकों की रक्षा करे और देश में धर्मनिर्पेक्षता को बढ़ावा देने के लिये हम यथासम्भव प्रयत्न करते आ रहे हैं । इस सम्बन्ध में हमारी सरकार किसी से भी पीछे नहीं है और मैं फिर कहूंगा कि हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता कभी भी किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे ।

एक माननीय सदस्य : इन्होंने जनता विधायक के बारे में कुछ कहा था ।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : मैं समझ नहीं सका ।

श्री अजित बाग : मैंने केवल मुख्य मंत्री के मराठा महासंघ के नेता के साथ सम्पर्क सम्बन्धी टिप्पणी की ओर ध्यान दिलाया था ।

श्री बापू साहिब परुलेकर । वह कांग्रेस विधायक हैं ।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : इस बारे में कोई भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिये । इन्होंने जनता विधायक का जिक्र किया था । लेकिन पुणे के कांग्रेसियों ने भी जनता नेता श्री एस. एम. जोशी के कार्य की सराहना की है जो अपने जीवन को खतरे में डालकर हिन्दुओं, मुसलमानों तथा अल्पसंख्यकों को समझाने के लिए शोलापुर तथा पूणे के इर्द-गिर्द गये थे ।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : श्री जोशी तथा हमारे भूतपूर्व मंत्री, श्री मोहन धारिया भी वहाँ थे। मैं इन लोगों पर आक्षेप नहीं करता। सरकार के साथ सहयोग करने तथा देश में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का निवारण करने हेतु यह एक मिलीजुली जिम्मेवारी तथा कर्त्तव्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती सुशीला गोपालन।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : एक बात का जिक्र करना मैं भूल गया था। उस सिपाही के बारे में कार्यवाही हो गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अलप्पी) : विश्व हिन्दू परिषद की बैठक उस शहर में 14 दिनों तक चलती रही और उन दिनों वे बैठक में मुस्लिम विरोधी प्रचार करते रहे और नारे लगते रहे···

श्री एन. के. शेजवलकर (ग्वालियर) : नहीं, नहीं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : यह हमारी जानकारी है।

श्री एन. के. शेजवलकर : यह गलत है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : हमने भी तथ्यों का पता लगाया है। वहाँ उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को वापिस पाकिस्तान जाना चाहिये, आदि आदि। ऐसे भड़काने वाले नारों के बाद भी जलूस निकालने दिया गया। सरकार वहाँ अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिये क्या कर रही है ? जलूस निकालने दिया गया। जब उन्होंने अल्पसंख्यकों की दुकानों पर धावा बोल दिया तब पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। पूजा के स्थानों पर भी इन लोगों ने धावा बोला। पुलिस चुप रही। जब उन पर हमला होता है तभी वे गोली चला कर मुकाबला करते हैं।

अल्पसंख्यकों के विरुद्ध नारेबाजी भड़काने वाली बात है। यदि ऐसी चीजें होने दी जाती रहीं तो देश भर में इसी किस्म की बात हो सकती है। आपके पास आवश्यक तंत्र है। इस तंत्र द्वारा आप सारा ब्यौरा क्यों नहीं मंगवाते ? आप इस तंत्र का प्रयोग राजनैतिक दलों के विरुद्ध बहुत कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से हिन्दू-कट्टरपंथियों की इन बैठकों में इस प्रकार का प्रचार होता रहा है। सरकार उस स्थिति में क्या करती रही ? आपके पास व्यवस्था है। उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ? हमें पता चला है कि एक पुलिस कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वह लोगों को उकसा रहा था। पुलिस के विरुद्ध ऐसी शिकायतें मिलने का यह पहला अवसर नहीं है। उनकी गतिविधियों के बारे में पहले भी शिकायतें आती थीं; उदाहरण के लिये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में जन सम्प्रादयिक दंगे हुए थे, उस समय भी उनके ऐसे पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण उनकी निन्दा की गई थी। पुलिस लोगों को उचित संरक्षण प्रदान नहीं करती। क्या आप इन बातों पर गहरायी से विचार करने तथा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिये बाहर से पुलिस भेजने को तैयार हैं ? मेरे विचार से यहाँ से भी इन समस्याओं पर विचार करने के लिये एक संसदीय सर्मिति वहाँ जा सकती है। वे वहाँ शांति स्थापित करने के लिये लोगों को मिल सकते हैं। यह बहुत आवश्यक है। मेरे विचार में सरकार ने पर्याप्त कार्यवाही नहीं की। प्राप्त समाचारों से हम समझे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने इन बातों के लिये उचित कदम नहीं उठाये थे। अब वे कहते हैं कि पुणे तथा

शोलापुर की इस घटना के बाद राज्य भर में जलूसों पर पावंदी लगा दी गई है, पुणे की घटना के बाद भी अन्य स्थानों पर जलूस के बाद जलूस क्यों निकालने दिये गये ? कांग्रेस (इ) के लोगों ने भी इनमें भाग लिया। कांग्रेस (इ) के श्री वसंत वराटे ने एक सम्मेलन में भाग लिया था, कई अन्य नेता भी ऐसी कई बैठकों में भाग ले रहे हैं। क्या आप इन सब बातों पर विचार करने और यह घोषणा करने के लिये तैयार हैं कि आपका इन नेताओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। अन्यथा धर्मनिर्पेक्षता के बारे में कोई भी बात न करें। यही लोग देश के अन्दर सम्प्रदायिक संकट पैदा कर कर रहे हैं। धर्मनिर्पेक्षता के बारे में बात करना आसान है लेकिन इसपर अमल करना बहुत कठिन है। अतः हम इस स्थिति में भी सरकार से अपील करते हैं कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए कुछ करें। अब भी मेरठ तथा देश के अन्य भागों में साम्प्रादायिक तनाव है। मेरे विचार में राजनैतिक दल भी इसी तरह से काम कर रहे हैं। मुख्य मन्त्री ने कहा है कि संगठनों को विदेशों से धन मिल रहा है। उनकी गतिविधियों को कैसे रोका जाये ? मेरे विचार से सरकार को इन लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिये। ऐसा किये बिना आप उनकी गतिविधियों को कैसे रोक सकते हैं ? आप देश की सभी प्रजातंत्रीय वामपंथी ताकतों के समर्थन पर भी विश्वास कर सकते हैं। उसके लिये सरकार की ओर से उचित प्रतिक्रिया व्यक्त की जानी चाहिये।

श्री. पी. वेंकट सुब्बय्या : माननीय सदस्य ने कई अच्छे अच्छे सुझाव दिये हैं और उन हर पूरे आदर के साथ विचार किया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : पूरे आदर के साथ क्यों ?

श्री. पी. वेंकटसुब्बय्या : मैं त्रुटी स्वीकार करता हूं। उन पर उतने ध्यान से विचार किया जायेगा। जितना कि उन पर दिया जाना चाहिये। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कांस्टेबल को गिरफ्तार करने से सिद्ध होता है कि ऐसी गतिविधियों में भाग लेने वाले को बख्शा नहीं जायेगा। चाहे वह कोई भी क्यों न हो।

कुछ माननीय सदस्य : कांस्टेबल को गिरफ्तार करना कोई बड़ी बात नहीं।

श्री पी. वेंकटसुब्बय्य : महोदय उन्होंने पुलिस की कुछ पक्षपात पूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया है। महोदय, हमें चाहे कहीं से ऐसी शिकायतें मिलें, हम संबधित राज्य सरकार से संपर्क स्थापित करते हैं क्योंकि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना उनका ही प्रथम कर्तव्य है जब भी कभी उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता होती है तब हम उनकी आवश्यकतानुसार पुलिस आदि का वहाँ प्रबन्ध करते हैं। कानून और व्यवस्था को कायम रखना प्रमुखतः राज्य का कर्तव्य है और हम स्वतः अपनी मर्जी से सेना आदि नहीं भेज सकते। जब कभी इसकी मांग की जाती है तो हम निश्चित रूप से भेजते हैं।

अतः महोदय, यहाँ माननीय सदस्य द्वारा जो प्रश्न उठाये गये हैं उनकी सूचना महाराष्ट्र सरकार को दे दी जायेगी और उनके सुझावों को स्वीकार किया जायेगा।

श्री एम. एम. लारेंस (इडुक्की) : महोदय, हम इस तरह की घटनाओं को स्थानीय समस्या नहीं मान सकते। जब देश के किसी भाग में इस तरह की घटनायें होती हैं तो हम अकसर देखते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि जगह जगह इसकी प्रतिक्रिया होती है।

महोदय. विश्व हिन्दू परिषद द्वारा निकाले गए जुलूस के बाद ही यह घटना घटित हुई। उस ओर के लोगों ने भड़काने वाली बात की।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : किस ओर के ?

श्री एम. एम. लारेंस : वह हम सब जानते हैं। अल्पसंख्यक संप्रदाय के लोग ही दंगे के शिकार हुए। पतित पावन नाम का एक संगठन बना है। जहां तक मैं जानता हूं यह संगठन राष्टीय स्वयंसेवक संघ द्वारा चलाया जा रहा है। वे भी इस घटना में सम्मिलित हैं। उन्होंने जुलूस निकालने और उत्तेजना फैलाने के लिये धनराशि इकट्ठी की थी। उन्होंने अल्पसंख्यक संप्रदाय के — मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से भी रोका। उन्होंने यह धमकी भी दी कि वे मस्जिद का घेराव करेंगे। ऐसा भी वहां हो रहा है। मैं नहीं जानता कि महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री अन्तुले इसमें कैसी भूमिका निभा रहे हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि वह दोनों तरफ से बोल रहे हैं और दोनों पक्षों को भड़का रहें हैं। (**व्यवधान**)

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : महोदय, श्री अन्तुले का नाम यहाँ कैसे लिया गया। हमें उस व्यक्ति की निंदा नहीं करना चाहिये जो यहां उपस्थित नहीं हो।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन (वडागरा) : क्या श्री अन्तुले का नाम इतना अपवित्र हो गया है ? वह 'पतित पावन' नहीं हैं।

श्री एम. एम. लारेंस : महोदय, मन्त्री महोदय ने यह दावा किया है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की—उनकी सम्पत्ति, उनके जीवन आदि सभी की—रक्षा के लिये सब तरह से काम कर रही है। बहुत अच्छी बात है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनके दल के व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा के लिये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय पूर्व इसी सदन में स्वयं हमारे गृह मन्त्री ने तथा सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों ने भी स्वयं यह स्वीकार किया था कि उनके दल के कुछ लोगों ने भी इन सांप्रादायिक दंगों में भाग लिया है। यदि मुझे अच्छी तरह से याद है तो यह सब मुरादाबाद में हुआ था। गृह मन्त्री ने यह स्वीकार किया था कि उनके दल के सदस्यों ने इन दंगों में भाग लिया था और वे ही इसके जिम्मेवार हैं। (**व्यवधान**)

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन: वे विश्व हिन्दू परिषद में भी भाग ले रहे हैं।

श्री एम. एम. लारेंस : महाराष्ट्र में, शिव सेना इस तरह की घटनाओं को भड़का रही है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल की शिव सेना के साथ मिली भगत है। सारा विश्व यह जानता है। सिर्फ भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व यह बात जानता है। महाराष्ट्र में शिव सेना की क्या भूमिका रही है यह भी सब जानते हैं। महोदय, राज्य में कुछ वर्ष पूर्व, मेरे राज्य में तेल्लिचेरी में कुछ सांप्रादायिक दंगे हुए थे। घर जला दिए गए, दूकानें लूटी गयीं, मुसलमान लोगों पर हमला किया गया। मेरे दल के लोगों ने स्वेच्छा से अपनी सेवायें अर्पित कीं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बचाने के लिये आगे आये। हमारे एक सक्रिय कार्यकर्त्ता की इन लोगों द्वारा हत्या कर दी गई क्योंकि वह अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा के लिये आगे आये थे। (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : हम महाराष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं अथवा केरल की ? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल की प्रशंसा अथवा समालोचना अन्य दल के सदस्यों द्वारा ही की जानी चाहिये, आपको अपने दल के बारे में नहीं बोलना चाहिये ।

श्री एम. एम. लारेंस : केरल के वर्तमान मुख्यमन्त्री तत्कालीन गृह मन्त्री थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से क्या संबंध है । कृपया शांत रहिये । आपको पर्याप्त अवसर मिलेगा ।

श्री एम. एम. लारेंस : महोदय, तत्कालीन गृह मन्त्री केरल की अवैध अल्पसंख्यक सरकार के वर्तमान मुख्य मन्त्री हैं । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, आप अपना प्रश्न पूछिये ।

श्री एम. एम. लारेंस : विदायथिल आयोग को नियुक्त किया गया था । उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि केरल में अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा के लिये केवल मार्क्सवादी दल ही आगे आया था ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या आप तेल्लिचेरी आयोग की बात कर रहें हैं ।

श्री एम. एम. लारेंस : जी, हां ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जी नहीं, रिपर्ट में यह नहीं कहा गया है ।

श्री एम. एम. लारेंस : रिपोर्ट में यही कहा गया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ठीक है, तो इसे सदन के समा-पटल पर रखा जाना चाहिये ।

श्री वेंकट सुब्बय्या : महोदय, यह पुनः केरल की ही बात कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न रखिये । अब समय पूरा हो गया है ।

श्री एम. एम. लारेंस : वहां पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस समय संसद में है केरल की विधान सभा के सदस्य नहीं हैं ।

श्री एम. एम. लारेंस : मुख्य मंत्री द्वारा ऐसा कहा गया बताया गया है । यह टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित हुआ है । इस रिपोर्ट में कह गया है कि मुख्य मंत्री जिन्होंने पुणे के संवेदन शील क्षेत्रों का दौरा किया यह घोषणा की कि उनकी सरकार इन सांप्रदायिक घटनाओं के पीछे कार्य करने वाले संगठनों को खोजने के लिए समूचे सरकारी तंत्र को कार्य में लगा देगी । परन्तु जब वह सभी दलों के लोगों की एक बैठक में भाग ले रहे थे तो पुनः कुछ घटनायें हो गयी । कुछ लोगों ने यह दावा किया कि यह हिन्दुओं का राष्ट्र है । ऐसे व्यक्ति ही इस प्रकार की साम्प्रदायिक घटनाओं को भड़काते हैं। मेरे राज्य से लाखों व्यक्ति मध्यपूर्व देशों को गये हुए हैं तथा वे करोड़ों रुपयों की कीमती विदेशी मुद्रा देश में ला रहे हैं । यदि वे देश धर्म के नाम पर उन लोगों को वापिस भेजने का निर्णय करते हैं तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी, हमारे देश से लाखों व्यक्ति, मलेशिया, बर्मा, श्रीलंका तथा अन्य देशों को गये हुए हैं । यदि वे देश हमारे लोगों के प्रति वही रुख अपनायें, उनका क्या होगा ? आप उन लोगों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं जो कि इस प्रकार की साम्प्रदायिक भावनाओं तथा उत्तेजनाओं का प्रचार करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपको अपना प्रश्न प्रस्तुत करना चाहिए । आपने पर्याप्त भूमिका बना दी है ।

श्री एम. एम. लारेंस : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रकार की घटनाओं को वास्तव में नियन्त्रित करना चाहती है। हम दलीय मतभेदों के होते हुए भी ऐसा कर सकते हैं। जो भी साम्प्रदायिक मेलमिलाप बनाये रखना चाहते हैं उनको आगे आना चाहिए तथा इस प्रकार के घृणित अपराध के विरूद्ध मिलकर प्रचार करना चाहिए। कभी न कभी और कहीं न कहीं इस प्रकार की घटनायें होती रहती हैं। इस समय जब ऐसी घटनायें होती हैं केवल तभी कोई कार्यवाही करना पर्याप्त नहीं है परन्तु वैसे भी हमें शत्रुता की इन भावनाओं के विरूद्ध प्रचार करते रहना पड़ेगा क्योंकि इस प्रकार की भावना दूसरे देशों में भी फैली हो सकती है। हमें इस प्रकार की भावनाओं के विरूद्ध सतत रूप से प्रचार करना पड़ेगा।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : महोदय, शायद माननीय सदस्य को इन तीन स्थानों के विषय में बहुत कम जानकारी है। अतः केरल की बात करने लगते हैं। परन्तु चूंकि उन्होंने विषय से संगत कुछ भी नहीं कहा--मैं उनके पदचिह्नों का अनुकरण नहीं करना चाहता। जहाँ तक साम्प्रदायिक मेलमिलाप तथा सरकार की तरफ से उठाये गये कदमों का सम्बन्ध है, समय समय पर राज्य सरकारों को निर्देश दिये गये हैं कि इस प्रकार के साम्प्रदायिक दंगे न हो पायें, इसको सुनिश्चित किया जाये और जो कुछ भी कदम उठाये जाने हैं उठाये जाने चाहिए। और प्रधान मंत्री ने जब से राष्ट्रीय एकता परिषद बनायी है उसके तुरन्त बाद से साम्प्रदायिक मेल मिलाप के लिए विभिन्न उपसमितियाँ बनायी गयी हैं तथा सभी सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य के साथ पूर्ण रूप से सहमत हूं कि हमें सभी राजनैतिक दलों चाहे उनकी विचार धारायें कुछ भी हों, से ऊपर उठना चाहिए तथा प्रत्येक दल को देश में साम्प्रदायिक मेल मिलाप बनाये रखने में सहायता देती चाहिए।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, महाराष्ट्र से मैं एक मात्र वक्ता हूं। महोदय, 29 जनवरी को हमारे दल के एक महासचिव श्री सैय्यद शहाबुद्दीन को पूना से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह लिखा है :

> "मुझे पूना की तनाव पूर्ण स्थिति के विषय में आपको सूचित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछले एक सप्ताह से 'पतित पावन' नाम का एक युद्ध प्रिय संगठन 'आजान' पर प्रतिबंध लगाने के लिए अड़ा हुआ है। दो दिन पहले 200 लड़कों का एक समूह मुस्लिम क्षेत्र में आया जहां पर दो समूहों के बीच हथापाई हो गयी। उन्होंने उस क्षेत्र के निवासियों को भड़का दिया..."

उसका अन्तिम पैरा इस प्रकार है :

> "मैं आपको यह आपकी सूचना तथा सलाह के लिये लिख रहा हूं क्योंकि जैसे हालात हैं शायद यह एक भयानक रूप ले सकते हैं।

तब श्री सैय्यद शहाबुद्दीन ने 5 फरवरी 82 को श्री जेलसिंह को एक पत्र लिखा। उसका पाठ इस प्रकार है :

"प्रिय गृह मंत्री,

> "पूना में राष्ट्रीय स्वयं सेवक के एक मोर्चे ने आजान (नमाज के लिए आह्वान) के बोले जाने के विरूद्ध आन्दोलन शुरू किया है तथा शहर की सभी मस्जिदों के सामने इसके विरोध में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है।

'इससे बहुत ही आसानी से साम्प्रदायिक दंगे पैदा हो सकते हैं। किसी व्यक्तिगत संगठन को संविधान द्वारा दी गयी धार्मिक स्वतन्त्रता को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।'

"यह एक बहुत गम्भीर मामला है। मैं आपसे इस संगठन के नेताओं तथा समर्थकों को हिरासत में लेने का निवेदन करता हूं।"

"मैं यह भी आशा करता हूं कि आप तथा महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ऐसी घटना की सार्वजनिक रूप से आलोचना करेंगे।"

यह 5 फरवरी को लिखा गया था जो इस घटना से बहुत पहले था। तब श्री जेल सिंह ने उन्हें एक अंग्रेजी में लिखा गया पत्र भेजा। 16 फरवरी को ज्ञानी जेल सिंह ने यह उत्तर दिया :—

"प्रिय श्री शहाबुद्दीन, मुझे आपका 5 फरवरी का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आपने मेरा ध्यान एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक के प्रतित पावन नाम के मोर्चे के द्वारा 'आजान' दिये जाने के विरूद्ध प्रारम्भ किये गये आन्दोलन की ओर आकर्षित किया है मैं मामले की जांच करवा रहा हूं।"

महोदय, यह श्री शहाबुद्दीन के 5 फरवरी के पत्र के उत्तर में 16 फरवरी को लिखा गया था। अतः इस बात की पर्याप्त जानकारी थी कि पूना में स्थिति बिगड़ती जा रही है और फिर भी सरकार ने कुछ नहीं किया।

मैं कहना चाहता हूं कि भारत के विभाजन के बाद से लगभग 5 हजार साम्प्रदायिक दंगे हो चुके हैं। और यदि आप उसे ध्यान से देखें तो आपको ज्ञात होगा कि इनका एक निश्चित ढांचा रहा है तथा यह ढाँचा इस प्रकार है कि किसी भी दंगे में एक संगठन होता है जो कि एक सामान्य केन्द्र से प्रचालित करता है, अफवाहें बनाता है और उड़ाता है तथा विशेष कार्यवाही को आर्थिक सहायता देता है तथा पूरे प्रचालन को एक दार्शनिक औचित्य प्रदान करता है। अब यदि ऐसे समूह कायम रह सकते हैं चाहे वे किसी भी सम्प्रदाय के हों तो दंगे तो एक छोटी सी घटना है। शिवाजी की मूर्ति को अपवित्र किया गया या और कुछ या किसी पैगम्बर के कुछ बाल गुम हैं इस प्रकार की कुछ बातें इन संगठनों की वजह से फैलती हैं।

प्रश्न यह है कि सरकार ने इस विषय में क्या किया है ? पांच हजार साम्प्रदायिक दंगे। मैं इस बात से खुश नहीं हो रहा हूं कि जनता शासन काल में वर्तमान से कम दंगे हुए थे। वास्तव में गत वर्ष सबसे अधिक रिकार्ड था। आपने सब रिकार्ड तोड़ दिये। परन्तु मैं इससे खुश नहीं हो रहा हूं। अब मेरा प्रश्न यह है कि सरकार का इस पर क्या विश्लेषण है ? हमें मुरादाबाद को लेना चाहिए क्योंकि इसका इससे सम्बन्ध है। मुरादाबाद घटना के पश्चात ज्ञानी जेल सिंह भारत के गृह मंत्री तथा पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मत्री ने 27 अगस्त 1980 को कहा था :

"इन हिंसक घटनाओं के पीछे कौन और क्या था इसकी सरकार को जानकारी है"

23 सितम्बर 1980 को राव तुला राम के 115वें शहीद दिवस के उत्सव में भारत के उपराष्ट्रपति श्री हिदायतुल्ला की उपस्थिति में उन्होंने कहा था :

"सरकार को पता चला है कि हाल के साम्प्रदाहिक दंगों के पीछे किसी विदेशी शक्ति का छिपा हाथ था"

अत: उन्होंने कुछ उन्नती की है। फिर ज्ञानी जैल सिंह के वक्तव्य के चार दिन बाद 27 सितम्बर को प्रधान मंत्री ने कलकत्ता में यह कहा था :

"भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इनके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि इन अफवाहों तथा झूठों के पीछे उनका हाथ है"

अत: मैं जो कुछ प्रधान मंत्री ने कहा था न तो उसका विरोध कर रहा हूं और न ही समर्थन। मैं भारतीय जनता पार्टी को झूठ और अफवाहें फैलाने की क्षमता के बारे में भी कुछ नहीं कहूंगा यह उनका काम है। परन्तु ज्ञानी जेल सिंह ने, जो पहले विदेशी हाथ कहते थे। 1 अक्तूबर को श्रीमती गांधी के वक्तव्य के बाद कहा कि हां भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिम्मेदार हैं क्योंकि श्रीमती गांधी ऐसा महसूस करती हैं और श्रीमती गांधी किसी पर गलत दोष नहीं लगाती। यह ज्ञानी जैलसिह का विश्लेषण है।

अत: मैं उनसे यह स्पष्ट करवाना चाहता हूं कि यह दंगे किस विषय में हैं। क्या कोई ढांचा है ? क्या उन्होंने कोई निष्कर्ष निकाला है ? पतित पावन संगठन क्या है ? इसकी भूमिका क्या है ? विश्व हिन्दी परिषद क्या है ? ये सब विभिन्न संगठन क्या हैं ? कुछ मुस्लिम संगठन भी होने चाहिए। कुछ भूमिका होनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं चाहता हूं कि वे सभा को विश्वास में लें ताकि हम जनता के प्रतिनिधि होने के नाते इस बारे में कुछ कर सकें।

इन दंगों के बारे में सबसे अनर्थकारी तत्व इसके कारण को समाप्त कर देना है जो कि एक अविश्वास के इतिहास पर बनाया गया है। अत: पिछले 34 वर्षों में विभिन्न सम्प्रदायों में एक सुनियोजित प्रचार रहा है। महोदय, मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं साम्प्रदायिक नहीं हूं या एक्स साम्प्रदायिक नहीं है। मैं जानता हूं कि साम्प्रदायिकता प्रत्येक व्यक्ति में एक अन्त: तरंग होती है। मैं जानता हूं कि मेरे परिवार में कुछ व्यक्ति साम्प्रदायिक हो सकते हैं। मैं नही जानता कि हम क्या कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आप साम्प्रदायिक नहीं हैं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : अच्छा महोदय, इस प्रमाणपत्र के लिए आपको धन्यवाद। परन्तु आपको ध्यान होना चाहिए कि मैं एक ब्राह्मण हूं और आप ब्राह्मणों को प्रसन्द नहीं करते।

एक माननीय सदस्य : आप ब्राह्मण हैं ?

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : हां, मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसका विरोध करता हूं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप इसका विरोध करते हैं ? कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि आप मुझे उसी कारण से पसन्द नहीं करते। कुछ भी हो।

देश का भ्रमण करते समय मैंने जब हिन्दुओं के साथ विश्वास से बात की तो मुझे पता चला कि इस देश में मुसलमानों के विषय में कुछ मनगढ़न्त कल्पनायें हैं। इन मनगढ़न्त कल्पनाओं को खत्म किया जाना चाहिए। अन्यथा आप हिन्दु-मुसलमान मैत्री भावना नहीं बना

सकते । ये मनगढ़न्त कल्पनायें ये है : (1) मुसलमान पाकिस्तान के लिए बेचैन हैं । वे दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। यह मैंने यहां वहाँ हिन्दुओं को कहते हुए सुना है । यह बिल्कुल झूठ है । वस्तुत: जो मुसलमान भारत में हैं वे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान नहीं चाहते थे । वह भारतीय इतिहास का एक दूसरा तथ्य है । वे मुस्लिम लोग, जो इस समय भारत में रह रहे हैं, विभाजन के इक्छुक नहीं हैं । ऐसा प्रचार हो रहा है जिसका विरोध करना होगा । सरकार इसका कोई विरोध नहीं कर रही है । एक बात और जो मेरे सुनने में आई है वह यह है कि हर जगह लोगों का कहना है कि मुसलमानों की एक से अधिक पत्नियां होती हैं, अत: वे अधिक खतरनाक हैं । मैंने आंकड़ों को देखा हैं । मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऐसे हिंदु लोगों की प्रतिशता जो एक से अधिक पत्नियां रखते हैं उन मुसलमानों की प्रतिशतता से काफी अधिक है जो एक से अधिक पत्नियाँ रखते हैं । (**व्यवधान**) हिन्दु देवताओं में रामचन्द्र की एक से अधिक पत्नियां नहीं थी जबकि दशरथ की थीं । रामचन्द्र की एक से अधिक पत्नियाँ नहीं थी । आप इसका अन्तर तो जानते ही हैं । एक पुरुषोत्तम था, दूसरा नहीं । (**व्यवधान**) मेरी भी एक ही पत्नी है ।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : भगवान सुब्रह्मण्यम अर्थात (मुरुगा) के बारे में आपके क्या विचार है ?

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी हां, स्वामी सुब्रह्मण्यम दक्षिणी भारत के हैं, उत्तर भारत के नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रभु रामचन्द्र जी ने 14 वर्ष तक भी दूसरा विवाह नहीं किया । उनकी पत्नी श्रीलंका चली गई किन्तु उन्होंने शादी नहीं की ।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह ठीक है । वह इतने निष्ठावान थे कि उनके जाने के बाद भी (व्यवधान) मैं इस संदर्भ में और अधिक नहीं कहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : रामायण का मुझे अच्छा ज्ञान है ।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, आप 8000 ई. पू. की बात छोड़कर वर्तमान में आ जाइए । नवीनतम जनगणना आंकड़ों के अनुसार मुस्लिम लोगों में स्त्री-पुरुष का अनुपात कम है, मुस्लिम संप्रदाय में प्रति हजार व्यक्तियों में स्त्रियों की संख्या हिन्दु समुदाय की तुलना में कम हैं । नवीनतम जनगणना आंकडों से ऐसा ही प्रतित होता है । अब आप मुझे बताइए कि एक मुस्लिम व्यक्ति का एक से अधिक स्त्री से शादी करना कैसे संभव है, जब तक कि वह किसी अन्य मुसलमान को एक भी शादी करने के वंचित नहीं रखता । अत: यह एक झूठी अफवाह है ।

प्रो. मधु दंडवते : यह मात्र अनुमेय खंड हो है ।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी, हां, उन्हें इस बारे में मुझ से अधिक जानकारी हो सकती है ।

अत: यह एक मनगढ़न्त बात है जिसका कि देश में प्रचार किया जा रहा है । इसका विरोध किया जाना चाहिए । यदि आप गरीबी की रेखा को देखें तो मुसस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर हिन्दुओं से अधिक नहीं है क्योंकि मुसलमानों की प्रति-व्यक्ति औसत आय हिन्दुओं की प्रति

व्यक्ति औसत आय से कम है। यह एक दूसरी मनगढ़न्त कल्पना है जो कि पूरे देश में फैली हुई है।

मैंने देखा है कि इस प्रचार में एक अन्य बात यह कही गई है कि अरब देश के लोग मस्जिदों का आधुनिकीकरण करने के लिए अधिक से अधिक वित्तीय सहायता दे रदे हैं। यह संभवतः सही है कि बाहर से कुछ धन उनकी इजाजत से आता है। लेकिन दित्तचस्प बात यह है कि भारत में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो अपने मंदिर या चर्च के लिए बाहर से पैसा प्राप्त न करता हो। हमारी इस बारे में एक राय है। क्या आपका यह विचार है कि मथुरा में जो हिन्दुओं का मंदिर बनाया जा रहा है उसे न्यूयार्क में स्थित 'हरे राम हरे कृष्ण' के लोगों से कोई धन प्राप्त नहीं हो रहा है। निश्चय ही, वे ऐसा कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि मुस्लिम समुदाय को यह सोचने के लिए क्यों मजबूर किया जाय कि चूंकि अरब देश के लोग उन्हें धन भेज रहे हैं, इसीलिए वे निष्ठावान नहीं है। और हम नहीं जानते कि यह किस रूप में गैर कानूनी है क्योंकि कानून के अन्दर इसकी अनुमति दी गई है। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री इस स्थिति को स्पष्ट करें।

अन्त में सबसे बुरी बात यह हुई है कि मीनाक्षी पुरम घटना के बारे में झूठी अफवाह फैलाई जा रही है जिसके लिए ज्ञानी जैल सिंह भी किसी हद तक जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने इसमें विदेशियों का हाथ बताया है, मानो हम भारतीय कुछ भी करने में असमर्थ हैं। वास्तव में प्रो. मधु दण्डवते ने मुझे एक बार बताया था कि संभवतः ज्ञानी जैल सिंह यह महसूस करते हैं कि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या दर में भी विदेशियों का हाथ है और यह हमारी योग्यता के कारण नहीं है क्योंकि हम अपनी जनसंख्या में वृद्धि करने में असमर्थ हैं। विदेशी सहयोग आवश्यक है। अतः प्रश्न यह है कि मीनाक्षी पुरम में जो कुछ हुआ वह युवा हरिजनों पर हुए अत्याचारों के कारण हुआ जिसमें कि अपने बड़े बूढ़े लोगों की अपेक्षा कम सहनशीलता है—और वे उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते इसीलिए उन्होंने अपने को परिवर्तित कराया लेकिन देश में यह प्रचार फैल रहा है कि काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा यहां आ रही है और जिसके जरिये धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अतः इससे उत्तेजना पैदा हो रही है। उनकी तरफ से इसका कोई प्रतिरोध नहीं किया गया है। वास्तव में ज्ञानी जी ने मद्रास जाकर जो कुछ कहा दिल्ली आने पर उसी का खन्डन किया। लेकिन इससे क्षति तो हो ही गई है।

अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह कुछ कदम उठाए। देश में बहुत सी घृणित संस्थाएं स्थापित हो गई हैं। मैं उनकी पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानता। महोदय, तमिलनाडु में हिन्दु एक्य मुन्नानी है, आप इस बारे में जानते हैं। उन्होंने इस क्षेत्र के मुस्लिम लीग के विधान सभा सदस्यों के खिलाफ इश्तहार निकाले जिसमें यह कहा गया था कि "ध्यान दीजिए" आपका चुनाव हिन्दु मत से हुआ था। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको अपनी सीट खोनी पड़ेगी। मदुराई में भी इश्तहार लगाए गए थे जिसमें यह कहा गया कि "हिन्दुओं. मुसलमानों की दुकानों से कुछ नहीं खरीदो। केवल हिंदुओं की दुकानों से ही खरीदो।

सरकार ने इस बारे में क्या किया है? मैं जानना हूं कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री एम. जी रामचन्द्रन, हमेशा निस्क्रिय ही रहते हैं। केन्द्रिय सरकार क्या कर रही है? यह किसकी

जिम्मेदारी है ? इसी तरह पुणे में जो संस्था अभी बनी है मैं उसकी पृष्टभूमि के बारे में भी कुछ और जानना चाहता हूं। मैंने इस बारे में बहुत से लोगों से पूछा। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। प्रश्न आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के बारे में है जैसाकि गृह मन्त्रालय हमें बार-बार बताता रहता है। मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रत्येक सांप्रदायिक दंगे की सूचना कम से कम एक सप्ताह पहले ही आपको मिल जाती है। अग्रिम सूचना मिलने पर भी आपने क्या किया ? आपने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। क्या आप सो रहे थे।

मुख्य मंत्री दिल्ली आते हैं और दिल्ली से वापिस बम्बई चले जाते हैं। उनके पास इस सब के लिए समय नहीं है। अतः यह सरकार की विफलता है।

यदि सांप्रदायिक दंगों को रोका नहीं जा सकता तो यह उचित होगा कि श्री जैल सिंह अपना त्यागपत्र दे दें। और यहां बैठने की बजाय वापिस जाकर दरबारा सिंह जी के लिए कोई सिरदर्दी पैदा करें क्योंकि वह निश्चय ही साप्रदायिक दंगों को रोकेंगें। यह आपका काम है। आप ऐसा कर सकते हैं वशर्ते कि आप प्राप्त सूचना के आधार पर कोई कार्यबाही करें। वे कहते हैं "हमने कार्यवाही की" लेकिन यहां श्री शाहबुद्दीन का पत्र है। उन्होंने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। अतः यह सरकार की असफलता है। और इसी कारण से यह सरकार जनता की नजरों में अपराधी है। (व्यवधान)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : इससे पहले भी, मेरे साथी, श्री बनातवाला ने 2 फरवरी 1982 को मुख्यमंत्री को इस बारे में लिखा था। इसका तात्पर्य यह है कि वहां के तनाव से सरकार परिचित थी।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : इस से पहले कि गृह मंत्री उत्तर दें, मैं पतित पावन संगठन के बारे में कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मैंने उनकी गतिविधियों पर 16-1-81 को पुणे में कार्यवाही की थी। पुलिस की तात्कालिक कार्यवाही से उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण कर लिया गया। 53 समाज-विरोधी तत्वों को पकड़ा गया, 4 व्यक्तियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस की हिरासत में लिया गया। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित। व्यक्ति तथा शिव सेना से संबंधित एक व्यक्ति को भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस हिरासत में ले लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय, उत्तर देंगें।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : पतित पावन सगठन के बारे में आपको क्या सूचना मिली है ? क्या आपके पास कोई खुफिया विभाग है ?

श्री जैल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी डाक्टर भी हैं और स्वामी भी हैं। उन का जो कहना है, जो उन्होने ही कहा शकोसुबहा दूर करने के लिए उस में उन्होंने बहुत अच्छा भाषण भी दिया और इन्फार्मेशन भी दी है। जो रेलीवेंट थी वह भी इन्फार्मेशन दी है और जो इर्रेलिवेंट थी वह भी इन्फार्मेशन दी है। यह बात इन की बिलकुल दुरूस्त है कि ये जो झगड़े होते हैं जो झगड़े करवाने वाले एलीमेंट्स हैं, सरकार क्यों नहीं उन को कर्व करती और सरकार उस की जानकारी क्यों नहीं लेती, यह कहना इन का दुरूस्त है क्यों कि इस ने कोई बात छिपा कर नहीं रखी तो हम ने कहा कि हम जानते हैं तो आप भी जानते हैं कि कौन झगड़े

करवाता है तो वह झगड़ा करवाने वाली शक्तियां कानून के तहत गिरफ्तार हो सकें उन को सजा दी जा सके, उस में वह अपना हाथ क्यों नहीं बढ़ाते हैं ? वे चुपके चुपके प्रचार करती हैं । तमाम हिन्दुस्तान की पोलिटिकल पार्टियों में भी ऐसे लोग छिपे रहते हैं जो दंगे करवाते हैं और दंगे करवाने वाले उस दंगे में शामिल नहीं होते । उन का कोई आदमी मरता नहीं । मारने वाले और होते हैं, मरने वाले और होते हैं कुछ आप इस बात में मुझसे ऐग्री करेंगे कि फिरकेवाराना जजबात जो हैं, जैसे आप ने कहा कि अन्डर-करेंट चलता रहता है कम्यूनलिज्म, अगर अंडर-करेंट आप मानते हैं तो फिर इस लूज डेमोक्रेसी में.....

एक माननीय सदस्य : कोई टाइट डेमोक्रेसी होती है क्या ?

श्री जैल सिंह : जी हां, टाइट डेमोक्रेसी सोशलिस्ट कंट्रीज में है और कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी कैपिटलिस्ट मुल्कों में है । यह जो हमारी डेमोक्रेसी है यह खुली है । खुली का क्या अर्थ करेंगे, इसके मायने क्या हैं-लूज कहेंगे या नहीं-यह तो वाजपेयी जी बता सकते हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजेपेयी : खुली कहिए लूज मत कहिए ।

एक माननीय सदस्य : ओपेन ।

श्री जैल सिंह : इसीलिए मैं ओपन डेमोक्रेसी कह सकता हूं ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : लूज डिमोक्रेसी में क्या लोगों को मरने और मारने दिया जायेगा ?

श्री जैल सिंह : अखबारों में ऐसे आर्टिकिल्स आते हैं जिनसे बिस्कुल जाहिर होता है कि वह नफरत पैदा कर रहे हैं । किस ढंग से वह नफरत पैदा करते हैं यह भी आप जानते हैं । लेकिन जब हम ला मिनिस्ट्री से पूछते हैं कि हम इसपर ऐक्शन ले सकते हैं तो वे कहते हैं कि नहीं, बोलने और लिखने की तो पूरी आजादी हमारे देश में है । अब वे जो चाहें लिखें, जो चाहें कहें उन पर हम कोई ऐक्शन नहीं ले सकते हैं । वे नफरत पैदा करने वाले लोग इस ढंग से लिखते हैं कि वे कानून की हद में नहीं आते हैं ।

डा. सब्रह्मण्यम स्वामी : वह नफरत पैदा करने वाले देसी हैं या विदेशी ?

श्री जैल सिंह : आपने बताया है "हिडेन हैण्ड" । मैंने नोट कर लिया है । उसमें जाहिरा तौर पर तो हमारे देश के लोग होते हैं लेकिन उनके पीछे दिये हुए लोग होते हैं जिनको इस बात की खुशी होती है कि किसी मुल्क में दंगा-फसाद हो । यह नहीं कि वे मुल्क को मारना चाहते हैं, वे मुल्क को दबाकर रखना चाहते हैं । वे चाहते हैं कि मुल्क कमजोर हो, मुल्क का डेवलपमेन्ट न हो और न मुल्क में इत्तहाद हो । वे न तो हमारे ऊपर हमला करते हैं और न हमला करना चाहते हैं और न ही आज की दुनिया में एलान करके किसी मुल्क पर हमला किया जाता है । दूसरी जगह पर अगर दखल दिया जाता है तो उसको मेरे से ज्यादा आप जानते हैं क्योंकि आपने चाइना की सैर की है । (**व्यवधान**) मैंने इसलिए कहा कि जो मुल्क क्लोज्ड हैं वह आम तौर पर या तो लोगों को आने नहीं देते हैं और अगर कोई आ जाए तो उसको हर चीज देखने नहीं देते हैं । अगर कुछ दिखाते भी हैं तो वह दिखाते हैं जोकि नहीं दिखाना चाहिए ।

प्रो. मधु दण्डवते : डांगे साहब को भी नहीं आने दिया सोवियत रूस ने ।

श्री जैल सिंह : प्रो दण्डवते जी अच्छी तरह से जानते हैं कि रूस और चीन के सिस्टम आफ गवर्नमेन्ट में क्या फर्क है, क्या फर्क नहीं है। वे कैसे चलते हैं और कैसे नहीं चलते हैं।

आपको याद होगा जब यहां पर एसेंशियल सर्विसेज बिल आया था तब जितनी मेरी जानकारी थी, कम्युनिस्ट पार्टी के मुताल्लिक, वह आपको बता दी थी लेकिन आपको तो ज्यादा नालेज होगी क्योंकि आप बहुत ज्यादा किताबों को पढ़ते हैं।

अब "हिडेन हैण्ड" की जो बात है, सुब्रह्मण्यम जी, वह तो रही है और यह हमारे ही मुल्क में नहीं, दूसरे मुल्कों में भी है। और आजकल की दुनिया में तो कन्युनिस्ट मुल्क कम्युनिस्ट मुल्कों में भी ऐसा करते हैं। सिर्फ कैप्टेलिस्ट मुल्क ही ऐसा नहीं करते बल्कि आपने देख लिया कम्युनिस्ट मुल्क ने कम्युनिस्ट मुल्क पर हमला भी किया है। आज की इस बदलती दुनिया में जब ऐसे सामान पैदा होते हैं तो उनका इलाज भी इसी तरीके से करना चाहिए। (व्यवधान)

उन्नीकृष्णन जी ने कहा कि मुसलमानों को ही गिरदाना जाता है कि वे बाहर से मदद लेते हैं, दूसरों को क्यों नहीं। आपने यह भी जिक्र किया कि मैंने मद्रास में कहा और यहां पर कंट्राडिक्शन कर दिया। आपकी वह बात ठीक है, मद्रास में मैंने कहा नहीं था लेकिन यहां पर आकर कंट्राडिक्शन जरूर किया है। इस तरह से आपकी बात 50 परसेन्ट सच है। मैंने मद्रास में जो कहा वह यह था कि मुझ से जो लोग मिले उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि विदेशी माया इस काम में इस्तेमाल हुई है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपसे कौन मिले थे ?

श्री जैल सिंह : कुछ तो जनता पार्टी के :

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप पहचान सकते हैं, कि जनता पार्टी कौन होते हैं। हो ही नहीं सकते हैं।

श्री जैल सिंह : स्वामी जी जब जानते हैं, तो इस ख्याल से नहीं जाते हैं कि हम एक पार्टी के मैम्बर हैं और हम उस पार्टी के हैं। जब किसी एक पार्टी के पास राज आ जाए तो उन मिनिस्टरों को यह समझना चाहिए कि हम सब के सांझी हैं, दोस्त हैं सबसे मिलें, सबकी बात को सुनें। कांग्रेस-आई के मुझे मिले थे, जनता पार्टी के भी मिले थे, ज्यादातर जनता पार्टी के मिले। कुछ भारतीय जनता पार्टी के मिले, लोकदल के मिले, काम्यनिस्ट पार्टी के मिले थे, और अपने-अपने प्वाइंट-आफ-वयू की उन्होंने बात कही। मैंने प्रैस वालों से कह दिया, मैंने यह नहीं कहा कि मैं इस पर यकीन रखता हूं या मैंने देख लिया कि विदेशी-मनी शरारत के लिए आई और यह सावित हो जाए और हम एक्शन न लें, तो यह हमारी गलती होगी। आपको यह मालूम है कि हिन्दुस्तान में हजारों छोटी छोटी वालन्ट्री पार्टियां हैं, जो विदेशों से सहायता लेती हैं। उस विदेशी सहायता के प्रति अब तक जो कन्ट्रोल था, वह ढीला था। इसलिए अब एक ही आर्गेनाइजेशन के सम्बन्ध में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए एक कमीशन मुकर्रिर किया है, जो यह पता लगाएगा कि विदेशी-मनी कहां-कहां कैसे इस्तेमाल होती है और उस पर सरकार को निगरानी रखने के लिए क्या-क्या उपाय करने चाहिए।

आप जानते हैं कि भारत में मजहब की बहुत जोरदार आवाज है। इस बात पर आप इत्तिफाक करेंगे कि देश-पिता महात्मा गांधी हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा इन्सान हुआ है। दुनिया

में उस के रास्ते पर चलकर जंगे-आजादी लड़ी गई और वह मुल्क आजाद हुआ, लेकिन फिर भी आज भगवान कृष्ण की, भगवान राम जी की, हजरत मोहम्मद साहब की, गुरूनानक देव की कोई तस्वीर को फाड़ नहीं सकता है। उनका सोसायटी में इतना जोर है, लेकिन महात्मा गांधी की मूर्ति को कई बार तोड़ा गया और हम को पुलिस ले जाकर उसको बचाना पड़ा। महात्मा गांधी ने खुद इस बात को तस्लीम किया है और उन्होंने अपनी प्रार्थना में भागवत गीता, रामायण, कुरान और गुरू की वाणी, इन सब चीजों को रखा था। हिंदुस्तान का जो सैकयुलरिज्म है, उसके मायने नास्तिक नहीं हैं। हिन्दुस्तान का सैक्युलरिज्म है,-धर्म निरपेक्षता धर्म के मामले में हम सब को छुट्टी देते हैं लेकिन सरकार का रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। सरकार सैक्युलर, इन्डिया सैक्युलर और इस देश में उपदेश देने के लिए खुली छूट्टी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और कहते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मेरे ख्याल में इस तरह से सारी ब्राह्मण जाति का अपमान करते हो। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, तो इसमें बुराई क्या है। हम तो उन का आदर करते है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : हमने यह नहीं पहना है।

श्री जैल सिंह : यह बहुत से लोगों ने नहीं पहना है। यह तो किसी को भड़काने के लिए इन्सान के पास चालाकी और चुस्ती चाहिए। आप नहीं करते हैं. आप नहीं कर सके, यह बहुत अच्ची बात है। मेरा ख्याल था, स्वामी जो कुछ करते होंगे। जात और ईमान आप में खत्म हो गया मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन यह नहीं कहना चाहिए, कि मैं ब्राह्मण नही हूं ब्राह्मण बहुत पूजनीय है, सत्कार योग्य है। इस बात को छोडिए, यह असंगत बात है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं सरदार बनने के लिए तैयार हूं।

श्री जैल सिंह : आप मानेंगे कि हिन्दुओं में, सिखों में, मुसलमानों में, क्रिश्चियन्ज में ऐसे लोग हैं, जो सैक्युलरिज्म पर विश्वास नहीं रखते हैं और ऐलानिया कहते हैं कि हम नहीं रखते हैं। अगर मौलाना की यह बात मान ली जाए, ये सब काफिर हैं, मुनकिर हैं। खुदा के घर में वही कबूल होगा, जो इस्लाम को कबूल करेगा। फिर जाकर आपके माई पडितों की बात मान लें जो यह कहते हैं कि सब नर्क में जाएगे और हिन्दू धर्म ही श्रेष्ठ है और सारा ससार नर्क में जाएगा। अब अगर हम मौलानाओं की और पंडितों की बात मान लें,तो हमारे लिये कोई जगह ही नहीं रहती है। इन बातों के ऊपर उठना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा और दलीलों के आधार पर सोचना पड़ेगा, तभी हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं। जब मुरादाबाद के मामले में यहां पर बड़ी चर्चा हुई थी, तो मैंने उस रोज कहा था कि यह किसी पार्टी का मसला नहीं है। यह तमाम हिन्दुस्तान का, हिन्दुस्तान की तमाम जनता का मसला है। यह एक नेशनल क्वेश्चन है कि फिरकादारी को किस तरह कवर किया जाए, किस तरह इसको खत्म किया जाए। मैं समझता हूं कि आप इस बात पर इत्तिफाक करेंगे। आज हम देखते हैं कि शिवाजी के आगे, शिवाजी की मूर्ति के आगे, जिसको हम मनहूस समझते हैं, गंद रख दिया जाता है। इसी तरह दूसरी जगहों पर हुआ था और शुरू में जब मुरादाबाद में दंगा शुरू हुआ, तब भी ऐसा ही हुआ था और इलाहाबाद में भी ऐसा ही हुआ। कहीं सुअर का मांस फैंका गया और कहीं गाय का मांस फैंका गया। ये मांस फैंकने वाले कौन हैं इनको आप भी जानते हैं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप बताइए।

श्री जैल सिंह : हमें जितने मिल सकते हैं, हम पकड़ लेते हैं लेकिन कुछ छिप जाते हैं उनके लिए क्या करें। उसके लिए हमारे देश का कानून काफी नहीं है, इसको सख्त करना चाहिए। अगर आप इत्तिफाक करें, तो हम इसके लिए प्रोपोजल लायेंगे और इसको थोड़ा सख्त कर दें लेकिन उसको आप अपोज करेंगे, यह हम जानते हैं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह तो हमारे पकड़ने के लिए होगा।

श्री जैल सिंह : एक इन्ट्रेस्टिंग बात इन्होंने बताई—मुझे इसकी जानकारी नहीं है, इनके पास रिपोर्ट होगी या पहले पहुंच गई होगी लेकिन अभी तक 1981 की रिपोर्ट इस तरह की नहीं है कि मुस्लिम स्त्रियां कितनी हैं और हिन्दु स्त्रियाँ कितनी हैं—कि स्त्री-जाति की गिनती मुसलमानों में कम है और बाकियों में ज्यादा है। इस बात को आप मानेंगे कि हिन्दू कोड बिल के अन्दर जो पर्सनल ला है, उसमें क्रिश्चियन्स और मुस्लिम नहीं आते हैं। यह भी आप मानेंगे कि हिन्दुओं में एक आदमी एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता जबकि इस्लाम में एक आदमी चार औरतों को रखे, तो यह बुरा नहीं माना जाता। उनको खुली छूट है लेकिन आप नहीं रख सकते।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : हिन्दुओं में भी रखते हैं।

श्री जैल सिंह : चोरी से कोई 10 भी रख ले लेकिन कानूनन अगर कोई एक शादी के बाद दूसरी शादी करता है, तो पकड़ा जा सकता है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं नहीं कर सकता।

श्री जैल सिंह : आप न करें और इससे बचे रहें, नहीं तो जेल जा सकते हैं। कानून से आप जेल जा सकते हैं। आप कितने ही ब्यूटीफुल क्यों न हों, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते।...(व्यवधान)...

मीनाक्षीपुरम का भी इन्होंने जिक्र किया। मैं समाप्त कर रहा हू लेकिन मीनाक्षीपुरम की बात यह है कि सन् 1940 से लेकर तमिलनाडु में कन्वर्जन की बात चली आती है। जब एक ही दफा जत्थेबन्द होकर सैकड़ों आदमी एक मजहब को बदलते हैं, तो मैं यह नहीं मानता कि वे ऐसा किसी प्रेरणा से करेंगे। उसमें किसी की कोई प्रेरणा नहीं होती है लेकिन एक बात आपके दिमाग में फंसी हुई है कि एट्रोसिटीज की वजह से वे मजहब बदलते हैं। यह गलत बात है। एट्रोसिटीज हिन्दुस्तान में इससे ज्यादा होती रही हैं। महाराजाओं ने इनको गुलाम बना कर रखा था लेकिन तब इन्होंने धर्म नहीं बदला। इसीलिए इसके पीछे कोई और बात है। आप यह भी मानेंगे कि अगर एट्रोसिटीज की वजह से ऐसा होता है, तो यह क्या गारेन्टी है कि गरीब आदमियों पर मुसलमान बनने के बाद कोई जोर-जबर्दस्ती नहीं होगी। मुसलमान गरीब आदमियों को दबाया जाता है। बात यह है कि क्या एक सोसायटी में एक जोरावर एक कमजोर को हमेशा इस तरह से दबाए रखेगा ? अब हम विश्वास करते हैं और यह खुशी की बात है कि तमाम पोलीटीकल पार्टियाँ इस मामले के हक में हैं कि कमजोरों को दबाए जाने वाली जो नीतियाँ हैं उनको हम रोकें। ख्वाह वह जाति का अभिमान हो, ख्वाह वह दौलत का अभिमान हो, ख्वाह हुकूमत का अभिमान हो और ऐसे भी कई आदमी होते हैं, जो ज्यादा पढ़े-लिखे होते हैं, वे गुस्से में कहते हैं कि हम तो वेदों के ज्ञाता हैं, हम देवकूफों से बात क्यों करें। इन्सान को तरह-तरह का

अभिमान हो सकता है, हुस्न का भी हो सकता है। मैं आपको मश्विरा दूंगा कि इस मामले में आप सबको भी सहायक होना चाहिये। किसी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है :

हुस्नो जर व हकूमत भी तो नशे हैं
फिर मय के नशे में क्या खराबी है
वतन के रहनमाओ समझो जरा
इन्सान तो हर वक्त शराबी है।

उसकी फितरत ऐसी है कि उसको अहंकार हो जाता है। जब उसकी कोई बात हो जाती है तो उसमें अभिमान की भावना पैदा हो जाती है, हकूमत मिल जाए तब भी अभिमान उसको हो जाता है। दौलत मिल जाए तो अभिमान हो जाता है। अहंकारी पुरुष कमजोरों को तंग करता है। यह भावना जो सोसाइटी में है इसको बदलना पड़ेगा। बड़े से बड़ा होने के बाद हर किस्म की ताकत हासिल करने के बाद इन्सानियत को गिराकर गरीबों को···

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : पतित पावन कौन है ? इसका गहन कब हुआ, यह कब बना ?

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन (बडागरा) : अब जब यह मामला उठाया गया है तो क्या मैं भी अय्यंगर द्वारा दिये गए विनिर्णय का संदर्भ दे सकता हूं कि जब कोई मामला विशेष उठाया जाये तो मंत्री के लिये उस ध्यानाकर्षण के सम्बन्ध में उत्तर देना बाध्यकर होता है ? उन्होंने केवल यह नहीं बताया है कि एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। वह संगठन क्या है।

श्री जैल सिंह : राज्य मंत्री ने इसका जवाब आपको दे दिया है। जितनी जानकारी है वह दे दी है। आपकी तसल्ली नहीं हुई है।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : क्या आपके पास कोई सूचना है ?

श्री जैल सिंह : मैं तो पतित पावन सिर्फ भगवान को समझता हूं।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : और उन्होंने ही मुसलमानों को मार दिया।

---

27 जनवरी 1982 को आगर छावनी रेलवे स्टेशन पर दक्षिण एक्सप्रेस को आगरा इटारसी माल गाडी के साथ टक्कर के बारे में वक्तव्य

रेल मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : अत्यन्त दुख के साथ मैं सदन को 27 जनवरी, 1982 को मध्य रेलवे पर हुई गंभीर गाड़ी दुर्घटना के सम्बन्ध में बताता हूं। उस दिन, लगभग 04.12 बजे जब 21 डाउन हैदराबाद-नयी दिल्ली दक्षिण एक्सप्रेस गाड़ी आगरा छावनी स्टेशन पर पहुंच रही थी तो वह आगरा छावनी के विन्यास कैबिन के निकट अप इटारसी विशेष माल गाड़ी के साथ सामने से टकरा गई।

इस टक्कर के परिणामस्वरूप 21 डाउन एक्सप्रेस गाड़ी का इंजन और उसके पीछे लगे 10 डिब्बे पटरी से उतर गये। इंजन के पीछे लगा डिब्बा जो दूसरे दर्जे तथा सामान एवं

ब्रेकयान का था, अत्यधिक क्षतिग्रस्त हुआ। बाद के दो डिब्बे जो इंजन से दूसरे और तीसरे स्थान पर थे, उलट गये। उनके बाद के 7 डिब्बे पटरी से उतर गये। सबसे पीछे के चार डिब्बे पटरी पर ही रहे। माल गाड़ी का इन्जन और 5 माल डिब्बे भी पटरी से उतर गए।

मैं खेद के साथ सूचित करता हूं कि इस दुर्घटना में 64 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 13 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए और 13 व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं। इसके अलावा, 23 व्यक्तियों को छोटी-मोटी चोटें आयीं।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही आगरा छावनी से चिकित्सा यान दुर्घटना स्थल पर पहुंच गया और एक अन्य चिकित्सा यान टूण्डला से भेजा गया। आगरा छावनी में उपलब्ध रेलवे डाक्टर 04.30 बजे दुर्घटना स्थल पर पहुंच गये। तत्पश्चात् सैनिक अस्पताल, जिला अस्पताल और मेडिकल कालेज अस्पताल के डाक्टर भी तत्काल दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए।

सूचना प्राप्त होते ही मेरे सहयोगी रलवे राज्य मन्त्री, संसदीय कार्य एवं रेल उप मन्त्री और मैं आगरा छावनी की ओर चल पड़े थे। अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और यांत्रिक सदस्य पहले से ही झांसी के रास्ते आगरा की ओर चल पड़े थे। मध्य रेलवे के महाप्रबन्धक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड यथा यांत्रिक सदस्य द्वारा आगरा में दिये जाने वाले निरीक्षण में शामिल हो गये। राहत और बचाव कार्य इन अधिकारियों के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में किये गये। हम यह सुनिश्चित करने के लिये अस्पतालों में घायलों को देखने भी गये कि उन्हें यथासम्भव सर्वोत्तम डाक्टरी सहायता दी जा रही है। हम आगरा के सैनिक तथा वायु सेना के प्राधिकारियों के साथ-साथ सिविल एवं पुलिस प्राधिकारियों और स्थानीय जनता के अभारी हैं, जिन्होंने आवश्यकता के समय अपना पूरा-पूरा सहयोग दिया।

मृत व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों तथा घायल व्यक्तियों को अनुग्रह के आधार पर राहत दे दी गई थी। रेल संरक्षा आयुक्त, मध्य क्षेत्र, बम्बई, जो पर्यटन एवं सिविल विमानन मन्त्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वतन्त्र सांविधिक प्राधिकारी हैं, ने इस दुर्घटना की जाँच की प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उनके अनन्तिम निष्कर्ष के अनुसार यह दुर्घटना दक्षिण एक्सप्रेस के इंजन कर्मी-दल की गलती से हुई।

हमने सभी स्तरों पर रेल कर्मचारियों के मन में संरक्षा की चेतना बैठाने के लिये कार्यवाई आरम्भ कर दी है। हमने प्रत्येक रेल कर्मचारी को संरक्षा का सन्देश देने के लिये क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबन्धकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया है।

हम रेलों की अवसंचरचनात्मक परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण पर सर्वाधिक बल दे रहे हैं।

हमने विभिन्न अनुशासनों के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों के दो उच्चस्तरीय दल नियुक्त किये है। ये दल किसी भी क्षेत्र में वर्तमान त्रुटियों को तत्काल दूर करने के लिये क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के सभी कर्मचारियों से मिलेंगे। रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ निदेशकों को विशेष रूप से इन दलों के काम के नियंत्रण का काम सौंपा गया है।

रेल संचालन की संरक्षा से सीधे सम्बद्ध कर्मचारियों के सभी वर्गों के साथ बैठकें करके रेल कर्मचारियों के फेडरेशनों का सक्रिय सहयोग भी सुनिश्चित किया गया है।

प्रो. मधु दन्डवते (राजापुर) : महोदय, हमने यह सुझाव दिया है कि इस वकत्तव्य पर नियम 184 या 193, जो भी सम्भव हो, के अन्तर्गत विचार किया जाए।

श्री एन. के. शेजवलकर (ग्वालियर) : मैंने भी इस विषय पर चर्चा करने के लिए पूर्व सूचना दी है।

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सिसोदिया ने विशेष अनुमति माँगी थी। श्री प्रणव मुखर्जी अनुपस्थित हैं। अतः उनको एक विशेष मामले के रूप में विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसौदिया) : महोदय श्री प्रणब कुमार मुखर्जी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं "कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक विस्त निगम अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने कीं अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सवाई सिंह सिसौदिया : महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

तत्पश्चात लोक सभा दो बजकर पैंतालीस मिनट तक के लिये मध्याह्न के भोजन के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 वजकर 49 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

सभा का कार्य

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 23 फरवरी, 1982 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. वर्ष 1982-83 के लिये रेल बजट को प्रस्तुत करना।
2. औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार और पारित करना।
3. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा।
4. शनिवार, 27 फरवरी, 1982 को सायं 5-00 बजे वर्ष 1982-83 के लिये सामान्य बजट को प्रस्तुत करना।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल सिंह कश्यप, वह उपस्थित नहीं है ।

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, संसदीय कार्य मन्त्री ने 23 फरवरी, 1982 से शुरू होने वाले सप्ताह में सरकारी कार्य सम्बन्धी जो विवरण प्रस्तुत किया है. मैं निम्नलिखित विषयों को उसमें सम्मिलित करने का सुझाव देता हूं :

(एक) श्री ए. आर. अन्तुले के मुख्यमन्त्रित्व काल में महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत सरकार की उद्योग स्थल सम्बन्धी नीति का उल्लंघन । (**व्यवधान**)

ऐसा समाचार मिला है कि महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री ए. आर. अन्तुले ने भारत सरकार की औद्योगिक स्थल सम्बन्धी नीति का उल्लंघन करते हुए 12 जनवरी, 1982 को साबुन के एक कारखाने को, जिसके पास बम्बई में मानखुर्द, नाम के स्थान पर 90,000 वर्ग मील भूमि है, अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया । क्योंकि यह साबुन की फैक्टरी बम्बई की शहरी सीमाओं के अन्तर्गत एक कृतिम डिटर्जेंट संयन्त्र की स्थापना करना चाहती है अतः भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने साबुन फैक्टरी के आवेदन को स्वीकार करके भारत सरकार की औद्योगिक स्थल सम्बन्धी नीति का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है ।

इस विषय को उठाने के पीछे कोई विशेष उद्देश्य नहीं है । सरकार को इस सम्बन्ध में सदन में वकतव्य देना चाहिए ।

(दो) केरल तथा आसाम में अल्पमत सरकारों का थोपा जाना । केरल में विपक्ष तथा सत्तारूढ़ दल के बीच भारी अन्तर होने के बावजूद भी केरल मन्त्रिमण्डल केवल अध्यक्ष के मतदान के ऊपर टिकाए रखा गया है । अतः राज्य में एक अल्पमत सरकार थोपे जाने के अतिरिक्त इस कार्य द्वारा अध्यक्ष के पद को कलुषित किया गया है ।

आसाम में न केवल राज्य पर एक अल्पमत सरकार थोपी गई है, बल्कि विधान सभा के अन्दर उसे प्राप्त समर्थन का परीक्षण भी नहीं किया गया ।

लोकतन्त्र के हित में इन दोनों विषयों पर सभा में चर्चा की जानी चाहिए । मैं आपको एक बात बतला देना चाहता हूं कि केरल विधान सभा ने लेखा अनुदान से 100 से भी अधिक संशोधन हैं तथा अध्यक्ष को 100 बार मतदान करना पड़ा यह स्थिति है । (**व्यवधान**)

श्री एन. के. शेजवलकर (ग्वालियर) : जो हजारों अस्थायी कर्मचारी समस्त भारत में जनगणना के दौरान पिछले दो वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं उनको नौकरी में खपाने अथवा उन्हें कोई स्थायी रोजगार देने सम्बन्धी अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा अविलम्बनीय विषय को प्रस्तावित कार्य में कोई स्थान नहीं दिया गया है । 28 फरवरी, 1982 को उनकी सेवायें समाप्त हो जायेंगी, हजारों ऐसे लोग अपने अस्थाई भविष्य के बारे में चिन्तित हैं । और बहुत से स्थानों पर उन्होंने सेना में खपाये जाने और पुनः रोजगार दिये जाने की मांग की है । यदि इस मामले पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तथा सरकार ने इस पर शीघ्र कोई निर्णय नहीं लिया तो बेरोजगारी, आयुसीमा पूरी होने तथा सेवा विच्छेद आदि की गम्भीर समस्याय उत्पन्न हो जायेंगी । अतः इन मामलों को अगले सप्ताह के कार्य में स्थान दिया जाना चाहिये ।

श्री आर. एन. राकेश (चैल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अगले सप्ताह की कार्यवाही में सम्मिलित करने के लिए निम्न विषय का उल्लेख करता हूं :

मेरे संसदीय चुनाव क्षेत्र चायल एवं प्रधान मन्त्री जी के जन्म नगर स्थित पुलिस स्टेशन पूरामुफ्ती के थानाध्यक्ष ने एक 28 वर्षीय हरिजन युवक तथा 32 वर्षीय मुस्लिम व्यापारी का 8,000 रु. छीन लिया। रुपये को हजम करने की नीयत से थानाध्यक्ष पूरामुफ्ती ने इन दोनों व्यापारियों को फर्जी डकैती-मुठभेड़ दिखाकर मार डाला। मृतकों के साथ एक तीस वर्षीय अन्य युवक भी था जो किसी तरह इस कांड से बचकर भाग निकलने में कामयाब हुआ जिसने कि इस घटना का भांडाफोड़ किया। इस घटना को लेकर पूरे जनपद हरिजन एवं कमजोर वर्गों में घोर आक्रोश पैदा हुआ। गत 6 जनवरी को दसियों हजार हरिजन अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों ने उपरोक्त थाने का शान्तिपूर्ण घेराव किया लेकिन उस शान्तिपूर्ण घेराव पर भी पुलिस ने भारी लाठी चार्ज किया। सैकड़ों लोगों को प्राण-घातक चोटें पहुंचाई, उनके खिलाफ फर्जी मुकद्दमें कायम किए तथा इस घटना के एक घन्टे बाद हरिजनों की लड़ाई में आगे रहने वाले कांग्रेस (आई) के ही एक 60 वर्षीय कार्यकर्ता अच्छेमियां जो एक पैर से लंगड़े भी थे, को पुलिस घसीट कर थाने के अन्दर ले गई जहां उक्त थानाध्यक्ष ने अच्छे मियां का 12 हजार रुपया नकद, घड़ी एवं अन्य सामान छीन लिया और उनके सर से पैर तक लाठियों द्वारा इतना भयंकर प्रहार किया कि उनके जिन्दा होते हुए भी थानाध्यक्ष उपरोक्त ने मृतक समझ लिया और मृतक समझ कर ही उन्हें लाद कर पुलिस लाइन इलाहाबाद में ले जाया गया, जहां उन्हें जिन्दा किन्तु बेहोश पाया गया, उसी हालत में उक्त जुझारु कार्यकर्ता को स्वरूप रानी नेहरू हस्पताल इलाहाबाद में भर्ती करा दिया। जिन्दगी और मौत से संघर्ष करते गत 17 फरफरी, 82 लगभग 1-30 बजे दिन इस कार्यकर्ता की मृत्यु हो गयी जिससे इलाहाबाद जनपद की स्थिति बड़ी ही विस्फोटक हो गई हैं। लेकिन अभी तक उपरोक्त थानाध्यक्ष एव अन्य पुलिस जनों के साथ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। यह मेरे संसदीय क्षेत्र की घटना है। उपरोक्त थानाध्यक्ष ने इस प्रकार इस घटना के तहत एक हरिजन और दो मुस्लिम की हत्या की है। रुपया छीनकर डकैती का भी अपराध किया है। उसने इस अपराध के द्वारा साबित कर दिया है कि वह पुलिस भेष में डकैत और हत्यारा है। हरिजन एवं अल्पसंख्यकों के अस्तित्व के लिए उनकी जिन्दगी और आबरू के लिए यह पुलिस अधिकारी एक भयंकर खतरा है।

अतः मैं चाहता हूं कि स्थिति और विसफोटक होने के पूर्व ही उपरोक्त हरिजन और कमजोर वर्गों की हत्या करने वाले इन पुलिसजनों के विरुद्ध 396 एवं 307 ता. हि. के अन्तर्गत मुकद्दमा कायम करके अभियुक्तजनों को अविलम्ब जेल भेजा जाये।

श्रीमती प्रमिला दन्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगले सप्ताह के कार्य में निम्नलिखित विषय सम्मिलित करने का सुझाव देती हूं :

(1) बम्बई में वस्त्र उद्योग कर्मचारियों की हड़ताल का छत्तीसवां दिन है जिससे कि इस उत्पादकता वर्ष में कपड़े के, जो कि आवश्यक वस्तु है, उत्पादन में भारी नुकसान हुआ है जो कि मिल मालिकों के अनुसार 136 से 200 करोड़ रु. के लगभग है।

यान्यता प्राप्त कर्मचरी संघ आर. एम. एम. एस. की श्रमिकों के बीच मान्यता समाप्त हो गयी है कि इस बात से स्पष्ट है कि इस मान्यता प्राप्त संघ की अपील के बावजूद भी कर्मचारी काम पर नहीं लौटे हैं और उन्होंने हड़ताल जारी रखी है।

सरकार को राज्य सरकारों को निर्देश देने चाहिए कि वे बी. आई. आर. ए. में

संशोधन करें ताकि कर्मचारियों को गुप्त मतदान द्वारा अपना संघ चुनने का अवसर प्रदान किया जा सके।

2. देश के सभी भागों से तथा विशेष रूप से महाराष्ट्र तथा कर्नाटक से सीमेंट के आवंटन में अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की सूचनायें मिली हैं। अत वह समय आ गया है जब कि केन्द्रीय सरकार को, जो कि राज्य सरकारों को सीमेंट का आवंटन करती है, स्थिति की पुनरीक्षा करनी चाहिये तथा ऐसे स्पष्ट निर्देश देने चाहिये जिनसे राज्य प्राधिकारियों द्वारा सीमेंट के वितरण में किये जा रहे कदाचारों के लिये गुंजाइश न रहे। क्योंकि यह एक व्यापक लोक महत्व का मामला है इसलिये इस पर सभा में चर्चा की जानी चाहिये तथा विभिन्न सार्वजनिक निकायों द्वारा प्रकाश में लाए गये भ्रष्टाचार के मामलों में जांच कराये जाने का आश्वासन दिया जाना चाहिए जैसा कि कर्नाटक लोक लेखा समिति द्वारा निकाले गये निष्कर्षों के मामले में हुआ है।

श्री अटल बिहारी बाजपयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की विषय सूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाये :—

1. देश के विभिन्न भागों, विशेषतः उत्तर प्रदेश में डाकुओं का सफाया करने की आड़ में निर्दोष और निरीह नागरिकों की हत्या करने का जो क्रम चल रहा है, वह गहरी चिन्ता का विषय है। अब तक उत्तर प्रदेश में डाकुओं और पुलिस की कथित मुठभेड़ों में 5,000 के करीब आदमी मारे जा चुके हैं। आश्चर्य यह है कि इन मुठभेड़ों में मरने वाले पुलिस जनों की संख्या नगण्य है। कथित डाकुओं से मिले हथियारों का भी विवरण प्राप्त नहीं है। डाकू समस्या का उन्मूलन आवश्यक है, किन्तु फर्जी मुठभेड़ दिखाकर निर्दोष लोगों को मारना कानून तथा व्यवस्था की जड़ें हिलाकर रख देगा।

गृह मंत्री इन मुठभेड़ों के सम्बन्ध में एक बयान दें और उस पर सदन को विचार का मौका दिया जाये।

2. देश के विभिन्न भागों में हरिजनों तथा जनजातियों के सदस्यों पर होने वाले अत्याचार बढ़ रहे हैं। अभी साढुपुर का हत्याकांड ताजा ही था कि मध्य प्रदेश के वेसतरन में 14 सतनामी हरिजनों का कत्लेआम कर दिया गया। यदि पुलिस समय पर कार्यवाई करती तो यह कांड रोका जा सकता था। हैदरावाद में हरिजनों के जुलूस पर अकारण लाठीचार्ज किया गया। करीमनगर में नगर म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव में जनरल सीट से लड़ने वाले एक हरिजन को अमानुषिक अत्याचार का शिकार बनाया गया और उसकी पत्नी तथा बच्चों को जिन्दा जला दिया गया। केरल के त्रिचूर जिले के पन्नायूर नामक स्थान पर हरिजनों को उत्पीड़न का निशाना बनाया गया।

संक्षेप में, सारे देश में परिगणित जाति तथा जनजाति के सदस्य हिंसा, हत्या बलात्कार और आगजनी का लक्ष्य बनाये जा रहे हैं, इस विषय पर पृथक चर्चा आवश्यक है।

श्री धनिक लाल मंडल (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपना प्रतिवेदन दो साल से भी अधिक समय पहले 31 दिसम्बर 1980 को प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन दुख है कि उक्त प्रतिवेदन को आज तक सदन के पटल पर न तो रखा गया है और न उस पर चर्चा

ही हुई है। एक ओर तो इस प्रकार के आयोग के गठन पर लाखों रुपया खर्च किया जाता है और दूसरी ओर उसके प्रतिवेदन को गृह मंत्रालय की अलमारी में बन्द कर दिया जाता है, जहां वह दीमकों का शिकार होता है। इसका क्या औचित्य है ?

पिछड़े वर्ग के लोगों की आशा भरी आंखें मंडल आयोग पर उसके गठन के समय से ही लगी रही हैं और वे सरकार की इस उपेक्षा नीति से बेकरार और बेदार हो रहे हैं अपनी इसी बेकरारी और बेदारी का इजहार करने के लिए वे लोग 18 फरवरी को बोट क्लब के मैदान में हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए थे और उन्होंने राष्ट्रपति जी को स्मरण-पत्र दिये थे।

इस प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने तथा चर्चा उठाने में अब किसी प्रकार का विलम्ब संविधान विरोधी होगा। संविधान की धारा 340, जिसके तहत इस आयोग का गठन किया गया है, और धारा 340(3) जो इसको सदन के पटल पर रखने का आदेश करती है, मैंडेटरी उपबंध हैं। सरकार इस प्रतिवेदन पर चर्चा में विलम्ब करके राष्ट्रपति जी की स्थिति को भी बिगाड़ रही है जो सभी प्रकार के विवाद से ऊपर हैं और समझे भी जाते हैं।

मैं मांग करता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री, जो बड़े ही सौम्य और भद्र पुरुष हैं, राष्ट्रपति जी की स्थिति को बचाने के लिए अगले सप्ताह की कार्य सूची में इस विषय को शामिल कर लें।

विधि व्यवस्था एक सीमा के बाद केन्द्र की चिन्ता का विषय बन जाता है और सदन के माननीय सदस्यों की भी चिन्ता का विषय बन जाता है। जिस प्रकार से बिहार के पश्चिम चम्पारण जिला में पुलिस, डकैत और बड़ लोगों की सांठ-गाँठ से डकैत बनता जा रहा है. उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में डकैत कचहरी लगाते और न्याय देने की हिमाकत कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में चार नवयुवकों को पेड़ से उलटा टांग कर तथा बिजली से इन्द्रियाँ जला कर नपुंसक बनाया गया है, किसान और मजदूर पटना जिला में कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और उनका पुलिस और प्रशासन पर से विश्वास उठता जा रहा है. कानून और व्यवस्था के प्रति आदर मिटता जा रहा है, हरिजन कमजोर वर्ग के लोग और अल्पसंख्यक असुरक्षित बनते जा रहे हैं, देश तेजी से अराजकता और हिंसा की ओर बढ़ रहा है, असामाजिक और राष्ट्रद्रोही तत्व सक्रिय हो रहे हैं, ये सभी बातें ऐसी हैं, जिन पर चर्चा करने की आवश्यकता है। सदन लोगों के आंसू और हास्य दोनों का आईना है और बनना चाहिए। देश के लोगों को इसका एहसास कराना होगा कि अब हमें संभलना होगा, अन्यथा हम गंभीर दुर्घटना के शिकार होंगे।

मैं माँग करता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री, जो एक सौम्य और भद्र पुरुष हैं, इस विषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल करें।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : कार्य सूची में निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों को शामिल किया जाना चाहिए :—

पहला विषय जीवन बीमा निगम को पांच स्वायतशासी निगमों में विभाजित करने से सम्बन्धित है। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। सरकार के इस कार्य से लोगों तथा कर्मचारियों के लिए समस्यायें पैदा हो जायेंगी। अतः इन पर सभा में चर्चा होनी चाहिए।

दूसरा विषय देश भर में बिजली संकट से संबंधित है, जिसके फलस्वरूप लोगों को कष्टों

का सामना करना पड़ रहा है। यह मामला बहुत ही चिन्ताजनक है। अत: अगले सप्ताह के दौरान इस विषय पर सभा में चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान) गढ़वाल में चुनाव कराये जाने चाहिए। यह बहुत जरूरी है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : माननीय सदस्यों ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं उनके लिए मैं आभारी हूं। मैं रिकार्ड देखूंगा और यदि उचित समझा जाये तो मैं इन विषयों को कार्य मंत्रणा समिति की जानकारी में लाऊंगा।

श्री धनिक लाल मंडल : मंडल आयोग का क्या करेंगे।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मंडल आयोग पर तो कहिए।

दंड विधि संशोधन विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाया जाना

श्री आर. एस. स्पैरो (जालन्धर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय वर्षा-कालीन सत्र, 1982 के पूर्वान्तिम सप्ताह के अंतिम दिन तक और बढ़ती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा भारतीय संहिता, दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय वर्षा कालीन सत्र, 1982 के पूर्वान्तिक सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नियम 66 के परन्तुक को निलम्बित करने के बारे में प्रस्ताव

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक को, जहां तक वह चीनी उपकर विधेयक, 1981 और चीनी विकास निधि विधेयक 1981 पर विचार करने और उन्हें पास करने के प्रस्तावों पर लागू होता है, निलम्बित करती हैं।"

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : क्यों ?

श्री एन. के. शेजवलकर (ग्वालियर) : उन्हें इस तरह से स्वयं ही नहीं समझ लेना चाहिए कि सभा उनके साथ है···

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक को जहां तक वह चीनी उपकर विधेयक 1981 और चीनी विकास निधि विधेयक 1981 पर विचार करने और उन्हें पास करने के प्रस्तावों पर लागू होता है निलम्बित करती है।"

जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हों वे हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य : 'हां'

उपाध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के विरुद्ध हों वे नहीं कहें।

कछ माननीय सदस्य : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में प्रस्ताव के पक्ष वाले जीत गये। 'हां' वाले जीत गये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : 'नहीं' वाले जीत गये। मंत्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह नियम को क्यों निलम्बित करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे स्पस्टीकरण चाहते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : मुझे बहुत खेद है कि माननीय सदस्यों ने संबन्धित दो विधेयकों को नहीं देखा है। अन्यथा वे कोई आपत्ति न करते। ये दोनों विधेयक एक ही विषय पर हैं वे एक दूसरे पर निर्भर हैं और वे एक दूसरे के पूरक हैं। एक विधेयक के बिना दूसरा निरार्थक ही होगा। एक विधेयक द्वारा उपकर लगाने का अधिकार मिलता है और दूसरे द्वारा निर्धारित उद्देश्य के लिये पैसा निकाला जाएगा। इतनी सी बात है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या हम यह समझें कि पहले विधेयक को लाते समय सरकार को इस बात का पता नहीं था कि दूसरे विधेयक को पेश किये बिना वह पैसा नहीं निकाल सकेगी।

राव बीरेन्द्र सिंह : इसी कारण दो विधेयक लाये गये हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसमें कुछ गड़बड़ है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में अब आप संतुष्ट हैं।

श्री एन. के. शेजवलकर : इसके नियम बनाये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम बहुत स्पष्ट है :

"परन्तु दूसरा विधेयक सभा में विचार किए जाने के लिए केवल तभी लिया जाएगा जबकि पहला विधेयक सदनों द्वारा पारित किया जा चुका हो और राष्ट्रपति द्वारा उस पर अनुमति दी जा चुकी हो।"

मेरे विचार में यह ठीक है; श्री वाजपेयी तथा श्री शेजवलकर का इससे समाधान हो गया होगा। अब मैं इसे पुन: मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक को, जहां तक वह चीनी उपकर विधेयक, 1981 और चीनी विकास निधि विधेयक 1981 पर विचार करने और उन्हें पास करने के प्रस्तावों पर लागू होता है, निलम्बित करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

चीनी उपकर विधेयक और चीनी विकास निधि विधेयक

कृषि तथा ग्रामिण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि चीनी उद्योग के विकास के लिए चीनी पर उपकर अधिरोपित करने और उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं यह प्रस्ताव भी करता हूं :

"कि चीनी उद्योग के विकास संबन्धी क्रियाकलापों के वित्तपोषण और उससे सबन्धि या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस पर बोलना चाहेंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : क्या वे इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप बता सकते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : मुझे यकीन है कि यह एक ऐसा कानून है, जिसे सभा पसन्द करेगी। चीनी उद्योग कई क्षेत्रों में संकटग्रस्त हो गया है, कुछ कारखाने बहुत पुराने हैं। हम उन्हें आधुनिक बनाना चाहते हैं। उनके रास्ते में मुख्य कठिनाई वित्त की है। इस विधेयक का उद्देश्य गन्ना उत्पादकों तथा चीनी उद्योग के हितों को पूरा करना है।

यदि संकटग्रस्त कारखानों की देखरेख की जाये और यदि उनकी स्थिति में सुधार किया जाये तो उनकी गन्ने की पिरायी की क्षमता भी बढ़ेगी। इससे चीनी के उत्पादन में वृद्धि होगी। किसान अधिक गन्ना वहां दे सकेंगे और अधिक अथवा लाभप्रद मूल्य प्राप्त करेंगे। इस धन राशि का उद्देश्य संकटग्रस्त चीनी कारखानों और कमजोर एककों को वित्तपोषण करना है और गन्ने के विकास तथा अनुसंधान के लिये भी इसका उपयोग किया जायेगा। उद्देश्य यह है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये पैसा सचमुच जरूरी है।

मुझे आशा है कि सभा इन दो विधेयकों का स्वागत करेगी और अधिक चर्चा किये बिना उन्हें पास कर देगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि चीनी उद्योग के विकास के लिए चीनी पर उपकर अधिरोपित करने और उससे संबन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

"कि चीनी उद्योग के विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों के वितपोषण और उससे सम्बन्धित

या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री बृद्धि चन्द्र जैन,

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : जनमत लेने सम्बन्धी संशोधन का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने नोटिस दिये हैं ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : दो संशोधन हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकती हैं ।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं चीनी उपकर विधेयक में अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 18 मई 1982 तक विधेयक पर राय जनाने के लिए उसे परिचालित किया जाए ।"

श्री टी. आर. शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं चीनी उपकर विधेयक में अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि 31 मार्च 1982 तक विधेयक पर राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाए ।"

मैं चीनी विकास निधि-विधेयक में भी अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 31 मार्च 1982 तक विधेयक पर राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाये ।"

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : कल मैंने भी एक संशोधन दिया था ।

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : यह सभा की विशेष अनुमति चाहते हैं । सरकार उसके लिये कह सकती है और सभा उसे स्वीकार कर सकती है तो फिर वैसा ही इनके मामले में भी क्यों न किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक दिन का नोटिस चाहिये ।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : मैंने अपने संशोधन के बारे में कल नोटिस दिया था ।

प्रो. एन. जी. रंगा : इसे लंच के तुरन्त बाद ही परिचालित किया जाना था ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कम से कम 24 घंटे पहले नोटिस देना चाहिये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : जब आप सरकार के मामले में छूट दे सकते हैं तो एक गैर सरकारी सदस्य के मामले में क्यों नहीं दे सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्यों के संशोधन परिचालित किये जा चुके हैं । आपने समय नहीं दिया ।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : मैंने दिया है । संशोधन को परिचालित करना कर्मचारियों का काम है । इसे परिचालित क्यों नहीं किया गया ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप उस संशोधन पर बोल सकते हैं क्योंकि आप सत्तारूढ़ दल से सम्बन्धित हैं ।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : मैं संशोधन के रूप में इसे रिकार्ड में रखना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। मुझे नियमों का पूर्णतः पालन करना होगा। संशोधन के लिये 24 घंटों का नोटिस चाहिये। आपने नहीं दिया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं औपचारिक रूप में यह प्रस्ताव करता हूं कि कुछ अन्य सदस्यों के मामले में भी नियमों में छूट दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप संशोधन के बारे में बोल सकते हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मुझे नियमों का पालन करना है, मुझे दृढ़ता से काम लेना पड़ेगा, मैं तो नियमों का पालन करूंगा। कृपया शान्त रहियें।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : यह जानना मेरा काम है कि कार्यालय में मैंने जो संशोधन दिये थे वे परिचालित किये गये हैं या नहीं? मेरे संशोधनों को परिचालित किया जाना चाहिये था।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अभ्यावेदन कर दिया है। मैं मामले पर विचार करूंगा। मैं यह देखूंगा कि आपने संशोधन कब दिये थे।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : महोदय, यह अच्छी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता चुका हूं कि मैं मामले की जांच करूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : इसमें विपक्ष का सहयोगी मिलेगा। हम उनके संशोधन का समर्थन करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपने अपना संशोधन 24 घन्टे पूर्व दिया होगा तो मैं इस पर विचार करूंगा (व्यवधान) उन्हें अभ्यावेदन करने का पूरा अधिकार है और उन्होंने अभ्यावेदन कर दिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपको उनके साथ तुरन्त न्याय करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जाँच पड़ताल करूंगा और यदि उन्होंने 24 घन्टे पूर्व सूचना दी है तो मैं इस पर विचार करूंगा। मुझे भी तो सन्तुष्ट होना है और यह देखना है कि उन्होंने नियमों का पालन किया है।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : मौखिक संशोधन भी तो हो सकते हैं। वे भी तो प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई बात नहीं है। किस नियम के अधीन मौखिक संशोधन रखे जा सकते हैं? अब श्री सुधीर गिरी की बारी है। (व्यवधान) आपके अभ्यावेदन पर गौर किया जायेगा। किसी भी समय आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आपने 24 घन्टे पूर्व सूचना दी है तो इस पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा।

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : जब तक मद संख्या 16 के प्रस्ताव को पारित नहीं कर दिया जाता है तब तक मद संख्या 17 पर, पुरःस्थापना के लिए जो विधेयक है, विचार नहीं किया जा सकता। उसके पारित हो जाने के पश्चात ही इस पर विचार किया जा सकता है। अतः विचार करने के प्रस्ताव के पश्चात प्रत्येक सदस्य को अपना संशोधन प्रस्तुत करने

का अधिकार है। प्रत्येक सदस्य को अपना संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार है। 24 घन्टे पूर्व सूचना देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं अपना संशोधन ठीक अभी भी प्रस्तुत कर सकता हूं। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यसूची में विभिन्न प्रस्ताव और विधेयक पहले ही दिये हुए हैं। यदि कोई सदस्य कोई संशोधन लाना चाहता है तो उसे इस संशोधन की सूचना देनी चाहिये थी उसको नियमों का पालन करना चाहिये।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : जब प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जाता है तो तब आप आपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक सशक्त वकील तो हो सकते हैं परन्तु आप मुझे सन्तुष्ट नहीं कर सके हैं। श्री सुधीर गिरी।

श्री सुधीर गिरी (कन्टई)। उपाध्यक्ष महोदय, अब मीठी चीनी पर चर्चा हो रही है। परन्तु चीनी के उत्पादन और वितरण से सम्बद्ध कार्यकलाप कतई मृदुल नहीं हैं, बल्कि कटु हैं, तिक्त हैं और इसने तिक्त हैं कि पचाये नहीं जा सकते हैं। मन्त्री महोदय ने दो विधेयक प्रस्तुत किए हैं, जिनमें प्रथम है चीनी उपकर विधेयक, और दूसरा है चीनी विकास निधि विधेयक। चीनी-उपकर वाले विधेयक में, सरकार चीनी के उत्पादन पर अधिकतम 10 रुपये की लेवी लागू करने की शक्ति प्राप्त करना चाहती है। मैंने देखा है कि इस विधेयक में यह बात कही गई है कि उपकर की राशि को समग्रत: चीनी उद्योग के विकास पर व्यय किया जायेगा और इस राशि को उस गन्ना-क्षेत्र के विकास हेतु व्यय किया जायेगा जिसमें कि चीनी-मिलें स्थित होंगी। तीसरा, उद्देश्य चीनी फैक्टरियों और चीनी मिलों के पुनर्वास और आधुनिकीकरण से सम्बद्ध है। चौथा उद्देश्य है अनुसंधान कार्यक्रम चालू करना। अनुसन्धान कार्यक्रम का लक्ष्य पूर्ण चीनी उद्योग का विकास करना होगा। महोदय, दूसरा विधेयक सरकार को चीनी विकास निधि के नाम से जानी जाने वाली निधि स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। इस निधि से सरकार चीनी उद्योग की इकाइयों के पुनर्वास हेतु ऋण देगी इन सभी बातों का और इन दोनों विधेयकों का यदि ठीक से विश्लेषण किया जाए तो, हमें विश्वास है कि इन से सरकार की चीनी नीति स्पष्ट हो जाती है। आजकल सरकार की चीनी नीति क्या है ? सरकार देश के चीनी के बड़े व्यापारियों, सामन्तों की सहायता करना चाहती है। चानी उत्पादकों, फैक्टरियों के मालिकों, चीनी मिल मालिकों ने सरकार को कुछ इस प्रकार की बातें बताई हैं कि उनकी मशीनें टुट-फूट गई हैं पुरानी पड़ चुकी हैं और वे पर्याप्त रूप में चीनी का उत्पादन नहीं कर सकते। अत: वे चाहते थे कि सरकार ये दो चीनी विधेयक ले कर आए। चीनी काले बाजार में बेच कर वे पहले ही धन बटोर चुके हैं। उन्होंने अपने धन का निवेश गन्ना क्षेत्रों या चीनी उद्योग में कभी भी कतई नहीं किया है। वे इस उद्योग से जो लाभ कमाते हैं, उस धन का अन्य क्षेत्रों में निवेश करते हैं। अत: सरकार चीनी व्यापारियों या बड़े उत्पादकों के सहायतार्थ आगे आ रही है और वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, उस पर मैं बाद मैं चर्चा करूंगा।

दूसरे, महोदय, इस उद्योग में लगे कामगारों, मजदूरों के प्रति सरकार की क्या नीति है ? ये कामगार सार्वाधिक पीड़ित हैं। कुछ मजदूरों को तो पूरे वर्ष भर काम ही नहीं मिलता है। उनको पूरे वर्ष में केवल 2 या 3 महीने ही काम मिल पाता है। कुछ ऐसे भी मजदूर हैं जिनको

वर्ष भर में 4 या 5 मास काम मिल जाता है। उनको उचित और पर्याप्त मजदूरी नहीं दी जाती है। उनको कम मजदूरी दी जाती है, वे देश के सबसे कम मजदूरी पाने वाले मजदूर हैं। सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। विधेयक में मजदूरों की भलाई और उनकी सेवा की शर्तों के बारे में कोई भी ठोस बात नहीं की गई है।

महोदय, गन्ना-उत्पादकों के प्रति सरकार की नीति क्या है ? सरकार ने गन्ने का मूल्य 13 रुपये प्रति क्विन्टल घोषित किया है। सरकार ने सभी चीनी इकाईयों को निदेश दिये हैं कि गन्ने का मूल्य कम से कम 13 रुपये प्रति क्विन्टल दिया जाए। परन्तु कृषि मूल्य आयोग ने, गन्ने के लिए 15 रुपये 50 पैसे प्रति क्विन्टल देने की सिफारिश की है। महोदय, इन गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं दिया जाता है। केवल चीनी के उत्पादक ही भारी लाभ कमाते में समर्थ हैं और उनके लाभों को और अधिक बढ़ान के उद्देश्य से ही, सरकार उन्हें विकास निधि से ऋण प्रदान करने के लिए आगे आ रही है। उपभोक्ताओं के प्रति सरकार की क्या नीति है ? चीनी पर प्रति क्विन्टल अधिकतम 10 रुपये शुल्क लागू करने के कारण, चीनी का मूल्य निश्चित रूप से बढ़ गया है। महगाई के इस जमाने में, सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण, हम तो पहले से ही मुसीबतें झेल रहे हैं और फिर भी सरकार चीनी की कीमतों में वृद्धि करने की कोशिश कर रही है। यदि सरकार वास्तव में ही चीनी उद्योग के विकास के बारे में सोच रही है तो एक समन्वित नीति बनाई जानी चाहिये और इस नीति में, फैक्टरी मालिकों, मजदूरों, गन्ना उत्पादकों और उपभोक्ताओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये और उसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

महोदय, गन्ना-विकास के सम्बन्ध में सरकार इस नीधि से उन गन्ना-क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण देना चाहती है, जहां पर कि चीनी फैक्टरियां भी स्थित हों। यदि गन्ना-उत्पादकों को उचित मूल्य दिया जाए तो गन्ना उत्पादन में वृद्धि हो सकती है।

गन्ने के खेतों पर बड़े जमीदारों का स्वामित्व है। वे मजदूरों, श्रमिकों का शोषण करते हैं। उन भू-क्षेत्रों को बड़े जमीदारो से लेकर उन गरीब किसानों को दे दिया जाना चाहिये जो कि गन्ने की खेती करते हैं। यदि इस नीति को अपनाया जाता है तो गन्ने के खेतों का विकास सम्भव है और इससे गन्ना मजदूरों किसानों और श्रमिकों को लाभ पहुंचेगा। उनकी क्रय शक्ति बढ़ जायेगी और इस प्रकार चीनी के बढ़े हुए उत्पादन की खपत की स्वदेशी मण्डी में हो जायेगी कम मूल्य पर चीनी के निर्यात की आवश्यकता ही नहीं है।

जहां तक मजदूरों का सम्बन्ध है, सरकार को कुछ कारगर उपाय करने होंगे। सरकार को उनकी सेवा-शर्तों में सुधार करना चाहिये। उनको बसने के लिए जगह मिलनी चाहियें। उन गरीब मजदूरों को उचित पारिश्रमक नहीं मिल पाता है और वे इतने निर्धन होते हैं। कि वे भली भाँति कार्य करने के योग्य भी नहीं होते हैं। अतः सरकार को कामगारों के स्वास्थ्य और अन्य परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए कोई योजना बनानी चाहिये।

सरकार चीनी फैक्टरियों का आधुनिकीकरण करना चाहती है, परन्तु इसमें एक कठिनाई है। यदि आधुनिकीकरण हो जाता है तो आधे कामगारों की छंटनी कर दी जायेगी। उन कामगारों की क्या स्थिति होगी, जिनकी आधुनिकीकरण के नाम पर छंटनी कर दी जायेगी। सरकार को इन सब विभिन्न पहलुओं पर विचार करना चाहिये।

और फिर देश में ऐसी बहुत-सी फैक्टरियाँ और मिल हैं जो कि अपनी पूरी क्षसता का उपयोग नहीं कर रही हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वे मिल-मालिक अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग करें।

ऋण हर किसी फैक्टरी या मिल मालिक को नहीं दिया जाना चाहिये। सरकार को केवल सक्षम इकाइयों को ही ऋण देना चाहिये।

महोदय, सरकार की चीनी सम्बन्धी आयात-निर्यात नीति के बारे में मैं मंत्री महोदय को एक बात बताना चाहता हूं। 1980 में 715000 टन चीनी का निर्यात किया गया और सरकार ने इसका कारण यह बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को पूरा करने के लिए ही इतनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया गया। मार्च 1981 में कृषि मंत्री महोदय ने इस सभा को बताया था कि चीनी का आयात नहीं किया जायेगा क्योंकि चीनी की सप्लाई की सिथित में सुधार हुआ है और कीमतों में सिथित आई है। इसलिए आयात की आवश्यकता ही नहीं थी। परन्तु 6 जून, 1981 को, सदन में यह बताया गया कि दो लाख टन चीनी का आयात किया जायेगा। और फिर दिसम्बर में सरकारी प्रवक्ता ने बताया था कि सरकार सात से आठ लाख टन चीनी को विदेशों को निर्यात करने जा रही है। यह एक विसंगतिपूर्ण स्थिति है। मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि क्यों कर आयात किया जा रहा है और उसके बाद फिर अन्तर्राष्ट्रीय वायदों और समझौतों को पूरा करने के लिए कैसे निर्यात किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त जब चीनी के मूल्यों में भारी वृद्धि हो गई है तो हम इसका निर्यात कर रहे हैं। यह एक विसंगतिपूर्ण स्थिति है। चीनी के मूल्य में वृद्धि मामले में सट्टेबाजों की भूमिका को कतई अनदेखा नहीं किया जा सकता। चीनी की कीमतों मे वृद्धि में सट्टेबाज बड़ी भारी भूमिका निभाते हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिससे कि देश में एक प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक वातावरण पैदा न किया जा सके।

उपाध्तक्ष महोदय : श्री गिरी, आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

अब, जहां तक श्री विखे पाटिल के सशोधनों का सम्बन्ध है, वे केवल आज ही मिले हैं। ये केवल खण्डों सम्बन्धी संशोधन हैं। इसे इस विशेष मामला समझते हुए वे उन्हें पेश कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों का पुर:स्थापन कार्य लेते हैं। श्री जार्ज फर्नान्डीस।

विधेयक पुर:स्थापित

भारतीय डाक घर (संशोधन) विधेयक

(धारा 26 का लोप)

श्री जार्ज फार्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का और संशोधन करने हेतु विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 का और संशोधन करने हेतु विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं विधेयक को पुरःस्थपित करता हूं ।

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक

(धारा 5 का लोप)

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 को और संयोधन करने हेतु विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 का और संशोधन करने हेतु विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

नाटकीय प्रदर्शन (निरसन) विधेयक

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नाटकीय प्रदर्शन अधिनियम 1876 का निरसन करने हेतु विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नाटकीय प्रदर्शन अधिनियम 1876 का निरसन करने हेतु विधे क को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ सिंह वर्मा उपस्थित नहीं हैं । अब श्री कुसुम कृष्णा मूर्ति ।

सिविल अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक

(धारा 3 आदि का संशोधन)

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 का और सशोधन करने हेतु विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 का और सशोधन करने हेतु विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(प्रथम अनुसूची का संशोधन)

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाडमेर) मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने हेतु विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 का और संशोधन करने हेतु विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
(आगरा में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इलाहाबाद उच्च न्यायलय की आगरा में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबन्ध करने हेतु विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आगरा में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपलब्ध करने हेतु विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री राजेश कुमार सिंह : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

कुंवारा व्यक्ति भत्ता विधेयक

श्री रामनाथ दुबे (बांदा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में कुंवारे व्यक्तियों के लिए कतिपय सुविधाओं और सुख सुविधाओं का उपबन्ध करने हेतु विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि भारत में कुंवारे व्यक्तियों के लिए कतिपय सुविधाओं और सुख सुविधाओं का उपलब्ध करने हेतु धिधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री रामनाथ दुबे : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

द्विविवाह निवारण विधेयक

डा. बसंत कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि द्विविवाह के निवारण का उपबन्ध करने हेतु विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि द्विविवाह के निवारण का उपबन्ध करने हेतु विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

डा. बसन्त कुमार पंडित : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

आयुध (संशोधन) विधेयक
(धारा 13 का संशोधन)

की रानाथ दुबे (बाँदा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयुध अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने हेतु विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयुध अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने हेतु विधेयक की पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री रामनाथ दुबे : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

उड़ीसा उच्च न्यायालय

(सम्बलपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक

डा. कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उड़ीसा उच्च न्यायालय की सम्बलपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबन्ध करने हेतु विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उड़ीसा उच्च न्यायालय की सम्बलपुर में एक स्थायी न्यायी न्यायपीठ की स्थापना को उपबन्ध करने हेतु विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

डा. कृपासिन्धु भोई : मैं विधेयक को पुर:स्थाति करता हूं।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

(नई धारा 76क आदि का अन्त: स्थापन)

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने हेतु विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और सशोधन करने हेतु विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री योगेन्द्र झा : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के. लकप्पा अनुपस्थित हैं।

अब मद 15 ली जाएगी।

संसद सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक

(धारा 3, 6ख आदि का संशोधन)—जारी

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा इस विल के बारे में रोज अखबारों में आ रहा है और जिस ढंग से...

उपाध्यक्ष महोदय : उनका एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न तो उठा सकते हैं। परन्तु उन्हें ऐसा किसी विशेष नियम के अधीन करना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : नियम 376 के अधीन।

श्री मूलचन्द डागा : उसका निर्णय अध्यक्षपीठ लेगी।

श्री राम विलास पासवान : मैं माननीय डागा जी और तमाम साथियों से विनम्रतापूर्वक

कहना चाहता हूं कि सरकार ने सदस्यों की भावना को समझ लिया है। अब सरकार या तो इस बिल को स्वीकार करे या रिजेक्ट करे। जिस ढंग से अखबारों में निकल रहा है उससे ऐसा लगता है जैसे मेम्बर्स यहां रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मार रहे हैं···

श्री मूल चन्द डागा : कोई पार्लियामेंट का मेम्बर यह नहीं कह रहा है कि हम रो रहे हैं या मर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनसे असहमत हो सकते हैं, परन्तु आप उनकी बात सुनिए तो सही।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, तमाम पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाओं को रखा है। रखने के बाद अब सरकार का काम है कि वह इस पर निर्णय करे। इसलिए मैं जानना चाहता हूं और डागा जी से आग्रह करूंगा अब बहुत हो चुका है, अब इसको कनक्लूड कराइये। सरकार को जो निर्णय लेना हो वह बोले। सरकार यहाँ बैठी हुई है।

श्री एन. के. शेजवलकर (ग्वालियर) : मैंने नियम 362 के अधीन नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने समापन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसे तभी लिया जा सकता है जब जो सदस्य बोल रहा है वह अपना भाषण समाप्त कर ले। उसके पश्चात् आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। (**व्यवधान**)

श्री आर. के. राममूर्ति (कृष्ण गिरि) : माननीय सदस्य ने अपने व्यवस्था के प्रश्न में कुछ बातें उठाई हैं। अपने भाषण के अन्त में उन्होने बताया कि वह समापन प्रस्ताव रखना चाहते हैं। मैं इस पर आपका निर्णय जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शेजवलकर ने पहले ही एक प्रस्ताव का नोटिस दिया है उन्हें श्री नन्दी येल्लैया के भाषण की समाप्ति पर अपना समापन प्रस्ताव रखने दिया जायेगा। वह खड़े हुए हैं, उन्हें अपना भाषण जारी रखना है। श्री शेजवलकर, जब श्री नन्दी बोल चुकें तब आप अपना समापन प्रस्ताव रखें।

श्री के. राम मूर्ति : वह अपना समापन प्रस्ताव कैसे रख सकते हैं। ऐसा वह किस नियम के अनुसार करेंगे ?

श्री मूल चन्द डागा : वह कैसे अपना समापन प्रस्ताव रख सकते हैं ? इसके लिए कितना समय आवंटित किया गया है तथा कितना व्यतीत हो गया है ?

श्री के. राम मूर्ति : लगभग आधा समय वाद-विवाद पर लग चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि आगे चर्चा के लिए कितना समय बचा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूलचन्द डागा के इस विधेयक पर भिन्न-भिन्न अवसरों पर आवंटित कुल समय 8 घंटे था। हम पहले ही 6 घंटे 20 मिनट ले चुके हैं। एक घंटा चालीस मिनट बचे हैं।

श्री मूल चन्द डागा : ठीक है। मंत्री महोदय को उत्तर देने दें। मैं भी उत्तर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : समापन प्रस्ताव पहले ही रखा जा चुका हैं :

"किसी प्रस्ताव के लिये जाने के बाद किसी समय कोई भी सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा

"कि अब प्रश्न रखा जाये।" और जब तक अध्यक्ष को यह प्रतीत न हो कि प्रस्ताव इन नियमों का दुरुपयोग है या उचित वाद-विवाद अधिकार का उल्लंघन करता है, तब अध्यक्ष प्रस्ताव रखेगा 'कि अब प्रश्न रखा जाये'।"

उन्होंने समापन प्रस्ताव पहले ही रख दिया है। उन्होंने इसके लिए नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, उन्होंने समापन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। उन्हें मैं नियमानुसार, श्री येल्लैया नन्दी के भाषण के समाप्त होने के बाद अनुमति दूंगा।

श्री एन. के. शेजवलकर : मेरा प्रस्ताव लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 362 के अधीन है। संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक पर वाद-विवाद के समापन का नोटिस दिया है। स्थिति इस प्रकार है। नोटिस पहले ही दिया जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव छोटा एवं संक्षिप्त होना चाहिए। आप पढ़ नहीं सकते। आप नियमों से परिचित हैं। इसमें उल्लिखित है, "अब प्रश्न रखा जाये।"

आपको एक पंक्ति में समापन प्रस्ताव रखना चाहिए। सभी सदस्य बोल चुके हैं। अब आप वाद-विवाद का समापन चाहते हैं। आप प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री एन. के. शेजवलकर : मैंने नोटिस दिया है। मैं पढ़ नहीं रहा हूं। मैं केवल प्रस्ताव पेश कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप संक्षेप में अपनी बात कह सकते हैं।

श्री एन. के. शेजवलकर : मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पढ़ नहीं रहा। मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल समापन प्रस्ताव पर। विधेयक की विषय-वस्तु पर नहीं। आप समापन प्रस्ताव के बारे में बोलें। (व्यवधान)

वह एक अधिवक्ता हैं तथा नियमों को जानते हैं।

श्री एन. के. शेजवलकर : इस मामले पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति है तथा यह सरकार का कर्त्तव्य है कि यदि आवश्यक हो तो वह समिति की सलाह से विधान लाये। संसद सदस्यों द्वारा अपनी सुविधाओं के मामले पर लम्बी चर्चा से जनता में उनकी प्रतिष्ठा घटती है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शान्त रहिए।

श्री एन. के. शेजवलकर : इस पर पहले ही सभा का बहुत समय लग गया है। इतना समय सम्भवतया किसी भी अन्य गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक ने नहीं लिया।

इससे मामले पर सदन में पिछले दो सत्रों से चर्चा चल रही है। यह विचित्र बात है कि सरकार संसदीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से हस्ताक्षेप करके इस मामले पर आगे चर्चा समाप्त क्यों नहीं करती। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को संसदीय सदस्यों की गरिमा और प्रतिष्ठा में रुचि नहीं है। एक संसद सदस्य उज्जैन में गिरफ्तार किये गया। अभी उस दिन जब प्रधान मंत्री इन्दौर गयी थीं तथा उनके पुत्र श्री राजीव गांधी उज्जैन गये थे··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं समापन प्रस्ताव को मतदान के लिए रखूंगा।

श्री मूलचन्द्र डागा : नहीं, नहीं, मुझे उत्तर देना है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त को देखूंगा कि उसमें कोई बात समापन प्रस्ताव से सबद्ध तो नहीं है।

श्री एन. के. शेजवलकर : संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता तथा अन्य सुविधाओं सम्बन्धी विधेयक पर वाद-विवाद के समापन के प्रस्ताव पर सरकार द्वार विचार किया जाना चाहिए। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न रखा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अब प्रश्न रखा जाये।"

दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं। इससे पूर्व कि मैं आगे कोर्ट कार्यवाही करूं, संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं। यह सभा को इस बारे में कुछ बतायेंगे।

ससदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मान्यवर, यह सही है कि श्री डागा के बिल पर काफी वाद-विवाद हुआ है और बड़ी संख्या में माननीय सदस्यों ने उसमें हिस्सा लिया है।

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : 56।

श्री भीष्म नारायण सिंह : प्रो. दंडवते बता रहे हैं कि 56 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया। हम लोगों ने भी बहुत ध्यान पूर्वक उनके विचारों और सुझावों को सुना है। (**व्यवधान**) हम पर माननीय सदस्यों का असर हमेशा ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पर उनका असर न हो। लेकिन एक दो बातों की तरफ मैं आपका और सब माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि यह बात ठीक है कि आप की कठिनाइयां हैं। अगर कठिनाइयां न होतीं तो आप ने देखा होगा गत वर्ष ही, ऐडीशनल फैसिलिटीज जो शाप को पहले 500 रुपये प्रतिमाह मिला करती थी उसको बढ़ा कर 1000 रु। किया गया। उसके पीछे यही भावना थी कि जो वास्तविक आपकी कठिनाइयां हों वह न रहने पायें क्योंकि आपके सामने आदर्श, में ऐसा नहीं मानता कि कोई वेतन है या वेतन में कोई वृद्धि है। आप के सामने आदर्श है सिम्पल लिविंग एण्ड हाई थिंकिंग, यह बात आप कभी नहीं भूलेंगे, यह मैं जानता हूं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती। कम से कम इस बारे में मैं मंत्री महोदय का समर्थन करता हूं।

श्री भीष्म नारायण सिंह : आपका यह आदर्श है इसमें किसी की दो राय नहीं होगी। आप का बड़ा सम्मान है, आप देश के विभिन्न भागों से चुने गए नेतागण हैं, कोई साधारण लोग नहीं हैं। आप की बड़ी महिमा है, बड़ी गरिमा है···

श्री मूल चन्द डागा : जब मत विभाजन होता है किसी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती।

उपाध्यक्ष महोदय : वह सभा की अनुमति से बोल रहे हैं।

श्री भीष्म नारायण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय ? इतनी बड़ी महिमा हमारे संसद सदस्यों

की है और इसी वजह से यह विवाद कोई बढ़े नहीं, अब शेजवालकर जी ने क्लोजर ही मूव कर दिया है, मैं उनसे कहूंगा कि उनको इसके लिए कोई मतदान कराने की आवश्यकता नहीं है क्यों कि किसी की दो राय इस पर नहीं होगी। काफी सम्मानित सदस्यों के विचार आ गए। हम लोगों ने उसको सुना। राम विलास पासवान जी बिलकुल ठीक कह रहे थे कि सैलरीज ऐंड एलावेंसेज के लिए ज्वाइंट कमेटी हमारी बनी हुई है। ज्वाइन्ट कमेटी इस पर गहराई से विचार करती है और उनकी अनुशंसा हमारे पास आती है। उसके ऊपर बहुत ही सीरियसली सरकार विचार करती है। अभी भी उनकी कुछ अनुशंका आई हुई है। सरकार बहुत ही गंभीरता से उस पर विचार कर रही है। इसलिए इस बात को आगे बढ़ाना उचित नहीं है। इस वजह से मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि सब लोग इस पर सहमत हो जायें, डागा जी को भी राइट है रिप्लाई का, वह जवाब देंगे, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि इसको वह वापस ले लेंगे और यह विवाद समाप्त हो जाय न तो इस पर मतदान हो और न ही किसी का जो उचित हक है उस पर कोई कुठाराघात हो। यही मेरा इस पर कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना प्रस्ताव रख रहे हैं ?

श्री एन. के. शेजवलकर : नहीं, श्रीमन। मैं उसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा माननीय सदस्य को अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति देती है।

कई माननीय सदस्य : जी हाँ।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री मूल चन्द डागा, जोकि संसद सदस्यों की ट्रेड यूनियन के हीरो हैं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यहां पर जितने भी प्वाइन्ट्स रेज किए थे, उनका गवर्नमेंट की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया है। इस बिल के सम्बन्ध में कम से कम 30 माननीय सदस्यों ने यहां पर अपने विचार प्रकट किए हैं। इसमें न तो किसी पार्टी का कोई सवाल है और न ही हमने अपनी कोई मांग रखी है। सवाल यह है कि हम किसी प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्वहन इमानदारी और निष्ठा के साथ कर सकते हैं। श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत ने यहां पर कहा है कि राष्ट्र का काम जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है उसको हम कर पा रहे हैं या नहीं, या उसको हम नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं ? मैं समझता हूं हमें पाखण्ड को छोड़ कर वास्तविकता को देखना चाहिए।

मैं बताना चाहूंगा कि 1954 में जब यह ऐक्ट बना था तब इस सदन में क्या डिस्कशन हुआ था :

"यह उनकी सेवा की महानता को मान्यता देने के लिए नहीं है। यह इनाम नहीं है, यह क्षतिपूर्ति नहीं है, यह वेतन भी नहीं है, यह मात्र भत्ता है, और मैं समझता हूं कि राज्य की अगणनीय सेवा करने वाले व्यक्तियों को यह न्यूनतम भत्ता है। यह विशुद्ध रूप से भत्ता है, ताकि ये लोग लोक सेवा कर सकें।"

यहां पर यह कहना कि हम कुछ मांगने आए हैं, यह सच है। 1964 में जब यह कानून

बना था उसके बीस साल के बाद आज देश की समस्यायें बढ़ गई हैं और मंहगाई भी बढ़ी है, कुछ दूसरे असर भी हुए हैं। हम यह नहीं चाहते कि हमें रुपया दिया जाए। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो सी. पी. आई. के मैम्बर्स हैं उन्होंने क्या कहा ? पहले मैं बताऊंगा कि श्री रामावतार शास्त्री, जोकि सी. पी. आई. के मैम्बर हैं उन्होंने क्या कहा। उसके बाद सी. पी. एम. के मैम्बर ने क्या कहा, वह बताऊंगा। फिर लोक दल के मैम्बर ने क्या कहा, वह बताऊंगा। हर पार्टी के मैम्बर ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने यह नहीं कहा कि हमें ज्यादा रुपया दिया जाए। अखबार वालों का जो इन्टरप्रिटेशन है वह गलत है। मैं तो समझता हूं अखबार वाले हमारे साथ न्याय नहीं करते हैं। हम लोग अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर यहां संसद में आते हैं और क्या हम इन साधनों में कर्तव्य और निष्ठा से, ईमानदारी से वहां की जनता की सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सी. पी. आई. के एक माननीय सदस्य, श्री रामावतार शास्त्री- ने इस संबंध में जो कहा है, वह मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। आपकी उन पर बड़ी कृपा है। उन्होंने कहा है कि—सैकेटेरिएट सहायता दीजिए, टेलीफोन की सुविधा दीजिए, डाक-तार विभाग की सहूलियत दीजिए, चिट्ठी भेजने के लिए स्टैनों की सुविधा दीजिए। अपने निर्वाचन क्षेत्र में घूमने के लिए जीप की सुविधा दीजिए। ये सब सुविधायें कौन मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, सी. पी. आई. के एक क्रान्तिकारी और मजदूर नेता श्री रामावतार शास्त्री। जब हम लोग यहां आये थे, तो अपने कोर्ट के कामों को छोड़कर यहां आये थे, कोई भीख मांगने नहीं आए थे। इस प्रकार की बकवास जो करते हैं, मैं उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम अपनी चार हजार रु. की प्रैक्टिस को छोड़कर आये थे। यहां पर साल में सात-आठ महीने पार्लियामेंट चले और दो महीने कमेटी को अटेंड करें तथा 300 किलोमीटर लम्बी अपनी कांस्टीचूयेंसी के चक्कर लगायें। आप कहते हैं कि हम यहां भीख मांगने आए हैं। आप अपने मुंह को बन्द कर दीजिए, हमें कुछ मत दीजिए—वि डू नाट वांट एनिथींग, वी आर. नाट बैगर्स। इस बारे में इण्डियन एक्सप्रैस ने कुछ लिख दिया और आपने ऐसी बात कह दी। स्वाभिमानी अपनी इज्जत को लेकर चलते हैं, अभिमान के साथ चलते हैं, किसी के सहारे पर नहीं चलते हैं। यहां पर जनता पार्टी के एक सदस्य श्री दिगम्बर सिंह ने जो कहा, वह मैं आपको बतलाना चाहता हू···(व्यवधान)···

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन् ···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। वह उत्तर दे रहे हैं। (व्यवधान) उन्हें उत्तर देने दें। (व्यवधान)

वह उत्तर दे रहे हैं। प्रस्तावक को उत्तर देने का अधिकार है। (व्यवधान)

ठीक है। जहां पर व्यक्त किये जाने वाले किन्ही भी विचारों से आप भयभीत क्यों है ? उन्हें अपने सारे विचार व्यक्त करने दिये जाने चाहिए। (व्यवधान) क्या वह सभा में अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह प्रश्न जीवन के प्रति रवैये का है।

श्री मूल चन्द डागा : नहीं, मैं आपको बताता हूं। आप गरम क्यों हो रहे हैं। आप मत लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री मूल चन्द डागा : वेतन तथा भत्ता में वृद्धि सदस्यों की कार्य कुशलता बनाए रखने के लिए उचित ठहराई गई है। मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि जब उन्हें आवश्यकता हो तब उन्हें आशुलिपिक तथा टाइपिस्ट उपलब्ध करायें ताकि वे कार्य-कुशलता बनाये रख सकें और संसद सदस्यों के रूप में ठीक से कार्य कर सकें। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप चाहते हैं कि वह आपका पक्ष लें। आप देखिए वह केवल आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप इसे वस्तु रूप में चाहते हैं तथा कुछ अन्य लोग नकद रूप में चाहते हैं। इतनी ही बात है। **(व्यवधान)**

यह ठीक है उन्होंने केवल आपकी प्रशसा की है। आपने इन बातों की मांग की है। क्या आपने इन वस्तुओं की मांग नहीं की थी ? उन्होंने केवल कहा ही है।

श्री सुनील मैत्रा : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का क्या बना ? कृपया पहले उन्हें महंगाई भत्ता दे दें। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए। श्री डागा आप अपना उत्तर पूरा करें।

आपने बहुत अच्छा कार्य किया हैं।

श्री मूलचन्द डागा : हर बार वे व्यवधान डालते हैं मैं नहीं समझता कि यह तरीका उपयुक्त है।

मेरा सवाल यह था कि किस मेम्बर ने अन्दर से बोला है। एक मेम्बर दिगम्बर सिंह थे जो ज्वाइंट कमेटी के मेम्बर भी हैं। आपने जो कमेटी बनाई हुई है, जबकि जनता पार्टी के समय में 301 व्यक्तियों ने लिखकर प्रधान मंत्री श्री मोरारजी को दिया, उस कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी हैं। उस कमेटी की सिफारिशों का किसी ने विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा है कि सेलरी बढ़नी चाहिए, टेलीफोन के नम्बर बढ़ने चाहिएं, स्पाउस पास फ्री मिलने चाहिए ताकि हर वक्त फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर सकें। इन्हीं सिफारिशों को देखते हुए शासन के सामने यह बिल लेकर आए हैं। उस कमेटी की सिफारिशें यूनेनिमस हैं, उसमें कोई डिसेंटिव नोट नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें। **(व्यवधान)** प्रस्तावक को उत्तर देने का अधिकार नहीं है। उसे अपना मत व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। **(व्यवधान)**

श्री मूल चन्द डागा : गदवी साहब ने कहा कि पहले इस ख्याल से कि सदस्य गाड़ी लेकर आएंगे, गैरेज बनाए गए, नौकर लेकर आएंगे तो सर्वेन्ट क्वार्टस् बना दिए गए और अभी तक वही चल रहा है। एक गैरेज दे दिया गया है, एक सर्वेन्ट क्वार्टर दे दिया गया है और एक फ्लैट रहने के लिए दे दिया गया है। क्या मेम्बर सर्वेन्ट रख सकता है, क्या मेम्बर कार रख सकता है ?

आगे मेम्बर ने कहा कि आजकल जो मेम्बर आते हैं वे धरती से जुड़े हुए आते हैं, साधारण और गरीब आदमी आते हैं जो जनता का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें बड़े ज्ञान

वाले लोग नहीं चाहिएं तेज दिमाग वाले लोग नहीं चाहिएं, बल्कि वे लोग चाहिएं जिनका हृदय संवेदनशील हो। (व्यवधान)

हमें अतिशय ज्ञान वाले या अच्छी इंगलिश बोलने वाले लोग नहीं चाहिएं, बल्कि वे लोग चाहिएं जो जनता से जुड़े हुए हों और कांग्रेस के राज्य में यह चीज आई है। आज गरीब लोग प्रतिनिधित्व करने के लिए आते हैं।

मनोरंजन भक्त जी ने क्या कहा कि अंडमान निकोबार में जब मैं घूमता हूं तो मेरी तनख्वाह कहां जाती है?... (व्यवधान)

मैं एक बात चाहता था कि जो आज बड़ी-बड़ी आदर्शवाद की बातें करते हैं, लेकिन कर्त्तव्य पालन के साथ-साथ सदन में और समाज में आपके न आने से देश का नुकसान होगा। इस बात को हम नहीं कहते हैं। देश इस बात को सोचे। यह कोई पार्टी इशू भी नहीं था। आप सोचें। ऐसा काम किया जाना चाहिए ताकि सदस्य अपने काम को भली प्रकार से, ईमानदारी से और ठीक तरह से कर सके। सदस्यों के पास ढेरों पत्र आते हैं, डाक आती हैं और वे किस प्रकार से उन पत्रों आदि का उत्तर दे सकते हैं। स्टेनों तक आपने उनको नहीं दिया है। कई ऐसे मामले होते हैं जिनमें रिसर्च की जरूरत पड़ती है। जनता से वे सम्पर्क करना चाहते हैं तो साधन न होने के कारण नहीं कर सकते हैं। लीडर्ज तो पार्टी के चन्दे से घूम सकते हैं लेकिन हम लोग कैसे घूमें। बिना साधनों के हम जनता की बात को कैसे जान सकते हैं, कैसे जनता से सम्पर्क बनाए रख सकते हैं? सभी पार्टियों ने इसको स्पोर्ट किया है। ज्वायन्ट कमेटी ने भी इसके बारे में सिफारिश की है। मेरे इस बिल के अलावा और भी इसके बारे में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। आप समझें कि जो मेम्बर यहां दिल्ली में आना चाहता है, जिसका घर देश के एक कोने में है, जो अपने बच्चों को वहां छोड़कर आता है, उसको दो-दो एस्टेबलिशमेंट्स मेंटेन करनी पड़ती है। वह अगर ईमानदारी से, ठीक प्रकार से अपने कर्त्तव्य का पालन करने की स्थिति में न हो तो इससे देश का ही नुकसान होता है।

आपने कहा है कि कहीं नौकरशाही ज्यादा ताकतवर न हो जाए। आज वह ज्यादा ताकतवर क्यों हो रही है? आज हमारे ब्यूरोक्रेट्स हम पर हावी क्यों हो रहे हैं? अगर हम लोग अपना कर्त्तव्य निभाएं, सभी सुविधाएं हमें मिलें ताकि अच्छी तरह से हम काम कर सकें तो इससे देश का ही ज्यादा लाभ होगा, देश समृद्धिशाली बनेगा, लोगों में ज्यादा जनतांत्रिक भावना फैलेगी। हम गर्दन नीची करके न मांगें। इसलिए हम यहां नहीं आए हैं। कर्त्तव्य का हमें ठीक तरह से पालन करना है तो हमें साधन ठीक से दिए जाएं। कहने को तो बहुत-सी बातें थीं। आपने मोशन को भी पुट कर दिया है। मंत्री जी ने पूरा उत्तर भी नहीं दिया है। मैं कहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री का यह काम है कि वह देखें कि सदन के सदस्य किस प्रकार अपना काम करते हैं। हमारी सुविधाओं का भी वह ध्यान रखें। यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है। सभी माननीय सदस्यों ने इसको स्पोर्ट किया है। मैं आशा करता हूं कि काम को ठीक गति देने के लिए, देश में लोकतंत्र को कायम रखने के लिए, जनता की भावनाओं का आदर करते हुए वह इस काम को करेंगे। ज्वायंट कमेटी ने जो रिकोमेंड कर दिया है और जो पार्लियामेंट्री कमेटी है और जिसका अर्थ होता है कि पार्लियामेंट ने रिकोमेंड कर दिया है, उसकी अनुपालना आपको

करनी चाहिए । दो-दो बार वह रिकोमेंड कर चुकी है। मैं आशा करता हूं कि जल्दी ही उस पर ध्यान देकर आप कोई निर्णय लेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, क्या इसे वापस ले रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा : पार्लियामेंटरी एफेयर्ज मिनिस्टर के चेहरे से मालूम होता था कि वह जल्दी कुछ करने जा रहे हैं । मन और चेहरा उनका एक ही है न ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ससद सदस्य, वेतन भत्ता और पेंशन (संशोधन विधेयक, 1980 को वापस लेने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मूल चन्द डागा : मैं विधेयक को वापस लेता हूं ।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक

(धारा 5 का सशोधन)

सभापति महोदय : अब हम अगला विधेयक लेते हैं । श्री भोगेन्द्र झा ।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारतीय तार अधिनियम, 1885 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

भारतीय तार अधिनियम 1885 में अधिनियमित हुआ था तथा साम्राज्यवादी ब्रिटिश शासन के दौरान लोकतन्त्रीय आधार का कोई प्रश्न ही नहीं था । संयोग से उसी वर्ष कुछ अंग्रेजों द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गयी जोकि बाद में स्वतन्त्रता के लिए ब्रिटेन के विरुद्ध जन-आन्दोलन के रूपमें विकसित हुई ।

सभापति महोदय : श्री भोगेन्द्र झा, संचार मंत्री महोदय ने निवेदन किया है कि आप आगे के बेंचों पर बैठ जायें ताकि आपकी बात ठीक तरह से सुनी जा सके ।

श्री हरिकेश बहादुर : नियमानुसार सदस्य केवल अपने स्थान से ही बोल सकता है ।

सभापति महोदय : अध्यक्षपीठ की अनुमति से सदस्य अन्य स्थान से भी बोल सकता है । आप यहां क्यों नहीं आ जाते ?

श्री भोगेन्द्र झा : तब यह एक आदत बन जायेगी ।

सभापति महोदय : इस बारे में मंत्री महोदय ने विशेष रूप से निवेदन किया है कृपया आप यहां आ कर बोलें ।

श्री भोगेन्द्र झा : ठीक है, श्रीमान ।

हमारे उपनिवेशवादी शासक, ब्रिटिश साम्राज्यवादी, हर प्रकार के लोकतान्त्रीक अधिकार

को समाप्त करना चाहते थे। अतः डाक-घर अधिनियम एवं तार अधिनियम ब्रिटिश शासकों की उस नीति का अंग बने।

गत वर्ष 28 अगस्त को मेरे माननीय मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तथा कुछ अन्य सदस्यों ने इस सभा में मामला उठाया था कि संसद सदस्यों के टेलीफोन सुने जाते हैं तथा उनकी डाक सेंसर की जाती हैं तथा इस पर अध्यक्ष महोदय को अपना विनिर्णय देना पड़ा था जिसका अधिप्राय था भारतीय संसद इस बारे में विवश है।

उक्त विनिर्णय दो मुख्य कारणों से दिया गया था। एक कारण तो यह था कि एक अन्य राष्ट्रप्रणालीय देश था—वह राष्ट्र मंडल जिसके साथ हम अभी भी सम्बद्ध हैं, तथा पता नहीं कि यह सम्बन्ध कब समाप्त होगा—जिसका नाम उन्होंने अस्ट्रेलिया बताया।

मैं अध्यक्ष महोदय द्वारा कही गई बात उद्धृत कर रहा हूं :

"आस्ट्रेलिया के प्रधान मत्री (राइट आनरेबिल जे. कर्टिन) ने युद्ध के आरम्भ में जारी किए गए डाक और तार सेंसरशिप आदेश को उद्धृत किया जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख था कि सेंसर अधिकारी सभी डाक वस्तुओं को खोलकर देख सकता है जैसा कि डाक और तार अधिनियम में परिभाषित है।

श्री कर्टिन ने बताया कि स्वयं उनकी डाक भी सेंसर हो सकती है।

एटर्नी जनरल (श्री एक्ट) ने कहा मामला समिति को भेजा जाये। समिति गठित की गई और इसने अपना प्रतिवेदन 30 मार्च, 1944 को प्रस्तुत किया।

उस समिति द्वारा दिया गया विनिर्णय इस प्रकार था :

"कि सदन के सदस्यों के नाम लिखे गए पत्रों का सेंसर अधिकारियों द्वारा खोला जाना सदन के किसी वर्तमान विशेषाधिकार के भग होने का मामला नहीं है।"

इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने कहा :

"मैं भी इस बात का पता लगाना चाहता था कि क्या यहां भी विनिर्णय में उल्लिखित कानून की तरह का कोई कानून है। यहां उसी तरह का उपबंध है। जिसे उन्होंने हमारे अपने अधिनियम के सम्बन्ध में उद्धृत किया है।

"केन्द्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार अथवा केन्द्रीय या प्रांतीय सरकार द्वारा इसके लिए विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी एक लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकता है कि किसी डाक की वस्तु को डाक द्वारा भेजते समय खोला जा सकेगा या रोका जा सकेगा जैसा आदेश जारी करने वाला अधिकारी निदेश दे।"

इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने का प्रथम दृष्टि में कोई मामला नहीं बनता है।"

अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था।

अतः उन्होंने आस्ट्रेलिया के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना पर विश्वास किया जो केवल युद्ध काल के लिये थी और आस्ट्रेलिया की संसद ने स्वयं, उसी समिति ने, जिस पर अध्यक्ष महोदय ने निर्भर किया था इसका उल्लेख किया था और साथ-साथ यह घोषणा भी की थी कि शांतिकाल में किसी नागरिक की डाक में दखल देना एक गम्भीर मामला है, लेकिन युद्ध

की परिस्थितियों में यह सुनिश्चित करने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहिये कि शत्रु तक कोई भी लाभदायक सूचना न पहुंचे और इस सम्बन्ध में समिति समझती है कि संसद सदस्यों को ऐसी छूटें नहीं मिलनी चाहिये जो राष्ट्रीय हित में साधारण नागरिक को नहीं मिलती।

ये दो बातें मिली हुई हैं। एक बात है कि शांतिकाल में देश के किसी भी नागरिक की डाक तथा तार की सेंसरशिप और टेलीफोन की टैपिंग नहीं होगी और दूसरी बात यह कि युद्ध-काल में संसद सदस्यों को भी इस प्रकार की टैपिंग तथा सेंसरशिप से मुक्त नहीं रखा जाना चाहिये।

आस्ट्रेलिया की संसद के इस विनिर्णय पर अध्यक्ष महोदय ने निर्भर किया था।

मेरे विचार में अध्यक्ष महोदय को संसद के नोट्स सम्बन्धी विनिर्णय को संशोधित करना चाहिये क्योंकि यह शांतिकाल है। इस समय हमारे देश का किसी अन्य देश के साथ युद्ध नहीं चल रहा है। जब युद्ध हो, जब हमारी आजादी खतरे में हो, तो मेरे विचार में यह सभा अथवा इस सभा का कोई सदस्य उस समय देश में विद्यमान सरकार को ऐसी शक्ति देने पर आपत्ति नहीं करेगा और इस लिये इस प्रकार यह देश की रक्षा के हित की बात बनी रहेगी लेकिन यहां भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 5 में कहा गया है :—

"किसी लोक आपात के घटित होने पर या लोक क्षेमार्थ, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा तन्निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई पदाधिकारी, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त किसी प्राधिकारी द्वारा स्थापित, बने रखे गये या क्रियागत किसी तार यंत्र का अस्थायी कब्जा (उस समय तक के लिए जब तक लोक आपात विद्यमान रहे या लोक क्षेमार्थ के हित से अपेक्षित हो) ले सकेगा।"

उस धारा की उपधारा (2) में कहा गया है :—

'किसी लोक आपात के घटित होने पर, या लोक क्षेमार्थ, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा तन्निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई पदाधिकारी, यदि उसका समाधान हो जाता है कि भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबधों या लोक व्यवस्था के हित में या किसी अपराध को करने के लिये उत्प्रेरणा को रोकने के लिये और कारण लिखित रूप में अभिलिखित करने के लिए यह आवश्यक और समीचीन है, आदेश दे सकेगा कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को या द्वारा या किसी विशिष्ट विषय से सम्बन्धित, संदेश या संदेशों का वर्ग, जो कि किसी तार यंत्र द्वारा पारेषणार्थ लाया गया है या पारेषित या प्राप्त हुआ है, पारेषित नहीं किया जायेगा, या अन्तरावरुद्ध या निरुद्ध किया जायेगा या आदेश देने वाली सरकार या आदेश में वर्णित उसके पदाधिकारी से प्रकट किया जाये।"

अतः इस वर्तमान अधिनियम से हमारे अध्यक्ष महोदय के हाथ बंध गये और जैसे कि मैंने पहले कहा वह विनिर्णय देने के लिये बाध्य हो गये। यहां मेरे विधेयक का उद्देश्य सेंसरशिप की ऐसी शक्ति को पूर्णतः हटाने का नहीं है। धारा 5 की उपधारा (i) में संशोधन करने का मेरा यह प्रस्ताव है :

"किसी लोक आपात के घटित होने पर या लोक क्षेमार्थ, शब्दों के स्थान पर, 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित बाह्य आपात स्थिति के उद्घोषित करते यह घोषित करने की भारत की सुरक्षा को युद्ध का अथवा बाहरी आक्रमण का खतरा है और उस अवधि के दौरान जब उद्घोषणा लागू हो "शब्द प्रतिस्थापित किये जायें।"

"(उस समय तक के लिये जब तक लोक आपात्त विद्यमान रहे या लोक क्षेमार्थ के हित से अपेक्षित हो)" शब्दों तथा कोष्टकों का लोप किया जायेगा। "उपधारा (ii)(2) का लोप किया जायेगा"

मैंने अपधारा (2) को पढ़ा है जिसका अर्थ यह है कि हिंसा, को भड़काना, कोई आंदोलन, कोई उपद्रव या ऐसी कोई अन्य घटना इस उपधारा के अन्तर्गत आ सकती है। अतः मैं उस उपधारा का लोप करना चाहता हूं।

यहां मैं इस सभा तथा सत्तारूढ़ पक्ष से कहना चाहता हूं कि यह धारा किसी न किसी तरह विद्यमान ही रही है · यह बात नहीं है कि यह हमारे प्रजातन्त्र के लिये जरूरी है। इससे हमारी प्रणाली को आघात पहुंचा है। मैं जानता हूं कि जब हमारे प्रधान मन्त्री, कुछ समय के लिये विपक्ष में रही थी, तो उनकी ओर से श्री के. लकप्पा ने टैपिंग का प्रश्न उठाया था और मेरी दांयी ओर के मित्र उस समय सत्ता में थे, और देश भर में यह धारणा बनी कि इस प्रकार की टैपिंग हुई थी। वर्तमान प्रधान मन्त्री को इस अधिनियम का कुछ अनुभव हुआ है। इतना ही नहीं उन दिनों सत्तारूढ़ दल की ओर से भी स्पष्ट आवाजें आती थी।

श्री कृष्णकांत ने प्रश्न को संसद में तथा बाहर प्रेस में उठाया कि उनकी अपनी डाक तथा टेलीफोन को टैप किया जाता है और तत्कालीन सत्तारूढ़ दल, जनता पार्टी के अध्यक्ष, श्री चन्द्रशेखर की डाक—जो उस समय केन्द्र तथा राज्यों में सत्तारूढ़ था तथा टेलीफोन की भी टेपिंग होती थी, उनकी डाक भी सेंसर होती थी, इसका पता इस सभा में ही लगा, और सभा पुनः असहाय सी प्रतीत हुई। इस स्थिति में एक दूसरी घटना का पता भी चला कि त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने तत्कालीन संचार मंत्री श्री वर्मा को लिखा था कि उनके टेलीफोन को टैप किया जाता है। प्रतीत होता है कि यह अधिनियम एकांतता अथवा देश के बड़े बड़े लोगों मुख्यमंत्रियों मंत्रियों के व्यैक्तिक आचरण को आघात पहुंचा रहा है। मैं आपको शाह आयोग के सामने श्री जगजीवन राम, जब वे मंत्री थे, द्वारा दिये गये ब्यान की याद दिलाना चाहता हूं। उन पर चौकसी तथा निगरानी रखी जाती थी। प्रश्न एक साधारण संसद सदस्य का नहीं है। यह प्रश्न देश के एक साधारण नागरिक का नहीं है। यह प्रश्न उस मामले से सम्बन्धित है जिसमें मंत्रियों की डाक अथवा टेलीफोन भी टैप किये जाते हैं। उनकी डाक सेंसर की जाती है। मुख्य मंत्री को भी नहीं बख्शा जाता, अतः अधिनियम के इस प्रावधान को हटाने का यह एक अच्छा अवसर है।

मैं फिर कहूंगा कि हमारे देश के सामने विदेशी आक्रमण अथवा हमले का खतरा है। हम जानते हैं कि हमारे पश्चिमी सीमांत पर पाकिस्तान की सैनिक तानाशाही है जहां आधुनिकतम शस्त्र पाकिस्तान की निर्वाचित सरकार के हाथों में नहीं बल्कि ऐसी सरकार के हाथों में दिये जा रहे हैं जिसके पास पाकिस्तान के लोगों के लिये कार्यकारी शक्तियां हैं। इस

बात की बहुत सम्भावना है कि ये हथियार हमारे विरुद्ध इस्तेमाल किये जायें। उन्होंने पहले इनका इस्तेमाल हमारे ही विरुद्ध किया था। हिन्द महासागर में संयुक्त राज्य अमरीका ने डियगो गार्शिया में अपना अड्डा बनाया है। उनके पास आवणिक हथियार तथा अन्य शस्त्र हैं। एक बाहरी खतरा बना हुआ है। ऐसी स्थिति में हमें उसके लिये भी व्यवस्था करनी पड़ेगी।

इसी कारण मेरे विधेयक में एक प्रावधान किया गया है कि केवल जब बाहरी आपात-कालीन स्थिति हो अथवा विदेशी हमला हो या खतरा हो, उसी समय ऐसा कुछ किया जा सकता है, सामान्य स्थिति में नहीं। मैं यहां कहना चाहूंगा कि संसद सदस्यों ने विशेषाधिकार का प्रश्न भी उठाया था। संसद सदस्य विशेषाधिकार प्राप्त हैं और उन्हें देश की समूची जनसंख्या के प्रतिनिधि होने का भी सौभाग्य प्राप्त है। मैं सुझाव देता हूं कि डाक तथा तार की सेंसरशिप समाप्त की जानी चाहिये। यहां केवल संसद तथा विधान सभाओं के सदस्यों के विशेषाधिकारों सम्बन्धी प्रश्न उठाये जाते हैं, सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय से भी शिकायत की है और उन्होंने इस बारे में अपनी मजबूरी तथा असमर्थता प्रकट की है, ऐसी स्थिति में सभा द्वारा अपने तथा नागरिकों के विशेषाधिकारों का ध्यान रखने का यह उचित अवसर है चूंकि वे दावा करते हैं कि वे यहां प्रजातंत्रीय ढांचे द्वारा उनका प्रतिनिधित्व करते हैं।

मैं इस सभा के विचारार्थ कुछ बातें कहना चाहूंगा। एक बात यह है कि देश में असंतोष है क्योंकि मूल्य बढ़ रहे हैं। प्रधान मंत्री के इस दावे के बावजूद भी कि पिछले दो सप्ताहों के दौरान मुद्रास्थिति की दर में गिरावट आयी है, इसमें वृद्धि हुई है, कमी नहीं आयी। फसल के दौरान, जमाखोर किसानों के खाद्यान्न को जमा कर रहे हैं। यही कारण है कि उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य अथवा उचित मूल्य नहीं मिलते। देखा गया है कि मंदी के मौसम के दौरान मूल्य वृद्धि होने पर उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के बीच असन्तोष होता है। सभी क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रजातन्त्र विरोधी कदमों के विरूद्ध असन्तोष बना रहता हैं। सत्तारूढ़ लोगों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के अनेक उदाहरण हैं।

इस स्थिति में, उपधारा 2, जो मैं इस विधेयक में लाया हूं, लागू होंगी जिससे डाक सेंसर हो सकेगी और किसी भी व्यक्ति पर किसी अन्य व्यक्ति से पत्र व्यवहार करने के लिए प्रतिबन्ध लगाया जा सकेगा। मैंने स्वयं मामले का उल्लेख किया था। 19 जनवरी को देश में एक आम हड़ताल का आह्वान किया गया था। महोदय आपको याद होगा बिहार में एक बंध का आह्वान किया गया था और यह पूर्णतया एक शान्तिपूर्ण बन्ध था। मुझे धारा 151 और 107 के अधीन गिरफ्तार किया गया और मेरा कोई अपराध न था, किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं किया गया था। परन्तु मुझे गिरफ्तार किया गया और बन्दी बनाया गया (व्यवधान) अतः मुझे बन्दी बनाकर वहां रखा गया। उस दृष्टिकोण से तो किसी भी तार को जब्त किया जा सकता है, किसी भी दूरभाष को टेप किया जा सकता है। निवारक उपाय और बचाव उपाय के रूप में किसी भी पत्र को सेन्सर किया जा सकता है। इसमें समस्त जीवन क्षेत्र समा जायेगा। जनता पार्टी के शासनकाल में श्री मोरार जी देसाई ने कहा था कि यह निर्णय लेना केवल उनका ही काम है कि किसकी डाक सेन्सर की जाए और किसका दूरभाष टेप किया जाना चाहिये। महोदय 68 करोड़ लोगों के इस देश में, कोई भी अकेला व्यक्ति चाहे वह कितना ही कर्त्तव्यपरायण क्यों न हों, कितना ही कुशल क्यों न हो, अपनी व्यक्तिगत और वैयक्तिक विचारधाराओं को थोप नहीं

सकता है और यह निर्णय नहीं ले सकता है कि किसकी डाक को सेन्सर किया जाए और किसके दूरभाष का टेप किया जाए। कोई भी अकेला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। यहां तक कि ग्राम-क्षेत्रों में भी ऐसा नहीं किया जा सकता है। फिर भारत जैसे विशाल देश की तो बात ही क्या है ? ऐसी स्थिति में, हमें अपने लोगों के लोकतान्त्रिक अधिकारों को सुरक्षित रखना है। इस बात की क्या गारन्टी है कि आज जो लोग सरकारी पक्ष में बैठे हैं वे अगामी चुनाव में इस ओर नहीं आ जायेंगे ? भारतीय जनता ने यह कर दिखाया है और सिद्ध कर दिया है। जो कल उस ओर थे वे आज इस ओर बैठे हैं। मेरी दाई ओर बैठे मित्रगण कभी सत्तारूढ़ दल के सदस्य थे और अब वे इस ओर आ गये हैं। हमारी प्रजातन्त्रीय प्रणाली की यही खूबी है। हमारे यहां ऐसी प्रजातन्त्रीय शक्ति है; यह तो हमारे मतदाताओं द्वारा उठाया गया एक सुविचारित कदम है। जब-जब भी आवश्यक समझा गया है उन्होंने इसी प्रकार के फैसले किये हैं।

ऐसी स्थिति में, ऐसी आपत्तिजनक बातें, इस प्रकार के अप्रजातन्त्रिक कानून, संविधि-पुस्तिका में नहीं रहने चाहिए।

तीनों चीज एक साथ आती हैं :—दूरभाष; सामान्य डाक और तार। हमारे यहां भारतीय तार-अधिनियम है। शब्दावली लगभग एक सी ही है। इन सभी तीनों बातों के लिए यदि संसद मेरे विधेयक को स्वीकार करने और उसे पारित करने का फैसला करती है तो उससे भारी सुधार होगा और उसके पश्चात कुछ अन्य बातें उठ खड़ी होंगी तथा वह इस संसद के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी विशेषकर, सत्तारूढ़ दल के लिए जो कि लगभग दो वर्ष से जंगल में भटकते रहे हैं और उन्हें फिर से इस देश पर शासन करने के लिए भेज दिया गया है। मेरे विचार से उन्हें स्वयं अपने पहले के शासन से और जनता-शासन से तथा जनता-पार्टी जो कुछ नहीं कर सकी उससे शिक्षा लेनी चाहिये। उन्होंने सोचा था कि वे 20 या 30 वर्षों तक देश पर शासन कर सकते हैं।

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : क्या मैं एक स्पष्टीकरण माँग सकता हूं ?

श्री भोगेन्द्र झा : क्यों नहीं ?

सभापति महोदय : आपने बाह्य आक्रमण की बात की है। हमारे यहां कुछ दबाव है, हो सकता है कि वे प्राकृतिक ही हो। क्या आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि कुछ आन्तरिक मतभेद ऐसा चिन्ताजनक रूप धारण कर सकते हैं कि जबकि प्रजातन्त्र को चलाने के लिए भी कुछ प्रकार का दबाव आवश्यक हो जाए, फिर चाहे वह दबाव सारे देश पर न होकर, उसके कुछेक भागों के लिए ही क्यों न हो ? क्या आप ऐसा नहीं सोचते हैं ?

श्री भोगेन्द्र झा : हो सकता है, महोदय, उस बात को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम जानते हैं कि देश के कुछ भागों में गड़बड़ी है। वह मुसीबत किसी अन्य रूप में फिर सिर उठा सकती हैं। क्योंकि हमारा देश एक विशाल देश है। और एक बहु-भाषी, बहु-धर्मी, बहु सांस्कृतिक देश में, जोकि इन सबसे मिलकर एक बना हो, जहाँ अनेकता में एकता हो, ऐसी बाते हो सकती हैं। परन्तु महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी सीमा-रेखा कहां पर होगी ? इसका निर्णय कौन लेगा ? इन सब बातों का फैसला कौन करेगा, जबकि जनता-पार्टी ने सत्तारूढ़ दल के सभापति को भी नहीं बख्सा, जबकि चन्द्रशेखर जी को ही स्वय उनकी सरकार

ने नहीं बख्श, जबकि मन्त्रियों को भी नहीं छोड़ा गया। आपातकाल के दौरान तो श्री जगजीवनराम जैसे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति तक को, जबकि वह मन्त्री थे, नहीं बख्शा गया था। अतः यह एक प्रलोभन है, और एक बार जब आपके हाथों में अप्रजातन्त्रिक शक्ति आ जाती है तो उसे किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध प्रयोग करने का, जो आपसे मतभेद रखता है, किसी भी बल या वर्ग के लोगों अथवा दल या राजनीतिक विचारधारा के विरूद्ध जो कि इसके लिए एक चुनौती है प्रयोग करने का लोभ आप संवरण नहीं कर सकते हैं। अतः बात यह है कि हमें अपने प्रजातन्त्र में और प्रजातान्त्रिक तन्त्र में, विश्वास करना होगा। यदि देश के किसी भाग में किसी प्रकार की गडबड़ है—असम का ही उदाहरण लीजिए—तो हमें इस पर भावुकता से विचार नहीं करना होगा। हममें से बहुत से यह अनुभव करते हैं कि असम के लोगों की जो शिकायतें हैं उनका कुछ न कुछ आधार अवश्य है। वे निराधार बातें नहीं हैं। परन्तु इतना सब होते हुए भी जब गडबड़ी या आन्दोलन कोई ऐसा मोड़ ले लेता है जो हमारे लोकतान्त्रिक तन्त्र को हानि पहुंचाता है, जो हमारी राष्ट्रीय एकता में बाधा बनता है तो तब सारा ही देश एक हो जाता है और उस मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल या विपक्ष के विभाजन का प्रश्न ही नहीं उठता है। जब कभी देश के किसी भाग में कोई गड़बड़ी होती है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और यह विश्वास करना चाहिए कि सारा देश एक व्यक्ति बनकर खड़ा हो जायेगा। इसलिए, हमारी संविधि-पुस्तिका में और अधिनियमों में यह आपत्तिजनक अधिनियमन नहीं होना चाहिये और इसीलिए तो मैं कहता हूं कि युद्ध एक अलग ही चीज है। जब हम पर कोई विदेशी शक्ति आक्रमण करती है, विशेषकर जबकि अमरीकी साम्राज्यवादी दुर्भाग्य से आजकल हमारे पड़ोसी चीन से मिले हुए हैं तो हमें सतर्क रहना होगा। ऐसी परिस्थिति में, हमें और अधिक सावधान रहना होगा और वह एक बड़ी बात होगी। इसीलिए तो मैंने अपने विधेयक में यह बात रखी है कि युद्ध काल में, आक्रमण के दौरान इस प्रकार की कटौती हमें स्वेच्छा से स्वीकार करनी होगी, एक देश के रूप में, एक राष्ट्र होने के नाते हमें वह स्वीकार करनी होगी। परन्तु इस देश में मुझे इसका डर है क्योंकि सत्तारूढ़ दल का कुशासन जो है। यह जो अधिकाधिक देश के एकाधिकार-प्राप्त घरानों पर निर्भर करता जा रहा है। क्योंकि यह देश को, मतदाताओं को दिए गये अपने वायदों को दिन-पर दिन भूलता जा रहा है और जिस उद्देश्य को लेकर एक बार ये चले थे अर्थात इन्होंने अपने चुनाव-घोषणा-पत्र में 'समाजवाद' शब्द जोड़ा था, वे सब बातें भुला दी गई हैं। यहां तक कि प्रधान-मन्त्री महोदय तक कभी इन बातों का जिक्र तक नहीं करती हैं। ऐसी स्थिति में, जबकि आप स्वाभाविक रूप से एकाधिकार-प्राप्त घरानों पर निर्भर कर रहे हैं, जबकि आप स्वभावतः शोषकों पर निर्भर कर रहे हैं तो लोगों का असन्तोष तो बढ़ेगा ही और एक ऐसी परिस्थिति में लोगों के विरूद्ध; लोकतान्त्रिक विपक्ष के विरूद्ध; और उनके विरुद्ध जो ईमानदारी से आपसे मतभेद रखते हैं, जबकि मतभेद राष्ट्रीय अखण्डता देश की सुरक्षा, देश की एकता की समस्याओं पर न होकर आपके दुष्कर्मों आपके कुशासन और गैर-उत्पादक वर्गों द्वारा शोषण के बारे में होता हैं तो इस प्रकार के अधिनियम के प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और इसीलिए तो मैं कहता हूं कि केवल बाह्य आक्रमण के मामले में—जिसे केवल अपवादस्वरूप लिया जा सकता है, — ही टेप करने को अपवादस्वरूप अपनाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। जब कभी मैं कहीं भी कोई तार देता हूं तो यह तो खुली बात होती हैं, कोई गुप्त थोड़े ही रहती है प्रस्तुत विधेयक भारतीय तार

अधिनियम को संशोसिध करने के लिए लाया गया है। यह तो स्वयं भी एक खुली पुस्तक है, इसमें गुप्त कुछ भी नहीं है। मैं यह तो नहीं कहता कि दूरभाष के मामले में टेप करने में उन्हें सुभीता होता है। मेरे विचार से डाक के मामले में सेन्सर आवश्यक नहीं है। परन्तु यहां तो बर्तमान विधेयक में तार-अधिनियम को संशोधित करने की बात कही गई है। यह तो एक स्पष्ट खुली चीज है इससे कोई भी व्यक्ति यह पता लगा सकता है कि उसमें क्या है। यहां तक कि जो व्यक्ति तार वितरित करता है, उसके विषय में जान सकता हैं, उसे जानना चाहिये और जानता भी है कि उसमें क्या है। ऐसी स्थिति में, कोई भी व्यक्ति उसमें ऐसी बात लिखकर बेवकूफ नहीं बनेगा जो कि किसी अन्य व्यक्ति को या सम्बद्ध दल को पता नहीं चलनी चाहिये। अतः आपने यह सही प्रश्न उठाया है जिसका कि मैं यह कह कर उत्तर दे चुका हूं कि यह इस मामले में लागू ही नहीं होता अर्थात तार के मामले में। इसीलिए मैं सोचता हूं कि सत्तारूढ़ दल और सरकारी पक्ष इस समस्या पर विचार करेगा और हमारी लोकतान्त्रिक प्रणाली से इस कलंक को मिटाने में इस संसद को सहयोग देगा। यह कलंक हमारे तार-अधियनियम की धारा 5 (2) और इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के कुछ भागों के रूप में विद्यमान है। इसीलिए तो मैंने इस विधेयक को पु :स्थापित करते समय यह आशा की थी कि यह सभा एक स्वर से इस विधेयक को स्वीकार करेगी।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : यह बिल जो श्री भोगेन्द्र झा ने प्रस्तुत किया है मैं इसका विरोध करता हूं।

इस बिल के अन्दर यह जो प्रावधान ब्रिटिश काल से रखा गया था, उसका मकसद क्या था ? किस वजह से यह प्रावधान रखा गया, उसके पीछे मकसद यह था कि यदि देश में लड़ाई हो जाती है या कोई अन्दरूनी गड़बड़ी हो जाती है तो उस समय चैक करने के लिए इस प्रकार के कामों में जो लोग सहायक होते हैं, उनकी डाक और टेलीफोन सेंसर करने के लिए यह प्रावधान रखा गया था और यह आज भी जारी है।

माननीय सदस्य ने बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें कहीं हैं। उन्होंने कहा कि जनता पार्टी के शासन काल में भी उनके स्वयं के चेयरमैन के टेलीफोन टेप किए जाते थे और उनकी डाक सेंसर की जाती थी। अन्य मन्त्रियों के सम्बन्ध में भी उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार का प्रावधान नहीं होगा तो आपके पास चीन बैठा है पाकिस्तान बैठा है और उसके जासूस यहाँ पर काम करते हैं। कोई मुल्क ऐसा नहीं है, जहाँ के जासूस यहाँ पर काम न करते हों। इन लोगों का अधिकारियों से और बड़े लोगों से सबंध रहता है तो यदि ऐसे लोगों की डाक सेंसर की जाती है तो यह प्रावधान नितांत आवश्यक है। यदि देश में गड़बड़ी पैदा हो जाती है और दुश्मन हमारे यहाँ के लोगों से मिलकर गड़बड़ी पैदा करता है तो इस प्रकार का प्रावधान नितांत आवश्यक है। अगर इस प्रावधान को हटा दिया गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा हो सकती है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि इस देश में होर्डर्स हैं, स्मगलर्स हैं, ब्लैक मार्केटियर्स हैं और ये लोग नाजायज तरीके से धन कमाते हैं। इनका संपर्क अधिकारियों से और राजनेताओं से होता है और इससे ये लोग अपना धन्धा फैलाने में कामयाब हो जाते हैं। इन सबकी जानकारी प्राप्त करने के लिए यह प्रावधान आवश्यक है। आप जानते हैं कि ये कितने साधन-संपन्न लोग

होते हैं। इनकी अपनी टेलेक्स और टेलीग्राफ्स काम करती हैं और ये एक तरह से पेरयर गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं। इनके लिए अगर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं रखी गई तो देश की व्यवस्थाओं को बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा। इसी प्रकार राजनीतिक पार्टियों के लिए यदि इसका प्रयोग किया जाता है तो जो सही काम कर रहे हैं, उन्हें डरने की क्या जरूरत है। उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर कोई दुश्मनों के साथ मिला हुआ है या बाहर के लोगों से मिला हुआ है तो उनके लिए इस तरह का प्रावधान नितांत आवश्यक है। यदि इसको हटा दिया जाता है तो हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहती, जिससे देश की रक्षा और जनता की रक्षा को कायम रखा जा सके। आप तो जानते ही हैं कि बहुत से लोग हैं जो देश का विभाजन करने में लगे हुये हैं, टुकड़े-टुकड़े करने में लगे हुए हैं, खालिस्तान का नारा देते हैं असम में गड़बड़ी की बात करते हैं और इस प्रकार के लोग अगर कोई मैसेज फोन से या तार से या चिट्ठी पत्री द्वारा भेजते हैं तो उनको सरकार को जरूर सेंसर करना चाहिए। अगर उनके मैसेज उन लोगों तक पहुंच जाएं जो देश में गड़बड़ी या उत्पात मचाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है यह चीज नितान्त आवश्यक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में यह प्रावधान किया गया था यह सही है। इसको स्लेवरी की निशानी कहा गया है। लेकिन सरकार को कायम रखने के लिए देश की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए, देश की आजादी को बनाए रखने के लिए इस प्रकार का प्रावधान बनाए रखना नितान्त आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उससे देश को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है।

कुरप्शन की बात भी कही गई है। बहुत से लोग आज कुरप्शन में लिप्त हैं। उनकी बातें चिट्ठी पत्री द्वारा या फोन द्वारा दूसरों तक न पहुंच सके इसके लिए यह आवश्यक है कि सेंसरशिप की व्यवस्था जारी रखी जाए, उनके फोज को टेप किया जाए। कुरप्शन को घटाने में इस का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे लोगों के बारे में निश्चित तौर पर सरकार के पास जानकारी होनी चाहिए, उनकी सूची बनानी चाहिए। कौन होर्डर्ज हैं, प्राफिटीयर्ज हैं, ब्लैक मार्किटियर्ज हैं, स्मगलर्ज हैं, कुरप्ट हैं, उनकी सूची खुफिया विभाग द्वारा बनाई जा सकती है और इस विभाग को दी जा सकती है और वैसे लोगों के खिलाफ अगर इस व्यवस्था को मजबूती से लागू किया जाए तो हमारी बहुत सी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। इस वास्ते इस व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाया जाना चाहिए।

यह ठीक है कि रोजमर्रा के कामकाज में सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार तभी टिकी रह सकती है, देश की सुरक्षा व्यवस्था तभी बनी रह सकती है जब जो लोग विदेशी दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं, कुरप्शन करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर चैक तभी लगा रह सकता है जब इस प्रकार के प्रावधानों को और ज्यादा मजबूत किया जाए टेलीफोन या डाक तार विभाग के पास अगर इस प्रकार के लोगों की सूची नहीं है तो उसको यह उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उनके खिलाफ प्रभावी रूप में इस सम्बन्ध में कार्यवाई की जा सके, उनकी गतिविधियों पर चैक लगाया जा सके, देश की व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने में हम ज्यादा से ज्याद योगदान कर सकें।

एमरजेंसी की बहुत सी बातों का जिक्र किया गया है। यह कहा गया है कि उस वक्त किन-किन लोगों के फोन टेप किये जाते थे। आप एमरजेंसी की बात को छोड़ें। स्वयं आपने

कहा है कि श्री मोरार जी देसाई ने जब एमरजेंसी समाप्त हो गई थी तब भी आपके बड़े-बड़े पदाधिकारियों और मंत्रियों आदि के फौज को टेप करवाया, तभी भी फोन टेप होते थे यह तो गवर्नमेंट का एक तरीका है, एक व्यवस्था है जिसके जरिये गवर्नमेंट चलती है, जानकारी उसको मिलती है कि कौन-कौन से राजनीतिक दल किस-किस प्रकार की गतिविधियाँ कर रहे हैं, कौन-कौन से लोग हैं जो इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ दुश्मनी करके देश के टुकड़े-टुकड़े करवाने की बात करते हैं। अगर इस सबकी जानकारी सरकार के पास नहीं होगी तो वह किस प्रकार देश की सुरक्षा को बनाए रख सकती है, किस प्रकार से आजादी को बनाए रखा जा सकता है, आर्थिक व्यवस्थाओं को ज्यादा मजबूती से चलाया जा सकता है। इस वास्ते इस प्रकार की जो व्यवस्थायें हैं उनको और ज्यादा मजबूत बनाया जाना चाहिये।

माननीय सदस्य ने जो बिल रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। इसको मान लेने से हमारी सुरक्षा, हमारी आजादी, हमारी आर्थिक उन्नति के लिए जो कुछ किया जा रहा है, उसको बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय सदस्य इसको वापिस ले लें।

श्री भोगेन्द्र झा : मुझे एक निवेदन करना है। मैं समझता हूं कि तार-विभाग के पास डाक या तारों में हस्तक्षेप करने या टेप करने का तन्त्र उपलब्ध नहीं है। वह सब काम तो गृह मंत्रालय, आसूचना-विभाग, सुप्तचर-विभाग करता है। अतः मेरे विचार से अधिक अच्छा यह होगा, यदि गृह मंत्री महोदय भी यहां उपस्थित रहें तो। मेरे विचार से डाक तार विभाग यह काम नहीं करता, यह तो गृह मंत्रालय को ही करना पड़ता है।

सभापति महोदय : जब भी संचार मंत्री महोदय उत्तर देते हैं वह पूरी सरकार की ओर से उत्तर देते हैं। श्री मधु दंडवते।

प्रो. मधु दंडवते : सभापति महोदय, उस विधेयक का समर्थन करते हुए जो कि मेरे माननीय मित्र श्री भोगेन्द्र जा जी ने पेश किया है, मैं उन्हें यह याद दिला देना चाहता हूं कि उन्होंने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसका क्षेत्र सीमित है। इसी प्रकार का एक विधेयक मैं पहले ही इस सभा में प्रस्तुत कर चुका हूं जो कि अधिक व्यापक है और मैंने दोनों ही विधेयकों के संशोधनों को उसमें इकट्ठा कर दिया है, अर्थात भारतीय तार अधिनियम, 1885 और 1898 का डाकघर अधिनियम भी। जब तक इन दोनों विधेयकों को संशोधियत नहीं कर दिया जाता है, तब तक सरकार को जो व्यापक शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, जो कि लोगों को लोकतांत्रिक स्वतन्त्रा के साथ छेड़-छाड़ कर सकती हैं, उनको कतई नहीं रोका जा सकता है यद्यपि यहाँ इतना व्यापक विधान नहीं लाया जा रहा है फिर भी चूंकि मैं यहां पुरःस्थापित विधेयक के लक्ष्यों और उद्देश्यों से सहमत हूं, इसलिए मैं इसे अपना समर्थन देता हूं।

यह सच है कि इन विधानों को उस समय ब्रिटिश शासन काल में अधिनियमित किया गया था जब कि हमारा वर्तमान संविधान नहीं बना था। परन्तु संविधान के लागू होने के पश्चात, मैं वास्तव में इस सभा की सवैधानिक और वैधानिक क्षमता को चुनौती देना चाहता हूं। मैं इस विधान की भी संवैधानिक क्षमता को चुनौती देना चाहता हूं।

हमने उस संविधान को स्वीकार किया है जिसमें भाग III में नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विचार किया गया है। अनुच्छेद 19 में स्वतन्त्रता के अधिकार पर बिचार करते

हुए कहा गया है "सभी नागरिकों को अधिकार होगा—(क) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता।" तो भाग (क) में स्पष्टरूप से कहा गया है, "भाषण करने और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता।" भाषण की स्वतन्त्रता का व्यापक अर्थ है यह अभिव्यक्ति मात्र ही नहीं है। अभिव्यक्ति के अधिकार का उपयोग लेखों द्वारा किया जाता है। अभिव्यक्ति के जिस अधिकार का उपयोग भाषण द्वारा किया जाता है। अभिव्यक्ति के जिस अधिकार का उपयोग भाषण द्वारा किया जाता है जिसको हम अभिव्यक्त करते हैं या संसद / विधान सभा में भाषण की स्वतन्त्रता के रूप में करते हैं उसका यथा संभव व्यापक अर्थ है।

मैं अपने सहयोगी अथवा मित्र के साथ पत्र व्यवहार कर सकता हूं, मैं उन्हें पत्र भेज सकता हूं। मैं उसमें कुछ राजनीतिक विचार व्यक्त कर सकता हूं। मेरे एकान्तता के अधिकार की यह मांग है कि अपने सहयोगी को निजी पत्र द्वारा व्यक्त किए गए मेरे विचारों पर राज्य जैसी संस्था को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये दो अधिनियम, अर्थात भारतीय तार अधिनियम 1885 और डाकघर अधिनियम 1868, जो पहले से ही कानून के रूप में हैं, वास्तव में संविधान की धारा 19 के उपबन्धों के विपरीत बैठते हैं। इसीलिए हम में से कुछ लोग इन दो अधिनियमों की संवैधानिक मान्यता को चुनौती देना चाहेंगे। ये दोनों अधिनियम बहुत पुराने पड़ चुके हैं और नए सविधान के दायरे से बाहर हैं जिन्हें कि स्वतन्त्र भारत ने स्वीकार किया है।

अत: प्रत्यक्षत: उस पहलू को लागू नहीं किया जा सकता, न ही इस सदन में उसका निर्णय हो सकता है क्योंकि इससे पहले भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं। जब हम किसी विधान की संवैधानिक मान्यता को चुनौती देते हैं तो पीठासीन अधिकारी यह घोषणा कर देते हैं कि किसी विधान विशेष की सवैधानिक मान्यता को निर्धारित करने के लिए यह सभा उपयुक्त प्राधिकरण नहीं है अथवा सक्षम नहीं है, अत: आप को न्यायालय में जाना होगा, आपको इसका न्यायिक उपाय करना होगा। भगवान का शुक्र है कि न्यायिक उपाय के इस विशेष पहलू को जिसे आपात काल के दौरान समाप्त कर दिया गया था अब पुन: स्थापित कर दिया गया है। और इसीलिए नागरिकों के लिए देश की उच्चतम अदालतों में जाना संभव हो सकेगा तथा वहां वे इस अधिनियम विशेष, इन दो अधिनियमों, में जो कि सविधान के भाग 3 में हमें दिए गए मौलिक अधिकारों में बाधा डालते हैं, के बारे में अपनी शिकायतों के दूर कराने का प्रयास कर सकेंगे हम वैसा ही करेंगे। लेकिन इसके साथ ही मैं माननीय अध्यक्ष द्वारा इस सदन में उस समय दिए गए कुछ विनिर्णयों तथा व्यक्त किए गये विचारों की ओर भी संकेत करना चाहता हूं, जब कि हममें से कुछ संसद सदस्यों ने डाक पर लगाए गए सेंसर सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहा था। उस अवसर पर अध्यक्ष महोदय द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई थी। अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि "संविधि पुस्तक में इन दो अधिनियमों के विद्धमान रहने के कारण मेरे हाथ बंधे हुए हैं।" उन्होंने कहा था कि "जब कि 1885 और 1898 का अधिनियम विद्यमान हैं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं।"

श्रीमन मेरे जैसे व्यक्ति को तथा उन व्यक्तियों जो इस तरह के विधेयक लाये हैं, इस पर खेद हैं और जैसा कि मैंने अपने विधेयक के कारणों और उद्देश्यों के कथन में कहा है मैं इस विधेयक को अध्यक्ष के हाथों को खोलने के लिए लाया हूं। उन्होंने स्वयं ही कहा है कि मेरे

हाथ बंधे हुए हैं।" और यदि इन अधिनियमों से उनके हाथ बंधे हैं तो इस अवस्था में अध्यक्ष महोदय के हाथ खोलने का सबसे उचित तरीका यह है कि गैर सरकारी सदस्य के इस विधेयक को प्रस्तुत किया जाए जिससे हम इसके लिए प्रयत्न कर सकें कि इन अधिनियमों के प्रावधानों को वास्तव में संशोधित कर दिया जाये।

मैं इस विशेष पहलू पर विस्तार पूर्वक टिप्पणी करना नहीं चाहता। किन्तु मैं आस्ट्रेलियाई संसद और आस्ट्रेलिया के पूर्वोदाहरणों का सरसरी तौर से उल्लेख करूंगा। वह सचमुच ही अत्यन्त निराधार पूर्वोदाहरण था। जैसा कि मेरे साथी और सहयोगी ने ठीक ही कहा है कि कुछ विशेष परिस्थितियों के सम्बन्ध में तथा युद्ध के वातावरण के सम्बन्ध में कुछ बातों का उल्लेख किया गया था तथा संसद में इसकी चर्चा भी हुई थी। कुछ विनिर्णय भी दिए गए थे लेकिन जो विनिर्णय युद्ध काल के संदर्भ में दिये गए थे वे शांति के समय मान्य नहीं माने जा सकते। और इसलिए संदर्भ ही एकदम भिन्न है। इसीलिए, मैं चाहता हूं सदन वर्तमान स्थिति के संदर्भ में पूरे संशोधन विधेयक पर विचार करे तथा संविधान के भाग 3 में जिन मौलिक अधिकारों की गारन्टी दी गई है उनकी पृष्ठभूमि में भी इस पर विचार करे। यदि यह अधिनियम विशेष यानी 1835 तथा 1893 के ये दो अधिनियम बने रहते हैं तो लोगों की नागरिक स्वतन्त्रता पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका क्षेत्र बहुत विशाल है। अतः यह युद्ध की वास्तविक स्थिति से संबंधित नहीं है। इनमें केवल आपात काल के लिए ही व्यवस्था नहीं है वरन् यह लोक सुरक्षा के हित की बात करता है। लोक सुरक्षा का हित' एक बहुत ही खतरनाक युक्ति है। लोक सुरक्षा की व्याख्या सरकार द्वारा विभिन्न रूप में की जा सकती है। और विशेषकर एक तानाशाही सरकार इस खंड विशेष की बहुत खतरनाक तरीके से व्याख्या करती है। आपातकाल के समय हम ऐसे उपबन्धों से पीड़ित थे। सरकार को दी गई शक्तियों में से कुछ शक्तियों का आपातकाल के दौरान दुरुपयोग किया गया था. शांतिकाल के दौरान भी उनका दुरुपयोग किया जा रहा है और इसीलिए मैं यह समझता हूं कि अगर यह अधिनियम विशेष लागू रहता है तथा गैर-सरकारी सदस्य के इस विधेयक को सदन द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता तो उस अवस्था में निजी स्वतन्त्रता, एकान्तता का अधिकार तथा लोकतंत्रीय स्वतंत्रता अधिकार मजाक बन कर रह जाएगा। मैं संक्षिप्त रूप में समर्थन करता हूं। कर्नाटक में जब कन्नड प्रभा तथा इंडियन एक्सप्रेस ने पुलिस अधिकारियों का एक गुप्त परिपत्र प्रकाशित कर दिया था तो उस मामले में चर्चा शुरू हो गई और चर्चा यह नहीं थी कि गुप्त परिपत्र की विषय वस्तु ठीक थी या नहीं, अथवा क्या संदेश को बीच में सुनने के लिए और विधायकों पर निगरानी रखने के लिये निदेश दिये गए थे अथवा नहीं। इस विशेष पहलू पर विचार नहीं किया गया। वरन् चर्चा यह उठी कि इण्डियन एक्सप्रेस तथा कन्नड प्रभा के संपादक ने इस गुप्त परिपत्र को कैसे प्राप्त किया। उदाहरण के लिए यदि हम पुलिस स्टेशन में शिकायत करते हैं कि कुछ गांवों में कुछ अत्याचार किए गये हैं और यदि पुलिस अधिकारी हमसे प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं कि हमें इन अत्याचारों की गुप्त सूचना हमें कैसे प्राप्त हुई, तो तब हम पुलिस अधिकारियों से यह कहेंगे कि आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि हमने इन अत्याचारों के रहस्य के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त की। बल्कि आपको तो इस बात से संबंध रखना चाहिए कि अत्याचारों के बारे में क्या कार्यवाही की जाये। लेकिन उस गुप्त परिपत्र के सम्बन्ध में उन्होंने इस बारे में जांच शुरू कर दी कि वह गुप्त परिपत्र कन्नड प्रभा तथा इंडियन

एक्सप्रेस के सम्पादकों तक कैसे पहुंचा। गुप्त परिपत्र की विषय-वस्तु में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन मेरी उस विषय-वस्तु में अधिक दिलचस्पी है उसके स्वरूप से नहीं। आपात काल के दौरान, उससे पहले तथा आपात काल के बाद के समय में हुए अपने अनुभवों से मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि एक बार आप इस शस्त्र को अधिकांश वर्ग के हाथ में दे दें तो सम्भावना यह होती है कि वे इसका दुरुपयोग करें। जब अधिकारी वर्ग पर राजनैतिक दबाव डाला जाता है तब इन अधिकारों का दुरुपयोग बहुत ही खतरनाक हो जाता है। यदि सबंधियों को निजी बातें लिखी जा रही हों और अधिकारी वर्ग उन पत्रों में लिखी बातों को जानने का प्रयत्न करें तो हमारे जीवन में गोपनीयता की बात क्या रह जाती है। हमेशा यह नहीं होता कि राजनैतिक सूचनाओं को ही बीच में पढ़ा जाये। जब हम जेल में थे। और हमारे पत्रों की जांच की जाती थी तो मैं हमेशा अपनी पत्नी से, जो स्वयं भी जेल में थी यह कहा करता था कि "अपने पत्रों को निजी मामलों तक ही सम्बन्धित नहीं रखो वरन् उनमें जनता से सम्बन्धित मामलों के बारे में लिखो केवल उन मामलों के बारे में जो आपत्तिजनक नहीं हों। एक बार मेरी पत्नी ने मुझसे शिकायत भी की कि जेल में उसे भेजे गये सभी पत्रों में मैंने उसे ऐसे सम्बोधित किया है जैसे वो किसी अन्य स्त्री को सम्बोधित किए जा रहे हैं। मैं यह भली-भांति जानते हुए कि जेल में रह रही मेरी पत्नी के नाम लिखे गए भी मेरे पत्र हमेशा पहले जेल अधिकारियों तथा सेंसर अधिकारियों के हाथ से गुजरते हैं, मैंने उसे हास्यास्पद रूप से लिखा ··

सभापति महोदय : उत्तर किस प्रकार का था ?

प्रो. मधु दण्डवते : मैं आपको बताता हू। मैंने हास्य भाव से लिखा था "किसी की पत्नी के साथ जेल अधीक्षक या किसी अन्य के माध्यम से प्रेम सम्बन्ध चलाने में क्या अच्छाई है। इससे तो ऐसे लिखना अधिक अच्छा है जो सब्जियों की भांति हानि रहित है।"

सभापति महोदय : क्या आप शाकाहारी हैं ?

प्रो. मधु दडवते : मैं मांसाहारी हूं, परन्तु व्यवहार में मुझे शाकाहारी होना पड़ता है। दुनिया के सभी देशों में गोपनीयता के अधिकार को एक महत्वपूर्ण अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रय का एक स्तम्भ माना गया है; जब यह विशेष अधिकार छीन लिया जाता है तो इसे व्यक्ति की स्वन्तन्त्रता तथा अधिकारों में अनाधिकृत रूप से गम्भीर हस्तक्षेप माना जाये। राजनैतिक दलों में अक्सर हम अपने साथियों के साथ आन्तरिक बातचीत करना चाहते हैं। हम कुछ विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं। यदि राजनैतिक दल गुप्त बैठकें करके विचार-विमर्श करते हैं तो इसका केवल यही कारण होता है कि जब भी कभी वे कोई चर्चा या वाद-विवाद करते हैं तो उनमें भिन्न 2 विचार धारायें प्रस्तुत की जाती हैं। उनमें कोई व्यक्ति ऐसे विचार भी प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है जिसके फलस्वरूप कभी-कभी विचार-विमर्श में ऊपरी झगड़ा भी पैदा हो जाता है ताकि प्रस्ताव के दोनों पक्षों पर उचित रूप से चर्चा हो सके; ऐसी बात नहीं है कि वह व्यक्ति उस विशेष विचारधारा में विश्वास रखता हो। कभी कभी कोई विचारधारा या दृष्टिकोण समिति की बैठक में इसलिए प्रस्तुत किया जाता है ताकि प्रस्ताव के दोनों पक्षों पर अच्छी तरह से चर्चा की जा सके। यदि ये दस्तावेज, बैठकों के कार्यवाही सारांश हमारे दूसरे साथयों को भेजे जाते हैं तथा ये सरकार द्वारा बीच में पढ़ लिये

जायें और उनको प्रकट कर दिया जाये तो उस स्थिति में राजनैतिक दलों के राजनैतिक विचारधाओं के सम्बन्ध में कुछ गंभीर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

सभापति महोदय : एक दूसरा पहलू भी है। दलों में एकस्वरेता होते हुए भी सरकार को यह भ्रान्ति हो सकती है कि आप झगड़ा कर रहे हैं।

प्रो. मधु दंडवते : कभी कभी यदि पत्राचार प्रगट हो जाए तो सरकार को गलतफहमी हो सकती है और उस दशा में उस राजनीतिक दल के लिये यह एक फायदा ही है, परन्तु ऐसी बात एक अपवाद के रूप में ही हो सकती है। इस संदर्भ में मैं आपको एक दिलचस्प पूर्व उदाहरण देता हूं। क्योंकि आप स्वयं एक स्वतन्त्रता सेनानी है अतः आपको याद होगा कि 1942 के आन्दोलन से पहले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी समिति से कुछ बातचीत चल रही थी और उनके विचारों में स्वयं 1942 के संघर्ष के विषय में मतभेद था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने एक विचार रखा, पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने दूसरा तथा आचार्य जे. बी. कृपलानी ने उससे पृथक रखा, महात्मा गाँधी ने उससे भी भिन्न मत प्रस्तुत किया तथा कार्यकारिणी समिति के समाजवादी सदस्यों ने सबसे भिन्न मत प्रस्तुत किया।

सभापति महोदय : परन्तु महात्मा गाँधी ने इलाहाबाद अधिवेशन में भाग नहीं लिया था।

प्रो. मधु दंडवते : मैं कार्यकारिणी समिति की बैठक की बात कर रहा हूं। कृपया आप अपनी पुरानी राजनीतिक डायरी देखें। और यदि आपके पास नहीं है तो मैं प्रस्तुत कर सकता हूं जो अंग्रेजों के द्वारा छपवाई गई है।

सभापति महोदय : मैं उसको पढ़ूंगा।

प्रो. मधु दंडवते : उस समय सरकार ने इन दोनों कानूनों के अन्तर्गत इन्ही शक्तियों का प्रयोग किया और उनके पत्रों में गड़बड़ी करने का प्रयत्न किया। उनके हाथ कुछ दस्तावेज लग गये। उनके हाथ तत्कालीन महासचिव आचार्य जे. बी. कृपलानी द्वारा बनाये गये कच्चे नोट्स भी लग गये। कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की पोल खोलने तथा उनकी प्रतिष्ठा कम करने तथा विश्व को यह दिखाने के लिए कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने में भी कांग्रेस नेता संगठित नहीं थे उन्होंने आचार्य जे. बी. कृपलानी द्वारा लिखे गये कार्यवाही—सारंश को प्रकाशित कर दिया।

आपको एक महत्वपूर्ण घटना याद होगी। जब जयप्रकाश नारायण देवली जेल में बन्द थे और उन्होने कुछ पत्रों को चोरी छिपे बाहर भेजने का प्रयत्न किया पर पुलिस के हाथ लग गये। जब वे पत्र प्रकाशित कर दिये गये तो अंग्रेजों को यह सन्तुष्टि हुई कि अब वे महात्मा गांधी तथा जयप्रकाश नारायण को पृथक रखने में सफल हो सकते हैं। ब्रिटिश अधिकारियों ने महात्मा गांधी को उन पत्रों तथा टेप रिकार्ड की गई सामग्री के आधार पर चुनौती दी कि जयप्रकाश नारायण देश में एक सशस्त्र विद्रोह की तैयारियां कर रहे हैं और यदि उनमें साहस है तो वे जयप्रकाश नारायण की निन्दा करें। परन्तु गांधीजी एक दूसरे प्रकाश के आदमी थे। उन्होंने अपने एक पत्र में एक छोटा सा लेख दिया और उसमें कहा कि संघर्ष के तरीके के संबंध में जयप्रकाश नारायण से हमारे कुछ मतभेद हो सकते हैं परन्तु अंग्रेजों को इससे क्या सरोकार

जब कि उनका शासन ही हिंसा पर टिका हुआ है तथा उनको जयप्रकाश नारायण तथा मेरे बीच मतभेदों के विषय में चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। तथा इन पत्रों व अभिलेखों के प्रकाशित हो जाने के बाद भी महात्मा गाँधी ने कहा कि मेरे और जयप्रकाश नारायण के बीच मतभेद हो सकता है परन्तु उनका देश प्रेम स्फटिक के समान तथा स्वच्छ है।

ये ऐतिहासिक घटनायें मैंने आपको यह बताने के लिये सुनायीं हैं कि अंग्रेजों ने इन कानूनों के अन्तर्गत राजनैतिक दलों की प्रतिष्ठा को कम करने के लिये पत्रों, तारों तथा टेलीफोनों को बीच में पढ़ने-सुनने का किस प्रकार से प्रयत्न किया। यदि अंग्रेजों ने यह सब किया तो जो लोग अब कुछ मामलों में अंग्रेजों का अनुकरण कर रहे हैं वे भी उन्हीं कानूनों का प्रयोग कर सकते हैं तथा एक राजनीतिक दल को दूसरे दल के विरुद्ध करने का कार्य कर रहे सकते हैं। वे दल के अन्तरंग वादविवादों को दल के अन्तर्गत ही किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध करने के लिये प्रयोग कर सकते हैं। ये सब कार्य किये जाते हैं। अतः आप यह मत सोचो कि ये विशेष प्रावधान तस्करों, भ्रष्ट व्यक्तियों तथा जासूसों को पकड़ने के लिये ही हैं। इन सब प्रावधानों के बावजूद भी तस्करी चलती रहती है तथा तस्करों के सहयोगी तथा तस्कर राज्यों के शासक बन चुके हैं। ऐसा प्रायः होता है। अतः यह अधिनियम ऐसे असामाजिक कार्यकलापों सुरक्षा प्रदान करने के लिये नहीं हैं। वे इसके भिन्न हैं। ऐसी बहुत सी वैधानिक शक्तियां तथा राज्य शक्तियां हैं जिनके द्वारा तस्करों, भ्रष्ट व्यक्तियों तथा असामाजिक तत्वों से निपटा जा सकता है। विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम अभी बना हुआ है जिसका तस्करों की गतिविधियों से निपटाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यदि विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित कोई अनियमितायें हैं तो उनसे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियमन के अन्तर्गत बहुत ही प्रभावी ढग से निपटा जा सकता है। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिये इस प्रकार के विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः इन विधानों के लोक हित में या लोक सुरक्षा के लिये प्रयोग किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है।

फिर 'लोक सुरक्षा' क्या है ? यदि आप खण्ड 5 के शब्दों को देखें तो इसमें लिखा हैं

"किसी लोक आपात के घटित होने पर या लोक क्षेमार्थ, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा तन्निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई पदाधिकारी यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करना आवश्यक है इस अधिनियम के अधीन अनुसप्त किसी पदाधिकारी द्वारा स्थापित, बने रखे गये या कि गया किसी तार यन्त्र का अस्थाई कब्जा ले सकेगा।"

डाकघर अधिनियम में भी एक इसी प्रकार का प्रावधान है अतः डाक के सम्बन्ध में, (मैं पुरुष अथवा स्त्री का सन्दर्भ नहीं दे रहा हूं) तार सन्देशों के संबंध में, टेलीफोन सन्देशों के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि लोक हित या लोक क्षेम का नाम लेकर इनमें से किसी को भी बीच में पढ़ा-सुना जा सकता है।

मैं यह क्यों कहता हूं कि यह धारा खतरनाक है ? इसलिये कि हमने अपने अनुभव से यह जाना है कि 'लोक सुरक्षा शब्द' किस प्रकार बहुत अधिक खतरनाक है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के विषय में हमें बतलाया गया था कि इसका केवल राष्ट्रीय सुरक्षा व राष्ट्रीय एकता के लिये ही प्रयोग किया जायेगा, परन्तु उसका प्रयोग सरकार के कुछ अत्याचारपूर्ण कार्यों के विरुद्ध

आक्रोश प्रकट करने के लिये कर्मचारियों द्वारा आंशिक हड़ताल पर जाने का निश्चय करने पर भी किया जा रहा है। हमें बताया गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का राजनैतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जायेगा। परन्तु इसका प्रयोग लोक सुरक्षा के हित में कहकर किया जा रहा है जिसके लिये स्थिति तभी पैदा होती है जबकि पर्याप्त राजनैतिक संघर्ष हुए हों। अतः जब कभी कर्मचारी वर्ग द्वारा राजनैतिक संघर्ष किया जाता है तो इसका प्रयोग उनके विरुद्ध किया जाता है।

जिस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के क्षेत्र को निर्धारित करने के लिये लोक सुरक्षा' तथा लोक क्षेम शब्दों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसी प्रकार से इस अधिनियम विशेष के खण्ड 5 में प्रयोग किये गये 'लोक क्षेम' शब्दों का भविष्य में दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना है। पहले इन शब्दों का दुरुपयोग किया गया इस समय इनका दुरुपयोग किया जा रहा है तथा भविष्य में भी इनका दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना है। अतः बहुत अधिक सावधानी से लोगों के जीवन तथा स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए तथा संविधान के भाग-तीन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से दिये गये सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकान्तता के अधिकार की रक्षा के लिये यह विधेयक वास्तव में ही अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये, यद्यपि मैं यह समझता हूं कि यह अपर्याप्त है, मैं इस अधिनियम का पूरे दिल से समर्थन करता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं भोगेन्द्र झा द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। केवल तार के मामलों में नहीं, तो डाक के मामले में भी इसी तरह का संशोधन विधेयक लाने की आवश्यता है।

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

मैंने स्वयं इस तरह के दो विधेयक पेश किए, लेकिन बैलेट ने श्री भोगेन्द्र झा का साथ दिया है और इसलिये उनके विधेयक को आधार बनाकर हम लोग अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के मित्र यह तर्क न दें कि सरकार को चलाने के लिये इस तरह के कानूनों की आवश्यकता है। अंग्रेज इस देश को गुलाम रखना चाहते थे। उनके लक्ष्य अलग थे, उनके तरीके अलग थे। वे स्वतन्त्रता के आन्दोलन को कुचलने पर उतारू थे। सचमुच में स्वाधीनता के बाद और विशेषकर नये संविधान के निर्माण के पश्चात इन कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए था। अंग्रेजी जमाने के कानून चल रहे हैं। क्या केवल इसलिए वे ठीक हैं कि वे सरकार के हाथ में ऐसे अधिकार देते हैं, जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है। अभी मेरे मित्र प्रो. मधु दण्डवते ठीक ही कह रहे थे कि पब्लिक सैफटी, पब्लिक ट्रान्क्युलिटी की व्यवस्था क्या है, उन्हें यह बात स्पष्ट नहीं है और मुझे भी स्पष्ट नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा समझ में आ सकता है। इसीलिए हमने संविधान में संशोधन करके एमर्जेन्सी को भी एक्सटरनल इमर्जेन्सी के साथ जोड़ा है। अगर देश पर आक्रमण हो, तो स्वाधीनता को सीमित करना पड़ेगा लेकिन शान्ति के काल में क्या व्यक्तियों को इस बात का अधिकार होगा कि वे पत्र-व्यवहार कर सकें और वह पत्र-व्यवहार सरकार की आंखों के सामने से न गुजरे ?

सभापति महोदय, आज भी मेरा टेलीफोन टेप किया जा रहा है। मैं इस आरोप को साबित करने के लिये तैयार हूं अगर आप एक पार्लियामेंटरी कमेटी बनायें और जो कर्मचारी टेलीफोन के टेपिंग में लगे हुए हैं उन्हें अगर आप अभयदान दे दें और यह आश्वासन दे दें कि

उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, तो उस अवस्था में मैं साबित कर दूंगा कि होम मिनिस्ट्री द्वारा नियुक्त लोग डाक व तार विभाग में बैठे हैं और टेलीफोनों को टेप कर रहे हैं। क्या यह बात किसी से छिपी हुई है कि दिल्ली में चिट्ठियों की सेंसरशिप शुरू कर दी गई थी। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने एक लिस्ट बनाई थी और उसमें मेरा भी नाम था और कांग्रेस (आई) के भी कुछ लोग हैं, जिनका नाम उसमें है।

एक माननीय सदस्य : व्यास जी का है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : व्यास जी महाभारत के बाद फिर आए नहीं।

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : उनको यह नहीं सोचना चाहिए कि वह एक मात्र अपराधी हैं। अन्य बहुत से अपराधी सूची में है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं चाहता हूं कि कोई भी अपराधी न हो जब तक कि वह अपराधी साबित न हो जाये।

मंत्री महोदय से सवाल पूछा गया था लेकिन मंत्री महोदय उस का जवाब टाल गये। मगर दिल्ली प्रशासन ने एक सूची बनाई थी और चिट्ठियों को इन्टरसेप्ट करना शुरू कर दिया था। श्री लाल कृष्ण आडवाणी के नाम एक ऐसी चिट्ठी आ गई जो श्री हंसराज गुप्ता को लीखि गई थी। यह कैसे हुआ ? बाद में पता लगा कि डाकखाने में चिट्ठी खोल कर पढ़ी गई और बन्द करके गलत पते के लिफाफे में बन्द कर दी गई। यह आरोप भी साबित किया जा सकता है। डाक व तार विभाग में काम करने वाले देश भक्त हैं। यह ठीक है कि वे सरकारी कर्मचारी हैं, मगर इन बातों से खुश नहीं हैं। संतुष्ट नहीं हैं। यह ठीक है कि मेल की सेंसरशिप अब बन्द कर दी गई है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या टेलिफोन को टैप नहीं किया जाता है ? टेलीफोन टैपिंग में एक फायदा जरूर है कि टेलीफोन बिगड़ता नहीं है क्योंकि जैसे ही टेलीफोन बिगड़ जाता है, जो टैप करने वाले लोग हैं, उन को पता लग जाता है कि टेलीफोन बिगड़ गया है और वे एकदम खबर करते हैं कि टेलीफोन ठीक करो। (व्यवधान) मगर ऐसा फायदा कोई नहीं लेना चाहेगा। सेंसरशिप अगर करनी है, तो खूलकर करो और मैं इस को समझ सकता हूं मगर जिसकी चिट्ठी सेंसर करनी हो, जिस का मेल सेंसर करना हो, उस को नोटिस दीजिए और लिफाफे पर लिख दीजिए "सेंसर्ड" दुनियां को पता लगना चाहिए, चोरी-छिपे मत करिए। किस अधिकार से करते हैं ? आप कहेंगे कि जो अधिकार अंग्रेजों से लिया था और जिस अधिकार का जनता-पार्टी ने परित्याग नहीं किया, क्या सारी बातें वे ही करनी हैं जो हम करते थे ? क्या कोई ऐसा भला काम नहीं करना है जो हम नहीं कर पाए। कुछ तो करके दिखा दीजिए। मुझे याद है कि उस समय भी जनता पार्टी में इस बात को कहा गया था कि यह चीज बंद होनी चाहिए, लेकिन मैं एक बात बतलाना चाहूंगा कि जनता सरकार में भी जो बड़े मंत्री थे वे सभी पराने कांग्रेसी ही थे। उनके सोचने और काम करने का तरीका वही बना हुआ था।

संचार मंत्री (श्री सी. एम. स्टीफन) : कांग्रेस तथा समाजवादी दल में भी ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सोशलिस्ट अलग थे और हम जनसंघ वाले अलग थे।

श्री सी. एम. स्टीफन : श्री राकेश आप ताली क्यों बजा रहे हैं ?

श्री आर. एन. राकेश (चैल) : आप प्रजातन्त्र के हिमायती नहीं हैं।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : लोकतंत्र की पुनर स्थापना के लिए वह आवश्यक था। हमारे मन में कोई भ्रम नहीं था। श्री जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में उनकी समग्र क्रांति की कल्पना वाली सरकार स्टेटसक्यू सरकार थी, लेकिन उसने एक ऐतहासिक आवश्यकता को पूरा किया। उसने लोकतंत्र की पुनरस्थापना कर दी। आप तो लोकतंत्र का गला घोंटने पर उतारू थे। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय, उस दिन जब मामला सदन में उठा तो स्पीकर महोदय ने कहा कि वे असहाय हैं-कानून बदलना पड़ेगा। अब हम सरकार को कसौटी पर कसना चाहते हैं। कानून बदलने का विधेयक लाए हैं और इसकी वजह से वेतन-भत्ते वाला विधेयक रोक दिया गया। गैर-सरकारी मेंबरों के समय में यदि ऐसे विधेयक पर चर्चा होती है तो वह समय का सदुपयोग है। जब इस विधेयक का जवाब आएगा तो सरकार का चेहरा बेनकाब हो जाएगा।

यह किसके लिए है, इस पर विचार होना चाहिए। यह असाधारण अधिकार किसका सामना करने के लिए है ? कहा गया कि पड़ोस में चीन है, पाकिस्तान है, तो क्या चीन और पाकिस्तान जब कोई साजिश करेंगे तो वे टेलीफोन पर खबर देंगे या टेलीग्राम भेजेंगे कि तैयार हो जाओ।

सभापति महोदय, आज हालत यह है कि टेलीग्राम बाद में पहुंचता है और चिट्ठी पहले पहुंच जाती है। श्री बी. एम. बिड़ला की मृत्यु हुई उस समय मैं दक्षिण के दौरे पर था। मैंने टेलीग्राम दिया, बाद में पता चला कि टेलीग्राम नहीं मिला। कहां जाता है टेलीग्राम-पता नहीं। टेलीफोन टेप होते हैं या नहीं मगर उसमें इतनी आवाजें होती हैं कि यह शक पैदा हो जाता है कि टेलिंग हो रहा है। किसके टेलीफोन आप टेप करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं ? व्यक्ति की प्राइवेसी की कोई रक्षा होनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने सवाल उठाया कि देश के भीतर कोई गड़बड़ी हो जाए तो क्या होना चाहिए। श्री मिश्र जी उस समय चेयर पर थे। देश के अन्दर गड़बड़ी हो जाती है तो क्या उसके लिए यह काला कानून जरूरी है ? क्या अन्य तरीकों से उस परिस्थिति का सामना नहीं किया जा सकता ? कौन सी बात देश में छिपी हुई है; मगर विघटनकारियों को रोकने के लिए इस कानून का उपयोग नहीं होता। तस्कारों की बात छोड़ दीजिए, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इन कानूनों का उपयोग होता है। अगर जनता राज में यह हुआ है तो भी गलत था। जनता राज की बहुत सी अच्छी-अच्छी बातें आप छोड़ रहे हैं तो इस बुरी चीज को छोड़ने में संकोच क्यों। इन सवालों पर विचार होना चाहिए। नागरिक की व्यक्तिगत स्वाधीनता के परिपेक्ष्य में और उसकी गोपनीयता बनाए रखने के आधिकार को ध्यान में रख कर विचार होना चाहिए।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। हम सदन में भी यह लड़ाई लडेंगे और आदलत में भी लडेंगे। संविधान के आधारभूत अधिकारों के अनुसार यह कानून टिक नहीं सकता है। अभी तक इस प्रकार के कानूनों को चुनौती नहीं दी गई थी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया तो सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी नहीं। अन्तुले साहब को जाना पड़ा लेकिन जाना

पड़ा कोर्ट के फैसले के बाद । अगर प्रधान मंत्री ने इसको पहले हटा दिया होता तो प्रधान मंत्री की गरिमा बढ़ती । अगर कम्युनिकेशन मिनिस्टर इस विधयक को स्वीकार कर लें या आश्वासन दे दें कि अंग्रेजी राज के काले कानून अब नहीं चलेंगे तो उनकी इज्जत बढ़ेगी । एक्सटर्नल एग्रेशन के दौरान व्यक्तिगत स्वाधीनता को सीमित करने की बात विरोधी दल भी मान रहा है । लेकिन आश्वासन दिया जाना चाहिये कि इसका दुरूपयोग नहीं किया जाएगा । लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमें यहां से न्याय मिलेगा । उसके अदालत के सामने हमें जाना पड़ेगा । अगर अदालत भी नहीं मानी तो हमें जनता की अदालत में इस मामले को ले जाना होगा ।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : विरोधी दल के जनता पार्टी के दो भूतपूर्व मंत्रियां और जनता पार्टी के घटकों के दो नेताओं के मन की अन्तर्वेदना के कुछ स्वर हमें आज यहाँ पर सुनाई दिए हैं । कितनी मानसिक पीड़ा ढाई साल तक उनको रही जब वे श्री मोरारजी देसाई साहब की सरकार में रहे उसका कुछ इजहार उन्होंने दिया है । मैं एक बात समझ नहीं सका हूं जिस समय हम सत्ता में हो उस समय तो किसी अच्छे काम को करने में जिस को हम आज जब सत्ता में नहीं हैं, हिचकिचाएं, परहेज करें, उसको टालने की कोशिश करें लेकिन जब सत्ता में न रहें तो दूसरे पक्ष पर आक्षेप लगाएं कि वह इस कार्य को नहीं कर रहा है । ठीक नहीं है । ढाई साल तक आप सत्ता में रहे । प्रजातन्त्र को आप कहते हैं कि आप ने अपने शासनकाल में रेस्टोर किया । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनका प्रजातंत्र यही कहता था कि विरोधी दल के नेता को तंग किया जाए, उस को झूठे मुकदमों में फंसाया जाए और ऐसा करके उसके राजनीतिक जीवन को समाप्त करने की चेष्टा की जाए ? क्या उनका प्रजतत्र इस तरीके का था कि सैकडों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लगा कर उनको तंग करने की कोशिश की जाए ? क्या यह एक प्रकार की ज्यादती नहीं थी ? जनता पार्टी के राज्य के दौरान वाजपेयी जी एक घटक के नेता थे । उनके एक मुख्य मंत्री ने मध्य प्रदेश में मिनी मीसा लागू किया । तब उनके अन्तर्मन को चोट नहीं पहुंची ? उस समय क्या उन के मन में यह भावना नहीं आई कि मुझ को अपने घटक को टोकना चाहिये और कहना चाहिये कि इस मिनीं मीसा को न लाओ । जब वे दुहाई देते हैं कि हमने प्रजातंत्र को रेस्टोर किया है, मैं समझता हूं कि सामान्य आदमी जो संसद् में नहीं है लेकिन बाहर है, वह भी उनकी इस बात पर हंसेगा ।

इससे मिली जुली बात प्रो. मधु दन्डवते जी ने भी कही है । मैं भी महसूस करता हूं कि शासन को कम से कम व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल देना चाहिये । जिस प्रकार की औपन डैमोक्रेसी हमारी है उस में क्या वाजपेयी जी या दंडवते जी साहब गारन्टी दे सकते हैं कि हमारी प्रजातांत्रिक स्वाधीनताओं को मिसयूज नहीं किया जाएगा, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का दुरूपयोग नहीं किया जाएगा ? आज ऐसा हो रहा है । कई जगह किया जा रहा है । ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है जो किसी प्रकार से विधान सभाओं में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और ऐसा जनता के हित के नाम पर कर रहें हैं .

वाजयेयी जी ने दुहाई दी कि हमें यदि यहां से यह अधिकार नहीं मिलेगा तो हम न्यायपालिका में जाएंगे । न्यायपालिका में आप जाने के लिये स्वतंत्र हैं । लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो निश्चय न्यायपालिका करती है वही उचित है । निश्चय वही उचित होता है जिसको जनता और उसकी प्रतिनिधि सभा यह पार्लियामेंट करती है ।

कोर्ट किसी बीज को किसी फूला के आधार पर सरकार के पक्ष को गलत समझते हैं तो जरूरी नहीं है कि जनता भी उसे गलत समझती हो। बहुत बार ऐसा हुआ है, इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस फैसले को न्यायालय ने टेक्नीकल कमियों के आधार पर दिया हो उसको जनता ने सुधारा, और जनता ने बारबार ऐसे लोगों को चुन कर के संसद में भेजा है। और हमारी कांग्रेस पार्टी बराबर इस प्रकार के संशोधन लायी है जिनको किसी न किसी तरह से कोर्ट ने वायड करार दिया। लेकिन जनता ने फिर उसी पार्टी के सदस्यों को चुनकर यहां भेजा तो हम इस धमकी में आने वाले नहीं हैं, और मैं समझता हूं कि मंत्री जी भी आने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपका जब राज्य था तो जनता पार्टी की सरकार ने उनके टेलीफोन को टैप किया होगा और उनकी मेल को भी सेंसर किया होगा और पार्लियामेंटरी पेपर्स जो वर्तमान मंत्री जी के जाते होंगे और जो चिट्ठियां हमारे सदस्य लिखते होंगे उनको भी जनता पार्टी के शासन काल में सेंसर किया जाता होगा। क्योंकि आपकी मशीनरी को आप पर भी कोई भरोसा नहीं होगा क्योंकि उनको मालूम होगा कि आपकी पार्टी के लोग किस प्रकार की सामप्रदायिकता का प्रचार करते हैं। उनको मालूम होगा कि कुछ लोग ऐक्सट्रिसिस्ट तत्वों के साथ मिले हुए हैं। तो मैं समझता हूं उस समय भी यह प्रैक्टिस रही होगी।

लेकिन इतना मैं जरूर मंत्री जी से कहूंगा कि मिसयूज की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिये। मिसयूज कम से कम हो। और आपको देखना चाहिये कि विभाग के लोग इस अधिकार का दुरुपयोग न करें। आप इस बात का भी प्रावधान करें कि चाहे मेल सेंसर की बात हो या टेलीफोन टैप करने की बात हो, निश्चित तौर पर उसको कोई पार्टिजन या किसी और ऐटीट्यूड के आधार पर कोई लिस्ट हमारी मशीनरी तैयार न करे। क्योंकि मशीनरी कुछ गाइडलाइन्स के आधार पर काम करती होगी, हो सकता है कि कुछ गलतियां वह इस तरह की करें, तो उसको इफेक्टिवली बैक करना चाहिये, चाहे आपका मंत्रालय करे या वह मंत्रालय करे।

मैं समझता हूं कि जो बिल माननीय भोगेन्द्र झा लाये हैं वह निश्चित तौर पर अव्यावहारिक है और उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जनता की चुनी हुई सरकार जो उचित समझती है वह कर रही है और उसमें किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिये केवल इस भ्रम के आधार पर कि कहीं हमारे अधिकार का हनन तो नहीं किया जा रहा है इस आधार पर यह कहना कि टेलीग्राफ ऐक्ट उचित नहीं है, मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं और माननीय भोगेन्द्र झा के विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : श्रीमन्, मैं अपने प्रिय मित्र श्री योगेन्द्र झा द्वारा रखे गये बिधेयक का समर्थन करता हूं।

वास्तव में मैं प्रो. मधु दण्डवते की इस बात से सहमत हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य सीमित है, विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण प्रश्न के सम्बन्ध में, जो कि ब्रिटिश शासन के दौरान बने दो अधिनियमों अर्थात् अधिनियम एवं डाकघर अधिनियम द्वारा बुरी तरह प्रभावित हुई है। अतः यह आवश्यक है कि स्वतंत्रता एवं गोपनीयता के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक विधेयक लाया जाये। परन्तु मेरे मित्र श्री योगेन्द्र झा के इस संशोधनकारी विधेयक द्वारा केवल तार अधिनियम को उसकी इच्छानुसार संशोधित करने का प्रस्ताव है।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि 1835 का तार अधिनियम ब्रिटेन द्वारा विशेष रूप से हमारे देश को गुलाम बनाये रखने के लिए अधिनियमित किया गया था। अंग्रेजों के लिए यह आवश्यक था कि हमारे देश में स्वतंत्रता आन्दोलन को दबाया जाए अतः उन्होंने ऐसे कठोर कानून बनाना अत्यावश्यक समझा जिसका आश्रय लेकर के वे तार द्वारा भेजे गए किसी भी संदेश को बीच में पढ़ सकें। परन्तु मैं नहीं जानता कि क्या श्री स्टीफन देश पर उसी प्रकार का शासन लादना चाहते हैं जैसा कि अंग्रेजों के साम्राज्यवादी शासन में लादा गया था। अब हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन नहीं है। विशेषतः इस बात को देखते हुए कि हमारे देश का एक लिखित संविधान है जिसमें कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, तार अधिनियम स्वाभावतः इन मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। अतः आप इस बात को स्वीकार करेंगे और इस देश का लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा कि तार अधिनियम का यह उपबन्ध अब आवश्यक नहीं है तथा उसे यथाशीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए।

खतरे के एक पहलू की ओर ध्यान प्रो. मधु दण्डवते ने दिला दिया है कि इसके द्वारा राजनीतिक पार्टियों के नेताओं में अथवा सरकारी तंत्र में कुछ भ्रान्ति पैदा करने का प्रयत्न किया जा सकता है।

मैं सभा का ध्यान पत्रकारों के सम्मुख आ रही कुछ कठिनाइयों की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे देश की पत्रिकाओं के संवाददाताओं ने कुछ शिकायतें की हैं कि जब उनके द्वारा कुछ तार संदेश अपने सम्पादकीय विभाग को भेजे जाते हैं तो उन्हें इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन गृह मंत्रालय द्वारा रोक लिया जाता है तथा इस प्रकार लोगों की स्वतंत्रता के लिए जिन अधिकारों की गारंटी दी गई है उन्हें आज भी कम किया जा रहा है। अतः जब कोई संवाददाता अथवा पत्रकार तार द्वारा सूचना भेजता है तो उस संदेश को 1835 के अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत इस दलील पर सरलता से रोका और पढ़ा जा सकता है कि ऐसा करना सार्वजनिक आपात अथवा लोक क्षेत्र के लिए आवश्यक है। इस बात को सब जानते हैं कि किसी भी पत्रकार द्वारा भेजा गया, जो भी संदेश सरकारी क्षेत्र को असुविधाजनक अथवा अरुचिकर लगे उसे लोकहित के हानिकर माना जा सकता है। मान लीजिए किसी हरिजन पर किसी अत्याचार का अथवा कोई अन्य समाचार है जिसकी सूचना पत्रकार अपने सम्पादकीय विभाग को भेजता है उसे बीच में पढ़ा जा सकता है तथा गृह मंत्रालय सार्वजनिक हित के नाम में उसे रोक सकता है। इस प्रकार हमारे देश में प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए तथा देश में चल रहे लोकतंत्रात्मक आन्दोलन को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार का इस प्रकार की कठोर शक्ति अपने पास रखना उनके साम्राज्य के हित में था। लेकिन मैं समझता हूं कि इस सरकार का उस प्रकार को कोई हित नहीं है।

इसलिए, यह आवश्यक है कि दृष्टिकोण में परिवर्तन है। हम इस बात से सहमत हैं कि देश को बाहरी खतरे की स्थिति में और देश पर बाहरी आक्रमण से उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में साधारण नागरिक के अधिकारों, उसकी स्वतंत्रता और गोपनीयता के अधिकारों पर कुछ सीमाएं लगायी जा सकती हैं। परन्तु तार अधिनियम द्वारा किसी भी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को यह शक्ति दी गई है कि वह इस अधिकार को शान्तिकाल में

भी, जबकि देश में कोई आपात्त स्थिति न हो, उपयोग कर सकते हैं। मुझे पता चला है, तथा यह सचाई भी है, कि डाक और तार विभाग के पास उन सभी बातों पर ध्यान देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जोकि इन सभी वस्तुओं को बीच में रोके, सैंसर करे, जांच करे, तथा उसे रोक दे। वास्तव में इस कार्य के लिए गृह मन्त्रालय द्वारा कुछ अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं और अब ये कार्य नियमित आधार पर किये जा रहे हैं, जैसे कि विभिन्न स्रोतों से समाचार प्राप्त हुए हैं, अतः व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, निजी गोपनीयता के अधिकार के हित में यह आवश्यक है कि सरकार अपने रवैया को बदले तथा कम से कम उस संशोधन को स्वीकार करे जिसकी इस विधेयक में व्यवस्था की गई है। यदि सरकार इसे भी स्वीकार नहीं करती तो मुझे इस दुर्भाग्य-पूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि लोकतंत्रीय क्षमता चाहे जो भी हो, परन्तु वे लोकतंत्र को दबाने, नागरिक स्वतन्त्रता पर आक्रमण करने, आम लोगों की निजी स्वतंत्रता को कुचलने के लिये ब्रिटिश परम्परा का अनुकरण करना चाहते हैं। संवैधानिक उपबन्ध के प्रश्न को लीजिये, अनुच्छेद 19 में कुछ स्वतन्त्रताओं की गारन्टी दी गई है, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता···

संचार मंत्री (श्री सी. एम. स्टीफन) : प्रो. मधु दण्डवते यह बात कह चुके हैं।

श्री चित्त बसु : उन्होंने यह बात कही है, यदि आप इसे स्वीकार कर लें तो मैं इसे आगे नहीं कहूंगा।

श्री सी. एम. स्टीफन : मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने यह बात कही थी।

श्री चित्त बसु : यह आपकी दयालुता है कि कम से कम आपने इतना तो माना कि उन्होंने यह बात कही थी। (व्यवधान) इसमें कोई कारण, कोई तर्क नहीं है कि तार अधिनियम, 1885 में संशोधन करने के इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाये। जहां तक समाज-विरोधी तत्वों की कार्य-वाहियों का सम्बन्ध है, जहां तक देश की सुरक्षा का प्रश्न है, यह अधिनियम देश की सुरक्षा की गारन्टी नहीं दे सकता, इस अधिनियम से समाज-विरोधी तत्वों, काला बाजार करने वालों से नहीं निपटा जा सकता। इन समाज-विरोधी तत्वों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए अन्य कानून हैं। वास्तव में इनसे निपटने के लिए इस अधिनियम की आवश्यकता नहीं है। इसका मूल उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा इस देश में लोकतंत्रीय आन्दोलन को नष्ट करना ही था। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य समाज-विरोधी तत्वों और चोरबाजारी करने वालों से निपटना नहीं था।

ब्रिटिश साम्राज्य का मूल उद्देश्य लोकतन्त्रीय आन्दोलन तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को समाप्त करना था। यह उनका मूल उद्देश्य था।

यदि इस सरकार के भी यही विचार हैं, यही मूल उद्देश्य हैं, तब मुझे कुछ नहीं कहना। परन्तु समाज-विरोधी तत्वों तथा चोरबाजारी करने वालों से निपटने के लिये अन्य कानून पहले से विद्यमान है। इसलिए यदि आप लोकतन्त्र का दावा करते हैं तो मन्त्री महोदय को खड़े होकर यह कहना चाहिए कि वह इस संशोधन विधेयक में देर करने के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। और सभापति महोदय आप इस विधेयक पर चर्चा के जारी रखने प्रश्न पर पुनर्विचार कर सकते हैं।

***श्री ईरा मोहन** (कोयम्बटूर) : मैं अपनी पार्टी द्रमुक की ओर से भारतीय तार

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

(संशोधन) विधेयक, 1981 पर कुछ विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं जिसे श्री भोगेन्द्र झा ने सभा में पुरःस्थापित किया है।

भारतीय तार अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1885 में पारित किया गया था और उनका एकमात्र उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत करके बनाये रखना तथा इस कानून द्वारा आंतरिक विद्रोह को दबाना था। 97 वर्ष के पश्चात श्री भोगेन्द्र झा ने यह संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किया है जिससे कि मूल अधिनियम के अधीन शोषण समाप्त किया जा सके। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 97 वर्ष की अवधि के दौरान देश में भारी परिवर्तन हुए हैं। भारत आज स्वतन्त्र देश है। स्वतन्त्र राष्ट्रों की विशिष्ट मंडली में भारत को लोकतन्त्र का संरक्षक माना जाता है। इन वर्षों में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाये गये बहुत से अधिनियम या तो रद्द कर दिये गये हैं अथवा स्वतन्त्र भारत की सरकार द्वारा संशोधित किये जा चुके हैं। मुझे आश्चर्य है, कि इस घृणित अधिनियम को अन्य अधिनियमों के समान संशोधित क्यों नहीं किया गया। किसी को भी सन्देह पैदा हो सकता है कि क्या भारत सरकार विशेष रूप से जबकि यह अधिनियम अभी भी कानून के रूप में वद्यमान हैं, इस मामले में ब्रिटिश सरकार के पद-चिन्हों पर चल रही है।

मुझसे पूर्व बोलने वाले सदस्यों ने, विशेषतः विपक्ष के सदस्यों ने, इस बात पर बल देने के लिए बहुत से उदाहरण गिनाये हैं, कि कैसे इस अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है। सत्तारूढ़ दल के सदस्य ने आग्रह किया है कि लोकतन्त्र को दृढ़ बनाने के लिए इस अधिनियम की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि, क्योंकि विपक्ष के सदस्य श्री भोगेन्द्र झा ने इस विधेयक को पुरःस्थापित किया है अतः सत्तारूढ़ दल के सदस्यों मे मूल अधिनियम के पक्ष में तर्क दिये हैं, अन्यथा दिल से वे भी उस काले कानून को रद्द करना चाहते हैं। उस अधिनियम के अधीन देश में किसी भी व्यक्ति की डाक को सेंसर करने, टेलीफोनों को टेप करने, तारों को बीच में रोकने की शक्ति सरकार को प्राप्त है। इस अधिनियम के जारी रहने से शासक दल के सदस्य स्वयं भी बचे नहीं रह सकते।

शासक दल के सदस्यों ने इस अधिनियम को जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है जिसके लिए उन्होंने कहा है कि तस्करों, चोर-बाजारी करने वालों, जमाखोरों तथा समाज-विरोधी तत्वों को केवल इस अधिनियम के अधीन ही दबाया जा सकता है। परन्तु आज यह अधिनियम इस देश में लोकतन्त्रीय प्रजातन्त्र को दबाने का शक्तिशाली माध्यम बन गया है। इसे विपक्ष के प्रमुख नेताओं के विरुद्ध उपयोग में लाया जा रहा है। जब 1977 से पूर्व केन्द्र में कांग्रेस का शासन था तब इसका उपयोग विपक्ष के सभी नेताओं के विरुद्ध किया गया था। जब श्रीमती इंदिरा गांधी विपक्ष में आ गई तथा विपक्ष जनता पार्टी के नाम से शासक दल बन गया तब इस अधिनियम का उपयोग, हमारी वर्तमान प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध किया गया, जोकि उस समय विपक्ष में थीं। वर्तमान सचार मन्त्री, श्री स्टीफन को भी नहीं छोडा गया, उनके टेलीफोन टेप किये गये, डाक सेंसर की गई, तथा तार रोक लिये गये। मुझे विश्वास है कि अब वह इस बात को अनुभव करते होंगे कि उन्हें इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करनी चाहिए।

केवल केन्द्रीय सरकार ही इसे क्रियान्वित नहीं करती। राज्य सरकारों को भी इस अधिनियम का अपनी इच्छानुसार उपयोग करने की शक्ति प्राप्त है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभी राज्य सरकारों ने इस अधिनियम का विवेक पूर्वक उपयोग किया है। आप जानते हैं कि तमिलनाडु में अन्ना-द्रमुक की सरकार है। उक्त राज्य सरकार इसका उपयोग विपक्षी दलों के राजनीतिक कार्यक्रमों तथा क्रिया-कलापों को जानने के लिए करती है। इस कानून का उपयोग तस्करों, जमाखोरों राष्ट्र-विरोधी तथा समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इन्दिरा पार्टी के संसद सदस्यों के टेलीफोन टैप किये जा रहे हैं। द्रमुक के संसद सदस्यों एवं द्रमुक के विशिष्ट व्यक्तियों के टेलीफोन भी टैप किये जाते हैं। उनकी डाक सैंसर की जाती है। उदाहरण के तौर पर इन्दिरा कांग्रेस के संसद सदस्य श्री के. टी. कोसलराम, जोकि इस समय यहीं बैठे हुए हैं, के टेलीफोन अन्ना-द्रमुक सरकार द्वारा टैप किये जाते हैं। उनकी डाक सैंसर की जाती है तथा तार रोक दिये जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस कानून को किस सीमा तक शासक दल के हित में उपयोग में लाया जा रहा हैं। शासक दल के संसद सदस्यों को इस बात पर विचार करना चाहिए क्योंकि भविष्य में किसी भी समय वे विपक्ष में हो सकते हैं। मंत्री महोदय को इस महत्वपूर्ण मामले पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। इस अधिनियम का उपयोग उस लोकतन्त्र के नीतिशास्त्र, जिसे हमने वर्षों के प्रयत्न से स्थापित किया है, को घटाने के लिए किया जा रहा है। इसका उपयोग विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है। केवल विपक्ष के सदस्य ही इस अधिनियम का शिकार नहीं होते। प्रेस को भी इस अधिनियम के दमनकारी उपबन्धों को सहना पड़ता है। यदि समाचार पत्र कोई ऐसा समाचार छापते हैं जो केन्द्र अथवा राज्य के सत्तारूढ़ दल पर दोषारोपण करता है तो तुरन्त ही उनके टेलीफोन टैप किये जाते हैं, उनकी डाक सैन्सर की जाती है तथा तार रोक लिये जाते हैं। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु में 'मुरोसोली' और "इनचिरोली" के, जोकि तमिल के लोकप्रिय पत्र हैं, टेलीफोन नियमित रूप से टैप किये जाते हैं। केन्द्रीय सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस अधिनियम का इस देश में विपक्षी दलों और समाचार पत्रों को दबाने के लिए उपयोग न किया जाये।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

तिरूचेन्दुर में एक कत्ल हुआ तथा कातिल मुक्त घूम रहे हैं। उनके टेलीफोन टैप नहीं हो रहे। हमारे प्रतिष्ठित नेता डा. करुणानिधि का, जो मारे गये व्यक्ति के आश्रितों को न्याय दिलाने तथा अपराधियों, कातिलों, और मंदिरों की नीधि का गोलमाल करने वालों को दण्ड दिलाने के लिए 130 मील की पद-यात्रा पर है, टेलीफोन भी टैप किया जा रहा है। इस दूषित एवं दम घोटने वाले अधिनियम को हमारे जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र का गला घोटने का कार्य नहीं करने देना चाहिए। संचार मंत्री को इस भयानक स्थितियों को समझते हुए इस संशोधन करने करने वाले विधेयक को, लोकतन्त्र को बढ़ावा देने के लिए स्वीकार कर लेना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

आवश्यक वस्तु कीमत नियतन विधेयक

श्री के लकप्पा (टुमकुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आवश्यक वस्तुओं की कीमत स्थायी आधार पर नियत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक का पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वे उस समय अनुपस्थित थे।

प्रो. मधु दण्डवते : यह अल्पमतस्क ही नहीं थे, अपितु अनुपस्थित भी थे।

श्री के. लकप्पा : मैं दूसरी बैठक में था मैं अल्पमतस्क प्रोफेसरों की बात समझ सकता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि आवश्यक वस्तुओं की कीमत स्थायी आधार पर नियत करने का उपवन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थाप्ति करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

श्री के. लकप्पा : विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए भी।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वह सभा के बाहर व्यस्त रहें हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह आज प्रातः आपके साथ व्यस्त हैं।

श्री के. लकप्पा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

दक्षिणी-ध्रुव (एन्टार्क्टिका) में प्रथम भारतीय वैज्ञानिक अभियान के सफलता पूर्वक उतरने के बारे में वक्तव्य

प्रधान मत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि हमारा पहला भारतीय वैज्ञानिक अभियान दिनांक 9 जनवरी, 1982 को 00.30 बजे दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा। विभिन्न क्षेत्री से लिए गए इक्कीस वैज्ञानिकों तथा तकनीशनों ने इसमें भाग लिया था।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य दक्षिणी ध्रुव के वायुमण्डलीय तथा अन्य परिस्थितियों का जो ऐसा विश्वास किया जाता है कि मानसून को नियंत्रित करती है, अध्ययन करना था। इस दल ने हिम सम्बन्धी, भूचुम्बकत्व, भूविज्ञान तथा भौतिक, रासायनिक तथा जैविक समुद्र विज्ञान से सम्बन्धित परीक्षण भी किए। उनके इन परीक्षणों में दक्षिणी ध्रुव के मार्ग में, दक्षिणी ध्रुव पर भी और वापसी यात्रा में, तापमान, दबाव, हवा की गति, आर्द्रता, धारातल-ओजोन, बादलों की दृश्यता, वितिरण, रेडियो तरंग का संचरण इत्यादि का मापन शामिल है।

दक्षिणी ध्रुव प्रदेश के भूमि पुंज पर हिम सम्बन्धी भूविज्ञान तथा भौतिक रासायनिक तथा जैविक परिस्थितियों का परीक्षण किया गया। चट्टानों के कुछ नमूने भी एकत्रित किए गए थे, जो डैकन में पाई जाने वाली चट्टानों के समान प्रतीत होते थे। तथापि, इस बात का पता

लगाने के लिए विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता है कि क्या डैक्न तथा दक्षिणी ध्रुव किसी समय एक साथ मिले हुए प्रदेश थे।

इस अभियान दल ने दक्षिणी ध्रुव में मौसम सम्बन्धी आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए एक स्वचालित मौसम केन्द्र की स्थापना की थी। इस स्टेशन को ऊर्जा की पूर्ति भारत में निर्मित सौर पैनलों द्वारा की जाती है। कैसेट पर लगातार हुए रिकार्ड को वर्ष के अंत में पुनः प्राप्त किया जा सकता है और उसे आगे रिकार्डिंग के लिए फिर से बदला जा सकता है। स्टेशन की साइट को "दक्षिण गंगोत्री" का नाम दिया गया है, इस अभियान की यादगार के रूप में एक पीतल से बना फलक रखा गया है।

इस दल ने शून्य से नीचे के तापमान की परिस्थितियों में घड़ियों, वाकी-टाकी सैटों, सीमेंट, सूखे भोजन, बैटरियों, नाइलोन के रस्से जैसे भारतीय उपस्करों और वस्तुओं के गुण-प्रकार तथा उनकी कार्यक्षमता का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। इस दल ने इस ध्रुव प्रदेश में करीब .1 दिन व्यतीत किए। इस दल के नेता लौट गए हैं और दल के अन्य व्यक्तियों के 20 फरवरी, 1982 के लगभग गोवा लौटने की आशा है।

दक्षिणी ध्रुव पर सफलापूर्वक उतरने से इस बात का एक और प्रमाण मिल गया है कि आवश्यकता पड़ने पर भारतीय वैज्ञानिक तथा तकनीशियन दुष्कर तथा जटिल कार्य शुरू करने की कार्यक्षमता रखते हैं। माननीय सदस्यगण जरूर चाहेंगे कि उनकी तरफ से मैं सम्पूर्ण दल को बधाई दूं। हम भारतीय नौसेना द्वारा प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं की भी सराहना करते हैं। जब इस तिथि का मूल्यांकन किया जाएगा तब वे दक्षिणी ध्रुव के इतिहास पर और हिन्द-महासागर क्षेत्र की जलवायु पर इसके प्रभाव पर महत्वपूर्ण प्रकाशन डालेंगे। इस उन्नत कार्य को प्रारम्भ करने में, भारत अब चुनिन्दा देशों की जमात में आ गया है। इस अभियान का महत्व और हमारी युवापीढ़ी पर इसका प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इसकी वैज्ञानिक उपलब्धि। मैं आशा करती हूं कि इससे हमारी युवापीढ़ी वैज्ञानिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत होगी और उन्हें समुद्र तथा समुद्री खोजयात्रा के लिए गहरी अभिरुचि दिखाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस उपलब्धि का गौरव हमें आगे महत्वपूर्ण प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मंगलवार 23 फरवरी, 1982 के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है।

6.03 म. प.

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार 23 फरवरी 1982/4 फाल्गुन 1903 (शक) के 11 बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स,472 साईकिल मार्किट दिल्ली-6